(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2] नवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का आठवां दिवस [संख्या–6

1] [2

मंगलवार,

दिनांक 3 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सालिगराम।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर

राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा पम्प सैट्स की खरीद

128. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही कि वर्ष 1989–90 में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा जलधारा व अन्य योजनान्तर्गत जिलों, खण्डों व समितियों में 4,500 पम्प सैट गरीब काश्तकारों को ऋण अनुदान के बदले देने हेतु खरीदे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन पम्प सैट्स की खरीद में निगम द्वारा एक से डेढ़ हजार प्रति पम्प सैट के हिसाब से अधिक राशि का भुगतान किया जाकर करीब 65 लाख रुपये का राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस स्तर पर ?

(4) क्या सरकार उक्त जांच का काम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के माध्यम से करवा कर जांच से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा अमेण्ड करना चाहता हूं।

(1) वर्ष 1989–90 में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा जलधारा योजना व अनुसूचित जाति विकास निगम की योजना के निर्धारित लक्ष्य 4460 विद्युत पम्प सैटों की विभिन्न जिलों एवं पंचायत समितियों में आपूर्ति करनी थी, लेकिन सम्बन्धित जिला विकास अभिकरणों से प्राप्त मांग के अनुरूप कुल 391 विद्युत पम्प सैट ही आपूर्ति हेतु खरीदे गये। इसके अतिरिक्त वर्ष 1989–90 में टाडा, माडा, मैसिव आदि योजनाओं में लगभग 875 डीजल पम्प सैटों की विभिन्न जिला विकास

(कृषि मंत्री)

अभिकरणों की मांग एवं पसंद के अनुसार राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर आपूर्ति की गयी।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बन्ध में प्राप्त परिवादों व शिकायतों के बारे में निगम द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने पर ही बताया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पहला प्रश्न तो यह करना चाहता हूं कि क्या क्रय के लिए जो इस सम्बन्ध में पद्धति अपनायी गयी वही निर्धारित पद्धति है? क्या टेण्डर मांग कर क्रय करने की जो पद्धति है उससे हटकर कोई परचेज कमेटी बनाकर क्रय करने का निश्चय निगम ने किया था? अगर हां, तो जो शार्ट टर्म टेण्डर नोटिस है उस पद्धति को क्यों छोड़ा गया?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है—जो समिति निगम ने पम्प सैट परचेज के लिए बनाई उस समिति ने क्या दरें तय की थीं? उन दरों को निगम ने या निगम के किसी अधिकारी ने बदला? बदल कर जो दरें परचेज कमेटी ने तय की और जो दरें वास्तविक रूप से निगम ने तय की, उनका अन्तर बता दीजिए? कितना ज्यादा पैसा इसके कारण निगम को देना पड़ा?

तीसरा सवाल, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि यह जो अंतिम निर्णय लिया गया परचेज कमेटी की दरों को दरकिनार करके नये लोगों को बुलाकर, नेगोशिएशन करके जो दरें तय की गयी उसका निर्णय किस स्तर पर लिया गया? क्या एम. डी. और चैयरमेन ने उसका अनुमोदन किया है। चौथा प्रश्न यह है कि उन पम्प सैटों को निगम ने किसानों को किस भाव पर दिया? उसमें कितना अन्तर है? प्रत्येक पम्प सैट की परचेज प्राइज और सेल प्राइज में कितना अन्तर है?

अन्त में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि निगम ने जो पम्प सेटों की परचेज की उसके लिए राजस्थान की पम्पसैट डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, उसने दिनांक 8-1-90 को एक शिकायत उनकी परचेज के बारे में की थी। क्या उसकी जांच की गयी? अब जो आपने जांच करायी है, वह मेरा ख्याल है मई के महीने में हुई थी। आपको अब तक जांच के नतीजे मिल चुके होंगे। उसके आधार पर प्राइमाफैसी केस बनता है तो आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कमेटी की बात कही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी का निर्माण किया गया था। जिसमें खण्डीय व्यवस्थापक, लेखाधिकारी (वरिष्ठ) एक कनिष्ठ अभियन्ता शामिल था और उसके आधार पर किया। 17-3-89 को दर आने के पश्चात् इस कमेटी ने दर का निश्चय किया।

रेट्स के सम्बन्ध में जो रेट्स आयी थी, किर्लोस्कर पी. एस. जी. ज्योति की रेट उस

(श्री दिग्विजय सिंह)

वक्त जब उन्होंने टेण्डर दिया था तो अधिक थी उसके बाद नेगोशिएशन करने के पश्चात् जो रेट्स तय की गयी वह मूल रेट थी उससे भी कम थी। इसलिए आप यह कहें कि नेगोशिएशन के बाद रेट ज्यादा हो गयी, तो वह गलत है। पहले 5280 थी नेगोशिएशन के पश्चात् 4382 रही और बी.एस.जी. की 4200 थी नेगोशिएशन के पश्चात् 3780 रही। नेगोशिएशन के बाद जो रेट आयी वह कम आयी और उसी रेट पर दिया गया।

जहां तक परचेज का सवाल है तो वह मैंने बता दिया कि रेट्स को देखेंगे तो अधिक रेट पर नहीं लिया गया।

जांच के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि 90 के अन्दर एक रिप्रजेण्टेशन श्री कालीचरण सराफ ने दिया था। उसकी जांच के लिए मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दे दिया है और उसकी जांच चल रही है। निगम द्वारा उसकी जांच जल्दी ही पूरी हो जायेगी। उसके पश्चात् आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने मांगा था जो वोल्टास की दर है, वह कितनी थी, और बाटलीबॉय, ज्योति और क्रॉम्पटन की दरें कितनी थीं। किर्लोस्कर की आपने बताई है मैं वोल्टास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं....

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, मैं बताऊँ कि वोल्टास की रेट आयी थी पर वह पम्प सैट तो खरीदा ही नहीं गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं खरीदा गया वह अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि जो खरीदने का तरीका है उसमें अनियमितता हुई है। वोल्टास ने कमेटी को दर दी थी 4800 प्रति पम्पसैट तीन हॉर्स पावर और 5710 रुपये प्रति पम्प सैट पांच हॉर्स पावर। उसको बाद में जब नेगोशिएशन हुए थे तो इनकी दरें आयी 6000 और 7000, इसमें 20% कमीशन था। उस हिसाब से इसको खरीदा जाता तो वह 4333 के बजाय 4800 देने पड़ते। अब वह पता नहीं आपने कौन-सा खरीदा, कौन-सा नहीं खरीदा? इसी तरह पांच हॉर्स पावर का 5153 के बजाय 5600 में पड़ता और एक सैट के ऊपर अगर इस पर खरीदते तो 468 रुपये तीन हॉर्स पावर पर और 445 पांच हॉर्स पावर पर देने पड़ते।

श्री अध्यक्ष : Old **habits** die **hard.**

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इनकी सेल प्राइस से एक हजार रुपये काश्तकारों से ज्यादा लिये हैं। वह सेल प्राइस भी आपने नहीं बतायी और यह भी नहीं बताया कि किसानों को किस प्राइस पर दिया गया। इसी तरह जी.ई.सी. की दरें थीं, वह प्रस्ताव जो समिति में दिया था और जब नेगोशिएशन के लिए बुलाया तो जी.ई.सी. ने मना कर दिया। लेकिन उसका अथोराइज, डीलर आपके पास आया मनमोहन कारपोरेशन है उसने अपनी रेट दी। इस प्रकार जो रेट आई थी उसमें भी अन्तर था। समिति को जो रेट दी थी वह थी 3550 तीन हॉर्स पावर थी और इस मनमोहन कारपोरेशन ने, जो जी.ई.सी. का अथोराइज्ड डीलर था

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उसने रेट दी 6525 रुपया, इसी तरह पांच हॉर्स पावर की परचेज कमेटी को दी 4140 और डीलर ने दी है 7746।

इसी तरह निगम द्वारा जो विक्रय किया गया है उसमें करीब 2019 रुपये तीन हॉर्स पावर पर और 2626 रुपये पांच हॉर्सपावर पर निगम को ज्यादा देने पड़े हैं। मैं इसके ज्यादा विगत में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास डिटेल है नहीं। लेकिन अगर आप इसकी पूरी तरह छानबीन करेंगे तो कई एतराज सामने आयेंगे। आप इसको एण्टी करप्शन के पास भेज दीजिए वह सारे रिकार्ड की छानबीन करके, रिकार्ड ले लेंगे और जानकारी कर लेंगे और जो भी वास्तव में इसमें दोषी हैं उनको सजा हो जायेगी। किसान को इस तरह से जो लूटा जा रहा है उनका शोषण रुक जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जो आपने दो वोल्टास की और जी.ई.सी. की बतलाई, वह जानकारी देना चाहता हूं। उनकी रेट अधिक थी, इसलिए वह तो परचेज ही नहीं किये गये, नेगोशिएशन्स का तो लिया ही नहीं है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है इस बात का कि किसानों को अधिक कीमत में दिया गया हो। जी ई सी. के सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी रेट आयी थी, उस पर नेगोशिएट किया और नेगोशिएसन्स के वक्त में निगम की जो टर्म थी, उन टर्म्स को उन्होंने एग्री किया और एग्री करने की वजह से जी. ई. सी. के पम्प सैट खरीदे गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक कमेटी बनायी थी। वह जो परचेज कमेटी थी, उसने क्या रेट बतायी थी जी. ई. सी. की और आपने क्या रेट मंजूर की।

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी बात सुनें कि जी.ई.सी. की जो रेट थी, वह पांच हार्स पावर की थी 4140 और नेगोशिएसन्स में 6196 और तीन हार्स पावर की थी 3750 और नेगोशिएसन्स में थी 5220। नेगोशिएसन्स के वक्त में उनको यह कहा गया कि यह जो माल है, यह निगम की शर्तों के अनुसार उठानें और वहां ले जाने का खर्चा आप वहन करेंगे। वह उन्होंने एग्री किया और इस वजह से थोड़ी बढ़ोतरी उसमें हुई है और यह रेट बता रहे हैं। रेट जो इनक्रीज हुए है, उसमें जो रेट आयी थी, वह थी 3550 और नेगोशिएसन्स में 5220 हुई। पम्प सैट जो वोल्टास के हैं इसलिए खरीदे भी नहीं गये है। जी.ई.सी. के थोड़े बहुत खरीदे गये हैं, जिसका कारण यह हुआ वढ़ोतरी का कि जो टर्म्स कारपोरेशन की थी उसके ऊपर उन्होंने एग्री किया इसकी वजह से यह खरीदे गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, टर्म्स क्या थे? सवाल इसमें इसमें यह पैदा होता हैं कि तीन हजार रुपये का कोटेशन दिया, नेगोशिएसन्स के वक्त के अन्दर एकदम पांच हजार रुपये हो गया। सवाल यह है कि ऐसे क्या नये टर्म थे? जो ओरिजनल टर्म से यह टर्म भिन्न थे? नम्बर वन! जिसके कि मुताबिक आपने ओरिजनल टर्म्स से तीन हजार रुपया कोट किया था। आपने नये टर्म्स ऐसे क्या इनकारपोरेट किये जो पांच हजार रुपया हो गया आल आफ ए सड़न? नम्बर दो। नम्बर तीन, अध्यक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, कि खाली ट्रांसपोर्ट करके आपको मौके पर पहुंचाना है इसके लिए हमने दो हजार रुपये की कीमत बढ़ा दी, यह मेरी समझ में सदन के किसी माननीय सदस्य की समझ में आने वाली बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने नहीं किया है, आपने किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसी ने भी किया, सवाल यह नहीं है कि मैंने किया, आपने नहीं किया। फिर आप उत्तर क्या दे रहे हैं? आप किसलिए बैठे हुए हैं कि आपने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया? (व्यवधान) आप किस मर्ज की दवा हैं, आप किसलिए बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विश्नोई जी बोलना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कि नेगोशियेशन किया जाता है जो टेन्डर आता है उससे कम करने के लिए। यह तो हमने कहीं भी नहीं देखा कि नेगोशियेसन के अन्दर बढ़ा दो। अगर नयी शर्तें आपने डाल दी थी तो री-टेन्डर करना चाहिये था, नेगोशियेसन में यह नया बखेड़ा उन्होंने क्यों डाल दिया?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही यह बात कही थी। आपने जो नेगोशियेसन्स में जी. ई. सी. की बात कही थी, उसमें नेगोशियेसन्स में उन्होंने बढ़ोतरी की और हमारे टर्म को भी उन्होंने बढ़ाया परन्तु जहां तक इनके परचेज का सवाल है, दोनों ही कम्पनी के कोई भी पम्प सैट निगम द्वारा नहीं खरीदे गये हैं, न ही वितरित किये गये हैं। इसलिए काश्तकारों को कोई एक्सेस चार्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी आपने फरमाया है, अपने उत्तर में। यह प्रश्न, माननीय मंत्रीजी, पैदा हुआ कि वोल्टास तो नहीं खरीदे गये लेकिन जी. ई. सी. के थोड़े-बहुत खरीदे गये। तो या तो आपकी जानकारी गलत है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने फरमाया है उसी से यह प्रश्न पैदा हुआ है अन्यथा यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं कि नेगोशियेसन के अन्दर क्योंकि रेट्स जो उन्होंने हमारी मान ली फिर भी हमने इनको परचेज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट। श्री गुलाम मुस्तफा खान प्रश्न संख्या–129 (अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल इन्दौरा।

गंगानगर में भू-आवंटन

130. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

(1) गंगानगर जिले में 1975 में कितने भूमिहीन सवर्णों एवं अनुसूचित जाति के लोगों ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्हें कब तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री देवी सिंह भाटी) : (1) वर्ष 1975 में जिला गंगानगर में छह: तहसीलों में सवर्णों एवं अनुसूचित जाति के भूमिहीनों के 76035 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

(2) गंगानगर जिले में भूमिहीनों के 19323 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। इस जिले में गंग एवं भाखरा क्षेत्र में उपलब्ध भूमि छोटे टुकडों में है जिसका आवंटन साधारणत: समीप के खातेदारों को किया जाता है। शासन के पत्र क्रमांक प. 3(46) राज/उप/83 दिनांक 6-9-88 द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण की आवंटन से शेष रही भूमि को विशेष आवंटन द्वारा आवंटन किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लम्बित प्रार्थना पत्रों के आधार पर भूमि आवंटन इस जिले में भविष्य में नगण्य ही रहेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक तो माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें, जैसा उन्होंने अपने जवाब में कहा कि प्रथम चरण में और भाखरा क्षेत्र में छोटे-छोटे टुकड़े रह गये हैं और वह छोटे-छोटे टुकड़े उन्हीं को अलॉट होंगे, जिनकी जमीन के अटैचमेण्ट में वे लगे हुए हैं। इस हालत में जो लम्बित प्रार्थना-पत्र पड़े हैं। 1975 से आज तक भूमिहीनों के और 15-16 साल के अन्दर भी अलॉटमेण्ट नहीं हुए। 88 में जो आर्डर पास किया गवर्नमेण्ट ने उनको अलॉट करने का, प्रथम चरण में यह शेष भूमि है और प्रथम चरण में इतनी भूमि अच्छी नहीं है। सारा डेजर्ट इलाका है, या फिर छोटे-छोटे टुकड़े हैं। इस हालत में मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनके लिए कोई दूसरा उपाय या दूसरे स्थान पर सैकिण्ड चरण में अलॉटमेण्ट का कोई रास्ता उनके दिमाग में है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर में बताया और जैसा माननीय सदस्य ने भी माना कि छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि उपलब्ध है। वह स्माल कैंचेज की जो जमीन है, वह पड़ौसी जो भी खातेदार होगा, उसको पहले आवंटित की जायेगी। दूसरा जैसा आपने बताया, 6-9-88 को जो आदेश दिया था, उसमें भी स्पष्ट है कि इसमें जो भूमि शेष रही है, वह विशेष आवंटन के लिए सुरक्षित कर दी गई है। रहा सवाल आपका कि प्रथम चरण में भूमि आवंटन के लिए आपने फरमाया, उसमें अलग-अलग इसकी कैटेगरीज, प्रायोरिटीज बनी हुई है। इसमें जैसे जो उस कोलोनाइजेशन तहसील का रहने वाला है पहले उसे भूमि मिलेगी, उसके बाद में जो पड़ौसी रेवेन्यू तहसील का है उसको मिलेगी, उसके बाद में जो दूसरा पड़ौसी जिला है, उसका नम्बर। तो जैसे-जैसे यह आवंटन की प्रक्रिया और वह

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रायोरिटीज पूरी हों तब कमी नम्बर आने की सम्भावना है, इससे पूर्व में कोई संभावना नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैटेगरीज का सवाल तो वहां है जहां रेवेन्यू तहसील है। जहां लाटरी सिस्टम से अलॉटमेण्ट होता है उसमें कोलोनाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां किसानों को अलॉटमेण्ट नहीं हो रहा। जिस प्रकार से 1988 में एक आर्डर पास किया गया अलॉटमेण्ट का, आज तक कोई लाटरी सिस्टम से लरकाना तहसील में या दूसरी तहसीलों में नहीं हो रहा है। हजारों किसान रोजाना इस बात को लेकर के आते हैं कि हमको अलॉटमेण्ट नहीं हो रहा है। हमारी दरख्वास्तें लम्बित पड़ी है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा हैं कि 88 के आर्डर से लम्बित प्रार्थना-पत्रों के भूमिहीनों की ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। 19323 प्रार्थना-पत्र जो इन्होंने बताये हैं ये आज तक लम्बित हैं, इसलिए स्पष्ट उत्तर नहीं है। माननीय मंत्री का कि उनको अलॉटमेण्ट होगा या नहीं होगा। यदि वहां भूमि नहीं है तो उनके लिए कौनसा रास्ता है, भूमि अलॉटमेण्ट करने का यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी। तीनों का सुन लीजिए, वही आयेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब देते वक्त आपने कहा कि विशेष आवंटन के द्वारा प्रथम चरण में भूमि दी जायेगी, निश्चित तौर पर यह विशेष आवंटन नहीं, नीलामी है। विशेष आवंटन में भूमि की कीमत जो रखी गयी है वह चार लाख, साढ़े चार लाख रुपए एक मुरब्बे की है। यह निश्चित तौर से किसी भी गरीब आदमी के पहुंच की बात नहीं है। जिन भूमिहीनों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं उनकी संख्या 19 हजार है। राजस्थान सरकार ने गंगानगर जिले के प्रथम चरण में एक लाख एकड़ जमीन रखी, उसके अधिकारी थे वे जो विस्थापित हैं पोंग डैम के, जो सैनिक सारे देश के अन्दर सेवायें करते हुए मृत्यु प्राप्त कर गये और इसी तरह के जागीरदार। जब लाखों एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल के अन्दर कुछ लोगों के लिए रिजर्व रख दी गयी, विशेष तौर से विशेष वर्ग के लिए, तो जो भूमिहीन गंगानगर जिले में बच गये, जिनकी संख्या 19 हजार आपने मानी है, वे कहां जायें? कांग्रेस सरकार की नीति थी की पूरी जमीन को नीलाम किया जाय। मान लो, आप नीलाम करना चाहते हैं, इसका मतलब वह राजस्थान कैनाल की सांझी जमीन हुई। फिर क्या दूसरे चरण में बदले में उनको जमीन देंगे? मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। इस नीलामी के खिलाफ जनता दल के सारे नेता लड़े हैं, जिलों में गये, मुकाबला किया है उन्होने और 3-3, 4-4 दिन तक धरना दिया है कि यह विशेष आवंटन रद्द किया जाय। यह नीलामी है, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े-बड़े भूमिपति और हरियाणा और पंजाब के लोग अफसरों से मिलकर इस जमीन को

श्री हेतराम बेनीवाल)

प्राप्त कर लेंगे। इसमें बाकी की जो जमीन है उसके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ? क्या इस जमीन को आप उन गरीबों को देंगे या वे 19 हजार गरीब की श्रेणी में ही रहेंगे, ताकि वे उसी गोल दायरे में रहें और उनको कोई जमीन नही मिले ?

श्री अध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो प्रश्न। क्या मंत्री महोदय विशेष आवंटन की जो रिजर्व भूमि है वह गंगानगर जिले के उन भूमिहीन किसानों को प्रायोरिटी पर देने का विचार रखते हैं कि वह जमीन प्रथम तो आप भूमिहीन गरीबों को दें और यदि जमीन बचती हो तो उनको विशेष आवंटन में दी जाय ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। नम्बर दो प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में वन विभाग को जो भूमि दे रखी है वह आज बना किसी प्रकार का विकास किये करीब डेढ़ लाख एकड़ जमीन फालतू पड़ी है ? क्या राज्य सरकार जो काबिल काश्त भूमि है उनको भूमिहीन लोगों को दिलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस तरह की नीति आप कब लागू कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना मैं समझ रहा हूं इसलिए मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि यह आपने 19 हजार एप्लिकेण्ट्स की स्थिति अधरझूल में कर रखी। हकीकत में यह हो रहा है कि बीच में ऐसे दलाल और ठग खड़े हो जाते हैं कि मैं तुम्हें भूमि आवंटन करा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। लोगों को स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको आखिर यह जमीन मिलेगी। या नहीं मिलेगी इसीलिए 19 हजार एप्लिकेशंस पेण्डिंग हैं। गंगानगर जिले की स्थिति मैंने आपको बता दी कि वहां भूमि स्पेशल आवंटन और स्माल पैचेज के लिए सुरक्षित कर दी गई है। फर्स्ट स्टेज के लिए जो मैंने बताया, उसमें अलग-अलग प्रायोरिटीज बनी हुई हैं। सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि जो एक्स सर्विस मैन हैं, भूमिहीन हैं, बेरोजगार इंजीनियर हैं, सभी कैटेरीज बनी हुई हैं। यही सही है, उसी अनुसार आवंटन किया जा रहा है। गंगानगर जिले में जितने भी आवंटन थे, ज्यादा से ज्यादा पूर्व में किये जा चुके थे। उसके बाद जो माइनर्स हैं वह मेजर बनते रहे, उसके लिए एप्लिकेशंस देते रहे। गंगानगर के बाद बीकानेर जिले का नम्बर आया। उसमें प्रथम उपनिवेशन....

श्री हीरालाल इन्दौरा : मंत्री महोदय, कैटेगराइजेशन से कब किस डिस्ट्रिक्ट का नम्बर आवेगा। आप तो एक बात बता दीजिए कि विशेष अलाटमेण्ट रद्द करके गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों को....

श्री अध्यक्ष : आप पूरा जवाब तो सुन लीजिए पहले। वह आपकी भावनाओं के साथ शेयर कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, उनकी नीतियां आने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : सही है उनकी बात, पर मैं करेक्ट कर दूं उनको कि रिजर्वेशन जो रखा है वह एक जिले के लिए नहीं, सारे राजस्थान के सर्विस मैन और जागीरदारों के लिए है ।

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय मंत्रीजी । जवाब पूरा आने दीजिए ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह नीति कांग्रेस की पूर्व सरकार थी उसने बनाई थी । आपने यह फर्माया वह भी सही हैं । हम लोग विपक्ष में थे, हमने इस मुद्दे को उठाया कि विशेष आवंटन में सिर्फ पैसे वाले सम्पन्न लोग जो हैं उनको फायदा मिल जाता है और भूमिहीन वंचित रह जाते हैं । यह बात सही है, लेकिन आज के दिन जितनी भी जमीन हमारे पास उपलब्ध है वह सीमित है । उसके लिए जो प्रायोरिटीज तय है वह निकल जायेंगी तभी नम्बर आ सकता है । उससे पूर्व ऐसी कोई सम्भावना नहीं है ।

दूसरा इन्दलियाजी ने फर्माया । वन विभाग के लिए जो भूमि सुरक्षित की गयी है उसकी वन विभाग को आवश्यकता थी, वह चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे चरागाह विकास करने की बात हो । उसके लिए वह सुरक्षित हैं । भूमि जितनी भी उपलब्ध होगी, हम उसको ज्यादा से ज्यादा आवंटित करने का प्रयास करेंगे । गत सरकार ने 1989-90 के अन्दर लक्ष्य रखा था कि हम डेढ़ लाख एकड़ भूमि का आवंटन करेंगे । लेकिन गत सरकार ने इसके लिए प्रयास नहीं किया । उसमें से मात्र 75 हजार एकड़ का आवंटन हुआ । अब जो लोग पूछ रहे हैं उन स्वयं को जब वह सरकार में थे, प्रयास करना चाहिए था कि लक्ष्य तो कम से कम पूरा करते । हम इस साल प्रयास करेंगे और हमने एक लाख का जो लक्ष्य रखा है ......

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप तो इसके लिए आन्दोलन करते रहे हो, आप तो कीजिए । आप तो स्पेशल अलॉटमेंण्ट के खिलाफ आन्दोलन करते रहे हो । सरकार में हो, अब तो कर दीजिए उन वायदों को पूरा ।

श्री देवीसिंह भाटी : एक लाख का लक्ष्य रखा है, मैं उसको पूरा करके बताऊंगा । उसमें कोई कोताही नहीं होने दूंगा । चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो, ढिलाई हो, कतई नहीं रहने दूंगा । आप नतीजों को देखेंगे और सन्तुष्ट होंगे, वह मैं आपको बता दूं ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का जवाब......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 131.

जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में अनियमितताएं

131. **श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) एवं श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के तहत हुए कार्यों में व्यापक अनियमितताएं एवं घपलेबाजी हुई है ? यदि हां, तो अब तक किन-

(श्री गुलाब सिंह)

किन पंचायत समितियों में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच सरकार के विचाराधीन है ?

(3) यदि हां, तो इनमें दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) जवाहर रोजगार योजना कब प्रारम्भ हुई और इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कितनी धनराशि आवंटित की ? मार्च, 1990 तक इस धनराशि में से कितना उपयोग किया जा चुका है ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों ने जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया, उन्हें अन्तिम (चतुर्थ) किश्त नहीं दी गई है ? यदि हां, तो राज्य में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने अन्तिम (चतुर्थ) किश्त नहीं उठायी है ? जिन सरपंचों ने जवाहर रोजगार योजना की राशि का सही ढग से उपयोग नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित । नैक्स्ट, श्री चुन्नीलाल ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : अब हो चुका, कुछ बाकी नहीं रहा । माननीय मंत्रीजी ने जो आप चाहते थे उससे ज्यादा दे दिया । माननीय चुन्नीलालजी ।

सहकारी बैंक लिमिटेड, सवाईमाधोपुर के तत्कालीन चेयरमैन द्वारा अनियमितताएं

132. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 व 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सवाईमाधोपुर के तत्कालीन चेयरमैन द्वारा स्वागत खर्च पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) उक्त राशि किन-किन अधिकारियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वागत सत्कार में व्यय की गयी ?

(3) क्या वह सही है कि बैंक के चेयरमैन ने स्वागत सत्कार के रूप में उक्त राशि का व्यय दिखाकर फर्जी बिल वाउचर से स्वयं भुगतान प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि उक्त चेयरमैन से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बैंक में 80 लाख रुपये घाटा होने के उपरान्त भी कार खरीदी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) वर्ष 1988-89 व 1989-90 के दौरान सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक

(सहकारिता मंत्री)

लिमिटेड द्वारा सभी प्रकार के स्वागत खर्च पर क्रमश: 52 हजार व 69 हजार रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(2) उक्त राशि बैंक से सम्बन्धित कार्यों, बैठकों व अभियानों की मीटिंग में सत्कार हेतु व्यय की गयी है।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) 30-6-1989 तक इस बैंक की कुल संचित हानि 52.13 लाख रुपये है। पंजीयक, सहकारी समितियां की स्वीकृति लेकर अप्रेल, 1989 में एक कार खरीदी गयी है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, 1988–89 और 1989–90 के दौरान सत्कार भत्ते के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर द्वारा जो राशि खर्च की गयी थी उसमें कब-कब किस-किस अधिकारी को बुलाया गया, कब-कब उनकी मीटिंग ली गयी और प्रत्येक मीटिंग पर कितना व्यय किया गया? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि उक्त राशि बैंक के अधिकारियों की अभियान मीटिंग के दौरान खर्च होना जो दिखाई गई है, उसमें मंत्री महोदय अगर डिटेल में बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। तीसरे प्रश्न में बता दिया गया, जी नहीं। समस्त राशि का उपयोग जो किया गया हे वह बैंक के मैनेजर द्वारा अपने निजी कार्य के लिए किया गया है। इसमें एक बात यह भी है कि बैंक के घाटे में होते हुए भी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि सरकारी कार खरीदी जाय। 80 लाख के घाटे में बैंक चल रहा है और बैंक मैनेजर द्वारा अपने चेयरमैन के स्थान के लिए अपने रिश्तेदार का एक मकान सात हजार रुपये महीना किराये पर गंगापुर में लिया गया। कुल मिलाकर इस चेयरमैन ने इस बैंक को बिल्कुल धराशायी हालत में बैठा दिया है। मैं तो यह चाहता हूं कि यह जो जवाब दिया गया है इसकी सरकार अगर जांच करवा ले तो ज्यादा अच्छा है, कि किस-किस मद में कब-कब मीटिंग हुई।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, हो गया आपका सवाल। माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर तो इनका स्पष्ट दिया है। 52 हजार खर्च की स्वीकृति थी और एक में 60 हजार की स्वीकृत थी और यह राशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत थी। आने-जाने वालों की मीटिंग का खर्च, सुपरवाइजर का खर्चा, लोन डिस्वर्समैण्ट का खर्चा चेयरमैन कोई बैठक बुलाता हो उसका खर्चा और कोई विशेष अतिथि आता उसका खर्चा। अब यह ठीक है कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर एक में 22 हजार ज्यादा खर्च किया गया है और 1989–90 के अन्दर 9 हजार ज्यादा खर्च किया गया। आम सभा बुलाई नहीं गई है। एक तो उन्तीस हजार रुपये ज्यादा खर्च किये गये.......

इन 29,000/– रुपयों के लिए इन्होंने आम सभा की स्वीकृति नहीं ली। आडिट रिपोर्ट में लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : हां कहिए, कहिए आप।

श्री चतुर्भुज वर्मा : लेकिन सवाल यह आता है कि को-आपरेटिव एक्ट के अन्दर पूर्ण स्वच्छता लाने के लिए वास्तव में अभी तक कोई प्रयत्न नहीं है । यह दोष मैं दूसरी सरकार को भी नहीं दे सकता । को-आपरेटिव के अन्दर अच्छे-अच्छे आई.ए.एस. आते हैं लेकिन 2 साल या 6 महिने के अन्दर बाहर निकल जाते हैं । को-आपरेटिव एक्ट को सुधारने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया । सैक्रेटरी आते हैं तथा 6 महीने, 9 महीने या साल भर रहते हैं । लेकिन मैं सदन के अन्दर के सभी एम. एल. एज्. साहिबान से, सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि को-आपरेटिव एक्ट में सुधार हो, जनहित में कार्य हो, इसके ऊपर सरकारी अंकुश नहीं हो और स्वच्छता इसके अन्दर हो, ऐसे प्रयत्न आप लोग करें और सुझाव देंगे तो मैं उनका भी समाधान करूंगा । रही कार की बात....

एक माननीय सदस्य : क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप । अभी पूरा कर रहे हैं ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : रही कार खरीदने की बात तो कार इन्होंने बोर्ड का एक प्रस्ताव लेकर खरीदी । कार के अन्दर 91,234/– रुपये तो कन्वेंस चार्जेज के इनके पास जमा थे और 57,000/– रुपया दो जीप बेचकर इन्होने लिया है ।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं जवाब दे रहा हूं । आपका चैयरमैन है इसलिए ऐसी बात नहीं है कि कोई नफरत की बात कह रहा हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : नहीं, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : चैयरमैन की अगर पोल खोलूंगा तो सारी खुल जायेगी ।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : आप पोल खोलिए न ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप विराजिए । मंत्री जी, प्लीज । एक तो सवाल यह है कि जो आरोप इन्होंने लगाये हैं, जो खर्च मीटिंगों में सत्कार के रूप में किया गया है वह सत्कार में न करके चैयरमैन ने व्यक्तिगत रूप में काम में ले करके उसका मकान बनाया है । क्या आप इसकी जांच करवा सकते हैं ? दूसरा यह है कि जब 52 लाख रुपये का घाटा था तो कार खरीदने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, तो क्यों दी ? मतलब सरकार ने स्वीकृति क्यों दी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : एक तीसरा सवाल यह है कि जिनकी वे पोल खोलना चाहते हैं, आपको छुपाकर रखने पर आप खुद पर आंच आयेगी । आपका पोल खोलने में चुप हो जाने का कारण क्या है ? आप पोल खोलिए, उसका नाम बताइये । जब आपने पोल का नाम लिया है तो बताइये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य की भावना का आदर करता है । सम्माननीय सदस्य इसके ऊपर अगर नोटिस देंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

उसका जवाब दूंगा। प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन दोनों सवालों का जवाब दीजिये जो आरोप लगाये हैं कि सरकार का पैसा व्यक्तिगत रूप में काम में लिया गया और जब 52 लाख रुपये का घाटा था तो सरकार ने कार खरीदने की स्वीकृति क्यों दी।

एक माननीय सदस्य : 80 लाख रुपये का घाटा था बैंक में।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 80 लाख का घाटा नहीं था। 53,13,000/- रुपये....

श्री अध्यक्ष : 52 लाख का बता रहा हूं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : रु. 53,13000/- का घाटा था। सवाल यह कहा है कि इसके....(व्यवधान) आप विराजिए। आप जल्दबाजी क्यों करते हैं? मैं उत्तर दे रहा हूं। कार हमारे मंत्रियों के लिए नहीं खरीदी गई आपके +++ खरीदी गई। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो +++ का, एक आदमी जो यहां नहीं है उस पर यह आब्जवेशन बहुत घटिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं उसको निकालता हूं। आप विराजिये। (व्यवधान) मैं उसको निकाल रहा हूं। माननीय....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करें कि +++

श्री अध्यक्ष : हां, हां, निकाल दिया। नहीं खत्म हुई वह बात। मंत्री जी, साथ-साथ जवाब दे दीजिए उन दो सवालों का। (व्यवधान) हटा दिए वे शब्द। आप विराजिए, वह कार्यवाही में नहीं है, विराजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक मंत्री ऐसी बात करे बिना तथ्यों के, या तो उसको साबित करे....

श्री हेतराम बेनीवाल : उस +++ की पोल खोलिए, नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि....

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : यह +++ साहूकार है यह तो बताओ फिर?

श्री अध्यक्ष : मैंने +++ शब्द निकलवा दिया है।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान) एक तो आपका घाटा और उस पर कार खरीदी जाय। हम इससे संतुष्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को सुनिये आप। आप उनका जवाब सुनिए। आप बैठिये।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(14)

एक माननीय सदस्य : ये जो शब्द कहे हैं, उचित नहीं हैं, गलत हैं। ये संसदीय परम्पराओं के विपरीत हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह हो चुकी। अन्य बात करें आप।

एक माननीय सदस्य : मैं इसको निकालता हूं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय को आप फटकार बताइये सदन में। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। (व्यवधान) यह वापस लें, कि मैंने × × × शब्द कहे हैं। क्षमा मांगें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार बोल रही है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपनी व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भैया, कुछ अंकित मत करो। सुनाई देगा नहीं। अंकित मत करो। मत लिखो। (व्यवधान)

आप बैठिए। आप बैठेंगे नहीं, मुझे सुनेंगे नहीं।

मंत्रीजी बोलिए आप।

आप सुन तो लीजिए, व्यवस्था दे रहा हूं। उसके बावजूद नहीं सुनेंगे ?

श्री शांतिलाल (राजसमंद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें। (व्यवधान)

सुनिए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में हमारे सम्मानीय सदस्य बैठे हैं, मैंने × × × इनके लिए नहीं कहा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप माननीय सदस्य हैं, आप बोलते क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूरा नहीं सुनेंगे। आप जवाब भी सुन लीजिये। आप जिस तरह से खड़े होकर बोल रहे हैं, आपको कोई रोक तो नहीं सकता। आप बिराजिए तो सही जवाब देंगे ये पूरा। (व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये उनको।

आप बिराजें। Please sit down. (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर चेयरमैन के लिये + + + शब्द कह दिया है और इनको तकलीफ हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रखबचन्द-मीणा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू):

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे सदस्यों को +++ बताया है या तो यह प्रमाणित करें या यह भी खड़े होकर अपने शब्द वापस लें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह अंकित ही नहीं हुआ है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : या तो वह प्रमाणित करें कि सारे सदस्य +++ जब मंत्री अपने शब्द वापस ले सकते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रखबचन्द मीणा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सारे के सारे सदस्यों को +++ बताया है या तो यह अपने शब्द वापस लें या प्रमाणित करें....

श्री अध्यक्ष : वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये गये हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन यह भी स्वयं खेद प्रकट तो करें।

श्री अध्यक्ष : अब यह तो उनकी उदारता पर है, मंत्री महोदय ने उदारता दिखाई वह उदारता दिखावें या न दिखायें, इनकी मर्जी की बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रमाणित करें कि कैसे +++ हैं।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : सदन से माफी मांगें और अपने शब्द वापस लें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, वापस नहीं लें चाहे प्रमाणित करके बतायें कि इन्होंने +++ कैसे बताया है, प्रमाणित नहीं कर सकें तो इनको खेद प्रकट करना चाहिये। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, पहले वह अपने शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह क्या प्रमाणित करेंगे? यह शब्द रिकार्ड में नहीं है.... (व्यवधान)

आप विराजें ये बोल रहे हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : विधान सभा में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी, आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, डिबेट के अन्दर मेम्बर के लिए आवेश में आना....

श्री अध्यक्ष : स्वाभाविक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन सरकार में बैठे मंत्री यह कहें कि आपके +++ चेयरमैन के लिये खरीदी गयी....(व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अब आप सुनना नहीं चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये पूरा। (व्यवधान)

अच्छा, आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : श्री रखबचन्द मीणा। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : +++ क्यों नहीं कहना चाहिये, +++

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य बहुत संवेदनशील हैं....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष आपको सहयोग नहीं कर रहा है।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : रिकार्ड नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रमाणित तो करें, यह तो सोचें कैसे आरोप लगा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय भैरोंसिहजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन +++ विधान सभा को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया। मैं +++ तो विधान सभा से ही निकालना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रखबचन्द मीणा।

प्रतापगढ़ अतिरिक्त जिलाधीश का कार्य क्षेत्र

133. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रतापगढ़ के अतिरिक्त जिलाधीश का कार्य क्षेत्र एवं अधिकार में वृद्धि करने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक एवं किस-किस प्रकार की ?

(2) आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेन्स नवीनीकरण एवं कृषि भूमि रूपान्तरण के अधिकार उन्हें कब तक दे दिये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) जी हाँ, इनके मौजूदा कार्य क्षेत्र में उप-खण्ड निम्बाहेड़ा की छोटी सादड़ी तहसील सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है।

(2) इनको भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्य सौंपने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। उक्त अधिकारी को आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत हथियारों के लाइसेन्स के नवीनीकरण के अधिकार देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रखब चन्द मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि अतिरिक्त जिलाधीश, प्रतापगढ़ का

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रखबचन्द मीणा)

कार्यक्षेत्र विचाराधीन है और उसमें निम्बाहेड़ा उप-खण्ड क्षेत्र की छोटी सादड़ी शामिल बताई गई है जबकि प्रतापगढ़ में एडीशनल एस. पी. बैठता है उसके कार्यक्षेत्र में प्रतापगढ़ उप-खण्ड के अलावा छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी सम्मिलित हैं। यदि बड़ी सादड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो कब तक ? भूमि रूपान्तरण कार्य सौंपने पर सरकार विचार कर रही है तो प्रतापगढ़ तहसील को कब तक लाभान्वित किया जायेगा ? आर्म्स एक्ट के तहत नवीनीकरण हेतु चित्तौड़ जिले की अरणोद तहसील 180 किलोमीटर दूर पड़ती है यदि यह अधिकार प्रतापगढ़ को दे दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, कलक्टर चित्तौड़ के द्वारा प्रस्ताव सरकार के सामने आये कि छोटी सादड़ी मिलाकर अतिरिक्त कलेक्टर को इसकी पावर दे दी जाय और उसमें रूपान्तरण की भी पावर दे दी जाय। जो प्रस्ताव आया है वह संभागीय आयुक्त के पास भेजा गया है उनकी राय जानने के लिये। संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट आने पर सरकार उस पर कोई निर्णय लेगी। जहां तक आर्म्स एक्ट का सवाल है, यह गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है वहां से पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति को देखते हुए इसे जिला दण्ड नायक के पास रखा जाना ही उचित है, इसे वह ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मांगीलाल मेघवाल।

केशवराय मन्दिर

(केशवरायपाटन का रख-रखाव)

134. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले के केशवरायपाटन स्थित श्री केशवराय मन्दिर के रख-रखाव हेतु गत पांच वर्षों में कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई एवं किन-किन मदों में कितनी-कितनी किनके माध्यम से व्यय की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त मन्दिर के भवन की क्या स्थिति है ? क्या राज्य सरकार हाड़ोती क्षेत्र के विख्यात इस प्राचीन विशाल भव्य मन्दिर के संरक्षण एवं इसके रख-रखाव के लिए विशेष राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) बून्दी जिले के केशवरायपाटन स्थित श्री केशवराय मन्दिर के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई :—

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
1984–85	5000/–	5000/–
1985–86	2000/–	2000/–

(श्री रामकिशोर मीणा)

1986-87	शून्य	शून्य
1987-88	शून्य	शून्य
1988-89	70,000/-	—

वर्ष 1988-89 में स्वीकृत राशि यद्यपि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उठा ली गई है परन्तु अभी तक व्यय नहीं की गई है। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त विभाग द्वारा भी वर्ष 1984-85 में 5000/- एवं 1985-86 में 2000/- की राशि प्लास्टर, रंग, सफेदी कार्य पर व्यय की गई है।

(2) वर्तमान में उक्त मन्दिर की स्थिति सामान्य है। फिलहाल राज्य सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि वर्ष 1988-89 में 70,000/- रुपये की राशि स्वीकृत करने का क्या कारण था ? दूसरा प्रश्न, क्या उक्त कारणों को मद्दे नजर रखते हुये कार्य करवाया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? तीसरा, 70,000/- रुपये की स्वीकृत राशि खर्च करके उसको नहीं लगाना और उसके बाद में भी प्रश्न के खण्ड 2 में यह दिखाना कि वर्तमान में उक्त मन्दिर की स्थिति सामान्य है, यह एक विरोधाभास वाली स्थिति पैदा होती है प्रश्न के उत्तर से। 70,000/- रुपये मंजूर किये गये, खर्च हुये नहीं और स्थिति सामान्य है, जब काम नहीं हुआ तो स्थिति सामान्य कैसे है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सम्पूर्ण हाड़ोती क्षेत्र का भव्य और विशाल और ऐतिहासिक मन्दिर है। पाण्डवों के समय का मन्दिर है ये। यह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और इसीलिए प्रयास करके 70,000/- रुपये स्वीकृत करवाये और सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिये गये थे। लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आज यह दिखाना कि स्थिति सामान्य है यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं और पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस चालू वित्तीय वर्ष में विशेष रूप से पुनः स्वीकृति प्रदान कर इसे खर्च किया जाय और इस मन्दिर की भव्यता को बचाया जाय ताकि उस क्षेत्र के लोगों की जो धार्मिक भावना है, विशाल मन्दिर है और वहां कार्तिक में ऐतिहासिक मेला लगता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाषण दे रहे हैं मगर उसकी स्थिति क्या हो गई यह तो बता नहीं रहे हैं, वह बतायें ना कि क्या गड़बड़ी है उसमें ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह अपने उत्तर में स्पष्ट बतायें कि 70,000/- रुपये पुनः स्वीकृत कर इस मन्दिर का जीर्णोद्धार हेतु लगाये जायं।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो 70,000/-रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी उसको विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया था जो विभाग के द्वारा मेरी जानकारी में लाया गया है। पहले क्या-क्या कार्यवाही की गयी उसके बारे में विस्तृत विवरण बराबर

(श्री रामकिशोर मीणा)

सम्पर्क करने के उपरान्त भी अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं कि किस कारण से यह देरी की गयी है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बारे में तुरन्त कार्यवाही करके जल्दी से जल्दी इस राशि का उपयोग कर लिया जायेगा। तथा वर्तमान में मन्दिर की जो स्थिति है वह जीर्ण–शीर्ण अवस्था में नहीं है हालांकि उसकि जो कलाकृतियां और चित्र जिन पर चूना जमा हुआ है उनको खरोंचने के बारे में राशि स्वीकृत हुई थी। इस पैसे को तुरन्त खर्च कर दिया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. डी. एकाउन्ट में मेरी जानकारी के अनुसार यह पैसा देवस्थान विभाग द्वारा जमा करवाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग मेरे पास में है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह मन्दिर जो प्रसिद्ध मन्दिर है—जीर्ण–शीर्ण नहीं है, अच्छी अवस्था में है किन्तु इसका ब्यूटिफिकेशन व मरम्मत आवश्यक है। उनका जो पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1988-89 में जमा करवाया गया है। उस पैसे का उपयोग इसकी मरम्मत के लिये, इसके ब्यूटिफिकेशन के लिये निश्चित रूप से बहुत जल्दी कर दिया जाएगा।

अजमेर जिले में मस्जिदों का निर्माण

135. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में कुल कितनी मस्जिदें हैं ?

(2) वर्ष 1985 के पश्चात् कितनी नई मस्जिदों का निर्माण हुआ है ?

(3) राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कितनी मस्जिदों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गई ?

(4) क्या उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमति के बिना हुए मस्जिद निर्माण को सरकार अवैध मानती है ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री रिमजान खां) :

(1) अजमेर जिले में कुल 315 मस्जिदें हैं।

(2) वर्ष 1985 के पश्चात् नई मस्जिदों का निर्माण नहीं हुआ है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) उक्त एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुमति के बिना हुऐ मस्जिद निर्माण को नियमानुसार अवैध माना जाता है।

श्री हरीश झामनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं, कि क्या यह सत्य है कि बिना सरकारी अनुमति या बिना कानून के पालन के अजमेर जिले में 100 से अधिक मस्जिदों का निर्माण हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उसमें बैठे हुये मुल्ले, मौलवी राजस्थान से बाहर से आये हुये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि मस्जिदों के निर्माण में आया हुआ धन, बाहरी प्रदेशों से आया हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि

(श्री हरीश भामनानी)

कुछ विशेष योजना से इन मस्जिदों का निर्माण हुआ है?

श्री रमजान खाँ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी किसी भी प्रकार की सरकार को जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई अवैध मस्जिदों का निर्माण हुआ है। मस्जिदों का निर्माण वहीं होता है जहां उस जन समुदाय के लोग रहते हैं और वह गांव वाले अपनी इच्छा से वहाँ पर मस्जिदें बनाना चाहते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने राजस्थान से बाहर से आकर लोगों का रहना बताया है, अगर कोई मुल्ला जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है दिल्ली से आकर वहाँ पर नौकरी करना चाहे तो वह गैर कानूनी नहीं होता। वह भी भारतीय होता है। और भारतीय होने के नाते वह कहीं भी जाकर इबादत कर सकता है। जो भी कुरान शरीफ पढ़ा होगा वही मुल्ला बन सकता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य ने जो सवाल किये हैं, कि 100 मस्जिदें बना दीं 120 मस्जिदें बना दीं यह बिल्कुल ही निराधार है। इस चीज की कोई जानकारी नहीं है और बिल्कुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीरालाल आर्य।

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में सुविधायें

136. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग), **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) एवं **श्री अमीन खाँ** (शिव) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की शिक्षा के विकास हेतु राज्य में कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं ?

(2) उक्त छात्रावासों में नाश्ता, भोजन, आवास, वस्त्र, बिस्तर पुस्तकें तथा स्टेशनरी तथा विभिन्न शुल्क आदि की क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(3) क्या उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ तो क्या वह पर्याप्त है ?

(4) छात्रावासों में सुधार हेतु सरकार क्या-क्या प्रयत्न कर रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि कई छात्रावासों में छात्रों को भोजन में घटिया सामग्री दी जाती है ? तथा सुविधाएं भी पूर्ण नहीं दी जाती ?

(6) चूरू जिला मुख्यालय में स्थित समाज कल्याण विभाग में छात्रों की संख्या वर्तमान में कितनी है ? क्या छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है ? यदि हाँ, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) चूरू जिला मुख्यालय स्थित छात्रावास का विभागीय निरीक्षण कब से नहीं हुआ है ? क्या छात्रावास जीर्णशीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रावास का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) अनुसूचित

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की शिक्षा के विकास हेतु राज्य में 467 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

(2) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को नाश्ता भोजन, वस्त्र बाल कटाई, साबुन, तेल, जूते तथा बिजली–पानी आदि की व्यवस्था के लिये 170 रुपये की राशि प्रति छात्र प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। यह राशि कक्षा 6 से 9 एवं 11 तक के छात्रों के लिये 9 माह 15 दिन के लिये तथा कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिये 9 माह की अवधि हेतु देय है। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार छात्रों को बिस्तर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/- रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40 रुपये प्रति छात्र स्टेशनरी, पुस्तकें तथा फीस हेतु सत्र के प्रारम्भ में एक मुश्त उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से पर्याप्त है।

(4) छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम, जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति के 93 छात्रावास भवन निर्माण कराये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। छात्रावासों के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। छात्रावासों के पुराने एवं अनुपयोगी सामान के स्थान पर नया सामान उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् छात्रावासों के खुलने पर उनके निरीक्षण करने की व्यवस्था कर दी गई है।

(5) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन के नियम 1982 के नियम 9 के उपनियम 1 के अन्तर्गत छात्रावास में भोजन व्यवस्था, मैस समिति के द्वारा की जाती है जिसका गठन छात्रावासों के छात्रों के द्वारा ही किया जाता है। यह समिति प्राप्त राशि में से सुविधानुसार अपनी इच्छा से भोजन की व्यवस्था करती है।

(6) चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास की स्वीकृति छात्र संख्या 80 है और गत वर्ष इस छात्रावास में 80 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।

जी नहीं। गत वर्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक नहीं होने के कारण छात्र संख्या बढ़ाने का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(7) चूरू जिला मुख्यालय स्थित छात्रावास का विभागीय निरीक्षण दिनांक 9-11-90 को किया गया था।

जी नहीं। छात्रावास का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है छात्रों के रहने योग्य है, परन्तु कुछ आवश्यक मरम्मत कराना जरूरी है जिसके प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी अपने प्रश्न में बताया

(22)

(श्री हीरालाल आर्य)

कि छात्रों को नाश्ता, भोजन, वस्त्र, बाल कटाई, साबुन, तेल, जूतें तथा बिजली पानी आदि के लिये केवल मात्र 170 रुपया महीना दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह राशि पर्याप्त है? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस अपर्याप्त पैसे से छात्रों को नाश्ता, भोजन, वस्त्र, बाल कटाई, साबुन, तैल, जूते, विद्युत एवं जल यह जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं इनसे भी छात्रों को वंचित रहना पड़ेगा? तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि छात्रों को बिस्तर भी उपलब्ध करवाये जाते हैं जबकि इटावा छात्रावास की मैंने कई बार यहां पर शिकायत की न वहां पर छात्रों के पास वस्त्र हैं, न बिस्तर हैं, न तख्तें हैं, न पलंग हैं और न हीं बर्तन हैं। छात्रों को सर्दी में केवल एक कम्बल दिया जाता है जिससे छात्र ठिठुरते हैं। चौथा, मेरा प्रश्न है कि 9 से 12 कक्षा तक 60 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को मात्र 40 रुपये स्टेशनरी, पुस्तकें और फीस इसके लिये दिया जाता है, 60 रुपये और 40 रुपये में कौनसी पुस्तकें आ सकती हैं। 6 से 9 कक्षा तक की पुस्तकें कितने में आती हैं, आपको यह पता है क्या? 40 रुपये में कैसे आ जायेंगी! 60 रुपये में नवीं से बारहवीं कक्षा तक की केवल एक पुस्तक भी नहीं आती। मंत्री, महोदय जिसमें आप सारी पुस्तकें, स्टेशनरी, फीस सारी....

श्री अध्यक्ष : अब आप इसमें भाषण क्यों दे रहे हैं?

श्री हीरालाल आर्य : मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या यह पर्याप्त है? अगला मेरा प्रश्न है कि इटावा छात्रावास के लिये जो आपने कहा कि भवन निर्माण हेतु इस बार हमने 93 भवन बनाने की व्यवस्था की है लेकिन इटावा छात्रावास, जिसकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण है, वह कभी भी गिर सकता है और छात्र उसमें मर सकते हैं। उसमें न हवा की व्यवस्था है, न प्रकाश की व्यवस्था है। उस भवन को नहीं बनाने के क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : हो गया। अब आप बैठिये।

श्री हीरालाल आर्य : जो सूची दी है उसमें इटावा का छात्रावास क्यों नहीं जोड़ा गया?

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर। आप नोट करते जाइये, मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : एक-एक का जबाव आ जाये, साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक साथ आ जायेगा। सारा वही रिपीट होगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जब से यह विभाग सम्भाला है, कौन-कौन से जिलों का दौरा किया? जबाब देंगे आप? माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब से यह विभाग सम्भाला कौन-कौन से जिलों का दौरा किया, तथा उसमें किन-किन छात्रावासों का अवलोकन किया? उसमें कौन-कौन से घोटाले पाये गये? उसमें कौन-कौन

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

से अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या आपने उनको सस्पेण्ड किया ?

श्री हेतराम बेनीवाल : उन दौरों में क्या-क्या भेंट मिली, यह भी बता दें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राज्यों में छात्रों को छात्रवृत्ति हर माह दी जाती है या वर्ष में एक बार ? क्या आप छात्रवृत्ति जो अभी...

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ? हो गया सवाल। अभी बहुत पूछने वाले हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : केवल एक, यह जो छात्रवृत्ति अभी वर्तमान में दी जाती है, क्या इस राशि को आप बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि 9-1-90 को इन्होंने चूरू जिले के छात्रावास का निरीक्षण किया जबकि इससे पहले वहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह रिपोर्ट दी कि यह छात्रावास रहने लायक नहीं है। छात्रावास के अन्दर खिड़कियां नहीं, दरवाजे नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार यह निवेदन कर चुका हूं कि छात्रावास में अब छात्राओं का आवास जारी रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने इसका निरीक्षण किया, क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर निरीक्षण किया। क्या उनकी रिपोर्ट और आपकी रिपोर्ट दोनों मेल खाती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के खण्ड तीन में यह जवाब दिया है कि, जी हाँ। राज्य सरकार संसाधनों की दृष्टि से करेगा। क्या यह पुस्तकों का 60 रुपये, 40 रुपये और 15-15 साल से वहां दरियां उसके बाद नहीं खरीदी गयीं तो क्या राज्य सरकार इसको गम्भीरता से लेती है कि वह अपर्याप्त साधनों को पर्याप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां तो क्यों नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मात्र एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि प्रश्न के खण्ड चार में छात्रावासों में सुधार हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? इसमें बताया गया है कि छात्रावासों के पुराने एवं अनुपयोगी सामान के स्थान पर नया सामान उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रसंग में क्या राज्य सरकार इसी खण्ड में जैसे अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से जैसे भवन निर्माण के लिए राशि दी जा रही है, क्या उसी रूप में नये सामान परचेजिंग के लिए अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से कुछ राशि नये सामान खरीदने के लिए दिये जाने का सरकार का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री ग्यारसी लाल जी।

Page No. 24

(24)

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, परसादी लाल जी।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि जयपुर में ग्यारसी बहुत हैं।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी संस्था, छात्रावासों में प्रति छात्र 170 रुपये लिये जाते हैं और माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि उसमें फीस भी आती है, किताबें भी है, कपड़े भी है, उनका सारा सामान उनको देते हैं तो क्या किताबें खरीद कर, कभी आपकी जानकारी में आया है ? मेरी जानकारी जहां तक है न तो उनकी किताबें खरीदते हैं, न उनकी कभी फीस जमा कराते हैं, न कभी कपड़े सिलाते हैं केवल सड़ा-गला भोजन देने के अलावा जो अनुदान से चलती हैं संस्थायें वह केवल उनको सड़ा-गला खाना खिलाती है इसके अलावा कुछ नहीं करती है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर बतायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री प्रेमसिंह।

श्री प्रेम सिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहाँ-जहाँ अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित कर रखी हैं उन पर भवन कब बनायेंगे, उन पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। अगर वह भवन बनाने की स्थिति में नहीं हैं तो कम से कम उनकी चार दीवारी या ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि आवंटित भूमि के ऊपर अतिक्रमण नहीं हो। हमारे भीनमाल के अन्दर बाउण्ड्री बनाने के बाद भी लोग घुस रहे हैं और काफी समय से हमारी मांग है कि हमारे वहां पर भवन बनाने की स्वीकृति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के सम्बन्ध में जो चिन्ता प्रकट की है वह वास्तव में एक चिन्तनीय विषय है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अब तक की व्यवस्था में क्या परिवर्तन करे, किस प्रकार से उनमें सुधार हो सकता है मैं चाहूंगा। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सुझाव दें, एक बात। माननीय सदस्यों को जानकारी यह है कि इस-इस छात्रावास में इस-इस प्रकार की अनियमिततायें हो रही है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उसकी जांच करवायेंगे और निश्चित रूप से आप और हम दोनों मिल कर पिछड़े वर्ग के लिये जिस प्रकार के छात्रावास चला रहे हैं, जिस प्रकार की अव्यवस्था है उसको रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रश्न संख्या 142 का उत्तर नहीं आया है, बहुत महत्वपूर्ण है इसको स्थगित कीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट—2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समितियों/जिला परिषदों के चुनाव

129. **श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री गुलाम मुस्तफा खान)

क्या सरकार सत्ता परिवर्तन के नये जनादेश की दृष्टि में पंचायत समितियों व जिला परिषदों में कार्यरत प्रधान व जिला प्रमुखों को उनके पद से हटाकर नये चुनाव कराने अथवा प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लोसल में मंडी यार्ड का निर्माण

162. श्री दिलसुखराय (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लोसल तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर में कृषि उपज मंडी समिति सीकर द्वारा अभी तक नये मण्डी यार्ड का निर्माण नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो वहां नयें मण्डी यार्ड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में पृथक से कृषि उपज मण्डी समिति का कार्यालय एवं मण्डी यार्ड नहीं होने से इस क्षेत्र के किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर अविलम्ब पृथक कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय स्थापित करके नये मण्डी यार्ड का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान आर्थिक युग में कृषि जिन्सों के भावों में काफी उतार-चढ़ाव होने से नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य मण्डी यार्डों में किसानों को कृषि जिन्सें रहन रख कर 75 प्रतिशत ऋण देने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, सीकर के अन्तर्गत गौण मंडी यार्ड लोसल में भूमि अवाप्ति हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(2) लक्ष्मणगढ़ में गौण मण्डी यार्ड स्थापित है, लेकिन कृषि उपज मंडी समिति का पृथक कार्यालय एवम् मंडी यार्ड आय की कमी के कारण स्थापित नहीं किया गया है । राज्य सरकार द्वारा पृथक से कृषि उपज मंडी समिति की स्थापना हेतु 4.00 लाख रु. की मंडी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय का मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है । अत: किसी तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर मंडी समिति की स्थापना किया जाना तभी सम्भव होगा, जब इस केन्द्र की मंडी शुल्क से प्राप्त आय राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों को परिपूर्ण करेगी ।

(3) जी हां ।

कृषि उपज मंडियों के पास इतनी धन राशि नहीं है कि वे जिन्स रहन योजना कुशलता से क्रियान्वयन कर सके सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

मृतक कर्मचारी के आश्रितों को पेन्शन भुगतान

163. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पारिवारिक पेन्शन से सम्बन्धित प्रकरणों में किस न्यायालय के द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र अन्तिम एवं मान्य होता है ?

(2) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त पुलिस सिपाही श्री कल्याण आत्मज हरदेव नम्बर 246 बून्दी की मृत्यु दिनांक 19-9-1980 को हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उसके उत्तराधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और उक्त प्रमाण-पत्र के मुताबिक योग्य उत्तराधिकारी को पारिवारिक पेन्शन राशि मय पिछले भुगतान के दिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक पीड़ित उत्तराधिकारी को पेन्शन की रकम का चुकारा कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पारिवारिक पेन्शन के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है राज. सेवा नियमों में दिए प्रावधानों के अनुसार राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर यह स्वतः ही उसकी पत्नि को दे दी जाती है तथा पत्नि की मृत्यु के पश्चात नाबालिग बच्चों को देय होती है ।

(2) जी हां । सरपंच ग्राम पंचायत छत्रपुरा पं.स. तालेड़ा जिला बूंदी के प्रमाण पत्र के अनुसार श्री कल्याण पुत्र हरदेव पेन्शनर की मृत्यु 19–9–80 को हो चुकी है । पारिवारिक पेन्शन के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है । पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा को स्वतः ही पारिवारिक पेन्शन नियमानुसार देय होती है । पेन्शनर की विधवा श्रीमती पाना बाई की मृत्यु अथवा पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र के आधार पर ही पेन्शनर के नाबालिग बच्चे को पारिवारिक पेन्शन एवं पिछला बकाया भुगतान किया जा सकता है । किन्तु इस मामले में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से उपरोक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) पत्नी को मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही नाबालिग बच्चों को पारिवारिक पेन्शन भुगतान अधिकार पत्र जारी कर दिया जावेगा ।

धारा 110 के तहत कार्यवाही

164. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उनकी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 से जनवरी, 1990 तक कौन-कौन से जिले में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिलेवार 110 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई, की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अन्ता (कोटा) स्थित रामद्वारे पर अतिक्रमण

165. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के अन्ता नगर में एक प्राचीन रामद्वारा स्थित है जो शाहपुरा के राम स्नेही सम्प्रदाय का है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रामद्वारे के एक हिस्से पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो यह कब्जा कब तथा किसने किया है ?

(3) क्या यह सही है कि रामद्वारे पर कब्जा कर लेने से अन्ता क्षेत्र के एक सम्प्रदाय विशेष में भारी रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त रामद्वारे की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त रामद्वारा किन्ही श्री मनीराम चेला गोविन्दराम द्वारा श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी भूजाखेडी को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16-1-68 को बेच दिया गया उक्त विक्रय को सम्पदा के स्वामी ट्रस्ट श्री राम निवासी धाम शाहपुरा जिला भीलवाडा स्वीकार नही करता अर्थात विक्रय गैरकानूनी था तथा इस आधार पर कब्जा ही अनाधिकृत है। काबिज व्यक्तियों के असामाजिक होने बाबत कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। श्री पृथ्वी सिंह मर चुका है तथा वर्तमान में श्री सूरज मल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण खाती ग्राम पेलाहेडी-हाल अन्ता का कब्जा है। यह खाती का कार्य करते है।

(3) जी हां। दिनांक 11-5-87 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल अन्ता के समक्ष इस मजमून की शिकायत प्रस्तुत हुई है। जिस पर की गई कार्यवाही की जानकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल अन्ता से प्राप्त की जा रही है।

(4) उक्त रामद्वारे की सुरक्षा के लिए संपदा के स्वामी श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट, भीलवाडा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ट्रस्ट ही गैरकानूनी विक्रय पत्र को निरस्त करायेगा तथा संपदा पर कोई निर्माण कार्य न हो, इस बाबत ट्रस्ट प्रयत्नशील है।

पंचायत समिति जमवारामगढ़ एवं आमेर के अधूरे कुए

166. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ़ व आमेर (जयपुर) के यहां किन-किन अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों के कुओं को गहरा कराने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार का उक्त अधूरे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कुओं को अब पूर्ण कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर के यहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों के कुओं को गहरा कराने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं पंचायत समिति, जमवारामगढ़ में 54 प्रार्थना पत्र माडा योजनान्तर्गत लम्बित हैं। पंचायत समिति, जमवारामगढ़ पूर्णतया डार्कजोन में हैं अतः इन पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

(2) इसका उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कैरोसिन वितरक

167. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने कैरोसिन वितरक हैं ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त कैरोसिन वितरकों की गांवों में दुकानें हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) कैरोसिन वितरक श्री उमाशंकर विजय को कुल कितने लाईसेंस दिए गए हैं और क्या उनके द्वारा संविदा के अनुसार कैरोसिन वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या सरकार कैरोसिन वितरकों को नियमित रूप से गांवों में तेल का वितरण करने के लिए बाध्य करेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल 16 कैरोसिन तेल वितरक है। इन 16 में से 7 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

(2) कैरोसिन वितरक श्री उमा शंकर विजय को एक लाईसेंस खुदरा बिक्री का दिया हुआ है। श्री उमाशंकर विजय द्वारा कैरोसिन संविदा के अनुसार वितरण किया जा रहा है।

(3) जी हां। यदि किसी जगह कैरोसिन वितरण की व्यवस्था नहीं हो रही हो तो यह सरकार की जानकारी में लाया जाय।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में अध्यापकों के रिक्त पद

168. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जहां स्वीकृत अध्यापकों के पदों के विरुद्ध केवल एक-एक अथवा दो से अधिक अध्यापक पदस्थापित नहीं हैं ?

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद अध्यापकों के रिक्त चल रहे हैं ? तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुल 169 प्राथमिक शालाएं हैं, जिन में से 141 शालाओं में एक-एक अथवा दो से अधिक अध्यापक पदस्थापित नहीं हैं।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में निम्न प्रकार पद रिक्त चल रहे हैं :–

पं. स. बालोतरा	36
पं. स. सायला	2
बालोतरा शहर	2
कुल	40

अध्यापकों की नियुक्ति पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने पर इन रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी।

मुख्य एवं जिला आयोजना अधिकारियों के पद

169. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में मुख्य आयोजना अधिकारी जिलाधीश के अधीन तथा जिला आयोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधीन कार्यरत है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस सेवा के पदाधिकारी कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार मुख्य आयोजना अधिकारी एवं जिला आयोजना अधिकारी के दोनों पदों की अपेक्षा एक ही पद रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो क्या एक व्यक्ति द्वारा दोनों पदों का कार्य कुशलता से सम्पादित किया जाना संभव होगा ? क्या उन्हें सहयोग की दृष्टि से अतिरिक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे ?

(3) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि आयोजना व परीक्षण के कार्य केवल आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ही सम्पादित करवाना उचित है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक जिले में मुख्य आयोजना अधिकारी का एक पद स्वीकृत है, जो जिला कलेक्टर के अधीन कार्यरत है। वर्तमान में 21 जिलों में यह पद भरे हुए हैं। जिलेवार सेवा की सूची, जिनसे यह पद भरे गये हैं, संलग्न है।

(2) अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। इस विषय में निर्णय आठवीं योजना के दौरान आयोजना प्रणाली के विकेन्द्रीकरण हेतु प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय के पश्चात् लिया जायेगा।

(3) ऐसा आवश्यक नहीं है, अन्य सेवा के अधिकारी द्वारा भी आयोजना एवं परीक्षण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है तथा विभिन्न सेवाओं में उपलब्ध योग्य अधिकारीयों से यह कार्य करवाया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

विभागों का एकीकरण

170 श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जन शक्ति विभाग, मूल्यांकन विभाग व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का विलीनीकरण कर एक ही विभाग बनाने पर विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तर पर आयोजना विभाग ही जनशक्ति विभाग, मूल्यांकन विभाग एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रशासनिक विभाग है। जहां तक इन विभागों के विलिनीकरण का प्रश्न है, इस विषय में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 171

(स्थगित)

पंचायत समिति सांचौर की प्राथमिक पाठशालाएं

172. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जालौर जिले की पंचायत समिति सांचौर में किस किस स्थान पर राजकीय प्राथमिक पाठशालायें हैं और प्रत्येक में कितने-कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति सांचौर में कौन-कौन से विद्यालयों में जुलाई, 1989 से अध्यापक नहीं है ? इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी।

(3) एक अध्यापक के लिये कितने विद्यार्थी होने आवश्यक हैं और उस अनुपात में उक्त पंचायत समिति की कौन-कौन सी स्कूल में अध्यापकों की कमी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अध्यापक विहीन विद्यालय कोई नहीं है।

(3) विभाग द्वारा निम्न प्रकार छात्रों के अनुपात से अध्यापक उपलब्ध कराये जाने की नीति निर्धारित की हुई है :—

छात्र	अध्यापक
49 छात्रों तक	1
50 से 89 छात्रों तक	2
90 से 129 छात्रों तक	3
130 से 169 छात्रों तक	4
170 से 210 छात्रों तक	5

उक्त अनुपात से विद्यालयों में अध्यापकों की जो कमी है उसका विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

महाजन फील्ड फार्यरिंग रेंज (बीकानेर) हेतु अवाप्त भूमि

173. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाजन फील्ड फार्यरिंग रेंज के लिए भूमि अवाप्ति से उत्पन्न विवादों के कारण सम्बन्धित विस्थापित काश्तकारों में दावें कर रखे हैं, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर की अदालत के 2–3 वर्षों में लम्बित है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दावों में मुख्य पक्षकार रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दावों के शीघ्र निपटारे हेतु लोक अदालत अथवा पंच फैसले को सुपुर्द करने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, परन्तु लोक अदालत के समक्ष वाद, संबंधित पक्षकार के निवेदन करने पर ही रखा जाता है और चूंकि इस मामले में मुख्य पक्षकार रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार है अतः यह उनके ऊपर निर्भर है कि वे इस मामले को लोक अदालत अथवा पंच फैसले से निर्णय कराना चाहते हैं, अथवा नहीं।

पंचायत समिति झाडोल (उदयपुर) में अनुदान

174. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति झाडोल जिला उदयपुर में वर्ष 1989–90 में प्रत्येक पंचायत को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 750/– प्रति व्यक्ति मकान बनाने हेतु अनुदान स्वरूप राशि दी गई है ? यदि हां, तो व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थान पंचायत, दिनांक एवं उनसे प्राप्त की गई रसीदों की प्रतियें सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य हेतु सरकार से प्राप्त समस्त राशि पंचायत समिति, झाडोल द्वारा वितरित कर दी गई ? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी, नहीं तो क्यों ?

(3) क्या उक्त राशि के वितरण में भारी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया शिकायतों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 64 व्यक्तियों को दी गई अनुदान राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-3-90 को 51,000/– रु. का आवंटन पंचायत समिति, झाडोल को किया गया जिसमें से 48,000/– रु. का भुगतान 64 व्यक्तियों को 750/– रु. अनुदान स्वरूप राशि प्रति व्यक्ति मकान बनाने हेतु दी गई। 2250/– रु. की राशि 3 व्यक्तियों द्वारा चैक प्राप्त नहीं करने से शेष रही। एक व्यक्ति को पूर्व वर्ष की राशि में से भुगतान करने से 750/– रु. की अवशेष राशि राज्य कोष में जमा कराई गई।

(पंचायत राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय

175. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर एक मुन्सिफ कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार सपोटरा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धनाभाव के कारण प्रत्येक तहसील पर मुंसिफ कोर्ट खोलने का सरकार का इरादा अभी नहीं है।

(2) धनाभाव के कारण अभी सपोटरा में मुंसिफ कोर्ट खोलने का सरकार का विचार नहीं है ?

पशु चिकित्सकों के वेतनमान

176. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एलोपैथी के डाक्टरों व वेटेनरी डाक्टरों की चयन प्रक्रिया कार्य अपेक्षा तथा शैक्षणिक योग्यता आदि करीब करीब समान है ? यदि हां, तो दोनों के वेतनमान क्या हैं और उनमें अन्तर के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि वेटेनरी डाक्टरों के वेतनमान दूसरे राज्यों में अच्छे हैं, और यहां के वेटेनरी डाक्टर ट्रेनिंग लेने के बाद अन्य राज्यों में चले जाते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस विसंगति को दूर करने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) एलोपैथी डाक्टरों और वेटेरनिरी डाक्टरों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अलग अलग क्रमशः एम. बी. बी. एस. एवं बी. वी. एस. सी, है। डिग्री कोर्स के अध्ययन हेतु भर्ती की चयन प्रक्रिया एवं शैक्षणिक योग्यता समान है। एलोपैथी डाक्टरों का वेतनमान 2000–4000 और वेटेनरी डाक्टरों का वेतनमान 2000–3500 है।

वर्ष 1968 से पूर्व एलोपैथी डाक्टरों एवं वेटेनरी डाक्टरों के वेतनमान समान थे, किन्तु राणावत आयोग की रिपोर्ट के बाद उनमें अन्तर हो गया। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विसंगति दूर करने का आश्वासना दिया जा चुका है।

(2) जी हां, कुछ अन्य राज्यों में पशु चिकित्सकों के वेतनमान अच्छे हैं। कुछ डाक्टर प्रशिक्षण लेने के बाद अन्यत्र चले जाते हैं। वेतनमानों में कथित विसंगति संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कर वांछित

(पशुपालन राज्य मंत्री)

अभिशंसा करने हेतु राज्य सरकार ने समता समिति का गठन किया है जो ऐसे मामलों में राय देगी। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जिला उदयपुर में सरपंचों द्वारा गबन

177. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विकास अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा जनवरी, 1980 से मई, 1990 तक किस-किस वर्तमान एवं भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट, किस-किस थाने में किन-किन धाराओं के तहत कब-कब दर्ज कराई गई? कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस-किस सरपंच को कब-कब गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया एवं किन-किन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच मादडी पंचायत समिति झाड़ोल के विरुद्ध भी विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि की किस-किस अनियमितताओं के सम्बन्ध में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। श्री नन्दलाल खराडी सरपंच ग्राम पंचायत मादडी के विरुद्ध निम्न आरोप के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दिनांक 31-3-90 को दर्ज कराई गई है:—

(1) बिगर भरपाई नामे	10227·28
(2) अमित हस्ताक्षर	137·55
(3) अमित फर्जी बिल	16800·00
योग	27 64·83

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सिवाना विधाना सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

178. **श्री हुकमाराम** (सिवाना) एवं **श्री मनोहर सिंह** (शेरगढ़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल कितने पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं? यदि पद रिक्त हैं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में केवल एक पशु स्वास्थ्य केन्द्र पादरू में कार्यरत हैं।

Page No. 34

(34)

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(2) इस पशु स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नांकित पद स्वीकृत है :—

1.	सहायक पशु शल्य चिकित्सक	एक
2.	पशु धन सहायक	दो
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तीन

कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

गीर नस्ल की गायों का संवर्धन

179. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गीर नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए फार्म, झालावाड़ जिले के डग से स्थानान्तरित कर अजमेर जिले में पुनः स्थापित करने की योजना की क्या प्रगति है ?

(2) क्या स्थान का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

(3) यदि नहीं, तो चयन कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) गीर नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए फार्म झालावाड़ जिले में डग से अजमेर जिले में स्थानान्तरित करने की योजना प्रगति पर है। उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) स्थान का चयन अंतिम रूप से अभी नहीं किया जा सका है।

(3) कलेक्टर, अजमेर द्वारा इंगित भूमियों का निरीक्षण कर उपयुक्त भूमि लिए जाने का निर्णय लिए जाने के पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जोधपुर में अवैध एल.पी.जी. गोदाम

180. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि जोधपुर शहर में कागा की डांडी, रामबाग, शमशान में एक अवैध रसोई गैस भण्डारण व्यावसायिक गोदाम का निर्माण अप्रेल, 1982 में हुआ था व मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार, नागपुर ने जून, 1982 में बगैर जिला दण्डनायक के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लाइसेन्स दे दिया था और सितम्बर, 1982 से सिलेण्डर्स की खरीद बिक्री का व्यापार भी उसमें शुरू हो गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने लाइसेन्स निरस्त करने हेतु क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या जिला दण्डनायक ने दिसम्बर, 1982 में उपरोक्त अनियमितताओं के बावजूद एवं तहसीलदार, पुलिस, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद् आदि की बिना राय या सहमति लिए अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ? जबकि उन्होंने स्वयं ने ही उसमें घनी आबादी की बात लिखी एवं व्यावसायिक रूपान्तरण करवाने की शर्त भी डाल दी थी ?

(श्री चम्पालाल जैन)

(3) क्या नगर सुधार न्यास ने भी अपने पत्र संख्या लीगल (84) 774 दिनांक 22-11-84 द्वारा जिला दण्डनायक को सूचित कर दिया था कि इस गैस गोदाम के निर्माण हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई थी ?

(4) क्या सन् 1985 में श्मशान भूमि होने के कारण रूपान्तरण नहीं हो सकता ऐसा आदेश गोदाम मालिक को जिला दण्डनायक द्वारा दे दिया गया था ? यदि हां, तो इसके साथ ही आपत्ति-पत्र जारी करके मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को लाइसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

(5) क्या जिला पुलिस अधीक्षक ने घनी आबादी में स्थित इस गोदाम को जन धन के लिए भयंकर खतरा बताते हुए अपने पत्र क्रमांक-जोध./वि. शा./आर्म्स 86/2429, दिनांक 13-3-1986 द्वारा जिलाधीश को इसे तुरन्त हटाने की सिफारिश की थी ?

(6) क्या 31-3-1990 को अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण) ने अपने आदेश में लिखा है कि ये श्मशान भूमि पर अतिक्रमण है, कि गोदाम रूपान्तरण की परिभाषा में ही नहीं आता है और श्री दीपक सिंह ने तो रूपान्तरण हेतु उनके कार्यालय में आवेदन ही नहीं दिया है ? यदि हां, तो जनहित में यह अवैध निर्माण कब तक हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, लाईसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में अंकित है।

(2) जी हां, प्रचलित नियमों के तहत पुलिस, पर्यावरण, नगर सुधार न्यास आदि की राय या सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। फिर भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सशर्त जारी किया गया था कि वाणिज्यिक प्रयोजन किस्म परिवर्तन आदेश जो भी होंगे, उनकी पालना की जायेगी व भवन निर्माण आई.ओ.सी. के नियमों के तहत सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।

(3) नगर सुधार न्यास का पत्र संख्या लीगल/84/774 दिनांक 22-11-84 जिला दण्डनायक, जोधपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

(4) हां यह सही है कि सन् 1985 में सम्बंधित फर्म के मालिक को सूचित किया गया था कि नियमों के अन्तर्गत भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। प्रार्थी ने इस आदेश को पुनरीक्षण किये जाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-9-85 को पेश किया जो निरस्त किये जाने पर उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर की अदालत में दिनांक 8-10-85 को पेश की। जो अभी तक विचाराधीन है। राजस्व विभाग ने अपने पत्र सं. एफ 1 (200) राज/3/86 दिनांक 19-12-86 को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिये। माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रार्थी द्वारा दिनांक 7-11-87 को एक रिट याचिका पेश की गई जिसमें दि. 10-11-87 को डिमोलिस नहीं करने हेतु निर्देश दिये तथा इस याचिका में दि. 1-2-89 को आदेश पारित किया गया था कि नियमों के तहत कार्यवाही कर विवादग्रस्त गोदाम हटाने की कार्यवाही की

38

(खाद्य मंत्री)

जावे। धारा 91 के तहत दिनांक 24-7-89 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा नियम 1981 के तहत यह मामला नियमन योग्य माना। लाईसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अपेक्षित है लेकिन सम्बन्धित फर्म के मालिक को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने हेतु नोटिस दि. 11-6-90 को जारी किया जा चुका है तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। इसी मामले में अपीलेण्ट अदालत में अपील संख्या 123/89 व 63/90 विचाराधीन है जिसमें धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही स्थगित की हुई है। मामले में आगामी सुनवाई की तिथि 30-6-90 निर्धारित है। धारा 133 जाप्ता फौजदारी के तहत भी एक मामला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर की अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी सुनवाई की तिथि 5-7-90 निर्धारित है।

(5) जी, हां। किन्तु उक्त तिथि को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(6) दिनांक 3'-3-1990 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर ने भूमि पर अतिक्रमण शनशान पर होने से रूपान्तरण नहीं किया जाना उल्लेख किया। जिसके विरुद्ध अपील संख्या 63/90 दिनांक 24-4-90 को श्री दीपक सिंह द्वारा पेश की गई जिस पर स्थगन आदेश होने से बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

कृषि पर्यवेक्षकों के पद

181. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विभाग में भू-संरक्षण में 1990 में कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद थे और अब कितने हैं ? यदि संख्या में कमी हुई है तो कटौती के क्या कारण रहे ?

उत्तर

वर्ष 1980 में कृषि विभाग के भू-संरक्षण योजना में कृषि पर्यवेक्षकों के 468 पद थे और अब 245 हैं। 223 पदों को वर्ष 1985 में राष्ट्रीय कृषि प्रसार कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया है।

सन् 1985 से पहले डी.पी.ए.पी./डी.पी.सी के अन्तर्गत भू-संरक्षण कार्य विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा निष्पादित किये जाते थे और उन पर स्वीकृत स्टाफ एवं कार्य का सम्पूर्ण व्यय विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा वहन किया जाता था। सन् 1985 से भारत सरकार के आदेशानुसार विशिष्ठ योजना संगठन ने मरुस्थल विकास कार्यक्रम व सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में प्रयुक्त भू-संरक्षण स्टाफ पर वास्तविक व्यय नहीं देकर कुल व्यय के निश्चित प्रतिशत (10 प्रशित) के आधार पर धन राशि देना तय किया, जिसके फलस्वरूप स्टाफ की समीक्षा कर कमी की गई।

तहसील मुख्यालयों पर सहायक जिलाधीश कोर्टस् की स्थापना

182. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई):

(श्री रामनारायण बैरवा)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की हर तहसील हैड क्वार्टर पर सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने की नीति है ?

(2) यदि हां, तो निवाई तहसील हैड क्वार्टर पर सहायक कलेक्टर कोर्ट क्यों नहीं स्थापित किया गया ?

(3) अब कब तक वहां उक्त कोर्ट खोल दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अधूरे कार्य

183. श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1977-79 में जनता शासन काल के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में स्वीकृत एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के कुछ कार्य अधूरे रह गये थे ? यदि हां, तो विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है तथा अधूरे कार्य कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कर उन्हें आर्थिक उत्पादक संसाधन दिलाकर लाभान्वित कराया जाता है अधूरे कार्यों का रहना इस योजनान्तर्गत लागू नहीं है।

(2) चूंकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधूरे कार्य नहीं होते हैं अतः पूरे करा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

टोंक जिले में पंचायतों द्वारा कराये गये कार्य

184. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 3 वर्षों में टोंक जिले में किस-किस पंचायत समिति में किस-किस ग्राम पंचायत ने किस-किस कार्य (काम) के लिए कितनी-कितनी धनराशि कब-कब उठाई ? ग्राम पंचायतवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कार्य कब प्रारम्भ होकर कब-कब पूरे हुए एवं कौन-कौन से कार्य कब अधूरे रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उठाई गई रकम का सही-सही एवं सम्पूर्ण राशि का

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या एवं कितनी राशि के कार्य नहीं हुए ? इसके लिए कौन दोषी पाये गयें एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) संलग्न सूची के कालम नं. 10 में उपयोग में नहीं ली गई राशि दर्शाई गई है। दोषी सरपंचों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय कृषि एकीकरण फार्म, पलसाना

185. **श्री दिलसुखराय** (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि पलसाना तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर स्थित राजकीय कृषि एकीकरण फार्म वर्षों से मय कुए एवं स्टाफ क्वार्टर्स के बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फार्म में किसानों को उन्नत कृषि ज्ञान मुहैया कराने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दिल्ली के तत्वाधान में कृषि ज्ञान केन्द्र की स्थापना करने हेतु कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार को अनुशंसा कर स्वीकृति दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पलसाना फार्म इस समय भेड़ व ऊन विभाग के पास है। अभी यह फार्म बन्द पड़ा हुआ है यहां फलों के पौधों को नर्सरी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गैस एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें

186. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पैट्रोलियम पदार्थ कन्ट्रोल आर्डर समाप्त हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को गैस उपभोक्ताओं की सुविधार्थ व गैस एजेन्सियों की अनियमितताओं के बारे में उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये क्या अधिकार प्राप्त हैं और सरकार इस दिशा में समय-समय पर क्या कार्यवाही निगरानी बतौर कर रही है ?

(2) क्या इस प्रकार के अधिकारों के अभाव में राज्य सरकार गैस ऐजेन्सियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है जब कि उपभोक्ताओं को संरक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार पर है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस संबंध में कोई वैकल्पिक कन्ट्रोल आर्डर अथवा नियम

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चनाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार का पैट्रोलियम पदार्थ कन्ट्रोल आर्डर, 1979 समाप्त हो जाने के बाद गैस उपभोक्ताओं की सुविधार्थ व गैस एजेन्सियों की अनियमितताओं के बारे में उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1988 के अन्तर्गत राज्य के जिला रसद अधिकारी, अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी, सहायक जिला रसद अधिकारी, उपनिरीक्षक श्रेणी तक के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं समस्त कार्यवाहक मजिस्ट्रेट्स जिनमें जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है; को केन्द्र सरकार ने अभी ही प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां प्रदत्त की है जिनकी अनुपालना के लिए संबंधितों को दिनांक 16-2-90 को ही लिखा गया है। किन्तु ये शक्तियां सीमित प्रयोजन के लिए ही है जिनमें गैस भण्डार और परिवहन, स्टैण्डर्ड वजन से नीचे विक्रय नहीं करने, प्राधिकार के बिना गैस उपकरण नहीं रखने के संबंध में अनियमितता पर ही कार्यवाही किया जाना संभव है इस केन्द्रीय आदेश के द्वारा गैस के सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित परिवहन, उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल और सही वजन को सुनिश्चित् करना है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के अधिकारी गैस एजेन्सियों के विरुद्ध लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1988 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए केन्द्र सरकार से अधिकार मिले है। परन्तु ये अधिकार सिमित प्रयोजनों के लिए ही है क्योंकि इस आदेश में प्रावधान ही सिमित है।

(3) जी हां। पैट्रोलियम उत्पाद यथा डीजल, पैट्रोल, एल. डी. ओ. के कन्ट्रोल हेतु राज्य सरकार पूर्व की तरह राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1979 को पुनः प्रचलित करने का विचार रखती है जिसे केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु भेजा गया है।

टोंक जिले में विकास के विभिन्न कार्य

178. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में डी. आर. डी. ए., आई. आर. डी. पी. व अन्य योजनाओं में अब तक कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितनों पर कार्य चल रहा है? कृपया काम पर लागत, नाम, योजना और कब से चल रहा हैं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या, उक्त योजनाओं के अन्तर्गत एनीकट का निर्माण भी करवाया जाता है? यदि हां, तो जिले में कुल कितने निर्माण कार्य प्रस्तावित है और किन-किन पर काम चालू हैं?

(3) क्या पंचायत समिति निवाई में भी एनीकट निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार निवाई क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने हेतु इस क्षेत्र के ग्रामों में भी एनीकट बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) डी. आर. डी. ए. के माध्यम से संचालित योजनाओं के निर्माण कार्यों की चाही गई वस्तुस्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जे. आर. वाई., माडा, डी. पी. ए. पी. एवं मैसिव योजनाओं में एनिकट का निर्माण किये जाने का प्रावधान है। टोंक जिले में वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित एवं चालू एनिकट का योजनावार विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	काम योजना	प्रस्तावित एनीकट की संख्या	चालू एनीकट की संख्या
1.	डी. पी. ए. पी.	6	1
2.	माडा	2	3
3.	जे. आर. वाई.	2	1
	योग :	10	5

(3) जी हां, पंचायत समिति निवाई में जे. आर. वाई. के अन्तर्गत भांवता एनिकट प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की सिफारिशों पर कार्यवाही

188. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों द्वारा अपनी बैठकों में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर राज्य स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों ने निर्धारित अवधि में बैठकें नहीं की उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर निगरानी समिति का गठन करने का आदेश जिलाधीश (रसद) को प्रदान किया हुआ है?

(4) यदि हां, तो क्या जिलों में इन आदेशों की पालना में निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है? अजमेर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों द्वारा अपनी बैठकों में जो सिफारिशें की जा सकती हैं, उनकी क्रियान्विति के लिये सम्बन्धित विभागों को जिला रसद अधिकारी जो कि परिषद के सदस्य सचिव हैं, के द्वारा भेजकर क्रियान्विति करवाया जाना अपेक्षित है। राज्य स्तर से इसके लिये जिला रसद अधिकारियों को क्रियान्विति के लिये समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की बैठकें सामान्यतः निर्धारित अवधि में ही होती हैं। कुछ जिलों में नियमित बैठकें नहीं होने की जानकारी विभाग को प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संबंधित सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को समय पर ही बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। अजमेर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर गठित निगरानी समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बिरांटिया खुर्द (पाली) स्थित रामदेव जी महाराज का मन्दिर

189. **श्री मांगीलाल मेघवाल**(पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील के बिरांटिया खुर्द में श्री रामदेव जी महाराज का प्राचीन मन्दिर किसके अधीन है ?

(2) क्या उक्त मन्दिर की आय व्यय का नियमानुसार आडिट किया जाता है ? यदि हां, तो गत दो वर्ष की आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त मन्दिर की चल एवं अचल सम्पत्ति कितनी व किसके पास है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील के बिरांटियां खुर्द में स्थित श्री रामदेव जी महाराज का प्राचीन मंदिर श्री रामदेव ट्रस्ट कमेटी बिरांटिया खुर्द के अधीन है।

(2) जी हां, उक्त मन्दिर की आय-व्यय का नियमानुसार आडिट श्री रामदेव जी ट्रस्ट कमेटी द्वारा कराया जाता है, दिनांक 1-7-87 से 30-6-89 तक आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मन्दिर श्री रामदेव जी बिरांटियां खुर्द की चल सम्पत्ति एवं अचल सम्पत्ति की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बारां (कोटा) में मन्दिर पर अतिक्रमण

190. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के बारां नगर में एक प्यारे राम जी का विशाल प्राचीन मंदिर स्थित है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर के परिसर में अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो किसने।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(3) क्या यह सही है कि वहां की जनता में इस अतिक्रमण से भारी आक्रोश है, एवं बारां के नागरिक, उप जिलाधीश, जिलाधीश एवं सरकार को इस अतिक्रमण को हटाने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं ? यदि हां, तो ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त मन्दिर के परिसर में मन्दिर को विभाग के नियंत्रण से पूर्व ही श्री शफी मोहम्मद पुत्र नुरूद्दीन, श्री हीरालाल पुत्र शंकरलाल कुम्हार, घनश्याम अध्यापक व फाती बाई वगैरह ने कब्जा कर लिया है।

(3) जी हां, उप जिलाधीश द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु एस. एच. ओ. बारां को लिखा गया है। एस. एच. ओ. की जांच रिपोर्ट पर श्री नरूद्दीन के खिलाफ बनाये गये मकान बाबत धारा 145,146 सी.-आर. पी. सी. के अन्तर्गत न्यायलय में इस्तगासा पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार बारां को विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया गया है।

(4) न्यायालय के निर्णय के पश्चात तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या–191

(स्थगित)

राजस्व अभियान में भू-आवंटन

192. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अटरू तहसील में राजस्व अभियान के तहत गरीबों को भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटियों में धनाढय व सरकारी अधिकारियों एवं भूमि आवंटन कमेटी के सदस्यों के बेटे व रिश्तेदार हैं ? यदि हां तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ व्यक्तियों को 10-10 बीघा भूमि आवंटित की गई ? यदि हां, तो किन-किन को एवं क्या वह इसके पात्र हैं? यदि नहीं, तो किस आधार पर भूमि का आवंटन किया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त आवंटन में अनियमितताएं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर आवंटन रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है उनकी सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी, हां । आवंटन नियमों के अन्तर्गत पात्रता व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया गया है । कृषि प्रयोजनार्थ भूमिहीन को 15 बीघा तथा निजी वन विकास हेतु 5 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जा सकती है । सूची परिशिष्ट "स" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) राज्य सरकार को आवंटन में किसी अनियमितता की जानकारी नहीं है यदि ऐसा कोई मामला ध्यान में आयेगा तो तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

जिला चित्तौड़गढ़ हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

193. **श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1978-79 में चित्तौड़गढ़ जिले हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में उक्त योजना की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत शेष रहे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1978-79 में चित्तौड़गढ़ जिले हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना केवल पांच पंचायत समितियों चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा भदेसर, बेगूं, और राशमी के लिए प्रथम बार बनाई गई थी ।

योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

आवंटित राशि	12.50 लाख रु.
व्यय राशि	2.68 लाख रु.
ऋण उपलब्ध कराया	7.84 लाख रु.
(क) सहकारी बैंक द्वारा	7.65 लाख रु.
(ख) वाणिज्यिक बैंक द्वारा	0.19 लाख रु.
कुल लाभान्वित परिवार	203
(क) अनुसूचित जाति	58
(ख) अनुसूचित जनजाति	62
कृषि संबंधी कार्य से लाभान्वित	11
लघु सिंचाई से लाभान्वित	192

योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या निम्नप्रकार है:—

वर्ष	लाभान्वित परिवार
1978-79	203
1979-80	1160
1980-81	4474

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

1981-82	7837
1982-83	10391
1983-84	7824
1984-85	7853
1985-86	6739
1986-87	9220
1987-88	12536
1988-89	10488
1989-90	8950
1990-91 (माह मई, 90 तक)	462
योग—	88092

वर्तमान वर्ष में 7380 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कार्यों का शेष रहना नहीं होता है क्योंकि इसमें निर्माण कार्य नहीं होते हैं। इस योजना में परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। चूंकि ए. ग्रा. विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऋण व अनुदान की सहायता से संसाधन दिलाकर लाभान्वित कराया जाता है अतः कार्यों के शेष रहने एवं उन्हें पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम हुडास तहसील लाडनूं में अतिक्रमण

194. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम हुड़ास तहसील लाडनूं में खसरा नं. 101 तथा 118 गैर मुमकीन रास्ता है।

(2) क्या यह सही है ग्राम हुड़ास निवासी खरताराम व परसाराम पुत्र श्री रतनाराम बाबरी ने इस रास्ते पर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण कर रखा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस अतिक्रमण को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम झरड़िया तहसील लाडनूं में खसरा नं. 91 गैर मुमकिन कुआ व खसरा नं. 94 गैर मुमकिन रास्ता पर इन्द्राराम पुत्र श्री सुरताराम निवासी झरड़िया ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह अतिक्रमण हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम हुड़ास के ख. नं. 101 के रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर किसी का अतिक्रमण नही है। श्री खरताराम का वर्तमान में उक्त दोनों ख. नं. पर कोई कब्जा नहीं है। ग्राम हुड़ास के निवासी परसाराम पुत्र श्री रतनाराम बावरी द्वारा अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का भरनावा द्वारा दिनांक 11-9-87 को अतिक्रमण

(राजस्व मंत्री)

की रिपोर्ट पेश होने पर मुकदमा संख्या 12/87 धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट में दर्ज कर कार्यवाही की गई अतः राजस्व अधिकारियों की मिली भगत होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। अतिक्रमी परसाराम के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, की धारा 91 के तहत मुकदमा संख्या 12/87 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया अतिक्रमी ने अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर के यहां अपील पेश कर अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर लिया अपील का निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) ग्राम झरड़िया तहसील लाडनूं के ख. नं. 91 गै. मु. बेरा पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं है। ख. नं. 94 वाके मौजा झरड़िया किस्म गै. मु. रास्ता पर रकबा 15 बिस्वा पर श्री इन्द्राराम पुत्र श्री सुरताराम जाट निवासी झरड़िया एवं 5 बिस्वा पर श्री बन्नाराम पुत्र श्री अमराराम का अतिक्रमण है। उक्त दोनों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा संख्या 9/90 व 10/90 दिनांक 25-6-90 को मामला तहसील न्यायालय में दर्ज कर अप्रार्थीयान को नोटिस जारी किया जा चुके हैं। मामले में सुनवाई की आगामी तारीख पेशी 5-7-90 नियत कर रखी है।

थाना कापरेन (बूंदी) में दर्ज मुकदमे

195. **श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले के कापरेन पुलिस थाने में वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 में कितने मामले हत्या, चोरी, बलात्कार, अपहरण एवं मारपीट के दर्ज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों की अभी क्या स्थिति है ? विवरण निम्न प्रारूप में सदन की मेज पर रखें :—

मुकदमा सं.	तिथि
की गई कार्यवाही	लम्बित प्रकरण

उत्तर

(1) बूंदी जिले के कापरेन पुलिस थाने में वर्ष 1986 से मई, 1990 तक हत्या, चोरी, बलात्कार, अपहरण व मारपीट के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका विवरण परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

समर्थन मूल्यों का निर्धारण

196. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि जिन्सों-मोठ, ग्वार, लहसुन, धनिया के समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) बागवानी की उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करने के केन्द्रीय सरकार के आश्वासन पर राज्य सरकार ने क्या बागवानी की किसी भी जिन्स के समर्थन मूल्य घोषित करवाने की कार्यवाही की है ?

(3) फल व सब्जी की उपज खास तौर से प्याज के समर्थन मूल्य निर्धारित करने की क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुसूची में वह जिन्स न होने से समर्थन मूल्यों की घोषणा नहीं की जाती है। धनियां, ग्वार व मोठ की जिन्सों को सम्बन्धित अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से समय-समय पर राज्य सरकार ने अनुरोध किया है।

(2) बागवानी की उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई आश्वासन केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ था।

(3) जी नहीं।

तहसील बैर में सड़क निर्माण

197. **श्री रामप्रसाद (बैर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बैर में कृषि उपज मण्डी द्वारा कुछ सड़कें स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) सरकार उक्त स्वीकृत शुदा सड़कों पर कार्य कराने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क मैनापुरा से गोगरा स्वीकृत हैं।

(2) उक्त सड़क के निर्माण हेतु बजट स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शीघ्र ही निर्माण शुरू कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

मनोरंजन कर में छूट

198. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982 अथवा 1983 में नये सिनेमा घरों को मनोरंजन कर में कुछ रियायत दी गई थी ?

(2) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त रियायतों का कई पुराने सिनेमा घरों को नया रूप देकर(पुरानो की मरम्मत करा कर) नये सिनेमा घर के नाम से लाभ उठाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया ऐसे सिनेमा घरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य में चार छविगृहों द्वारा पुराने सिनेमा घरों को नया रूप देकर उक्त परिहार-योजनाओं का लाभ लेने पर

(वित्त मंत्री)

उनके विरुद्ध नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। विवरण सलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद

199. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने फौजदारी व दीवानी वाद विचाराधीन हैं तथा कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी याचिकायें कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर

200. **श्री अजय सिंह** (दातारामगढ़) : क्या भेड़ एवं ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय वृहद भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर जिला सीकर की स्थापना कब हुई थी ? इसकी स्थापना से अब तक क्वाटर्स एवं अन्य विभिन्न मदों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ? वर्षवार ब्यौरा सदन की पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले में उक्त फार्म से किसानों को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ है, तथा यह फार्म प्रतिवर्ष घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो घाटे का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में निरन्तर घाटे में चलने वाले संस्थानों को मितव्ययता हेतु जनहित में बन्द करना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार इस फार्म को कब तक बन्द करने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर की स्थापना दिनांक 24-9-73 को हुई थी। इस फार्म पर वर्ष 1973 से 1989-90 तक क्वार्टर्स एवं विभिन्न मदों पर किये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, फतेहपुर भेड़ प्रजनन फार्म व्यवसायिक संस्थान नहीं है। अतः लाभ हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। इस फार्म का मुख्य उद्देश्य इस प्रदेश की जलवायु में पनपने वाली विदेशी/संकर नस्ल के प्रजनन योग्य मेढ़े उत्पन्न करना है जिससे कि भेड़पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार किया जा सके और विदेशी नस्ल के भेड़ों का आयात नहीं करना पड़े। संकर प्रजनन कार्यक्रम से राजस्थान की भेड़ों में ऊन एवं मांस के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके जिससे कि भेड़ों से भेड़पालकों को अधिक

(भेड़ एवं ऊन मंत्री)

आर्थिक लाभ हो। इस फार्म से अब तक क्रास ब्रीडिंग 50 प्रतिशत के कुल 4,494 मेढ़ें एवं शुद्ध विदेशी 1409 मेढ़ें भेड़पालकों को वितरित किये गये।

(3) भेड़ फार्म फतेहपुर व्यवसायिक संस्थान नहीं है। इसलिए इसे बंद करने का प्रश्न नहीं उठता। यह फार्म विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

पंचायत समिति बामनवास की इन्दिरा आवास कालोनी

201. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करें:—

(1) इन्दिरा आवास कालोनी मद से पंचायत समिति बामनवास में कितनी कालोनी सरपंचों के माध्यम से बनी हैं तथा निर्माण कमेटी के माध्यम से कितनी कालोनी निर्मित की गई है? सन् 1984-85 से अब तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी ग्राम पंचायतें इन्दिरा आवास कालोनिया बनाने से वंचित रही? कितनी कालोनियों का कार्य पूर्ण हुआ एवं कितनी का अपूर्ण रहा, कितनी राशि इन कालोनियों के निर्माण में व्यय की गई? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन्दिरा आवास कालोनी मद से पंचायत समिति बौंली में कितनी कालोनियां के माध्यम से बनी हैं तथा निर्माण कमेटी के माध्यम से कितनी कालोनियां निर्मित की गई एवं सरपंचों के माध्यम से कितनी कालोनियों का निर्माण हुआ। सन् 1984-85 से अब तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कितनी ग्राम पंचायतें इन्दिरा आवास कालोनियां बनाने से वंचित रही? इन कालोनियों मे कितनी पूर्ण हो गई एवं कितनी अपूर्ण रहीं, कितनी राशि इन कालोनियों में व्यय की गई? सूची कालोनी एवं ग्राम पंचायत वार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा आवास कालोनी मद से पंचायत समिति, बामनवास में वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक कुल 17 कालोनियों का निर्माण किया गया। इनमें से 13 कालोनी सरपंचों के माध्यम से एवं 4 कालोनी निर्माण समिति के माध्यम से निर्मित की गई। वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक निर्मित इन्दिरा आवास कालोनी की सूची, परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कुल 29 ग्राम पंचायतों में से 14 ग्राम पंचायतें इन्दिरा आवास कालोनी बनाने से वंचित रही। कुल 17 कालोनियां स्वीकृत की गई, जिनमें से 10 इन्दिरा आवास कालोनी पूर्ण की गई एवं 7 कालोनी अपूर्ण रही तथा इनके निर्माण पर कुल रुपये 9,27,679 का व्यय किया गया। पंचायतवार सूची परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No. 49

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)।

(3) इन्दिरा आवास कालोनी मद से वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक पंचायत समिति बोली में कुल 21 कालोनियां निर्मित की गई तथा सभी कालोनियां सरपंचों के द्वारा बनाई गई। तथा सभी कालोनियां सरपंचों के द्वारा बनाई गई। निर्माण कमेटी द्वारा किसी भी कालोनी का निर्माण नहीं किया गया। सन् 1984-85 से 1989-90 तक की सूची परिशिष्ट-(ग) पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) पंचायत समिति बोली में कुल 37 ग्राम पंचायतों में से 17 ग्राम पंचायतें इन्दिरा आवास कालोनी बनाने से वंचित रहीं। कुल 21 स्वीकृत कालोनियों में से 14 कालोनी पूर्ण की गई एवं 7 अपूर्ण रही। इन कालोनियों के निर्माण पर कुल रुपये 16,39,095/– व्यय किये गये। कालोनी एवं ग्राम पंचायत अनुसार सूची परिशिष्ट–"घ" पर संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील घाटोल में पशु चिकित्सालय

202. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से जन प्रतिनिधियों द्वारा तहसील घाटोल के गांव गनोड़ा, गांव बामनपारड़ा, गांव दूदका, गांव सीडेलपुर, गांव सेमलीया, गांव चन्दूजी का गड़ा आदि में पशु अस्पताल खोलने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

तहसील घाटोल के केवल एक गांव चन्दूजी का गड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग प्राप्त हुई थी। गांव चन्दूजी का गड़ा बहुत छोटा है और वहां पशु चिकित्सा संस्था खोलने हेतु पर्याप्त संख्या में पशुधन उपलब्ध नहीं है।

व्यवस्था

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखित में सूचना दी है उसके सम्बन्ध में मैं बोलना चाहती हूं, अनुमति प्रदान करें।

श्री हेमराज मीणा : उनको सजा दी जानी चाहिए और जब तक उन अधिकारियों को नहीं हटाया जायेगा तब तक परीक्षा बन्द कर देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आर.ए.एस. की परीक्षाओं के बारे में जो गत वर्ष धांधली हुई है उसके बारे मे मैंने आपको पहले भी कहा। फिर परीक्षा करने का विचार चल रहा है जबकि भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट है वह अभी तक आ ई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह सवाल आयेगा। आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, 1989-90 में आर.ए.एस. की परीक्षायें यहां आयोजित

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की गयी थी उसमें बहुत धांधली हुई है। किसी एक आदमी के घर पर रख करके पर्चों की जांच करायी गयी हैं। वह केन्द्र चलाते थे उसकी जांच करने के लिए गवर्नमैण्ट ने आदेश दिये वह अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, उसकी दूसरी परीक्षा होने की तैयारियां चल रही है। मेरा निवेदन है पहले भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आ जाये कि क्या रिपोर्ट है, किसने धांधली की, कौन गलत है, जिन्होंने परीक्षा ली उनमें से कौन उत्तीर्ण है कौन अनुत्तीर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सुनिये तो। अध्यक्ष महोदय, पूरा सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरा सुन लिया। आप बैठिये। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में चर्चा करे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस केस को पूरा सुना जाना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : परीक्षा होने जा रही है दुबारा से नोटिफिकेशन करने के बाद परीक्षा हो और पर्चे बनाये जाये वरना फिर धांधली होगी, पर्चे फिर बाजार में आ गये। यह जो होने वाली परीक्षायें हैं इसके पर्चे इस समय बाजार में है। अगर पर्चों की परीक्षायें हुई तो निश्चित रूप से वह लोगों के लिए खिलवाड़ हो जायेगी। आप इन सबको सोचे और इन परीक्षाओं को स्थगित करायें। मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी जांच के बाद परीक्षा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह, जो आर.ए.एस. की परीक्षायें थी उनके बारे में उच्च न्यायलय के अन्दर जो परीक्षार्थी थे उन्होंने रिट याचिका दायर की और राजस्थान उच्च न्यायालय ने परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं हो इसके लिए स्थगन आदेश जारी किया। केस की आगामी हियरिंग 9 जुलाई को है उसके बाद 29 जुलाई को उन्हीं लोगों से दुबारा परीक्षा करवायी जाये जिन्होंने पहले परीक्षाओं का आयोजन किया और जिनके बारे में लिखित इतनी शिकायतें माननीय मुख्य मन्त्री को दी, लोग मिले उन्होंने कहा भी और मुख्यमन्त्री जी ने स्वयं माना कि पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच करवा कर कि इस प्रकरण में दुबारा आगे इस तरह से नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सूची है। परीक्षाओं के परिणाम अभी नहीं आये परन्तु जिन जिन परीक्षकों के पास उत्तर पुस्तिका गई उनकी अभी से मेरे पास एक सूची है। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं सूची की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात आ गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह सारी सूची मैंने आपको प्रस्तुत कर दी है आप उसको देखें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इससे हजारों नौजवानों के हित

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

जुड़े हुये हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है। जिन लोगों ने पेपर अपने घर पर ले जा कर रखे वह दुबारा परीक्षा लेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा ?

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस. की परीक्षा के बारे में मैंने इस पत्र में लिखा था माननीय मुख्य मन्त्री जी को। उनका जवाब आया कि उसकी जांच करवा रहे हैं। रीजल्ट अभी निकला नहीं। परीक्षायें वही लोग लेंगे तो क्या स्थिति होगी इसके बारे में कम से कम ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। प्लीज आप बैठिये ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा तमाम अखबारों में चर्चा है, आप स्वयं इससे अवगत है और माननीय सदस्यों की और हमारी इसमें भावना है कृपया आप इस पूरे प्रकरण के ऊपर जो भी कदम उठायें, सरकार शीघ्र कदम उठाये जिससे कि घपलेबाजी न हो और नये केन्डीडेट्स जो अपीयर होने जा रहे हैं उनके जीवन से खिलवाड़ न हो। इसके बारे में कुछ प्रबन्ध सरकार को निश्चित रूप से करने चाहिये। किस फ्रेम वर्क में करना चाहते हैं। पी.ए.सी. का मामला है आप जो भी कर सकते हैं कृपया निश्चित रूप से करें और आप क्या करने जा रहे हैं यह बता दें। मैं स्टेटमेण्ट नहीं मांग रहा लेकिन आपकी सरकार इसके ऊपर करने क्या जा रही है ? आप कुछ तो कहें इसके बारे में आप प्रकाश डाले तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आपकी बात हो गयी। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, परीक्षा स्थगित की जाये, सी. बी. आई. से जांच कराई जाये....

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप व्यास जी बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, नये मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट में केस है उसको आप कंटेस्ट करेंगे या वाकई आपको जांच में जो प्रमाणित होता है जो रिलीफ वह रिलीफ आप दे देते है तो रिट इनफेक्चुअल हो जाएगी। कोई फाल्स प्रेस्टिज में पड़कर गवर्नमेन्ट कण्टेस्ट करे तो वह बहुत बेजा हो जायेगा। क्योंकि स्टुडेन्टस के पास इस प्रकार की एविडेन्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना बड़ा न मुमकिन काम हैं और गवर्नमेन्ट के लिए इतना मुश्किल नहीं है। गवर्नमेन्ट के पास बहुत बड़ा अप्रेटस है, बहुत बड़ी मशीनरी है। मेरी प्रार्थना यह है कि उन चार्जेज को जो रिट पिटीशन में लगाये गये हैं उनकी आप खुद जांच करा लें और जो आवश्यक कार्यवाही हो वह की जा सकती है। चूंकि एलिगेशन्स बहुत सीरीयस हैं, अध्यक्ष महोदय, पी. एस. सी. के चेयरमैन की वर्किंग के ऊपर या पी. एस. सी. के द्वारा इम्तिहान कण्डक्ट किये जाते हैं उन पर चर्चा सदन में करना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे इमेज खराब होती है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कान्स्टीट्यूशन में इसका प्रोवीजन है अगर गवर्नमेन्ट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रिकमण्ड करेगी तो आप पी. एस. सी. के चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं। अगर पी. एस. सी. के चेयरमैन की काम्प्लीसिटी है तो उसमें होना चाहिये, सिर्फ प्रेसिडेन्ट रिमूव करता है गवर्नमेन्ट रिकमण्ड करती है और रिमूवल के प्रोसीजर के पहले आप सस्पेण्ड कर सकते हैं क्योंकि पी. एस. सी. जैसी जगह, अगर अध्यक्ष महोदय, कोई गुंजाइश शक की भी होती है—Cesser's wife should be above board. आर. ए. एस. के एग्जामिनेशन्स के अन्दर इस तरह के ऐलिगेशन लगना ही एक बहुत बड़ी गम्भीर बात है। मुख्य मन्त्री जी हाउस को थोड़ा अवगत करा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये, मुख्य-मन्त्रीजी बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कल आर. ए. एस. के एग्जा-मिनेशन के सम्बन्ध में कुछ परीक्षार्थी मुझसे मिले थे। और उन्होंने यह मांग की कि इन चुनावों में-- सॉरी (व्यवधान)

अपन सब चुनाव से ही पैदा हुए हैं। चुनाव को भूल जाना यह भी अनर्थ है। चयन से मतलब था मेरा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दूसरे चुनाव सामने दिख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो उम्र भर चुनाव ही लड़े हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि चयन के सम्बन्ध में उन्होंने शिकायत की और आपत्ति की कि वर्तमान व्यवस्था में यदि इसी प्रकार से चयन की कार्यवाही हुई तो उसमें कई प्रकार के दोष प्रकट होंगे। पिछली बार भी विद्यार्थी मुझसे मिले थे लेकिन मिलने के साथ ही वह हाईकोर्ट में चले गये और हाईकोर्ट से पुरानी जो चयन की कार्यवाही हुई उस सम्बन्ध में कई आरोप लगाये, आरोप लगाकर उनकी हाईकोर्ट में चर्चा हुई और हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। अब यह सही है कि स्टे दिया हुआ है और आगामी दो तीन दिन में ही उसकी सुनवाई होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : 9 तारीख को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 9 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है। यह प्रश्न मेरे सामने आया था। मैं चाहता हूं कि एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्टिंग चेयरमैन से बात कर लूं और सदन में 6 तारीख को इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से मैं एक वक्तव्य दूं।

व्यवस्था

ग्राम सतवाड़ी, की पेयजल समस्या

श्री अध्यक्ष : दिनांक 28 जून, 1990 को जबकि माननीय मन्त्री श्री सम्पतराम को जिला भरतपुर की तहसील बाड़ी के ग्राम सतवाड़ी में पेयजल की समस्या को लेकर धरने पर बैठे लोगों पर गोली चलाने के प्रकरण पर वक्तव्य देने हेतु आमन्त्रित किया उस समय माननीय सदस्य श्री पूनम-चन्द विश्नोई ने यह व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

उठाते हुए कहा कि वैसे तो मन्त्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है लेकिन यह फायरिंग का प्रश्न है या तो मुख्यमन्त्री जी को जवाब देना चाहिए या जलदाय मन्त्रीजी को जवाब देना चाहिए। इनके उपस्थित होते हुए आप किस हिसाब से जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य श्री परसराम मदेरणा जी ने भी श्री सम्पतराम जी के वक्तव्य देने पर आपत्ति प्रगट की व आसन से व्यवस्था चाही। मैंने अन्य सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात अपनी व्यवस्था बाद में देने की बात की। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व व्यवस्थाओं को देखा व सदन की परम्पराओं पर भी गौर किया। मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से इस सदन के प्रति जिम्मेदार है और यह उत्तरदायित्व संयुक्त तथा अविभाज्य है। मन्त्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व/सर्वविदित एवं सर्वमान्य है। माननीय सम्पतरामजी चूंकि मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हैं इसलिए मन्त्रि-परिषद् की सामूहिक उत्तरदायित्व की परम्परा के अनुसार यह विधान सभा में अपना वक्तव्य सरकार की ओर से दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में विधान सभा में पहले भी समय समय पर प्रश्न उठाये गये एवं उनके सम्बन्ध में व्यवस्था भी दे दी गई थी। इन व्यवस्थाओं के द्वारा मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के अधिकार का समर्थन किया गया। उदाहरणार्थ दिनांक 20.7.1967 को यह निर्णय आसन ने दिया था—सार्वजनिक विभाग द्वारा जीपों तथा अन्य मशीनरीज के खरीद आदि के सम्बन्धित मामले पर अल्प समय की चर्चा का उत्तर देने के लिए जब वित्त मन्त्री श्री मथुरादास खड़े हुए तो श्री नत्थीसिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर कहा कि विभाग सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण से है, सूचना भी उन्हीं के नाम से दी हुई है अतः वित्त मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाना अनुचित है। इस पर उपाध्यक्ष ने कहा नियमों में ऐसी बाधा नहीं आती कि जिसके अनुसार एक मन्त्री के विभाग के बारे में दूसरे मन्त्री जवाब नहीं दे सके। अन्य उपस्थित सदस्यों द्वारा भी आपत्ति करने पर उपाध्यक्ष ने कहा, वित्त मन्त्री नियमों के अनुसार इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यदि सरकारी पक्ष से उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो आसन उनको बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार औरस कौन की विख्यात पुस्तक पार्लियामेन्ट प्रेक्टिस के पृष्ठ 382 में निम्नांकित अभिव्यक्ति की गई :—

"But a motion standing in the name of a minister may be moved by any other minister in accordance with the constitutional practice which permits ministers to act for each other" Part eighteen-eighty one, two fifty eight.

इसी प्रकार कौल एण्ड शकधर की विख्यात पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ संख्या 655 पर निम्नांकित टिप्पणी उल्लेखनीय है।

"मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। व उत्तरदायित्व संयुक्त तथा अविभाज्य है। परन्तु

(श्री अध्यक्ष)

उच्च संसदीय परम्पराओं के अनुसार मन्त्रियों ने स्वयं अपनी ओर से अपने विभागों की दोषपूर्ण नीतियों व त्रुटियों के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व स्वीकार किया है और उनके कारण पदत्याग किया है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व हैं और संपूर्ण मन्त्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व संयुक्त व अविभाज्य है। चूंकि श्री सम्पतराम मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हैं इसलिए मेरा अभिमत है इनको सरकार की ओर से वक्तव्य देने का अधिकार प्राप्त है। मन्त्रि-परिषद् का कोई सदस्य सरकार की ओर से वक्तव्य व उत्तर दे सकता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मेरी बात सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन निवेदन किया था, यह बात तो स्वयं ने मैंने जो आपने व्यवस्था दी है वह मैंने स्वयं ने स्वीकार की थी कि मन्त्री परिषद् की तरफ से कोई अन्य मन्त्री भी अगर विभाग का नहीं हो तो भी उत्तर दे सकते हैं। मेरी आपत्ति उस वक्त यह थी कि वक्तव्य देने वाले मन्त्री का नाम उन्हीं का होगा जिनका वह विभाग है। मैंने निवेदन किया था कि फायरिंग हुआ है या तो मुख्य मन्त्री जी के नाम से उत्तर होना चाहिए अथवा जलदाय म त्रीजी के नाम से होना चाहिए। उत्तर बेशक माननीय सम्पतरामजी या अन्य कोई माननीय सदस्य भी दे सकते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। प्रश्न इतना ही था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री घासी लाल चौपड़ा, सुरेन्द्र व्यास एवं प्रेमसिंह दहिया, सदस्य विधान सभा की ओर से सरसों एवं अन्य खाद्यान्नों के भाव, किसान वर्ग से निकल कर मंडी में आने के पश्चात् एकदम बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) सर्वश्री परसादीलाल मीणा, सुरेन्द्र व्यास, प्रकाशचन्द्र बैरवा एवं विनोद कुमार, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम बाड़ा (महारिया) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि को सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा बरबाद करने एवं मारपीट करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर के ग्राम जालीपा व मारूड़ी में रक्षा विभाग को आवंटित भूमि का मुआवजा अधिक दिलाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(1) श्री अमीनखां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि बाड़मेर जिले में 791 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों

(श्री अध्यक्ष)

में जवाहर रोजगार योजना, डी. डी. पी. एवं जी. ए. डी. पी. के अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया है।

(2) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रशासक नियुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राजस्थान में कुल 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 34 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं। ये संस्थायें तीन वर्ष के लिये चुनी जाती हैं। 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों व 28 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का कार्यकाल समाप्त होने पर रजिस्ट्रार ने प्रशासक बना दिये थे।

(3) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि कोटा जिले में वर्ष 1989 से बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए मई 1990 के द्वितीय सप्ताह में कोटा में सघन तलाशी का अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में विस्फोट तथा अग्नयास्त्र बरामद हुये थे। इस सम्बन्ध में समय-समय पर दर्ज मुकदमों में 68 व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं। टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तारी के कारण स्थानीय जनता ने स्वयं को सुरक्षित अनुभव किया है।

अतः उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री सुरेन्द्र व्यास सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के 12 प्रश्नपत्र आउट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गयी है। इस विषय पर आज दिनांक 3 जुलाई, 1990 को वक्तव्य रखा गया है। माननीय सदस्य को उस समय स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मनोहर सिंह इन्दा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेरगढ़ तहसील में पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में एक अनुसूचित जाति के छात्र की मारपीट से मृत्यु हो जाने एवं एक सिपाही द्वारा आत्महत्या करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले के गांव बागौड़ा में दानदाता को हथकड़ियां पहना कर गांव में घुमाने एवं मुकदमा दायर करने सम्बन्ध में।

(4) श्री सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा भेदभाव की नीति बरतने के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा व करौली विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या एवं अन्य जिलों से आये पशुओं द्वारा फसल को नष्ट करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले के टोडभीम क्षेत्र को पांचना लिफ्ट सिंचाई योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम धावलिया तहसील फागी (जयपुर) में अनुसूचित जाति के काश्तकारों को आवंटित भूमि पर सवर्ण जाति के वर्गों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था रायसर प्लाजा पर। आज उसके बारे में अखबारों में बहुत ही बड़ी खबर छपी है कि उसमें हमारे राज्य के जो अब स्वायत्त शासन मंत्री है वे भी इसमें शामिल हैं। यह 27 करोड़ का मामला है रायसर प्लाजा का, अखबारों में छपी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल: मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस मामले में 27 करोड़ का गबन हो और 27 करोड़ की जायदाद हो उसमें, दो भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता, जिनमें एक प्रांतीय कोषाध्यक्ष है और एक कांग्रेस के नेता है। दोनों उनमें शामिल हैं और मैं समझता हूं 27 करोड़ का जो राज्य सरकार का नुकसान है उसकी वजह जो चुप किया जा रहा है आज के अखबारों में नहीं मैं लगातार आपको 15 अखबारों की कतरन दे सकता हूं, जिनमें यह छपा है और आज यह छपा है कि वह जायदाद भी राजस्थान सरकार की है। 1950 में तय हो चुकी कि वह प्रोपर्टी राजस्थान की है और उस प्रोपर्टी पर 63 हजार वर्ग फुट जगह है जिस पर यह निर्माण हुआ है और छः मंजिल हैं, सात सौ कमरे हैं। और उस मामले में यह जो चुप्पी साधी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा उसमें आज पूरे अखबारों में नवभारत के फ्रन्ट पेज पर छपा है कि उसमें क्योंकि दिलचस्पी माननीय मंत्री जी की हो सकती है, मुझे पता नहीं है एलीगेशन अखबार का है इसलिए शायद इस मामले को टाला जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। मेरे पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि वह जायदाद उन व्यक्तियों की नहीं है जो उसको बना रहे हैं। यह जायदाद राज्य की है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी दे रखा है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के किसी नेता का लेना-देना नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : विमल सुराणा और कुशल सुराणा दोनों कांग्रेस के नेता हैं रामदास तो....(व्यवधान) रामदास सोंकिया कोषाध्यक्ष हैं बी.जे.पी. के।

Page No. 57

श्री डूंगरराम पंवार : +++

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए दोनों के दोनों...

श्री डूंगरराम पंवार : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं सुनिये। थोड़ा आप ध्यान से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अखबार में प्रकाशित समाचार के आधार पर स्वायत्त शासन मंत्री पर आरोप लगाया है मैं इस सदन को और माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे सकता हूं कि सदन में मेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं और किसी सदस्यों पर आरोप लग सकते हैं लेकिन भंवर लाल शर्मा पर इस प्रकार आरोप लगे।

यह मैं सोच भी नहीं सकता।

श्री हेतराम बेनीवाल : चिंता इसलिए जाहिर की कि अखबार के फ्रन्ट पेज पर छपा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो आदमी बिल्कुल सोने की तरह से खरा है उसके बारे में इस प्रकार की बातें करें। यह मैं समझता हूं किसी प्रकार से उचित नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं नहीं अखबार कह रहे हैं। मैंने जो सूचना दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अखबार में हेतराम जी बहुत बातें आती हैं लेकिन जो अखबार को कोट करता है वह अपनी जिम्मेदारी के साथ करता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं इसलिए जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूं कि आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने की वजह से मैं जिम्मेदारी कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज करता हूं अखबार में समाचार छपते हैं लेकिन अखबार के समाचार को यहां कोट करे, उसमें सदस्य की जिम्मेदारी निहित है सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये दस अखबार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दस नहीं, बीस में छपी है इसको आप सही मानते हैं तभी यह कह रहे हैं वरन् कहने की जरूरत ही नहीं है।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : आप तो राजस्थान के प्रहरी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने तो आपका स्पष्टीकरण चाहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह तो दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कब कहता हूं यह सच्चाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अखबारों में समाचार छपते हैं और छपने चाहिए। हमें उससे सारी जानकारी मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अखबार लोकतंत्र के प्रहरी है इसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के सम्बन्ध में....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No. 58

60

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आरोप इस अखबार का है। मैंने पहले निवेदन किया है मैं अखबार के आरोप को इसलिए रख रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरी एक प्रार्थना सुन लें। मैंने यह स्थगन प्रस्ताव आज से पांच दिन पहले रखा। जो यह रखा उसकी वजह यह है कि उसमें पांच मजदूर मारे गये, उसके बारे में आपने कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, मैं इस अखबार में जो कमेटी की रिपोर्ट के बाद छपी है इसलिए मैं सूचित कर रहा हूं कि देर क्यों की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं, इस पर वक्तव्य परसों दिया जा रहा है। आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो। जिसने भी दोष किया है वह निश्चित रूप से दण्ड का भागीदार बनेगा। सरकार किसी के साथ कोई पक्षपात करने वाली नहीं है। अब आप यह कहें कि भंवर लाल जी शर्मा ने यह मकान बना दिया, मकान तो 1987 में बनने शुरू हुये थे। उस समय शायद भंवर लाल जी शर्मा सरकार के आस-पड़ौस में ही नहीं थे। विपक्ष में बैठे थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं-नहीं, यह आरोप है भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बताया, नहीं आप कह रहे हैं, न कि यह सरकारी जमीन में बना लिया है तो सरकारी जमीन में बना उस समय न मैं था, न आप थे, न भंवर लाल जी थे, हम दोनों सरकार में नहीं थे। यह 87 में बने हैं। पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं और मै आपको इतना विश्वास से कह सकता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति हो, दोष करेगा तो निश्चित रूप से दण्ड का भागीदार होगा। हम किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह इन्दा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने तबादला नीति के ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है। उसके बारे में भी आपने व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : आप बोले इससे पहले मैं आपकी व्यवस्था सुना देता हूं। जिन स्थगन प्रस्तावों पर मैंने कोई आदेश नहीं दिया है उन स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करने का माननीय सदस्य को इस सदन में कोई अधिकार नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन है।

श्री अध्यक्ष : वह तो आगे की बात है आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है जब तक मैं कोई आदेश नहीं देता तब तक इस सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। न यह सवाल उठाया जा सकता है। आप कहें तो मैं आपको पुरानी व्यवस्था...

श्री सुरेन्द्र व्यास . नहीं-नहीं मैं व्यवस्था पढ़ के आया हूं।

श्री अध्यक्ष : तो इसको ध्यान में रखकर....

श्री बुलाकीदास कल्ला : महोदय मैंने 158 के अन्तर्गत अध्यक्ष....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं व्यवस्था पढ़ के आया हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पूर्वक प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करें स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आप उस पर व्यवस्था नहीं दें। सरकार की जानकारी के लिए भेज दें। चार-चार रोज तक उनको अटकाये बैठे रहे। आज तबादला नीति के ऊपर स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वह कल 9 बजे आपके निवास स्थान पर पहुंचाया तबादला नीति एक जुलाई से लागू की गई। 30 जून को तबादला नीति तैयार थी और तीस जून अंतिम तिथि थी ट्रांसफर की 30 जून को जितने ट्रांसफर करने थे कर दिये। नई तबादला नीति के अन्दर एक तो यह है।

श्री अध्यक्ष : आप फिर यह बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं पढ़कर आया हूं। सदन के सामने कोई भी काम रोको प्रस्ताव तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं स्वीकृति नहीं दूं। यह व्यवस्था है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा हूं, व्यवस्था बता रहा हूं कि हम कांग्रेस के सदस्य यदि आप व्यवस्था नहीं दें। सरकार जानकारी नहीं दे। सरकार वक्तव्य नहीं दे, हम क्या करें

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मेरी बात सुनिये जिस चिज को आप तबादला नीति कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं नहीं कहता, सरकार कहती है नई तबादला नीति आज से लागू ....

श्री अध्यक्ष : आप मेरा तो सुन लीजिए।

—**श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)** : आप कृपया हमें सुन लें फिर आप सम्पूर्ण व्यवस्था दे दें अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है सारे अखबारों में राजस्थान के जितने दैनिक लीडिंग डेलीज हैं सब में कहा गया। बड़े जोर-जोर से प्रचार किया गया कि अब तक जो तबादला मन माफिक ढंग से हुआ था, अध्यक्ष महोदय, उसकी एक नीति बनाकर उसका निर्धारण कर दिया गया। बड़े जोर से कहा गया, 30 तारीख और एक जुलाई के बाद कोई तबादला होगा नहीं और होगा तो इस नीति के तहत होगा। मूल मंत्र यह था और उसमें दुनियां भर की गाइड लाइन मुख्यमंत्री जी मण्डावेरी से आये या गये। तो सदन में सुनाया कि मैंने तो रीलिफ की घोषणा इसलिए नहीं की कि सदन सत्र में था इसलिए रिलीफ की घोषणा नहीं की, अब सदन सत्र में था इसलिए रीलिफ की घोषणा नहीं की, ज्यूडीशियल इंक्वायरी की घोषणा नहीं की और इतनी बड़ी नीति वहां बना दी कि वाला-वाला अखबारों में जारी कर दी। सदन की उस वक्त मर्यादा का, सदन के उस वक्त सेशन का, सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को ख्याल नहीं रहा। अब हो क्या रहा है। रजिस्टर्स खुले हुए हैं एक तारीख निकल गई तबादले अभी भी जारी हैं। मुख्य मंत्री जी कह दें कि हम उस नीति के ऊपर अमल कर रहे हैं और उस नीति के बिना कोई तबादले नहीं होंगे तो सरकार वक्तव्य देने के अन्दर कतरा क्यों रही है आखिर कारण क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने दिन हो गये, हमने आपको प्रस्ताव दिया है हमें यहां पर सरकार का वक्तव्य चाहते थे, आपकी व्यवस्था चाहते थे। आपने व्यवस्था नहीं दी तो हम अपनी बात यहां पर कह नहीं सके लेकिन उसके उपरान्त भी अगर आप हमको यहां कहने का अवसर नहीं देंगे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्रीमान तो हमारे पास आखिर चारा क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रश्न । अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न है । एक डेट पर तबादले हो रहे है यह हमारी सूचना है या आशंका है यह अलग है। मैं दूसरा प्रश्न, जब मुख्य मंत्री जी बोलने के लिये खडे हो रहे है तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि 30 जून को तबादला नीति तैयार की। आपने उस नीति को आहूत किया । 1 जुलाई के अखबारों में आया है । 30 जून अन्तिम तिथि थी तो 30 जून तक जो तबादले हुए है उन पर यह नीति लागू नहीं की गई। इसलिए लागू नहीं की गई कि आप अपने हिसाब से जिन कर्मचारियों को परेशान करना चाहते थे जहां बाहर भेजना चाहते थे वह सब को भेज दें ····

एक माननीय सदस्य : राहत देना चाहते थे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और एक जुलाई को आपने यह लागू की इसलिए जिसमें यह प्रोवाइडेडहै दो साल तक उनका वापिस स्थानान्तरण नहीं हो सकेगा.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दांयी ओर बैठने वाले सदस्यों को पता चला है 35 साल तक क्या-क्या किया है दस दिन से महसूस हो रहा है । 35 साल तक आपने जो कुछ किया वह महसूस नही हुआ ?

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री डूंगरराम पंवार : 35 साल में बहुत बड़े-बड़े कबाड़े किये । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नीति बनाकर जब कर रहे हो आप अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो तो फिर + + + क्यों ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का उत्तर दे दें मुख्य मंत्री जी कि एक जुलाई के बाद जो स्थानान्तरण होगा तो नीति से होगा। जो 30 जून तक स्थान्तरण हुए है वह अनीति से हुए है । यह तो मानते है आप ? मैं मुख्य मंत्री जी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं इस बात को जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी का दायरा भी नही है। पूरा मंत्रिमण्डल है, इतने विभाग हैं। हर विभाग के अन्दर छोटे-छोटे कर्मचारियों का, अफसरों की बात छोडिये, क्लास थ्री के क्लास फोर्थ के बहुत दूर ट्रांसफर्स किये जा रहे है और दूसरी बात यह जो, राजाखेड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कही कि रजिस्टर भी खुले हुए हैं तो हो सकता है सब आशंकाये निर्मूल हो, मुख्य मंत्रीजी जब कोई बात खड़े होकर कहते हैं और आगे स्पष्ट करते हैं कोई वक्तव्य आप दिलाते हैं तो उससे हम आश्वस्त हो पायेगें अध्यक्ष महोदय, ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । (व्यवधान) आप बिराजे। प्लीज सिट डाऊन । मुख्य मंत्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण का कार्य प्रशासन में सबसे ज्यादा गुरु है । उसके

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भुगतभोगी आप भी है और उसके भुगतभोगी हम भी हैं और उसके भुगतभोगी सरकारी सेवायें भी है। इस संकट से किस प्रकार से निकला जाये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बिना किसी के पक्षपात किये विचार किया है। आपको भी जानकारी है और मुझे भी मालूम है कि स्थानान्तरण के कारण राज्य सरकार का कितना व्यय होता है उस व्यय में किस प्रकार से कमी की जाकर बचत की जाकर विकास के कामों पर वह पैसा खर्च हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की जाये। जब से यह सरकार आई है उस समय से लगातार हम हर बात के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं कि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किस प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया हो जिस प्रक्रिया के आधार पर हम सेवाओं को विश्वस्त कर सके और स्थानान्तरण के मामलों में लोगों का जिस प्रकार का दबाव या जिस प्रकार की स्थिति बनती है उस स्थिति का निराकरण कर सकें। लगातार हम इसके ऊपर विचार करते आये हैं। ऐसी दृष्टि से मैं चाहूंगा कि सदन भी इस के ऊपर एक बार विचार कर ले, यदि हमारी स्थानान्तरण की प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का दोष है कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि सारी प्रक्रिया को मैं सदन की मेज पर रख कर, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि एक घंटा उस पर चर्चा कर ली जाये तो सरकार को भी उससे नई दिशा मिलेगी और इस बीमारी से इस प्रशासन को पूरी तरह से छुटकारा दिलाया जा सके इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है,

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं मुख्य मंत्री जी अगर इतना सा और कह दें हम आश्वस्त हो जायेंगे कि 30 जून का जो उनका आदेश है वह पुरानी डेट में ट्रांसफर्स नहीं होगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको देखा हो तो पुरानी तारीख से करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उसको देखेंगे तो कह देगें उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो मैं आपके कथन का स्वागत करूंगा कोई उसके लिये मेरा दिमाग बन्द नहीं है। मैं समझता हूं मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करे सब लोगो को राहत मिले राज्य सरकार का खर्चा कम हो और सेवाओं में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं बनी रहे। इसमें न किसी को दण्ड देने का प्रश्न है न किसी को इनाम देने का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके ध्यान में सिर्फ यह लाना चाहता हूं कि कई विभागों में 30 जून की तारीख में ट्रांसफर आर्डर्स इश्यू हो रहे है। मुख्य मंत्री जी चैक अप कर ले आपकी जानकारी में नहीं होगा लेकिन आप अगर हमें थोड़ा सा आश्वस्त कर दे आप इसको नहीं होने देगें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिए जब चर्चा के लिये सरकार तैयार है तो उसमें सारी बातें आयेंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह विषय उस समय चर्चा में उठा सकते है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 295 के तहत पेयजल की समस्या

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के बारे में एक प्रस्ताव दिया था उस में आपने 100, 50 शब्द कम करने के लिये कहा था वह मैंने कर दिये है....

श्री अध्यक्ष : वह आज भी नहीं आया है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह मैंने कल ही कर के दे दिया था....

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब का प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाये बीकानेर में अच्छी वर्षा हुई है । अगर यह प्रस्ताव रख दिया गया तो बीकानेर में वर्षा बन्द हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : परसों लगा देगें ।

सुश्री पुष्पा जैन : कल्ला जी आप तो लड्डू खिलाइये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री मनोहरसिंह इन्दा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर । आपने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के....

श्री अध्यक्ष : उसका वक्तव्य आ रहा है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : आयेगा, आप बिराजें । वक्तव्य दिया जायेगा । बिराजें ।

श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत शेरगढ़ तहसील में पानी की समस्या के बारे में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शेरगढ़ तहसील में पानी की विकट समस्या बनी हुई है तथा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तथा शेरगढ़ तहसील की अधिकतर आबादी ढाणियों में निवास करती है तथा गांव से करीब 5 या 8-10 किलोमीटर दूर रहते हैं जिससे गांव में बने ट्यूबवैल से पानी ले जाना मुश्किल पड़ता है तथा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं गांव में ट्यूबवैल से छोटी छोटी पाइप लाइनों से जब तक ढाणियों को नहीं जोड़ा जायेगा जिससे लोगों को राहत मिल सके तथा निम्बा गांव योजना कभी से बनी पड़ी है ट्यूबवैल भी खुद गया है लेकिन पिछली सरकार अभी तक पाइप लाइन नहीं बिछा सकी । सरकार से मेरा निवेदन है कि यह कार्य जल्दी पूरा कराया जाये जिससे बैलवा, माणियों सुथेरी, आमोलाई, डूगर, तोदेसर, जीया बेरी, जण्डीया आदि गांवों को पानी से राहत मिल सके । दूसरी योजना 54 मील से राइसर गढ़ा तैना शेरगढ़ साका बनी है इस पर टंकियो की संख्या अधिक है जिससे शेरगढ़ से आगे पानी नहीं पहुंच पाता है । इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि 54 मील से शेरगढ़ से आगे के गांव को सीधी लाइन बिछाकर जोड़ा जाये जिससे वहां पानी पहुंच सके नहीं तो अभी हालत यह है कि शेरगढ़ से आगे टंकी नं. 1, 2, 3 व 4 व खावा भीमसागर तक

(श्री मनोहरसिंह इन्दा)

पानी का पावर कम हो जाने से पानी नहीं पहुंच पाता है और वहां के लोग बहुत ही दुखी हैं। तीसरी योजना 54 मील से राइसर सवालिवा चुतरानियां की बैरी भीमसागर पाइप लाइन बिछा रही है उसका कार्य कई सालों से रूका पड़ा है। इसलिए कार्य जल्दी पूरा कराने की कृपा करें जिससे लोगों को राहत मिल सके।

शेरगढ़ तहसील में अलग अलग गांव में ट्यूबवैल खोदकर छोटी छोटी पाइप लाइन बिछाकर ढाणियों को जोड़ा जाये जिससे कि वह इसका लाभ उठा सके नहीं तो गांव में ट्यूबवैल खोदकर केवल वहां टंकी बना दी जाये तो उससे कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि अधिकतर आबादी ढाणियों में निवास करती है और जहा डेढ सौ ढाणियों के बीच हैण्डपम्प खोदकर पानी की समस्या का हल निकाला जा सकता है तथा हैण्ड पम्प यहां अच्छी तरह से पानी दे सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है इस व्यवस्था में सुधार किया जाय क्योंकि पानी, जो लोग पैसे देते हैं उनको दे दिया जाता है और प्रभावशाली व्यक्तियों के यहां टैंकर खाली कर दिये जाते हैं जिससे गरीब इसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए सरकार को इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिये जिससे आम व्यक्ति को लाभ मिल सके।

अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि शेरगढ़ तहसील में अधिक से अधिक ट्यूबवैल खोदकर, छोटी-छोटी पाइप लाइनों को बिछाकर ढाणियों को जोड़ा जाय जिससे पानी की समस्या हल हो सके तथा सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जल्दी ही व्यवस्था करावें जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र घेवरराम की लाठियों से असामाजिक तत्वों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद में उसकी लाश को कुएं में डालकर भाग गये।

बाड़मेर जिले के थाना बिजवाड़ में खेमाराम सिपाही अनुसूचित जाति का व बदसुलुकी के कारण उसने अपनी गोली मारकर आत्म-हत्या कर ली। उसकी जेब की तलाशी पर पुलिस को जो खत बरामद हुआ उसके तहत उसने सारे अपने साथियों, परिवारों को लिखा है कि मैं इस ज्यादती के कारण इस संसार से उठ रहा हूं। एक बाड़मेर जिले के गांव में अल्पसंख्यक दो सगे भाइयों को उनके घर में ही जाकर के गोली मारकर हत्या करने पर इस पिछड़े वर्ग में भारी असन्तोष है और इन्हीं लोगों ने राजस्थान के मुख्य-मन्त्री महोदय, करीब-करीब सांसदों और ओर विधायकों से इसकी एक प्रार्थना की है।

खेमाराम के वृद्ध पिता श्री मूलाराम ने हर जगह प्रार्थना की है कि इस घटना

(श्री अमीन खां)

की जांच इस तरफ से की जावें तो हमें राहत मिलेगी। बालोतरा सब डिवीजन में उसी ढंग से उसनें जगह-जगह घूमकर यह प्रार्थना की। अब तो यह लोक महत्व का मसला है। मैं इस सदन के मार्फत मुख्यमन्त्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर इंसाफ पसन्द आफिसर स्पेशल मुकर्रर कर जांच कराई जाय और माकूल राहत दिलाने का इन्तजाम किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने चिकित्सा विकास को बनाकर जो भावना प्रेषित की है उसके सन्दर्भ में मैं इस विषय के ऊपर कुछ प्रस्ताव रख रहा हूं। जालोर जिले के गांव बागोडा में दानदाता को हथकड़ियां पहनाकर गांव में घुमाना एवं उसके विरुद्ध झूंठा मुकदमा दायर करने के सम्बन्ध में नियम संख्या 295 के तहत सूचना।

महोदय, जालोर जिले के गांव बागोडा में दानदाता ने 15-20 लाख रुपये लगाकर अस्पताल भवन का निर्माण किया एवं उसको राज्य सरकार को समर्पित किया। अस्पताल में अव्यवस्था एवं मरीजों का इलाज सही ढंग से न होने एवं वहां के डाक्टर एवं कम्पाउन्डर द्वारा घर पर बैठकर मरीजों का इलाज करना तथा अस्पताल न खोलने के कारण दानदाता ने प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत की जिससे सी एम. एच. ओ. में बागोडा के डाक्टर एवं कम्पाउन्डर का अस्थाई स्थानान्तरण कर दिया।

अस्पताल के स्टाफ ने उपरोक्त शिकायत पर नाराज होकर दानदाता के खिलाफ एक झूंठा मुकदमा प्रवेन्सन ऑफ एस्ट्रोसिटीज आन शिड्यूल कास्ट एवं शिड्यूल ट्राइब एक्ट के अन्तर्गत दायर कर ए. एस. आई. ने बिना किसी जांच किये दानदाता के घर जाकर उसको गिरफ्तार किया और उसके हथड़िया लगाई। इतना ही नहीं उक्त दानदाता को हथकड़िया लगाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उक्त मुकदमा भीनमाल मुंसिफ कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और दानदाता को हवालात में बन्द रखा गया।

अतः इसकी जांच की जाकर दोषी पुलिस कर्मियों को एवं चिकित्सा विभाग के डाक्टर एवं कम्पाउन्डर के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पुलिस द्वारा दानदाता के खिलाफ उक्त वर्णित नियम का दुरुपयोग कर परेशान किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अहम मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हम ऐसे समाज की ओर राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं जो समता एवं समभाव वाला हो। मनुष्यों में आपसी प्रेम एवं भाईचारा हो, जाति एवं धर्म विकास एवं भाई चारे में आड़े नहीं आये। परन्तु बड़े खेद के साथ में मजबूर होकर कहना चाह रहा हूं तथा कहना जरूरी समझता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. सक्सेना इसके अपवाद हैं। डा. सक्सेना नहीं चाहते कि अमन व शान्ति रहे, सभी जातियों व वर्गों में आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे। वह

(श्री सांवरलाल)

नहीं चाहते कि कृषि शोध हो, विश्वविद्यालय में शान्तिपूर्ण माहौल रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन के पास अपनी बात पहुचाना चाहता हूं कि डा. सक्सेना विवादास्पद रहे हैं। एक जाति विशेष के खिलाफ वे रहें हैं। इसकी पुष्टि में न्यायविद् स्वर्गीय एस. डी. सिंह कमीशन रिपोर्ट ली जा सकती है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि डा. सक्सेना अपनी सारी शक्ति का उपयोग वर्ग राजनीति में कर नष्ट करते रहे हैं एवं शोध कार्य को एक तरफ पटक देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अगस्त 88 एवं 89 में इसी सदन के माननीय सदस्यों द्वारा तत्कालीन महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति को ज्ञापन पेश कर उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि "डा. सक्सेना जब जोबनेर में डीन थे तब छात्रों में जातिगत झगड़े इनके प्रोत्साहन व डिलमिल नीति से चरम सीमा पर थे। तत्कालीन कुलपति ने डा. सक्सेना को पदच्युत कर दिया था। इस बाबत सभी शिकायतें राज्य सरकार के पास मौजूद हैं। डा. सक्सेना हमेशा ही जाट जाति के छात्रों व अध्यापकों के विरूद्ध कार्य करते रहे हैं। यह आरोप पत्र देकर हटाने की मांग करने वाले माननीय सदस्य सर्व श्री प्रोफेसर केदार, श्री भंवर लाल शर्मा, सुश्री पुष्पा जैन, श्रीमती विद्या पाठक, श्री देवी सिंह भाटी जो सभी वर्तमान सरकार में मंत्री पद पर आसीन हैं. साथ ही माननीय श्री कल्याण सिंह कालवी, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री दाउदयाल जोशी एवं श्री नाथू सिंह वर्तमान में सांसद हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस डा. सक्सेना के विरूद्ध इतनी गम्भीर शिकायतें की गई वही डा. सक्सेना इस हुकूमत में कुलपति बना हुआ है, जो गम्भीर एवं चिन्तनीय विषय है। यदि विश्वविद्यालय में शोध को प्रोत्साहन देना है, सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना है, तो डा. सक्सेना को अविलम्ब कुलपति पद से हटाना जनहित में आवश्यक है तथा वर्ग विशेष में फेले हुए अविश्वास व आक्रोश को रोकना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डा. सक्सेना केवल जाट तक ही सीमित नहीं है क्योंकि जाट शब्द का जो अर्थ है J for Justice, A for Action T for Truth अर्थात् न्याय व सत्य के लिए पहल करने वाला जाट है। डा. सक्सेना ऐसे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व छात्रों को आतंकित भी करते हैं। जो सत्य व न्याय की बात करते हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण स्वर्गीय प्रो. बाबू सिंह सिराधना पेथोलोजी विभाग हैं, जिन्हें काफी परेशान किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बड़े अरमान लेकर की गई है। उन्नत किस्म के बीज तैयार किये जाय। कृषि की नई तकनीक द्वारा देश की कृषि को नई दिशा देने में योगदान करेंगे। यदि ऐसे संकुचित दृष्टिकोण व वर्ग विशेष के विरोधी अधिकारी किसी संस्था के सर्वोच्च पद पर रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी, असम्भव है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कुलपति को अविलम्ब बर्खास्त कर वर्ग

(श्री सांवरलाल)

विशेष में फैले भय व आतंक को समाप्त करें एवं समतावादी समाज की स्थापना की ओर कदम की पुष्टि करें।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं करौली सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की ऊंट व भेड़ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। महोदय, सपोटरा करौली विधानसभा क्षेत्र हर प्रकार से पिछड़े हुए इलाके हैं। डांग व पहाड़ी इलाका है। वर्षा कम होने के कारण पानी व चारा बहुत कम मात्रा में पैदा होता है। यहां का मुख्य धन्धा किसानों का पशु-पालन रहा है। आमदनी का अपना सारा खर्चा किसान, पशुओं से चलाते आ रहे हैं। परन्तु आठ-दस वर्ष से इस क्षेत्र में पश्चिम राजस्थान के बहुत मात्रा में भेड़ व ऊंट चरने के वास्ते आते हैं और भेड़ व ऊंट इस क्षेत्र के सारे चारे और पानी को समाप्त कर देते हैं तथा छोटी-मोटी किसानों की जोत को भी साफ कर जाते हैं। भेड़ जमीन के चारे को खा जाती है तथा ऊंट ऊपर पेड़ के चारे को खा जाता है। सारा चारा व पानी समाप्त हो जाने के बाद में चले जाते हैं।

इसके बाद में स्थानीय पशुपालकों को अपने पशुओं को चराने के लिए चारा व पिलाने के लिए पानी नहीं बच पाता है। बचे हुए आठ माह का समय निकालना बहुत भारी हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे पशु इस समय में भूख व प्यास से मर जाते हैं और कुछ को लेकर चारे पानी की तलाश में पलायन करना पड़ता है जिससे यहां गरीब किसान को भारी घाटा व परेशानी का मुकाबला करना पड़ रहा है। इस समस्या ने स्थानीय किसान व पशुपालकों के मुख्य धंधे को खत्म कर दिया है जिसके फलस्वरूप यहां सब तहसील मंडरायल व करनपुर के ग्रामों की स्थिति बड़ी दयनीय व कमजोर बन गई है। हर वर्ष स्थानीय पब्लिक व भेड़ ऊंट वालों के झगड़े होते रहते हैं जिनके मुकदमे भी दर्ज किये गये हैं। पूर्व में यहां पर काफी जंगल था तथा काफी वर्षा होती थी तब दोनों ही दलों के जानवरों का गुजारा हो जाता था परन्तु इस डांग क्षेत्र में कुछ जंगल तो रिजर्व फारेस्ट बना दिया गया है, कुछ ही बचा है। पानी भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है जिसमें पश्चिम भेड़ ऊंट का गुजारा हो पाता है। ऐसी सूरत में सरकार का ध्यान गरीब किसानों को व तहसील के जानवरों को इस क्षेत्र में जीवित रखने के लिये भेड़, ऊंट को नहीं भेजा जावे क्योंकि इस क्षेत्र में भेड़, ऊंटों के प्रति काफी असन्तोष है। कई बार यहां की जनता हजारों की संख्या में सम्बन्धित मंत्रियों व अधिकारियों से भी मिल चुकी है तथा कई बार आन्दोलन भी किये गये हैं। मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता इसलिए इस लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में भेड़ व ऊंटों को नहीं भेजा जाये. स्थानीय ग्रामीण जनता के लिये आभारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला सवाई-माधोपुर के अन्दर सिंचाई की परियोजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसमें

(श्री रामस्वरूप मीणा)...

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सबसे बड़ी सिंचाई योजना पांचना योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री उस समय हमारे आज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह थे। उन्होंने हमारी इस पांचना को बनाया था, उनसे भी निवेदन करूंगा साथ ही।

जिला, सवाईमाधोपुर क्षेत्र जो हमेशा अकाल की चपेट में रहा है और पिछले आठ वर्ष से लगातार जहां अकाल पड़ा हुआ है इस जिले में कोई भी बड़ी योजना नहीं बनाई गई है और न इस बजट के अन्दर रखी गई है। इस जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अकाल के कारण एवं कुओं में पानी न होने के कारण हजारों बीघा भूमि बिना सिंचाई के पड़ी रह जाती है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पांचना योजना जो बांध बनाया गया हैं वह नादौती एवं टोडाभीम की भूमि को बतला करके उसमें रिकार्ड पेश करके इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध से इस क्षेत्र की भूमि सिंचित होगी इस बात का रिकार्ड में दिखलाया गया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बांध के बन जाने के बाद विधान सभा क्षेत्र की न तो नादौती न टोडाभीम की एक इंच भूमि आज सिंचित हो रही है। अगर इस क्षेत्र को इस प्रकार बतला करके यह बांध निर्माण कर दिया गया तो उस बांध से हमको एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस पांचना योजना से हमारे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के नादौती और टोडाभीम इलाके को लिफ्ट-योजना के जरिये पानी दिया जाये। अगर इस क्षेत्र को लिफ्ट योजना चालू करके पानी दिया जाय तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र जो केवल मात्र वर्षा पर निर्भर है वह सिंचित हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा मेरा जो सुझाव है वह यह है कि नदियों पर एनीकट बनाना। एनीकट की मांग भी लगातार पिछली सरकार के समय से चली आ रही है। महावीरजी के पास और दूसरा सिद्ध स्थान के पास है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस नदी पर दो एनीकट बना कर पानी को रोका जाय ताकि कुओं में जल स्तर ऊपर चढ़ सके। और हमारी सिंचाई एवं पीने के पानी की समस्या हल हो सके। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के इलाके के दो बहुत बड़े स्थान नादौती एवं टोडाभीम में लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाय और जो पांचना बांध बनाया गया है उसके जरिये हमारे क्षेत्र को पानी दिया जाय तो इस सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या, जो भयंकर अकाल से जूझने की समस्या हमारे सामने खड़ी है उसका हल हो सके। अतः मैं आपसे अन्त में यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर बांध के ऊपर लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाय और साथ में एनीकट नदियों के ऊपर बनाये जायें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम घवालिया तहसील फागी में गलत तरमीम करा कर अच्छी जमीन से अनुसूचित जाति के कृषकों को बेदखल कर स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में उल्लेख है।

ग्राम घवालिया में खसरा नम्बर 9 में 42 कृषकों को भूमि आवंटन की गई थी। आवंटन के समय से सभी लोग उत्तर से दक्षिण लम्बी पट्टियां बना कर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु गत वर्ष स्वर्ण जाति के कुछ लोगों ने नाजायज तरीके से भूमि की तरमीम कराकर केवल उत्तर दक्षिण दिशा की अच्छी भूमि रखली एवं केवल बैरवा जाति के लोगों को दक्षिण दिशा में नाले की तरफ धकेल दिया। जो हल्की एवं ढालू भूमि है। बैरवा जाति के लोगों द्वारा तत्कालीन राजस्व मंत्री को शिकायत किये जाने पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जैसे भूमि पूर्व में काश्त की जाती रही है उसी प्रकार तरमीम कर दी जावे। गलत तरमीम बिना किसी अधिकारी के आदेशों के की गई है और अब कोई राजस्व अधिकारी यह हां करने को भी तैयार नहीं है कि तरमीम उसने की है। जांचकर्ता सभी अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पहले काश्त उत्तर दक्षिण की जाती थी जिसमें सभी लोगों को अच्छी व खराब भूमि समान रूप से आती थी परन्तु गलत तरमीम बताकर केवल अनुसूचित जाति के लोगो को नाले की तरफ हल्की भूमि में धकियाया जा रहा है। इस प्रकार बाहूबल व धनबल के आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी बैध भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये यह मांग करता हूं कि यह नाजायज कार्य जिस राजस्व कर्मचारी ने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे एवं तरमीम को दुरुस्त कर पुनः सही की जावे जिससे सभी लोगों को अच्छी व खराब जमीन समान रूप से मिल सके।

अलाटमेंट के बाद भूमि का कब्जा देते वक्त ही राजस्व रिकार्ड में तरमीम क्यों नहीं की गई। इस खसरा नम्बर 9 में कितने स्वर्ण व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटन किया गया था ? गलत कब से किस-किस किसान को लाभ मिला और किस-किस को अच्छी भूमि से नाले की तरफ रखा जा रहा है ? क्या नाले की तरफ रखे जाने वाले सभी कृषक अनुसूचित जाति के ही हैं जबकि अन्य लोग अब भी उत्तर से दक्षिण की तरफ ही काश्त कर रहे हैं। पूरे प्रकरण में किस किस राजस्व कर्मचारी को गलती व लापरवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है व उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है। यदि जांचकर्ता अधिकारी अब तक गलत तरमीम करने वाले कर्मचारी का पता नहीं लगा पाये हैं तो क्यों नहीं ? राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करने का अपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया ? इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं सदन से मांग करता हूं कि इस गलत तरमीम को सही करवाया जाय नहीं तो जैसा मण्डावरी में गरीब हरिजनों के साथ हुआ है, यह 118 बीघा का मामला है, इसमें 10-15 हरिजनों को जो दस साल से काश्त कर रहे हैं उस जमीन से हटा कर बिल्कुल नाले में

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

धकेल दिया गया है । उनको वापस अपनी सही जगह पर काबिज करवाया जाय । मैं सदन से यह मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री बी डी. कल्ला ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : क्यों बार-बार बोलते हो, आप इतने दिन मंत्री रहे हो ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : हम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं यहां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह बहुत दुखी हैं इनको सूरसागर से निकाला जाय तब ही जाकर यह कुछ इफेक्टिव हो सकते हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो मैं देवी सिंहजी की वकालत कर रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है वह ।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि वह सागर हो सूर है, अब अंधेरे में से निकालना बड़ा मुश्किल है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब जिसकी वकालत आप कर रहे थे, आपके हाथ में आ रहा है वह ही नहीं कर पा रहे हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहोगे वही करूंगा । ऐसी बात नहीं है, आप तो प्राइवेट में आकर कह दिया करो, काम सारे हो जायेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं प्राइवेट भी कह दूंगा और यहां पर भी कह दूंगा । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में एक और जहां अकाल एवं अभाव की स्थितियां हैं, लगभग 14 हजार गांव अभावग्रस्त हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल अकाल मत बोलो, मुश्किल से वर्षा हुई है आप क्यों बारबार अकाल कर रहे हो, यह अकाल की परिस्थिति से आप निकलो ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो दस दिन पुराना दिया हुआ है । कल देखो सूरसागर की प्राब्लम उठाई तो वहां पर पानी आ गया ना । और प्राब्लम आपके सामने आ गया । इसलिये इस प्राब्लम के बारे में भी आप ध्यान दे दें ।

श्री अध्यक्ष : Think of the devil and devil is there इसलिये उसकी कल्पना ही बन्द कर दीजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, कल्पना नहीं है । हम तो कहते हैं कि राजस्थान में अकाल कभी पड़े ही नहीं ।

14 हजार गांव जो अभावग्रस्त हैं तथा निरन्तर बरसात की कमी के कारण कुओं का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है एवं कुएं सूख भी रहे हैं । जलदाय विभाग गर्मियों में पेयजल समस्या को हल नहीं कर पाया एवं ऐसे गांव उदाहरण के लिये घरनोद, दासोडी, गढ़ियाला, बीठनोख, नोखड़ा जो बीकानेर जिले के हैं, जहां से गायें पेयजल के अभाव में अकाल मृत्यु की शिकार हुई हैं एवं राज्य के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर, चूरू, टोंक आदि जिलों

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से मवेशियों का पलायन पानी के अभाव के कारण अन्य जिलों तथा राज्य के बाहर देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में हुआ। पेयजल की कमी का कारण क्या रहा इसके विगत में जाने से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि जो योजनाएं समस्याग्रस्त गांवों की बनाई गई उसमें मानवीय जनसंख्या को आधार मानकर पेयजल योजनाएं विभाग ने बनाई। पशुओं की संख्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। साथ ही जो पानी उपलब्ध है उसकी आपूर्ति का आदर्शतम प्रबन्ध न होने से जगह जगह त्राहि-त्राहि पेयजल के लिए होने लगी जलदाय विभाग द्वारा वर्तमान में समस्याग्रस्त गावों में पीने के पानी के समुचित प्रबन्ध किये जाने हेतु कोई स्पष्ट दिशा निर्देश का हवाला वर्तमान बजट भाषण में भी नहीं दिया गया है। बीसलपुर, जोधपुर एवं मानसी वाकल पेयजल योजनाओं का लाभ सम्बन्धित शहरों एवं गांवों को मिलेगा परन्तु इस हेतु इनएडेक्वेट बजट का प्रावधान लगता है। पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं होने से जोधपुर शहर को इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से जो पानी दिया जाता है वह आने वाले 6 वर्ष तक उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसी तरह से बीकानेर जिले के कई गांवों में पेयजल के अभाव में गायें मर चुकी हैं उनकी विभाग को जानकारी होगी। अकाल लगातार पड़ने के कारण कुओं का जल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण उरमूल डेयरी द्वारा जो डिग्गियां बनाई गई उनमें जलदाय विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं करने के कारण 22 से अधिक गांव प्रभावित हैं और उनमें डिग्गियां बनने के बावजूद भी जल संकट महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन डिग्गियों को तुरन्त पानी की आपूर्ति से जोड़ कर चालू करना चाहिए।

बीकानेर शहर जहां से मैं निर्वाचित होकर आता हूं उसको इन्दिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने हेतु 8 वर्ष पूर्व एक कृत्रिम जलाशय बनाने एवं दो फिल्टर प्लान्ट लगाने की योजना मन्जूर हुई थी। एक फिल्टर प्लान्ट बन चुका है जलाशय की खुदाई हो चुकी है परन्तु ठेकेदार के द्वारा काम नहीं करने एवं इस मामले को न्यायालय में ले जाने से उक्त कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया है ऐसा विभाग ने बताया है।

बीकानेर शहर में आज भी पानी कोठारियों के मौहल्ले में, खजांची चौक, गोलछों का चौक, कस्साबों का मौहल्ला, खटीकों का मौहल्ला, प्रताप बस्ती, रानी बाजार, नत्थूसर गेट, जयनारायण व्यास नगर, हरिजन बस्ती, शीतला गेट, जैल वैल, धोबी तलाई आदि अनेक मौहल्लों में तीन दिन तक पानी नहीं आता और कभी आता है तो दिन में एक बार बेसमय आता है जिसके कारण बीकानेर में लोग इस पानी की समस्या का पिछले कई महीनों से सामना कर रहे हैं।

मैं माननीय जलदाय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बीकानेर शहर में पिछले तीन महीनों में 15 कुए जो सूख गये हैं उनके बारे में आपने क्या विभाग को कोई निर्देश दिये हैं। मात्र 60 कुए हैं उनमें 45 कुओं से पानी की आपूर्ति होने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से स्वतः ही पानी की आपूर्ति कम हो गई है। उन कुओं का जल स्तर भी नीचे चला गया है। आज बीकानेर के लोग महसूस कर रहे हैं कि इन्दिरा गांधी नहर के बराबर न चलने तथा जलाशय के अभाव में लगातार पानी न मिलने से कभी भी जल संकट गम्भीर रूप ले सकता है।

जलदाय विभाग ने विश्व बैंक के सहयोग से जो परियोजना बनाई थी उसके अनुसार आज की तारीख मे बीकानेर को 90 लाख गैलन पानी प्रत्येक दिन मिलना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन महीनों में यह पानी निरन्तर बीकानेर को कभी भी दिन में जो 90 लाख गैलन मिलना चाहिए था, मिला। जब से यह योजना बनी है तब से आज तक प्रतिदिन यह आपूर्ति निरन्तर नहीं रही। नहर लगातार दो महीने तक बंद रही एवं कभी बीच में पानी तोड़ लेने से भी, बिजली न होने से भी पानी निरंतर नहीं मिल पाया। बीकानेर शहर में पाइप लाइनें जो लगी हुई है वे भी बहुत पुरानी है जो जगह जगह से लीक करती हैं जिसके कारण पानी उपलब्ध होने पर भी पानी की आपूर्ति कई बार नहीं हो पाती। इस भीषण गर्मी में 15 कुओं के यकायक सूख जाने एवं इन्दिरा गांधी नहर से पानी निरन्तर उपलब्ध न होने से बीकानेर के लोग संकट ग्रस्त हो गये हैं एवं ऐसा भय है कि शेष 45 कुए कभी भी सूख सकते हैं। फिर बीकानेर की जनता को वहां से पलायन करना होगा एवं पेयजल के साधनों का दूसरा विकल्प न होने से जनता बैचेन है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर पानी दूर से लाने का प्रयास हम कर रहे हैं वहां पहुंचे हुए पानी के लिए जलाशय का समुचित निर्माण व प्रबन्ध न होने से जनता दुखी है ऐसी परिस्थिति में जलदाय विभाग को चाहिए कि वह समय रहते बीकानेर शहर को जल आपूर्ति जलाशय का अविलम्ब निर्माण बिना समय खोये चालू करे तथा दूसरे फिल्टर प्लान्ट का निर्माण अतिशीघ्र करवाये अन्यथा पेयजल के अभाव में कुओं के सूखने से जो संकट आया है उसकी जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। राजस्थान में हाथ से काम करने वाले कारीगरों, स्वर्णकारों, लुहारों, बढ़ई आदि से अपने ही घरों में कार्य करने पर भी व्यावसायिक दर पर जो पानी दिया जाता है उसे समाप्त कर वास्तविक उपभोग पर उपभोक्ता दर वसूल की जानी चाहिए मुझे विश्वास है कि राजस्थान के गांवों को पेयजल योजनाओं में पशुओं की संख्या को सम्मिलित कर योजना बनाने, समूचे प्रदेश के शहरों में संतुलित एवं पिछड़े को पहले एवं समस्याग्रस्त गांव एवं शहर का ध्यान रखते हुए विभाग त्वरित गति से इन समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करेगा।

जिन योजनाओं को विभाग ने प्रारम्भ कर दिया जैसे बीकानेर शहर को जल आपूर्ति हेतु जलाशय का निर्माण कार्य, उसे निर्धारित समय में पूरा न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही वह कर रहे हैं, जलाशय लाइनिंग का कार्य एवं उनका तखमीना विभाग के पास कब से विचाराधीन है एवं आज तक की देरी के लिए कौन कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं। जो जलाशय लगभग 1.5 करोड़ में बन जाता वह अब लगभग 6 करोड़ में बनेगा। जो लागत में बढ़ोतरी हो रही है उसका

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जिम्मेदार कौन है। इन ज्वलंत प्रश्नों पर विचार कर माननीय जलदाय मंत्री जी इस अहम् समस्या का प्रभावी समाधान करेंगे अन्यथा बीकानेर शहर के जुझारू लोग माननीय मन्त्री जी को चैन से नहीं बैठने देंगे एवं हर प्रकार की कुर्बानी इस समस्या के समाधान हेतु देने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (प्रभारी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (प्रभारी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 1990 को पुरःस्थापित करता हूं। कल्ला जी, करो विरोध।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम मात्र विरोध के लिए विरोध नहीं करते।

घोषणा

आय-व्ययक, 1990-91 पर वाद विवाद पर समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद पर जो समय दिया गया था उसमें पार्टियों का जो शेष समय है वह मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। बी. जे. पी. को 6 घण्टे 35 मिनट दिये गये थे उनका 32 मिनट का समय शेष है। जनता दल को 4 घण्टे 30 मिनट में से 1 घण्टा 30 मिनट का समय शेष है। कांग्रेस को 4 घण्टे का समय दिया गया था जिसमें उन्होंने 5 घण्टे ले लिये एक घण्टा ज्यादा ले लिया, समय शेष नहीं है। निर्दलीय को 45 मिनट था उनका 12 मिनट शेष है। सी. पी. आई. का जो था उसमें 8 मिनट ज्यादा ले लिये। इसलिए बोलते समय जरा इस बात का ध्यान रखें कि आपका समय कितना है और चूंकि कांग्रेस के माननीय सचेतक ने कुछ नाम भेजे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लें ताकि वह सारे बोल सकें। उन्होंने 7 नाम भेजे हैं। जब 7 आदमी को बोलाना चाहते हैं तो इस हिसाब से ही बोलना पड़ेगा वर्ना संख्या कम हो जायेगी। श्रीमती सुचित्रा आर्य।

आय व्ययक 1990–91 पर सामान्य वाद विवाद

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय अध्यक्ष जी, 44 साल हो गये देश को आजाद हुए। आजादी के 44 साल बाद में यह दूसरा टाईम है कि एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना। गरीब किसान के बेटे से गांवों के 85% लोगों को बहुत उम्मीदें, बहुत आशाएं थी उन उम्मीदों और आशाओं पर जिस दिन माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा उसी दिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि हमने चुनावों के अन्दर कुछ घोषणायें की थी, कुछ वायदे किये थे। माननीय चौधरी देवीलालजी और माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कुछ वायदे किये थे। उन 85 परसेन्ट लोगों के सामने यह वायदा किया था कि हम दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री साहब ने दस हजार रुपये तक के कर्जे तो माफ करे हैं, उसका तो मैं स्वागत करती हूं, लेकिन उसके अन्दर किन्तु और परन्तु लगाया उसके लिए मुझे खेद है। यही नहीं हमने यह भी घोषणा-पत्र में कहा था कि हम हर हाथ को काम देंगे। हर पेट को रोटी देंगे। लेकिन इस बजट के अन्दर उसकी भी एक बात नहीं कही। यही नहीं पेंसठ साल से ऊपर की उम्र वाले वृद्धों को पेंशन देने का वायदा किया था कि हमारा राज आया तो हम सौ रुपया पेंशन देंगे। लेकिन उसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया क्योंकि तब हम वोट मांगने जाते थे, चुनाव के टाइम में। मैं एक बात आपको मेरे गांव की ही बताना चाहती हूं। पेफाना गांव में जब 75 साल का बूढ़ा अपने घर के अन्दर खाट पर सोया हुआ था, जब मैं उससे वोट मांगने गई तो वह चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था कि बेटा हमें मौत क्यों नहीं आ जाती। मैंने उनसे पूछा बाबाजी आप इतने क्यों दुःखी हो रहे हैं, मौत को क्यों पुकार रहे हो, तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरे दो बेटे हैं, मेरे को खाने को रोटी भी नहीं देते हैं तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि बाबा अब दो-तीन दिन ही हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो हम बूढ़ों को पेंशन जरूर देंगे। दो-तीन दिन बाद ही हमारी सत्ता आयी, हम सरकार में आये। लेकिन इस बजट को देखकर उन 85 परसेन्ट किसानों, बूढ़ों पर क्या बीती होगी? यह सोचनीय विषय है और इनकी भी बजट में कहीं कोई बात नहीं हुई। यही नहीं नौजवानों के लिए कहा गया था कि हम उनको रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो उनको घर बैठे सौ रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन इसका भी हम बजट के अन्दर नामो-निशान नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि वे जो गरीब लोग हैं, जो गांव में 85 परसेन्ट लोग रहते हैं, आपको उनके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे क्षेत्र के अन्दर यह भी कहा था कि हम अगर राज में आये तो रजिस्ट्री की जो पाबन्दी लगी हुई है वह हम खत्म करवा देंगे, लेकिन इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया और गरीब किसानों को यह भी हम लोगों ने आश्वासन दिया था कि एक या दो बीघा जो जमीन हैं, उनको बेचने नहीं दी जाती थी। उसकी पाबन्दी को भी हम खत्म करवा देंगे लेकिन इसकी बात भी कहीं नहीं कही गई। यही नहीं जब कांग्रेस के राज में हम अपोजिशन के अन्दर बैठे हुए थे, तब हम लोगों ने एक किसान

Page No. 74

(74)

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

आन्दोलन किया था और उस आन्दोलन में किसानों से वायदा किया था कि हमारा अगर राज आया तो हम किसानों के जो खाते बने हुए है, उनकी फीस माफ करेंगे। लेकिन इस बजट के अन्दर उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो स्कूल बनाने का जो इन्होंने इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूं क्योंकि जो स्कूल अभी बने हुए हैं, उनका जो रख-रखाव है वह सही ढंग से नहीं हैं इसलिए जो पहले बनी हुई है वह सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलें, उनमें टीचर्स का प्रबन्ध हो, जो बिल्डिंग पुरानी हो गई है, वह ठीक हो, इसके लिए मैं यह आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो पाइन्ट इस बजट में रखा है, वह सराहनीय है। दूसरा उन्होंने नये औषधालय और डिस्पेन्सरी का कोई प्रावधान नहीं रखा है, उसका भी मैं समर्थन करना चाहती हूं। क्योंकि जो औषधालय और डिस्पेन्सरी बनी हुई हैं उनके अन्दर न तो कोई दवाई हैं, न कोई डाक्टर हैं। क्योंकि कांग्रेस वालों ने कभी भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज चवालीस साल की आजादी के बाद भी हमारे गांव के अन्दर जो डिस्पेन्सरीज बनी हुई हैं, वहां न कोई दवाई है, न कोई डाक्टर है, न कोई वैद्य है। चवालीस साल की आजादी के बाद भी दस-दस पैसे की गोली के लिए हमारी मां, बहिन, बेटी, तड़फ-तड़फ कर जान दे देती हैं। इसलिए उन्होंने जो वह प्रावधान रखा हैं, उसका तो मैं स्वागत करती हूं। पहले वाले जो औषधालय और डिस्पेन्सरी हैं वे सुचारू रूप से चलें। पशुओं के मेलों में दो रुपये प्रवेश पर उन्होंने जो टैक्स लगाया है वह भी गलत है। क्योंकि 85 परसेन्ट लोग गांव में रहते हैं। उनकी रोटी-रोजी, निर्वाह, वह पशुधन से ही होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इसके ऊपर भी पुनर्विचार करना चाहिए और रवानगी फीस जो पहले पांच रुपये थी उसको उन्होंने चार गुणा बढ़ाकर बीस रुपया किया है वह भी एक किसान के साथ अन्याय है। इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस पर भी उनको पुनर्विचार करना चाहिए और हमारे गांव के अन्दर, मैं मेरे क्षेत्र की ही बात बताती हूं, पन्द्रह गांवों में आज भी चवालीस साल की आजादी के बाद भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज विज्ञान इतना आगे चला गया कि लोग चन्द्रमा पर जाकर बैठ गये लेकिन हमारे गांव वालों की यह हालत है कि एक-एक बून्द पानी के लिए तरसते हैं, एक-एक बूंद पानी के लिए प्यासे हैं। इसलिए यह भी देखना है, माननीय मुख्य-मंत्रीजी को कि राजस्थान के अन्दर कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो सुचारू रूप से हो और कोई भी गांव का आदमी पानी के अभाव में प्यासा नहीं रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जनता के सामने वायदे किये थे कि हम एक रुपये में से पचास पैसा गांवों पर खर्च करेंगे लेकिन इस बजट को देखने के पश्चात् तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके अन्दर दस पैसे का भी कहीं खर्चा नहीं हुआ है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगी कि इसके ऊपर भी पुनर्विचार होना चाहिए।

(1.18 म. प.)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

अगर 85 परसेंन्ट लोगों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके प्रति जो आशायें और उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फिर जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर भी आपको पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा के अन्दर महिलाओं के लिए प्रसवकाल में तीन सौ रुपये दिये जाते हैं लेकिन हमारे इस बजट में महिलाओं का भी कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं इनको निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाओं से ऐसी क्या नाराजगी थी कि महिलाओं का आधा परसेन्ट भी कहीं कोई हिस्सा नहीं रखा गया है। आप चुनावों के टाइम में भाषणों में तो यह कहा करते थे कि तेतीस परसेंन्ट का कोटा महिलाओं के लिए सर्विस के अन्दर हम फिक्स करेंगे। लेकिन उसका भी कहीं कोई नामोनिशान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपको महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आपने नहीं सोचा तो जब हरियाणा की सरकार से भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापिस ले सकती है तो राजस्थान में जनता पार्टी भी अपना समर्थन वापिस ले सकती है। मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहती हूं कि आपको इस बजट पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे कि आम किसान की बात इस बजट में आ सके और आप 85 परसेन्ट लोगों के रहनुमा हैं उनकी मदद कर सको। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि अगर इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो मैं यह कहूंगी कि यह पूंजिपतियों की सरकार बन कर रह जायेगी। इसमें किसान कोई होगा तो सिर्फ माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ही होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि आपको इस बजट पर पुनर्विचार करना चाहिए और 85 परसेन्ट लोगों को राहत देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, जिस दिन बजट पेश हो रहा था, मैं जब विधान सभा की तरफ आ रहा था तो मैं सोच रहा था, जिन विकट परिस्थितियों में, विकट आर्थिक परिस्थितियों में सत्ता हमारे हाथ में आई है, हमारी पार्टी के हाथ में आई है, जिस तरह की प्रदेश की स्थिति है चाहे यह एजूकेशन फेसेलिटीज के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो, पब्लिक डेब्ट जब आल टाइम हाई हो, उस स्थिति में किसी वित्त मंत्री के लिए बजट पेश करना बड़े पेशोपेश की स्थिति होती है और यहां आकर जब मैंने देखा तो मैं चौंका, जब शेखावत साहब काले रंग का ब्रीफकेस यहां पर लेकर आये। लेकिन जब बाद में बजट को सुना तो लगा कि नजर से बचाने के लिए काले रंग के ब्रीफकेस का इस्तेमाल शायद किया गया है।

इस बार जो बजट पेश हुआ वह इस बात का द्योतक है, वह इस बात का सबूत है कि बजट किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी डिपार्टमेंट को पॉकेट मनी अलाउन्स, पॉकेट अलाउन्स देने वाला नहीं है। प्लानिंग के हिसाब से, नीति के हिसाब से योजना बनाकर प्रदेश की भावी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जिस तरह के विकास की चीज, जिस तरह के विकास का बजट पेश

(78)

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

होना चाहिए था वह पहली बार यहां पर पेश हुआ। जैसा कि मेरे मित्र कह रहे थे, माननीय सदस्य कह रहे थे—गये चालीस साल, तैंयालीस साल के योजनान्तर्गत विकास के बावजूद भी विकास अभी तक सम्भव नहीं हो सका। इसका कारण यह रहा कि इलेक्ट्रोल कन्सीडरेशन से बजट बनाये जाते रहे, बजट बनाने की नीति आर्थिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए थी, अर्थशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए थी, वोटों की राजनीति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह सही है कि एक कल्याणकारी राज्य में एक कल्याणकारी सरकार को जनता से किये गये वायदे, अपनी की गई घोषणाओं पर प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उसकी राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की। हमारी पार्टी की सरकार में भी है और यह स्पष्ट झलकता है इस बात के अन्दर, इस बजट के अन्दर, जिस तरह किसान को कर्जे की माफी दी गई, जिस तरह कुओं की बीमा योजना लागू की गई, 1100 गांवों का विद्युतीकरण करने की बात की गई, 2500 नये कनेक्शन्स देने की बात की गई. ..

कई माननीय सदस्य : 25,000।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : रूरल डवलपमेंट के लिए जिस तरह का पैसा इसके क्रियेशन के रूप में पहली बार दिया जायेगा, आई.आर.डी.पी. के घोटालों की तरह नहीं-जहां तक घोषणा-पत्र की इन चीजों का सवाल है, जैसा कि कुछ माननीय सदस्य कह चुके हैं कि चुनाव जीत कर सरकार पांच साल के लिए आई है, राजनीतिक प्रतिबद्धता अभी पूरी है लेकिन बजट को पेश करते समय और जनता दल, बी. जे. पी. और कांग्रेस से ऊपर उठ कर यह सदन के माननीय सदस्यों की जो बेसिक चीज है, जो पैरामाउन्ट इन्टरेस्ट है, जो पैरामाउन्ट दायित्व है वह यह है कि अन्तिम रूप से, अल्टीमेटली इस प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए नीति का निर्धारण करने के लिए लोक हित को सर्वोपरि रखे, लोकप्रियता को नहीं। अगर लोक हित के लिए अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ें, क्योंकि आपकी यह मोरल ड्यूटी है, यहां बैठ कर पार्टियों से ऊपर उठ कर बी.जे.पी., जनता दल और कांग्रेस से ऊपर उठ कर इस बात की एक सकारात्मक बहस की जाय। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि घोषणा–पत्र के अन्दर वृद्धों को पेन्शन देने की बात की गई 60 साल तक के वृद्धों को वृद्धावस्था पेन्शन नहीं दी गई। एक कल्याणकारी राज्य के अन्दर सोशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और सोशियल सिक्योरिटी के प्रति प्रतिबद्धता सरकार में कम नहीं है, इसकी राजनीतिक इच्छा भी है और नेतृत्व में कुशलता भी, लेकिन इकोनोमिक प्रिंसीपल्स को वायलेट करके जिन स्थितियों के अन्दर सरकार आपको और हमको मिली, उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, कल के प्रदेश की तस्वीर को आपके और मेरे दिमाग में रखते हुए जिस तरह की आपको घोषणा करनी चाहिए थी उस तरह की घोषणा आपने की नहीं। मुझे बता दिजिए–यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, गुजरात में जनता दल की सरकार है, यू.पी. में जनता दल की सरकार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
है, बिहार में जनता दल की सरकार है, किस सरकार ने 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेन्शन देने की घोषणा की है ?

कर्ज माफी की बात की गई - मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, मैनेजमेंट का विद्यार्थी होने के नाते व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि किसी भी आर्थिक और भावी राष्ट्रीय हित के संदर्भ के अन्दर कर्ज माफी की जिस तरह की घोषणा करने का वायदा हम जनता से कर कर आये, हमको नहीं करके आना चाहिए, अन्तिम रूप से विकास के लिए जिस तरह की बात हम करकर आये हैं, हमें नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी, दिल्ली के अन्दर जनता दल की सरकार है, जिस तरह की घोषणा आप लोगों ने की, कुछ हद तक हम भी शामिल हो सकते हैं, उससे आपको मालूम होना चाहिए– 14 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी होनी चाहिए थी, आपके बजट में हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। दिल्ली की जनता दल की सरकार 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं कर सकी क्योंकि आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं है। यहां पर 170 करोड़ रुपये माफ किये गये हैं, इस चीज के ऊपर सदन अपने घोषणा–पत्र को मद्देनजर जरूर रखे, पांच साल तक वह चीज दिमाग में रखे और इस प्रदेश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखें, इसके आर्थिक हितों को ध्यान में रखे। घोषणा–पत्र के नाम पर प्रदेश के आर्थिक हितों को गिरवी रख देने की सोच बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगी....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : आपको वोट 14 हजार करोड़ रुपये माफ करने के लिए मिले, न कि 170 करोड़ के लिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : जहां तक पेंशन की बात है, मैं जानता हूं, हर माननीय सदस्य के दिमाग और दिल में प्रदेश का आर्थिक हित, प्रदेश का विकास कहीं न कहीं जरूर होगा। अगर हम यहां पर 60 वर्ष की उम्र पर पेन्शन कर दें तो 360 करोड़ का रिकरिंग एक्सपेन्सेज सरकार के ऊपर होगा। जब सरकार के सामने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेज को कवर करने का प्रश्न यहां पर आया है, नॉन प्लान आऊट ले बहुत ज्यादा हों, जब रेवेन्यू अकाउन्ट को डेफिसिट को पूरा करने के लिए केपीटल अकाउन्ट से पैसा लिया जा रहा हो, ऐसी स्थिति के अन्दर 360 करोड़ का पेरेनियल एक्सपेन्सेज अगर आपकी आत्मा और आपके कल के प्रदेश के तस्वीर को रोशन करती है तो मुझे नहीं मालूम - जहां तक मेरे से ताल्लुकात हैं, मेरी सोच का ताल्लुकात है, इतनी कम उम्र होने के बावजूद कम सोच का ताल्लुकात है, इस तरह का निर्णय प्रदेश को आर्थिक रूप से गिरवी रख देगा। जो प्रदेश फिलहाल ही आर्थिक रूप से पॉवर्टी से टकरा रहा है, आप हर इलाके में देख लीजिए– रोड में देख लीजिए, हैल्थ में देख लीजिए, लिटरेसी में देख लीजिए, एजूकेशन फेसेलिटीज में देख लीजिए, जिस तरह का विरासत में हमको प्रदेश मिला है उस विरासत से बाहर निकल कर अगर प्रदेश में विकास की गंगा बहती है, जिस तरह की बात हम जनता से कर आये हैं वह सिर्फ घोषणा–पत्र में पेन्शन और कर्ज माफी की नहीं है, प्रदेश के भावी विकासात्मक स्वरूप की लम्बी बात कर के आये हैं। गये चालीस साल में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो विकास सम्भव नहीं हो सका, उस विकास को संभव करने की बात कह कर आये हैं। उसको सम्भव करने के लिए आर्थिक रूप से, नीतिगत रूप से आर्थिक नीतियां तय करनी होंगी, प्लानिंग तैयार करनी होगी। उसके प्रति पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए और जिस तरह का बजट पेश किया गया है और इसको हम इस संदर्भ में लें, जिस तरह हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम के संदर्भ में अगर इस बजट को देखा जाय, मैं आपको बता देना चाहता हूं... गये 43 साल में पहली बार विकास के लिए दिया जाने वाला पैसा विकास के लिए इस्तेमाल होगा और विकास के लिए दिये जाने वाला पैसा अगर विकास के लिए इस्तेमाल होगा तो विकास दृश्यमान होगा, दृष्टिगोचर भी होगा। वरना पॉवर्टी इरेडिकेशन स्कीम्स आई, पॉवर्टी आज तक दूर नहीं हो पाई। पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स के अन्दर, एन्टी पॉवर्टी स्कीम्स के अन्दर जितना पैसा आज तक खर्च हुआ, उस पैसे को सीधे का सीधा अगर ग्रोथ के अन्दर लगा दिया जाता तो मैं सोचता हूं, ट्रिकिल डाउन स्ट्रेटेजी होती है इकोनोमी, ग्रोथ ओरिएन्टेशन इनवेस्टमेंट अगर कम्पलीट कर दिया होता, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अन्दर नहीं फंसी होती, इस पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम में हमने करप्शन ओरिएन्टेशन प्रोग्राम्स दिये और जब इस करप्शन ओरिन्टेशन प्रोग्राम्स में से करप्शन के ओरिएन्टेशन को दूर नहीं किया जा सकता, पॉवर्टी इरेडिकेट करने की बात, जो धोखा 43 साल में हुआ है, एक और धोखा हो सकता है। पहली बार सरकार ने प्रशासन के खिलाफ कमिटमेंट दिखाया है, प्रतिबद्धता दिखाई है और इस संदर्भ के अन्दर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहता हूं—प्लान की साइज और जो इन्क्रीजमेंट आठवें प्लान के पहले साल के अन्दर हुआ, पूरे पांच साल के अन्दर इन्क्रीजमेंट की आपको गारन्टी हो गई। जिस तरह का प्लान पेश किया गया, एनर्जी और बिजली को पहली प्रायोटी दी गई, फिर मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि बिजली की प्रायर्टी से एग्रीकल्चर भी जुड़ी हुई है, गांव भी जुड़ा हुआ है। इरेडिकेशन की बात तब तक पूरी नहीं हो सकती, गांव के अपलिफ्टमेंट की बात तब तक पूरी नही हो सकती, जब तक कि हम एनर्जी क्राइसिस को और कम न कर दें। आठवें प्लान के खत्म होते-होते एनर्जी की डिमाण्ड और सप्लाई के बीच गेप और बढ़ जायेगा, ऐसी स्थिति के अन्दर एनर्जी को पैसा और देकर, इलेक्ट्रिसिटी को पैसा और देकर उस कल की वास्तविक आर्थिक तस्वीर की लड़ाई के लिए, आर्थिक तस्वीर के लिए, आर्थिक लड़ाई के लिए आज मोर्चाबंदी जिस ढंग से की गई है उस बजट में, उस तरह की आर्थिक मोर्चेबंदी की कहीं मिसाल नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस साइज का प्लान बनाने के बावजूद इस प्लान का वास्तविक गूंज हो पाये.... इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज इकोनोमिकल एक्टिविटी प्लानिंग करनी होगी। हमें पैसे का प्रोडक्टिव सिविलाइजेशन करना होगा। जब तक हम डिस्ट्रिक्ट लेबल प्लानिंग नहीं कर पायेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज इकोनोमिक एक्टिविटी प्लानिंग नहीं कर पायेंगे जब तक इसको एम्प्लायमेण्ट से नहीं जोड़ पायेंगे,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जब तक एम्प्लायमेण्ट जनरेशन नहीं कर पायेंगे। तब तक हम जो वास्तविक विकास की बात करते हैं वह नहीं कर पायेंगे। पावर्टी की पर केपिटा इन्कम बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। इसके साथ आजकल स्टेण्डर्ड आफ लाइफ की बात की जाती है, दूसरे जो इण्डेक्स हैं, पेरिटी आफ लाईफ के कम्पोनेन्ट हैं, उसके बारे में लगातार इस बजट में ध्यान रखा गया है और अनवरत रूप से ध्यान रखा गया है लेकिन फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, या जनता दल की दिल्ली में रही हो, या यहां भाजपा की रही हो। चुनावों के दिनों में युवाओं की हरेक की याद आती है, चुनावों के दिनों में युवाओं के वोट भी लिये जाते हैं। चाहे कांग्रेस के खजाने में जायं या भाजपा के खजाने में जायं लेकिन युवाओं को ध्यान में रखकर काम करने का ताल्लुक कहां रखा गया है? इसमें कुछ नहीं हुआ। स्पोर्टस और यूथ स्पोर्टस के नाम पर पैसा जरूर बढ़ा पर एब्सोल्यूट टर्म्स पर हम बात करें तो पैसा बढ़ाया गया है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमन्त्री जी को। लेकिन फिर भी यह पीनट्स हैं। कांग्रेस ने हम को लालीपाप ट्रीटमेण्ट दिया, आपने हम को चाकलेट ट्रीटमेन्ट दे दिया। यूथ के डवलपमेण्ट की हम बातें करते हैं कल के हिन्दुस्तान के विकास की बात करते हैं तो हमें युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ाना होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करना होगा। मल्टी डायमेंशन डवलपमेण्ट और पर्सनल्टी के लिए आज तक की सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको ठीक किया जाना चाहिए।

जहां तक सहकारिता आन्दोलन के अन्दर जिस प्रकार की गड़बड़िया गृह समितियों में पकड़ी गयी वह बहुत ही जबरदस्त और अच्छे किस्म का उदाहरण है लेकिन जब तक इन गड़बड़ियों को पकड़ा गया है उनको लोजिकल एण्ड तक कनक्लुड नहीं किया जाता तब तक इसका प्रोडक्टिव रिजल्ट डाउटफुल रहेगा। इन गड़बड़ियों के बाद इन गड़बड़ियों के सोल्युशन को कनक्लुड किया जाय और कनक्लूड करने के बाद वहां के डवलपमेण्ट का इन्टीग्रेटेड प्लान बनाया जाय तब तक तो इन गड़बड़ियों को सामने लाना और सामने आना प्रोडक्टिव होगा वर्ना इसके प्रोडक्टिव परिणाम नहीं मिल पायेगा।

जहां तक छूट का सवाल है, करों का ताल्लुक है, जिस तरह से सैल्स टैक्स में रेशनलाइजेशन किया गया है, जिस तरह से इस रेशनलाइजेशन करने के पीछे एक थ्योरी रही है कि कम्पलसिव टैक्स इवेजन न हो, सरकार किसी को टैक्स इवेजन करने के लिए कम्पेल नहीं कर, दे ऐसी स्थिति न बने, इसको रेशनालाइज करने की कोशिश की गयी है। आठवें प्लान में लगने वाले उद्योग धंधों के लिए प्रावधान में छूट दी गयी है, इलेक्ट्रीसिटी के उद्योगों को इम्प्रूव करने के लिए छूट दी है। मैं तो यह कहूंगा कि जिस तरह की छूट इस बजट में दी गयी है। रत्न उद्योग को छूट दी गयी है, कुटीर उद्योगों को छूट दी गयी है, गलीचा और नम्दा उद्योग को छूट दी गई उसके अन्दर ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

काम करता है। इस बजट के अन्दर उन लोगों को छूट दी गयी है जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उन लोगों को छूट दी गयी है जिनमें अल्पसंख्यक ज्यादा तादाद में काम करते हैं और एक्सपोर्ट ओरियण्टेड हैं। यह पहला प्रदेश है मेरी नजर के सामने जिसमें न केवल प्रदेश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है बल्कि देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। जिस तरह की छूट रत्नों में मिली है, जिस तरह का एग्जम्पशन नम्दा उद्योग को दिया गया है, जिस तरह का एग्जम्पशन अन्य कुटीर उद्योगों को दिया गया है, सारे के सारे एक्सपोर्ट ओरियन्टेड हैं। देश जब बेलेंस आफ पेमेण्ट की गड़बड़ी से लड़खडाता हो तो उस समय प्रदेश की आर्थिक नीतियां को भी देश की रक्षा के लिए, काम करनी चाहिए और जिस तरह की ये छूटें दी गयी हैं वह न केवल प्रदेश के हितों की रक्षा करती है, न केवल प्रदेश के गरीबों के हितों की रक्षा करती है, बल्कि राष्ट्रीय मुख्यधारा से अपने आपको जुड़ा महसूस करती है। मुझे ऐसा लगा कि इस बजट की तैयारी में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 वें प्लान के एप्रोच पेपर को ध्यान में रखा गया है, नयी इण्डस्ट्री पालिसी को ध्यान में रखा गया है, नयी एग्रीकल्चर पालिसी को ध्यान में रखा गया है, नयी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पालिसी को ध्यान में रखा गया है। राष्ट्रीय परिपेक्ष्य और राष्ट्रीय परिदृश्य के अन्दर अपने राज्य के हितों को जोडकर समन्वित रूप से देखने के बाद गरीबों को उठाने वाला कोई बजट अगर पेश किया गया है तो इस प्रदेश के अन्दर श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब की सरकार ने पेश किया है।

जहां तक पेयजल समस्या का ताल्लुक है। मुझे बड़ा खेद है एक सदस्य होने के नाते भी खेद है और भारतीय होने के नाते भी खेद है कि मुझे बराबर इस सेण्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है कि गये 40 साल के नियोजित विकास के बावजूद इसे हमेशा के लिए मान लिया जाय बजट के अन्दर। पेयजल के ऊपर एक हजार करोड़ खर्च होगा। पेयजल की समस्या यों की यों पडी रहेगी। मैं गांवों की बात नहीं करूंगा शहरों के अन्दर भी पेयजल की समस्या है। गांव की पेयजल की समस्या के बारे में अखबारों में पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें फट गयीं लेकिन पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर पाये। पेयजल की समस्या के लिए पैसे बढ़ाये गये लेकिन इसका प्रोपर यूटिलाइजेशन हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपन्सेज के अन्दर अब भी मितव्ययता की जरूरत है। मैं देख रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज जनरल सर्विसेज हैड के अन्दर घटा नहीं है, फिर बढ़ा है।

हमें दो तरह की एप्रोच एडोप्ट करनी होगी। प्रिवेंटिव एप्रोच और क्योरिंग एप्रोच, रेक्टीफिकेशन और फोर्टीफिकेशन, जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में हम ने क्वाण्टिटी को बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। क्वालिटी पर जोर दिया है। क्वालिटेटिव एप्रोच पर जोर दिया है। हम ने रेक्टीफिकेशन और फोर्टीफिकेशन प्रोग्राम बनाये।

हम चाहते हैं कि शिक्षा नीति सही संदर्भ में लागू हो, जिस तरह का बजट पेश

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

किया गया है और जिस तरह का बजट से आने वाले कल की तारीख में विकास होना चाहिए उसको मुद्दे नजर रखते हुए आज जिस तरह का बजट पेश किया गया है उसके लिए मैं सोचता हूं कि सबको धन्यवाद देना चाहिए।

एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर पानी की जो प्रोब्लम है उसको मीट आउट करने के लिए जो हरवेस्टींग आफ वाटर की नयी मैनेजमेण्ट टैक्निक को डवलप करने की बात बजट में की गई है। स्प्रिंगलर सिस्टम के इन्सेंटिव दने की बात को गयी है, जिस तरह का अनुदान देने की बात कही गयी है जिस तरह से सामुदायिक रूप से कुए बनाने वालों को और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाने वालों को अनुदान देने की बात की गयी है। मैं सोचता हूं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास के लिए वास्तविक स्थिति बनाने के लिए बजट में कोई प्रावधान न हो।

इण्डस्ट्री में इस बार प्रोविजन को और बढ़ाया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इण्डस्ट्रियल क्षेत्र के अन्दर हिन्दुस्तान की प्राब्लम 1947 से लेकर यही रही है जो आज आ रही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जो मेक्जिमम् रिसोर्सेज हैं, का उपयोग करें। हम ने पावर्टी इरेडिकेशन के प्रोग्राम दिये। उसमें हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लायट करने के बजाय उसको पेसिव बनाने की कोशिश की गयी। माननीय सदस्य मांग कर रहे थे कि युवाओं को एम्लायमेण्ट नहीं दे पायें तो भत्ता दिया जाय, एक युवा होने के नाते और युवाओं की भावनाओं को समझने के नाते मैं यह जरूर कहना चाहूंगा आप एम्पलायमेंन्ट न दे सकें, सरकार आपकी रहे या किसी और की रहे, कम से कम एक बार आप ध्यान रखिए कि युवाओं को पेसिव बनाने की कोशिश का युवा विरोध करेगा मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस देश के मानवीय संसाधनों का दोहरा करने के बजाय मानवीय संसाधनों को नपुंसक बनाने की कोई भी कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण होगी लेकिन पहली बार यहां पर जिस तरह से प्रोग्राम को एम्पलायमेण्ट से जोड़ा गया है मुझे लगता है कि प्रोग्राम में इकोनोमिक एक्टेविटी के थ्रू एम्प्लायमेण्ट जनरेशन की शुरूआत इस बजट में इस प्रदेश में पहली बार हुई लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां थीं इन परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट हो सकता था लेकिन प्रदेश की भावी तस्वीर के लिए मैं सोचता हूं कि घोषणा पत्र संदर्भ में दुबारा बात करू पूरे पांच साल के अन्दर आने वाली स्थितियों में नये आर्थिक उदाहरण देकर नयी आर्थिक दिशा देकर हम जिस तरह का बजट तैयार करेंगे, हम बजट की नयी नीति, बजट की नयी आर्थिक सोच की दिशा दे पायेंगे और सभापति महोदय, 43 साल के अन्दर जो कुशासन हुआ, उस कुशासन ने जिस तरह से आर्थिक विकास को अवरूद्ध किया, उस अवरूद्ध विकास को फिर से फलाइंग करने की कोशिश बजट में की गयी है वह बड़ी इफेक्टिव होगी और जिस तरह की प्लानिंग और प्रोग्राम की बेक ग्राउण्ड हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कमिटमेण्ट और नेतृत्व की योग्यता को देखते हुए मैं सोचता हूं कि बजट भाव विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा, आर्थिक विकास की ओर चलेगा।

श्री सभापति : श्री अजयसिंह ।

श्री अजयसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मेरे से पूर्व के सम्मानीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है । मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट को ग्राम का बजट, किसान का बजट गांवों के विकास का बजट बताया है परन्तु मैंने यह महसूस किया है कि इसमें कुछ बातों को छोड़कर के इस बजट में गांव के विकास के बारे में कुछ भी नहीं है । इस बजट में पूरे तौर पर शहरों और व्यापारियों का ध्यान रखा गया है । अभी मेरे से पूर्व सम्मानीय सदस्यों ने जो बातें कहीं वह बातें बड़ी गम्भीर हैं, विचार करने वाली है । क्योंकि राजनैतिक आदमी जिस तरह की बातें लोगों के बीच में करते हैं, अब विधान सभा में आकर दूसरी बात बदलें तो लोग उनको माफ नहीं करेंगे, उनको भूलेंगे नहीं । चुनाव से पूर्व जब हम लोगों के बीच में जाते थे । लोगों से तरह-तरह के वायदे हमने किये थे । चाहे वह बुढ़ापा पेन्शन का था, चाहे वह दस हजार तक की कर्ज माफी का था, चाहे वह वायदा बेरोजगार नवयुवकों को रोजगा- देने के सम्बन्ध में था, या उनको बेरोजगारी भत्ता देने से सम्बन्धित था, चाहे वह किसी गरीब हरिजन के घर बच्चा पैदा होने पर तीन सौ रुपये तक की आर्थिक सहायता का था, चाहे वह गांव के चौमुहो विकास के लिए हमने वायदा किया था, चाहे वह किसान को, उसकी खेती के लिए उचित मात्रा में बिजली और पानी की व्यवस्था का वायदा किया था । हमने वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आये, हमारी सरकार बनी तो हम इन सबके साथ-साथ इस व्यवस्था को बदलेंगे । हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट रखा है, उसमें बहुत कोशिश की है, बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने इस बजट में रखी हैं, जिससे व्यवस्था को बदला जा सकता है । परन्तु उनमें कुछ कमियां भी रही हैं । मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमियां इस तरह की हैं, उनको दूर करें । चाहे वह कर्ज माफी के मामले में जो किन्तु, परन्तु लगाया गया है । केन्द्र सरकार ने अगर कोई मामले में गलती की है तो वह गलती राजस्थान में नहीं दोहराया जाये । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस तरह के किन्तु, परन्तु हटाकर के जो कर्ज माफी की बात कही गई है, उसका फायदा सभी गरीब, हरिजन, किसान, मजदूर. छोटे दुकनदार, दस्तकार, सबको मिलना चाहिये । बजट से पूर्व चुनाव के दौरान हमने और भी लोगों से बहुत तरह के वायदे किये थे । आज वह वायदे, ठीक है, जिस तरह की परिस्थिति में हमें राजस्थान मिला । आर्थिक हालात जिस तरह के प्रदेश के थे, उनमें सारी बातें संभव नहीं थी । परन्तु फिर भी कोशिश करनी चाहिये थी, ठिक उस बात के नजदीक पहुंचना चाहिये था, जो हमने जनता के बीच में खड़े होकर की है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इन सब बातों का ध्यान रखें, जो उन्होंने चुनावी सभा में लोगों के बीच में कही हैं । हमारे नेताओं ने लाखों-लाखों की संख्या में लोगों के समक्ष चौधरी देवीलाल जी ने, श्री वी. पी. सिंह जी ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी- जी ने, श्री लालकृष्ण आडवाणीजी ने जो बात लोगों के बीच में खड़े होकर कही है,

(श्री अजयसिंह)

आज अगर वह बात हम पूरी नहीं करते हैं तो जनता का विश्वास उठ जायेगा और वही स्थिति हो जायेगी, जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए सदस्यों की है। 40 बरस तक इस देश को, इस कांग्रेस पार्टी ने चाहे समाजवाद के नाम पर ठगा, चाहे बेरोजगारी हटाने के नाम पर ठगा हो, चाहे देश की अखण्डता के नाम पर ठगा हो, हर बार इस तरह के असत्य वायदे लोगों के बीच में करके सत्ता में आते रहे और इस देश का लगातार शोषण करते रहे। मैं नहीं चाहता कि हमारी भी वही स्थिति हो। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरे से पूर्व जितने भी सम्मानीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, उन पर विचार करें और इस बजट में जो कमियां रही हैं, उनके बारे में दुबारा से सोचें। आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है, पानी की समस्या। राजस्थान पानी के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, उस जिले में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है या खारा पानी है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले इस तरह की दैनिक जीवन उपयोगी जो चीजें हैं, उनके बारे में विस्तार से सोचें और उसके बारे में सरकार कोई आवश्यक कदम उठाकर के इस समस्या का निदान करें। आज इस प्रदेश में खेती से सम्बन्धित किसानों को उचित खाद, बीज व रसायन खाद दूसरे हमारे पड़ोसी प्रदेशों से महंगे मिलते हैं? इसका क्या कारण है? हमारे प्रदेश में सैल्स टैक्स ज्यादा लगा हुआ है। इस वजह से हरियाणा, हिमाचल और दूसरे हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उनसे महंगा खाद दिया जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह से जो सैल्स टैक्स, बाकी चीजों पर जिस तरह से हटाया गया है, किसान के दैनिक जरुरत की चीज, जिससे यह प्रदेश खुशहाल होगा। तो इस तरह का सैल्स टैक्स खाद से भी हटाया जाये, ताकि किसानों को उसका सीधा फायदा हो सके। आज किसान जब शहर में अपनी फसल लेकर आता है, तो उससे चुन्गी ली जाती है। यह प्रथा देश आजाद होने से लेकर के आज तक चली आ रही है। जब हमारे प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में मण्डी व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त से यह प्रथा चली आ रही है। जब किसान अपनी चीजें किसी भी दुकान के आगे ढेर लगाकर बेचा करते थे तो उससे चुन्गी वसूली जाती थी। परन्तु आज जगह-जगह मण्डियां बन गयी हैं। किसान अपनी फसल मण्डी में लेकर आता है, उससे मण्डी फीस भी ली जाती है और चुन्गी भी ली जा रही है तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह की छोटी सी चीज पर से चुन्गी हटाकर के किसान को सीधा फायदा दिया जाये, ऐसा निवेदन मैं आपके माध्यम से करता हूं और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे से पूर्व सारे सम्मानीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई हैं। बिजली की समस्या का चुनाव के पूर्व बहुत बुरा हाल था, अब कुछ सुधार हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें और सुधार किया जाये और जो हमने चुनाव में वायदा किया था कि किसानों को 16 से 18 घन्टे तक बिजली देंगे, उसके बारे में, सरकार अपने वायदे के मुताबिक किसानों को 17-18 घण्टे बिजली दे, ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सकें और इस देश को प्रगती और विकास की ओर

Page No. 84

(89)

(श्री अजय सिंह)

बढ़ा सकें। आज राजस्थान में खनिज का बहुत बड़ा भण्डार है। जगह-जगह पर मार-बल, ग्रेनाइट और दूसरी किस्म का पत्थर भी बहुत बड़ी मात्रा में निकल रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकाल करके इस प्रदेश का रेवेन्यु बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की कोशिश करके इस प्रदेश के रेवेन्यु को बढ़ाया जाये, ना कि मेले में बिकने वाले पशुओं पर 2 से लेकर 10 रुपये तक की फीस बढ़ाकर, जिससे मुश्किल से सरकार को एक, सवा करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : 60 लाख का फायदा होने वाला है।

श्री अजय सिंह : सिर्फ 60 लाख बता रहे हैं सम्माननीय सदस्य, तो इस तरह की चीज को हटाकर के दूसरी चीजों पर या जिस तरह से खनिज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकालकर बेचा जाय, जिससे इन-कम बढ़ सके और प्रदेश की प्रगति और विकास हो सके। मैं आपके माध्यम से फिर से निवेदन करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर दुबारा सोचेंगे, विचारेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं विश्वविद्यालय के पेपर आउट होने के बारे में स्टेटमैण्ट देने को तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे आपने पुकार लिया, मैं बोल लेता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर लास्ट में होगा, डिबेट खत्म होने के बाद ही होगा स्टेटमैण्ट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्योंकि वही बात फिर उठायेंगे, इसलिए पहले हो जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले स्टेटमैण्ट देने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं पहले मैं बोलूंगा। आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अगर यह स्टेटमैण्ट हो जाता है तो अकारण कई बातें जो दोहरायी जाती हैं वह बन्द हो जायेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, इससे लाखों विद्यार्थियों का जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से मांग करूंगा कि इस पर स्टेट-मैण्ट पहले हो जाय। यह बड़ा अहम् मुद्दा है।

श्री सभापति : माननी सदस्य, पहले स्टेटमैण्ट होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

(1.52 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान विश्वविद्यालय का पर्चा आउट होने का मामला

श्रीमती सुमित्रा सिंह (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से माननीय सदस्यों को....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मन्त्रीजी। इस स्टेटमैण्ट के सम्बन्ध में मेरे पास जिनके नोटिस आये हैं वे हैं : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री जुबेर खां, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा, श्री हेतराम बेनीवाल और श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की इस बात को तो मैं स्वीकार करतीहूं कि विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाएं होती है और परीक्षाओं का निष्पक्ष और गोपनीय होना भी बड़ा आवश्यक है। इसको स्वीकार करते हुए जो कुछ इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि दिनांक 16.6.1990 को द्वितीय वर्ष वाणिज्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी का प्रथम प्रश्न पत्र होना था। यह प्रश्न पत्र तीन बजे के सत्र में होना था। किन्तु उससे पूर्व साढ़े नौ बजे इस प्रकार की सूचना विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई, कोई हस्तलिखित प्रश्न पत्र की फोटो स्टेट प्रति प्रोफेसर एन. सी. खण्डेलवाल के पास लेकर आया कि पेपर आउट हो चुका है, हस्तलिखित फोटो स्टेट प्रति बाजार में बिक चुकी है। इस पर विश्वविद्यालय में सेलर में, जहां प्रश्न पत्र रखे जाते हैं, जाकर फोटो स्टेट प्रति व छपे हुए प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का क्रम होने वाले प्रश्न पत्र के बिल्कुल अनुरूप था, ऐसा पाया। इस पर तत्काल इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थिति उत्पन्न होने पर उप-कुलपति द्वारा एक चार-सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। इस समिति को यह काम सौंपा गया कि दिनांक 16 जून, 1990 के प्रश्न पत्र के बारे में जांच पड़ताल करे व साथ ही बाकी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता के बारे में भी पूर्ण नियन्त्रण रखे व स्थिति का परीक्षण करती रहे। समिति ने पहली औपचारिक मीटिंग 20 जून, 1990 को की। समिति ने अपने विचार विमर्श, व विवेचन के समय प्रश्न पत्रों के छपने, रखने, केन्द्रों पर भेजने आदि की व्यवस्था का विस्तार से विवेचन किया। प्रश्न पत्रों के छपने के बाद रखरखाव की व्यवस्था निम्न प्रकार रहती है:—

निर्धारित प्रेस से छपने के बाद प्रश्न पत्र प्रेस से ही 10-20-50 तथा 100 के मोहरबन्द पैकेटों में आते हैं। यह पैकेट विश्वविद्यालय में प्राप्त किये जाते हैं। इसके पश्चात् परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप मोहरबन्द पैकेट भेजे जाते हैं। विभिन्न प्रश्न पत्रों के मोहरबन्द पैकेटों का रिकार्ड तथा भेजने की व्यवस्था तथा सेलर से भेजने की व्यवस्था विश्वविद्यालय के एक अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार तथा उसके स्टाफ द्वारा की जाती है। सेलर की चाभी उक्त अधिकारी के पास ही रहती है, यानि डिप्टी रजिस्ट्रार के पास। प्रश्न पत्र पहली दफा परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्र अधीक्षक द्वारा ही खोले जाते हैं। खोलते समय कुछ अन्य निरीक्षण अधिकारी वहां रहते हैं, जिनके

(98)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हस्ताक्षर लिये जाते हैं। छपाई प्रेस में भेजे जाने वाले प्रश्न पत्र का हस्तलेख मोहरबन्द लिफाफे में भेजा जाता है व प्रिन्टिंग प्रेस का नाम परीक्षा नियन्त्रक के पास ही होता है। हस्तलेख प्रेस द्वारा मोहरबन्द लिफाफे में वापस लौटाया जाता है। उक्त व्यवस्था को देखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रश्न पत्र निम्न चार स्तरों पर या चार में से किसी एक स्तर पर आउट हो सकता है :—

पहला, प्रश्न पत्र बनाने वाले द्वारा जान बूझकर अथवा असावधानी से पत्र आउट कर दिया जाय, दूसरा प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा गुप्तता भंग कर प्रश्न पत्र आउट कर दिया जाय। तीसरा, विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय व सेलर में प्राप्ति, सेलर से भेजने, रखने के समय, और चौथा, परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा तिथि से पूर्व खोले जाने पर। यह देखते हुए कि कई प्रश्न पत्रों के बारे में शिकायत आ रही है, समिति ने प्रथमतः यह सोचा कि विश्वविद्यालय या परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्र आउट होने का अवसर अधिक हैं, इसलिए इन पर पहले जांच की जाय। इस हेतु समिति ने निम्न प्रकार की कार्यवाही की :—

विशेष दलों द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर इस्तेमाल किये गये तथा शेष रहे प्रश्न पत्रों की संख्या ज्ञात करने का प्रयास किया गया जिससे ज्ञात हो सके कि कोई प्रश्न पत्र कम तो नहीं रहा। इन दलों को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी कि वे यह भी चैक करें कि लिफाफे पर सील इण्टैक्ट थी या नहीं। विश्वविद्यालय में स्थित सेलर की भी जांच की गई। कुछ शिकायतकर्ता व्याख्याताओं आदि से भी मौखिक जांच पड़ताल की गयी। मौखिक जांच पड़ताल तथा विशेष जांच दलों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। जब 20 जून, 1990 सेलर का निरीक्षण किया गया तो निम्न बातें नोट की गयीं। द्वितीय वर्ष वाणिज्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी के प्रश्न पत्रों के एक पैकेट में एक प्रश्न पत्र कम था। इसी प्रकार 50 प्रश्न पत्रों में एक पैकेट में भी एक प्रश्न पत्र नहीं था। दूसरा, कुछ प्रश्न पत्रों के पैकेटों के कवर फटे हुए थे, जिनको जोड़ने व मोहरबन्द करने की कार्यवाही नहीं की गयी थी। प्रश्न पत्रों के फटने के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा बताया गया है कि प्रेस से आने में कभी कभी फटने की सम्भावना रहती है। सेलर की जांच के समय अन्य प्रश्न पत्रों के पैकेटों की जांच में पाया गया कि 26 जून, 1990 को होने वाले लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी में द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों का एक पैकेट नहीं था। इस पर सभी प्रश्न पत्रों के बारे में जांच की गयी। जांच के फलस्वरूप 11 प्रश्न पत्रों को स्थगित किया जा चुका है और अन्य प्रश्न पत्रों को भी दुबारा छपवाया जा रहा है, जिनके बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है। विश्वविद्यालय द्वारा आरम्भ में एक साधारण पत्र प्रश्न पत्र आउट होने के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में भेजा गया था व एक गुप्तचर विभाग को भी भेजा गया। पुनः दिनांक 29.6.1990 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दायर की गयी है। जिसके पश्चात् इस सदन को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासत के अनुरूप मामला गुप्तचर विभाग के पास है व इस पर जांच

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की जा रही है, जो शीघ्र ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

प्रश्न पत्र का इस प्रकार आउट हो जाना सचमुच ही एक गम्भीर बात है। राज्य सरकार इसे काफी गम्भीरता से लेती है। गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही जांच के पश्चात्, क्योंकि इससे पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ-साथ अब विश्वविद्यालय प्रशासन को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय में समुचित सुधार तत्काल करा लिया जाय, जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा मापदण्डों के प्रति अविश्वास पैदा न हो। इस सन्दर्भ में समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सेलर व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाय, और भविष्य में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि इस प्रकार के शिक्षक जो बहुत अधिक ट्यूशन करते हैं, या कुंजी जैसी पुस्तकें लिखते रहते हैं उनको प्रश्न पत्र बनाने के कार्य से दूर रखा जाय। विश्वविद्यालय ने विश्वास दिलाया है कि परीक्षा व प्रश्न पत्रों की प्रणाली को समुचित बनाने के लिए हर सम्भव कदम उठाया जायेगा। राज्य सरकार इस हेतु कदम उठाने में कोई कसर नहीं रखेगी और परीक्षा प्रश्न पत्रों के मामले में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं स्पष्टीकरण के रूप में। क्या यह सही है कि पेपर सैटर एक नहीं दो पेपर सैट करता है? उसको स्वयं को यह पता नहीं होता है कि एक्जामिनेशन में कौनसा पर्चा आयेगा। यह आपको गलत ब्रीफ किया गया है कि पेपर सैटर के लेबल पर कोई पेपर आउट होने की गुंजाइश है, एक बात।

क्या यह सही है कि सिलेक्शन कमेटी पैनल ऑफ एक्जामिनर्स तैयार करती है? उसने नवम्बर के अन्दर पैनल भेज दिया और उस स्थिति में हर हालत में 31 जनवरी तक सैट हो जाना चाहिए था। क्या यह सही है कि 23 अप्रैल को कर्मचारी स्ट्राइक पर गए उस वक्त तक पेपर सैट करने के लिए नहीं भेजे गए?

क्या यह सही है कि आप जिस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस का नाम ले रहे हैं, अधिकांश पर्चों, हैण्ड रिटन पर्चों की जिरोक्स कापी कराई गई है और स्ट्राइक पर जाने के बाद आनन-फानन में जब 28 अप्रैल को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बुला करके कुछ वाइस चांसलर को इन्स्ट्रक्शन्स दिए कि इम्तहान तो करो किसी तरह से, तब पेपर सैट कराये। उसमें जिरोक्स कापी कराई है उसमें गड़बड़ हुई है।

क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों को, कर्मचारी तो स्ट्राइक पर थे और कर्मचारी तो यह कहते थे खुले आम कि देखेंगे इम्तहान कैसे टाइम पर हो जाते हैं। क्या

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह सही है कि जिन अधिकारियों को प्रोफेसर अग्रवाल ने और प्रोफेसर उन्नीत्थान ने एक्जामिनेशन के अन्दर इरेगुलेरिटी करने के कारण एक्जामिनेशन वर्क में डिफाल्ट किया था उनको वापस एक्जामिनेशन वर्क कैसे दिया ? क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया कि जिससे यह पर्चे आउट होने वाली बात हुई । हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, कि हिस्ट्री के लड़के को अगर इकोनोमिक्स का पर्चा बाजार में मिल गया तो उसने कहा कि चलो अच्छा मौका है एक कापी भेज दो युनिवर्सिटी को । उसने टेलीफोन कर दिया, कह दिया कि यह है । उसके काम का पर्चा मिल ही गया । तो क्या इन सब परिस्थितियों से पूरा घपला सिर्फ एक स्टेज पर, जो 4 स्टेज मंत्री महोदया आपने बताई है और यह आज अखबार में भी खबर छपी है । मुझे इस बात का दुःख है । पेपर सैंटर, क्योंकि कुल मिलाकर 54 पर्चे आउट हुए हैं और 54 की कतई मानने को तैयार नहीं है । इस प्रदेश के अन्दर, वैसे तो हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे, बेईमान और ईमानदार आदमी मिलते हैं । इस शैक्षणिक जगत में भी हो सकते हैं लेकिन 54 अध्यापक इस प्रकार का कार्य करें यह कभी संभव नहीं होता है और अध्यापक कभी भी अध्यक्ष महोदय पूरा का पूरा यों छोड़ देगा बाजार के अन्दर । अध्यापक तो अगर मान लीजिए सामान्य तथा हजारों में से एक अध्यापक ऐसा मिलेगा तो क्यूशन बता देगा इम्पोर्टेन्ट है । इसलिए अध्यापक को रूल आउट करके चलें । यह मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय आपसे ।

दूसरा आप कह रहे हैं कर्मचारी स्ट्राइक पर थे, यह सैंटर के लेवल पर गड़बड़ हुई है । आपके वहां पर जो स्टाफ है, रेसपोंसिबिलिटी उनकी तमाम कंट्रोलर ऑफ एक्जामिनेशन्स की है, डिप्टी रजिस्ट्रार की है और क्या आप समझते हो वाइस चांसलर की नहीं है ? इतने बड़े कांड के अन्दर वाइस चांसलर ने एक कमेटी बना दी और आपने उसको गुप्तचर विभाग को सौंप दिया । क्या आप समझते हैं उससे समस्या का हल हो जायेगा ।

क्या यह सही है कि गुप्तचर विभाग इस व्यवस्था की प्रणाली के अन्दर और दोष के अन्दर नहीं जा सकता, गुण दोष के अन्दर । वो तो सिर्फ किसी ने पेपर आउट किया हो, क्रिमिनल लाइबिलिटी किसी की होती है वो पिन पोइन्ट करेगा । गुप्तचर विभाग कुछ नहीं कर सकता इसके अन्दर और यह जो वाइस चांसलर ने कमेटी बनाई है वह आईवाश है और अध्यक्ष महोदय जिस विश्वविद्यालय में आपके 54 पर्चे आउट हो चुके हैं । आज तक एक भी कर्मचारी को, अधिकारी को सस्पेंड किया ? और मोरल रेस्पोंसिबिलिटी किसकी है ? मैं अध्यक्ष महोदय, अव्यावहारिक बात नही करना चाहता हूं क्योंकि मंत्रीजी का सीधा सम्बन्ध होता नहीं है । एकेडेमिक ऑटोनोमी के नाम से जिस प्रकार की कार्यवाही विश्वविद्यालय में होती है । मंत्रीजी का सीधा-सीधा सम्बन्ध नीतिगत मामलों में होता है लेकिन ऐसे मामलों में हस्तक्षेप होना जरूरी है और मोरल रेस्पोंसिबिलिटी वाइस चांसलर की होनी चाहिए क्योंकि उसने एक्जामिनेशन में डिफाल्ट किए हुए लोगों को वापस एक्जामिनेशन का काम दिया है और बिना किसी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आथोरिटी के दिया है और जो प्रेसक्राइब्ड पीरियड है अध्यक्ष महोदय, सलेक्शन कमेटी का पेनल आ जाना उसके बावजूद पर्चे सैट नहीं करवाना, मुख्य मंत्री जी को बुलाकर कहना और उसके बाद पर्चे सैट करवाना और फिर उनको टाईप करवाकर प्रिन्ट नहीं करवाना, जिरोक्स कापी करवा करके भेजना। एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो आपने यह कहा है कि एक प्रश्न-पत्र कम था, अध्यक्ष महोदय यह सही नहीं है। होता क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि मसलन 1000 परीक्षार्थी हैं तो 1050 प्रश्न-पत्र छपाये जाते हैं 50 उसके बाद के और 100 या 150 प्रश्न-पत्र ज्यादा छपाये जाते हैं क्योंकि बाद में उसकी जरूरत पड़ती है, रिवेल्युएशन के लिए जरूरत पड़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, वह पूरे के पूरे गायब मिले हैं। एक प्रश्न-पत्र गायब नहीं मिला है पूरे का पूरा बण्डल गायब मिला है और तमाम लिफाफे खुले हुए मिले हैं। कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं आज की तारीख में, आज की तारीख में ...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मंत्री महोदय सुन रहे हैं बात ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं राजस्थान के मालिक तो ये ही हैं। सब जवाब ये दिलवायेंगे, साहब।

तो अध्यक्ष महोदय, वो पूरे के पूरे प्रश्न-पत्र गायब थे और क्या यह सही है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी कर्मचारी इस काम को लेने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यही कहा है कि यह जो घोटाला हो गया है इसकी रेस्पोंसिबिलिटी हम नहीं ले सकते हैं, जब तक क्लीन प्लेस नहीं हो जायेगी एक्जामिनेशन की तब तक हम कोई काम नहीं चालू करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम, माननीय सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो पर्चे आउट हुए और विशेष तौर से कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हुए उसमें सबसे बड़ी बात में मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वाइस चांसलर ने उन लोगों को जिन लोगों के खिलाफ रिमार्क्स किये हुए हैं जिन लोगों को एक्जामिनेशन्स सैट करने की परमिशन नहीं है। कितने लोगों को इस तरह के काम पर लगाया गया ? फिर इस तरह से पर्चे आउट हुए, पर्चे बाजार में बिके। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आउट ही नहीं हुए इन पर्चों को बेचा गया। जो आउट करने वाला व्यक्ति है उसने पैसे लिये या किसी उनके एजेन्ट से बाजार में पैसे लिये और लड़कों को वो पेपर बेचे। तो निश्चित तौर से यह जो बात है वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं 1, 2, 3, 4, 10, 20 और अब तो 54 की संख्या पहुंच गई, खैर 10 तो है ही, 12 पर्चे तो है ही।

एक माननीय सदस्य : 12 तो इक्युवेलेंसी है वास्तव में तो 54 हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मन्त्री जी कह रही हैं कि 18 हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 12 वां तो अल्टरनेटिव था 2 पेपर के अल्टरनेटिव के कारण से आप 12 कह सकते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मन्त्री महोदय, बात यह है कि आपको वो पता है जिनको केन्सिल कर दिया, जिन पर्चों को केन्सिल कर दिया उन्हीं का आपको पता है आउट हुए उनका पता नहीं है। वो जब केन्सिल करेंगे तब पता चलेगा कितने आउट हुए, इसको तब मानेंगे आप। एक्चुवली जो आउट हुए हैं, मेरी समझ में तो सारी यूनिवर्सिटी ही आउट हो गई है कोई रहा ही नहीं बाकी। तो बचा क्या है? क्या इस तरह की व्यवस्था हो जाय कि 54-54 पेपर किसी यूनिवर्सिटी के आउट हो जाय बिना वाइस चांसलर की नालेज के? वाइस चांसलर की जो व्यवस्था हैं उस यूनिवर्सिटी के अन्दर। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार में वाइस चांसलर भी लिप्त है। उसने अपने असर को, उसने अपने आदमियों को फिट किया और उन्होंने ही आगे जाकर पर्चे बांटे हैं और सिर्फ बांटे ही नहीं है, मैंने एक इल्जाम लगाया हैं और वो सही भी है कि मार्क स्लिप और डिग्रियों के फार्म्स बाहर चले गये इसका मतलब वाइस चांसलर की कोई दूसरी दुकान होगी जहां से वो दूसरी डिग्रियां जारी करेगा और वो दूसरी डिग्रियां बाजार में बिकेंगी।

तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जो आपने यह कहा है कि सी.आई.डी. से जांच करवायेंगे। सी. आई. डी. से जांच करवाई जाती है एक मुकदमे में जहां एक पर्टीकुलर जुर्म हुआ है उसकी जांच करवाई जाती है। इतना बड़ा जो घपला हुआ है जिसमें वाइस चांसलर शामिल है। दर्जनों बड़े-बड़े विद्वान जिनको हम कह सकते हैं। एग्जामिनर्स शामिल हैं, कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज तक पर्चे आउट नहीं होने दिये और इसी साल आकर के आउट हुये, इसी दौरान आउट हुए तो यह एक बड़ी गम्भीर बात है। ऐसे लोगों की जांच के लिये निश्चित तौर से इससे काम नहीं चलेगा और हम सब को इसकी गम्भीरता को समझकर, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का मामला हमारे सारे बच्चों से सम्बन्धित है बाकी यूनिवर्सिटीज में हो जायेगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए यह समझेंगे कि यह एक ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे पर्चे आउट होते हैं, तो निश्चित तौर से इसकी जांच इस तरह से न होकर इसको एक बड़े घपले के रूप में माना जावे, एक बहुत बड़ा घपला है और वाइस चांसलर को निश्चित तौर से इस सिलसिले में सस्पैण्ड किया जाय, निकाला जाय जिससे उसको पता लगे कि वास्तव में यह जो काण्ड है, बुरा काण्ड है। हम यह समझते हैं कि सी.आई.डी. से जांच करवायेंगे। मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि हम सी.आई.डी. से जांच करवायें और वाइस चांसलर वहीं बैठा रहे, सारे एग्जामिनर्स वहीं बैठे रहें तो क्या आप समझते हैं कि वहां जांच हो जायेगी, कौन जांच में भाग लेगा, कौन उसकी गवाही देगा, किस तरह से कर्मचारी उनकी गवाही देंगे? निश्चित तौर से इस सीरियस मामले को इस रूप में इसको लेना चाहिये और इसकी जांच करवानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

(अनुपस्थित)

मा. श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (शरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अब तक विश्व-विद्यालय में यह परम्परा रही है कि प्रश्न-पत्रों की छपाई हमेशा इस प्रदेश के बाहर किसी प्रेस से करवायी जाती थी, क्या यह सही है कि पहली बार सारी बातों को ताक में रखकर उप-कुलपति महोदय ने राजस्थान प्रदेश के अन्दर ही एक प्रेस को विश्वविद्यालय के पर्चे छापने का टेण्डर दे दिया ? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि इससे पहले हमेशा प्रश्न-पत्रों को डिस्पैच करने का काम विश्व-विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक (कन्ट्रोलर ऑफ एक्जामिनेशन) के द्वारा किया जाता था, उनके साथ मात्र एक डिप्टी रजिस्ट्रार हुआ करते थे, क्या यह सही है कि इस बार परीक्षा नियंत्रक को यह काम नहीं देकर माननीय उप-कुलपति ने अपने चहेते डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एस.ओ. और उनसे नीचे के क्लर्क की यह ड्यूटी लगायी और जब यह प्रश्न पत्रों को पैकेट में भर रहे थे तब उनमें से उन्होंने एक प्रश्न-पत्रों में से एक-एक कापी निकाल कर बाहर लोगों को दी गयी ?

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रश्न–पत्र आउट हुये इसकी सूचना मिलने के बाद भी कुछ प्रश्न–पत्र ऐसे थे, मेरी जानकरी में जिनकी संख्या 6 है, जिनकी जीरोक्स करके परीक्षा केन्द्रों पर बांटी गयी, प्रश्न–पत्रों को पहले छपवाया नहीं गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानन चाहूंगा कि प्रश्न–पत्रों की छपाई प्रश्न–पत्र सैट होने के बाद जन-वरी-फरवरी माह में यह छपाने के लिये भेज दिये जाते थे, पर इस बार उप कुलपति की ढिलाइ के कारण, निर्णय नहीं लेने के कारण छप ई का काम भी उन्होंने मार्च में करवाया और जब आनन-फानन के अन्दर परचे छापकर आये और जिस तरह से डिस्पेच हुये उस पूरी प्रक्रिया के अन्दर जिन लोगों का पूर्व में संदिग्ध आचरण था, पूर्व में जो कुलपति डा. उन्नीथान और प्रो. अग्रवाल ने एक समिति बनाकर जिन लोगों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि इनको कभी भी विश्वविद्यालय में गोपनीय शाखा में नहीं लगाया जाय। क्या यह सही है कि उन्हीं लोगों को लगाकर उन्होंने प्रश्न-पत्रों को भेजने का काम किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है, प्रश्न-पत्र आउट होते हैं और आउट होने के बाद कारणों का तुरन्त पता नहीं लग पाता है लेकिन इसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है, उन छात्रों को भोगना पड़ता है जो छात्र साल भर मेहनत करते हैं परीक्षा नजदीक आती है, दिन-रात मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाव-जूद कोई प्रश्न-पत्र आउट हो जाता है तो उनकी जो मेहनत होती है उससे जो उनके दिमाग पर असर पड़ता है, उनका जितना नुकसान होता है, उसके बारे में विचार नहीं किया गया है। इसलिये मेरा प्रश्न है कि जो विद्यार्थी मेहनत करने के बाद, सही समय पर उनको अवसर नहीं मिल पाता है

Page No. 92

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बल्कि उनका जो रिजल्ट होता है, पर्चे आउट होने के कारण रिजल्ट बहुत लेट हो जाता है क्योंकि परीक्षा लेट हो जाती है और इसको विद्यार्थियों को भोगना पड़ता है। क्या सरकार इस बारे में कोई स्पष्ट नीति रखती है, क्या कोई विचार कर रही है, तो स्पष्ट सदन के सामने घोषणा की जाय।

दूसरा, मेरा सवाल यह है कि मसला गम्भीर होने के कारण कहा गया है कि जांच चल रही है लेकिन कितने प्रश्न पत्र अब तक आउट हो गये, क्या इसके पहले किसी की भी जांच नहीं हुई, क्या कभी किसी को आज तक दण्ड नहीं दिया गया ? अगर दिया गया है तो उसको भी स्पष्ट किया जाय यही मेरा सदन के सामने निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाशचन्द बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्षजी, मेरा तो एक ही प्रश्न है कि राजस्थान में पहलो बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में करीब सारे के सारे परचे आउट हो जायं और इसके बाद किसी भी अधिकारी पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है बड़े अफसोस की बात है। मेरी आपसे एक ही मांग है कि पूरे प्रकरण की जांच से पहले, इस प्रकरण में जो सम्बन्वित अधिकारी हैं उन सब को, जिनमें डिप्टी रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है, इनको निलम्बित किया जाये तभी सही जांच हो सकती है नहीं तो जांच में यह सब लोग व्यवधान डालेंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब हमेशा यूनिवर्सिटी के परचे आउट आफ स्टेट छपते थे तो ऐसा पहली बार राजस्थान में क्यों हुआ, वह सारे के सारे परचे वाइस चांसलर ने राजस्थान में ही छपवाये ? इसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों का सवाल है, बड़ी मेहनत से वर्षभर अध्ययन करने के बाद वह अपनी परीक्षा की तैयारी करते है और परीक्षा की तैयारी करने के बाद जब परीक्षा के परचे आउट हो गये तो उनके भविष्य का कोई अता-पता नहीं है कि कब परीक्षायें होंगी, कब नहीं होंगी ? मेरा एक ही निवेदन है कि सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जावे और जल्दी से जल्दी ऐसी कोई व्यवस्था की जाये ताकि उनकी परीक्षाये हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या उन्हें अवगत है कि कितने प्रश्न–पत्र हस्त-लिखित थे जिन्हें जीरोक्स करके दिया गया और कितने प्रिन्टेड थे ? इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी के अनुसार अधिकांश हस्तलिखित थे और इसी कारण से उनकी प्रतियां रह गयीं जो कि नहीं रहनी चाहिये थी ? मेरा निवेदन है कि जब तक शिक्षकों, प्रोफेसर्स के द्वारा परीक्षायें ली जाती रहीं तब तक एक पेपर भी आउट नहीं हुआ और जिस दिन हड़ताल समाप्त हुई उस दिन से पेपर आउट होना बहुत अधिक मायने रखता है कि किनके माध्यम से यह कार्य हो गया यह वास्तव में देखने की बात है ?

तीसरी बात, मै यह कहना चाहूंगी कि पेपर्स तो स्थगित हो गये पर अब यह बतायें

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि परीक्षायें कब करवा लेंगी ? क्योंकि परीक्षायें अगर जल्दी नहीं हुयीं तो अगले कम्पीटिशन में बैठने वाले छात्रों के साथ और अन्याय होगा। अब कोशिश करनी चाहिये परचे फिर से छपवाये जाकर शीघ्र परीक्षायें ली जाने की बात की जानी चाहिये। साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि गोपनीयता भंग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये, इसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं मंत्रीजी से कि विधान सभा के जो 2 विधायक यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बाडी में विधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वह नयी सरकार के बनने पर उन विधायकों को उसमें शामिल किया गया था ? और यदि नहीं किया गया तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के परचे आउट होना एक बहुत ही गम्भीर मामला है और यह सारे राजस्थान और हम सब के लिए जो यहां बैठे हैं, चाहे वह इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हों, बहुत ही गम्भीर रूप में उनको लेना चाहिये। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है चाहे उप-कुलपति हो या रजिस्ट्रार हो, कोई भी जो छात्रों का आज हम वातावरण देख रहे हैं उन पर किसी पर भी विश्वास नहीं है, नये सिरे से परीक्षायें करवाने के पहले उस प्रशासन को बदलिये जिससे छात्रों का विश्वास दुबारा कायम हो और इसमें मंत्रीजी लीपा-पोती का जवाब दे रही हैं, अलावा कुछ नहीं है। हमारी मांग है मुख्य मंत्रीजी, अगली परीक्षाओं के पहले वहां के प्रशासन को बदलिये और राजस्थान की जनता को, छात्रों को और सदन को आश्वस्त करें इस प्रकार की गड़बड़ी भविष्य में नहीं हो, ऐसी वह ठोस कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप काहे को बोल रहे हैं आपका ही काम है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा कोई काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले तीन विश्वविद्यालयों के नाम हमारे वक्त में घोषित किये थे, आज उसकी क्या दशा हो रही है ? मैं तो दो-तीन बातें जानना चाहूंगा कि क्या कान्ता हूजा, खण्डेलवाल और वाला समिति जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने गठित की, उसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी हैं ? क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष वाणिज्य के पांच पेपर आउट हुये, तीन पेपर सैकिण्ड ईयर आर्ट्स और थर्ड ईयर आर्ट्स मिलाकर के तीन पेपर आउट हुये ? क्या इसमें सेकेट्री और डीन का तो हाथ नहीं है ? जो कोई भी, चाहे किसी भी व्यक्ति का हाथ हो, उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये आप क्या इन्तजाम करेंगे ? मैं आपके माध्यम से अन्तिम सवाल यह करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विश्व-

Page No. 94

९५

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विद्यालय में पिछले तीन-चार महिनों में आर. एस. एस. का हाथ और आर. एस. एस. के द्वारा जो संगठित संगठन हैं उनके माध्यम से तो कहीं यह गोपनीयता भंग नहीं की गई है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्ला जी कुलपति तो आपने बनाया था अब आर.एस.एस. की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कहीं यह हाथ आपका तो नहीं है कि आप ही यह सारा कार्य करवा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो रेलेवेंट बात का जवाब दे दिजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनको कुलपति बनाया, जिनको परीक्षा नियंत्रक बनाया वही काम कर रहें हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप लोग आपस में ही नोक झोंक करेंगे कि मेरा जवाब भी सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि पार्टी की गोपनीयता और निष्पक्षता आवश्यक है। लेकिन जिन असामान्य परिस्थितियों में इस बार परीक्षाएं करवाई गई और उनसे जो कुछ पेपर्स आउट हुये उसके प्रति आप ही की चिन्ता नहीं है। सरकार उससे अधिक चिन्तित है और उसको बहुत ही गम्भीरता से ले रही है। मालपुरा से आने वाले सदस्य ने आरोप लगाया था कि परीक्षाओं के पेपर यहां पर छपे हैं। मैं फिर उनको इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि यहां पर पेपर नहीं छपे। पेपर हमेशा राजस्थान के बाहर छपते हैं और इस बार भी बाहर छपे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : छपे ही नहीं जीरोक्स हुये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये जब आप बोल रहे थे, बीच में मैंने नहीं टोका था। पहले मेरी बात सुनिये आप फिर भी संतुष्ट न हो तो फिर पूछ लिजीयेगा। मैं फिर कह दूंगी आप सुनिये तो सही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने नहीं कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिस किसी ने भी कहा, चूंकि आप पहले बोले थे जिस किसी ने भी कहा हो मैं मान लेती हूं। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि सारे के सारे पेपर जो हैं बाहर की प्रेस से छपकर आये हैं। जीरोक्स की भी कह देती हूं केवल दस पेपर जीरोक्स हुये हैं और वह जीरोक्स उन परिस्थितियों में हुये हैं जिन परिस्थितियों में पेपर आउट नहीं हुआ लेकिन हमें सन्देह हो गया कि शायद पेपर के एक-दो प्रश्न किसी को किसी तरह से पता लगे हैं। हमने केवल डाउट के आधार पर सन्देह के आधार पर उन प्रश्न पत्रों को, पेपर्स को बदल दिया और वह जीरोक्स हमें कराने पड़े। ऐसे केवल दस प्रश्न पत्र हैं यह मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहती हूं।

यहां पर यह भी आरोप लगाया कि उन्नीथान ने और पहले वाले वाइस चांसलर ने कुछ लोगों को परीक्षाओं की गोपनीयता और निष्पक्षता भंग करने के आरोप में परीक्षा और इस तरह के कामों से डी-बार

(श्री सुमित्रा सिंह)

किया था। यह बिल्कुल गलत है। किसी को डी-बार नहीं किया गया था। हां, उन्होंने ट्रांसफर्स किये थे। वह ट्रांसफर्स किस आधार पर किये थे। ट्रांसफर्स तो होते ही रहते हैं लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं है कि हमने इस आधार के ऊपर ट्रांसफर किये हैं। इन्होंने कोई परीक्षाओं की गोपनीयता को भंग किया है, इस आधार पर लिखित में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए यह कहना और यह चार्ज लगाना भी निराधार है। आपने यहां पर यह भी कहा, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इसके बारे में भी चिन्ता व्यक्त की कि आखिर यह अब कब तक परीक्षाएं हो जायेंगी ? मैं आपको इस बात के लिये सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण परीक्षायें हम 20.7.1990 तक पूरी परीक्षायें, जो 11 पेपर और 12 वें को जिसकी आप बात कर रहे हैं वह बारहवां अल्टरनेटिव पेपर था। आपके समाज शास्त्र द्वितीय का और इसलिए उसको आप बारहवां मान रहे हैं। एक्चुअली वह आउट नहीं हुआ था लेकिन जो 11 पेपर आउट हुये हैं उनको हम 20.7.1990 तक सबको पूरा करा देंगे। यह मैं आपको इस बात के लिये आश्वस्त कर देना चाहती हूं।

यहां पर हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या ने यह भी कहा कि जो सिन्डीकेट के अन्दर राजस्थान विधान सभा के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं वह भी अभी तक नहीं किये गये। वह मनोनीत कर दिये गये थे। इस बीच चूंकि उनका मनोनयन गवर्नमेंट के होने के बाद भी विधान सभा के स्पीकर की उसमें अनुमति आवश्यक होती है। वह यहां पर रहे और जब उन्होंने यहां से स्वीकृति भेजी तो विद्या पाठक उनमें एक थीं। विद्या पाठक जब मन्त्री मण्डल में आ गयी तो पुनः वह पत्रावली मुझे दे दी गयी किसी दूसरे को मनोनीत करने के बारे में। इस वजह से इस काम में देरी हुई है और इसके पीछे और कोई देरी होने की बात नहीं है। आपने इतने सारे माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का मौका दिया हो सकता है कि मैं भूल गयी हूं लेकिन मैं इस बात के लिये आश्वस्त सदन को करना चाहती हूं कि इस मामले में सरकार इसे पूरी गम्भीरता से लेती है। आप मेरे स्टेटमेण्ट को पहले सुनते माननीय सदस्य तो जिन लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि इसके लिये दोषी कौन है, यह है, वह है। मैंने बताया, चार स्तर पर आउट हो सकता है। प्रश्न पत्र जो है वह चार स्तर पर आउट हो सकते हैं। तो सी. आई. डी. यही तो काम करेगी कि किस स्तर पर आउट हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हो सकते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये तो सही। इतने उतावले और इतने उत्तेजित मत हुआ करिये। माननीय सदस्य, आप मेरी बात पूरी सुनिये। सी. आई. डी. वही तो करेगी। वह यह देखेगी कि किस स्तर पर आउट हुये हैं पेपर। मैंने आपको पहले ही बताया था। आपने जो कहा कि दो प्रश्न पत्र वह बनाते हैं पेपर सैट करने वाले। दो प्रश्न पत्र बनाते हैं। लेकिन आपके जैसा होशियार आदमी तो दो प्रश्न पत्र बनाने के बाद भी आइडिया रखता है। लैंग्वेज अलग

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हो सकती है लेकिन प्रश्न पत्र फिर भी बनाकर दे सकता है आपके जैसा होशियार आदमी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिये आप बहुत गम्भीर मसले को बहुत लाइटली ले रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लाइटली नहीं ले रही हूं मैं यह बात। मैं बहुत गम्भीरता के साथ कह रही हूं। जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी वह आदमी फिर भी हिण्ट के जरिये, उसकी भाषा बदल सकती है लेकिन हिण्ट दे सकता है। इसलिए मैं पूरी गम्भीरता के साथ बोल रही हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को कतई यूनिवर्सिटी के प्रशासन आइडेन्टिफाई नहीं कराना चाहता से यह चलाकर आइडेन्टिफाई हो रही है। उनको कतई जानकारी नहीं है। मैं चुनौतीपूर्वक कहता हूं जिनको यह ही पता नहीं है कि प्रश्न पत्र बाकायदा बाजार में बिके हैं। पेपर सैंटर आउट करेगा तो कोई प्वाइंट आउट करेगा, क्वश्चन आउट करेगा। मन्त्री जी समझने की कोशिश कीजिए। इतना गम्भीर मसला है। इतनी विनम्रतापूर्वक हम आपको बता रहे हैं और आप ईसको मजाक में उड़ा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर दस साल से पीछे चला गया कलैण्डर 8-8 महीने बाद में परीक्षायें होने लगी। बड़ी मुश्किल से वापस टाइम पर हुआ आप बात समझने की चेष्टा कीजिये। पहली बात तो यह है कि आपके लिये बहुत-बहुत विनम्रतापूर्वक मैं कहता हूं गैर जिम्मेदाराना यह बात कहना कि पेपर सैंटर के लेबल पर यह आउट हो सकता है। पेपर सैंटर्स के लेबल पर हर्गिज आउट नहीं हो सकता है। मैं यह जिम्मेदारी से कहता हूं क्योंकि दो पेपर बनाना ही बात नहीं है। पेपर, अध्यक्ष महोदय, बकायदा बाजार में बिके हैं। जो असली पेपर बिका है जो पेपर है उसकी कापी बिकी है बकायदा। वह पेपर सैंटर आउट करेगा? पेपर सैंटर तो क्वश्चन आउट कर सकता है, प्वाइंट आउट कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : अब आप थोड़ा विराजिये। सुन लीजिये। फिर पूछियेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में निवेदन किया था शायद माननीय सदस्य उसे ठीक से सुन नहीं सके। मै यह चार्ज नहीं लगा रही हूं कि पेपर सैंटर ने ही इसे आउट किया। मैंने चार्ज नहीं लगाया है। यह तो जांच का विषय है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह जांच का विषय ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कहा चार स्तर पर आउट हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं हो सकता, जिस प्रकार से यह पेपर आउट हुआ है, जिस प्रकार से यह पेपर बाजार में बिका है, पेपर सैंटर के लेबल पर आउट नहीं हो सकता। यह बात समझने की चेष्टा क्यों नहीं करती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप पेपर सैंटर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूं चार स्तर पर आउट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। यह तो सम्भावनाएं बता रही हैं आपकी बात मान ली जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बात का सवाल नहीं है। मेरा इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका जो आर्ग्यूमेन्ट है यह गर्वनमेन्ट के ध्यान में आ गया वह। (व्यधान)

श्री जगतसिंह दायमा : ट्यूशन करने सब कुछ कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ट्यूशन की बात नहीं है। यहां पर पेपर सेंटर की बात कह रहे हैं। आप बिराजिये। आप सुन लीजिये पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूर्व में परीक्षा नियन्त्रक हमेशा प्रश्न पत्रों को डिस्पेच करने का काम किया करते थे इनके साथ एक उप रजिस्ट्रार हुआ करते थे, इस बार क्या ऐसा कारण था कि उनसे सारा काम लेकर एक डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एस. ओ एवं क्लर्क की टीम बनाई गई जिसने प्रश्न पत्रों टाइप किया, नम्बर एक बात। दूसरी बात जो माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि दुबारा इन परीक्षाओं की शीघ्र आयोजित करायेंगे, मैं इस सदन में आपसे निवेदन कर रहा हूं दुबारा जब परीक्षाओं की तिथि घोषित होगी उससे पहले अगर यही प्रशासनिक ढांचा रहा तो पूरा का पूरा प्रश्न-पत्र मैं लेकर आपको दूंगा। इस राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष था मेरे को इसकी कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर प्रशासनिक ढांचा यही रहा तो आप जब दुबारा परीक्षा करवायें उससे पहले पूरा का पूरा प्रश्न-पत्र मैं माननीय मन्त्री महोदय को लाकर दिखा दूंगा। यह प्रश्न-पत्र परसों आने वाला है। मेरा निवेदन है कि जो गलत काम माननीय कल्ला जी के हाथों से हुआ उन्होंने जिस तरह से कुलपति की नियुक्ति की उसको तुरन्त हटाया जाये....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय विश्नोई जी पूछ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी भी माननीय सदस्य ने जो बातें बताई है वह बिल्कुल निराधार है उनको पता नहीं है कि वाइस चान्सलर की नियुक्ति कैसे होती है। उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आदमी, चान्सलर्स के नोमीनी आकर सूची देते हैं और उसकी नियुक्ति हो जाती है। उसमें हम कहां रहते हैं? इसमें किसी भी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय विश्नोई जी पूछें आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न पत्र जो आउट हुये हैं वह प्रश्न पत्रों की प्रतिलिपि मिली है या मूल प्रश्न पत्र है या फोटो कापी है। एक तो फोटो कापी है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रश्न पत्रों की प्रतिलिपि मिली है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रश्न पत्र छप गया उसके बाद में चोरी हुआ फिर इसको फोटो स्टेट करवाया एक स्थिति तो यह है या प्रश्न पत्र है उसकी नकल उतार ली....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने शायद मेरा स्टेटमेण्ट सुना नहीं। मूल प्रश्न पत्र से जो बीस के, दस के, पचास के, सौ के जो बण्डल आते हैं उसमें से एक-एक दो-दो कम पाये गये हैं। मूल प्रतिलिपियां मिली है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मूल पत्र है वह बाजार में है। यह जो चोरी पकड़ी ग है उसमें मूल पत्र जैसा छपा हुआ था, वह का वह पकड़ा गया क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मूल प्रश्न पत्र हमारे यहां से एक गायब हुआ उसके बाद में बाजार में उन्होंने उसकी कापियां करवा ली....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बाजार में जो मिला है वह बताया, इसका मुकाबला किया है। फोटो कापी है या नकल है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कुछ फोटो कापी है कुछ नकल है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप बारीकी को समझे नहीं, एक तो मूल प्रश्न पत्र है उसकी फोटो कापी हो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले सुन लीजिए। आपने पहले जल्दी में जवाब दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रश्न पत्र है तो एक तो वह कापी आपको लाकर बताई है कि यह कापी छपी हुई, फोटो कापी है और एक इसमें जो लिखा है हाथ से लिख दिया उसका मजमून इससे मिलता है तो इसमें से कौनसी स्थिति है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फोटो स्टेट है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका मतलब है सिर्फ लिखा होने का प्रश्न नहीं है। पेपर छपने के बाद....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विवाद यह नहीं है कि प्रश्न पत्र कहां से आउट हुआ। छपा हुआ आउट हुआ था साइक्लोस्टाइल आउट हुआ या हाथ से लिखा हुआ आउट हुआ। मुख्य प्रश्न यह है कि पेपर आउट हुआ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इससे बड़ा क्या सवाल है इससे बड़ा क्या सबूत है ? जो पेपर रखा हुआ था उसकी फोटो कापी आ गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विश्नोई साहब मैं यही कह रहा हूं कि यह किस प्रकार से आउट हुआ। छपा हुआ आउट हुआ या पर्चे जिस समय एक्जामिनेशन हाल में दिये जाते हैं उससे पहले आउट हुआ। मैं समझता हूं इस विवाद में पडने की आवश्यकता नहीं है। सरकार यह मानती है, विश्वविद्यालय यह मानता है कि पर्चे आउट हुये। अब यह पर्चे आउट किस प्रकार से हुए हैं, कौन इसके लिए दोषी है उसकी जांच के लिए सी. आई. डी. को कहा है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की जानकारी के आधार पर जो इन्वेस्टीगेशन इस मामले में हो रहा है उसमें सहायता मिलेगी। आपके पास और कोई भी जानकारी हो वह विधान सभा में आप नहीं कहना चाहें विधाम सभा के बाहर भी कहना चाहेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। उस जानकारी के आधार पर सी आई. डी. वालों को और आगाह कर दिया जायेगा।

एक मिनट जो कुछ आपको बताना हो बता देना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुझाव मैं समझता हूं इस सदन में ही कहना सुझाव हो यह इतना गम्भीर मसला है सरकार भी इसको गम्भीर मानती है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं इसको। अब भी आप कह रहे है पेपर सेटर का। मुख्य मन्त्री जी आपने इसकी उपेक्षा ही नहीं की....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कहा ही नहीं है, किस लेवल पर आउट हुआ है इसकी तो जांच होगी। अब जिस लेवल पर भी आउट हुआ है उसका अनुसंधान कर रहे हैं कहीं न कहीं तो कोई पकड़ा ही जायेगा। पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। आपने दो तीन बातें कहीं। क्या पुराने कर्मचारी जो इसके लिए दोषी थे उस आस्पेक्ट को देखें। आखिर इन लोगों पर इस प्रकार के कोई आरोप थे उनको वापस एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी क्यों दी गयी। पेपर की जिम्मेदारी क्यों दी गयी इसको भी देखेंगे। मैं आपको इतना ही विश्वास से कह सकता हूं कि सदन में जो आपने जानकारी दी, बाकी जो और जानकारी देना चाहें उस जानकारी के आधार पर हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि असली मुल्जिम कौन है, असली अपराधी कौन है इसका पता लग जाये और उसको बचाने की किसी लेवल पर कोई कोशिश नहीं की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया दुर्भाग्यपूर्ण है, हम भी मानते हैं पर्चे आउट होना यह कोई अच्छी बात नहीं है किसी के लिए शोभा की बात नहीं है लेकिन जिस सन्दर्भ में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी उनको थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा। मुझे याद है 23 अप्रेल या 26 अप्रेल को कर्मचारियों ने स्ट्राइक का नोटिस दिया और पेन डाउन स्ट्राइक कर दी। 9 मई को एग्जामिनेशन होने वाले थे और कल्ला साहब और कोई तो बात माने या नहीं माने आप एक बात निश्चित रूप से मानेंगे कि पिछले दस वर्षों के अन्दर केलेण्डर के अनुसार एग्जामिनेशन हम नही करवा सके। दो वर्षों में इस प्रकार का इम्प्रूवमेण्ट हुआ कि केलेण्डर हमने सख्त करने की एक इच्छा बना ली और उसके आधार पर हमने केलेण्डर के अनुसार एग्जामिनेशन करवा लिये। इस बार एक समस्या पैदा हो गयी सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जायें उसके बाद एग्जामिनेशन कण्डक्ट करवाये जा सकते हैं या नहीं कराये जा सकते। आखिर एक लाख, सवा लाख या डेढ़ लाख के करीब छात्रों के भविष्य का इससे सम्बन्ध है। सरकार ने यह फैसला किया कि चाहे हड़ताल पर चले जायें हमें किसी भी कीमत के ऊपर परीक्षा करवानी है। आपने देखा होगा कि सारे एग्जामिनेशन सेन्टर्स के अन्दर....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक बात और है समय पर हो जाये और उसके साथ पेपर आउट होने से प्रतिशत भी अच्छा रह जाये यह नीति हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं इस ज्ञान का मुझे कोई अनुभव नहीं है । आप सब लोग विश्वविद्यालय के प्रशासन में भागीदार रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन चीजों का किस प्रकार विद्यार्थियों को लाभ मिलता है और कल्ला साहब तो, इनके ज्ञान के आधार पर उनको यह भी जानकारी होगी कि पेपर कैसे आउट किये जाते हैं, व्यक्तिशः नहीं....शिक्षा मन्त्री के नाते यदि आपको इतना ज्ञान नहीं है कि पेपर आउट कैसे किये जाते हैं मैं समझता हूं शिक्षा मन्त्री की ड्यूटीज को या रेस-पांसिबिलिटी सही प्रकार से डिस्चार्ज भी नहीं कर पाये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो एक भी नहीं होने दिया । एक भी पेपर आउट नहीं होने दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस आस्पेक्ट को यहां छोड़ा जाये । जो भी इसके जांच परिणाम निकलेंगे उसके आधार पर जो दोषी है उनको दंड दिया जायेगा । भविष्य में पर्चे आउट नहीं हो इस सम्बन्ध में आपने जो इस समय सुझाव दिये हैं उन सुझावों को ध्यान में रख कर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि पर्चे किसी प्रकार से आउट नहीं हो इसके लिये मैं केवल एक निवेदन कर रहा था कि मेरे सामने और गवर्नमेन्ट के सामने यह स्वश्चन था कि स्ट्राइक के कारण से एक लाख 25 हजार या तीस हजार स्टुडेण्ट्स का भाग्य जिससे जुड़ा हुआ है, क्या एक्जामिनेशन पोस्टपोन किये जाय ? मैं समझता हूं आपको इस बात की प्रसंशा करनी चाहिए कि हमने फैसला करके एक्जामिनेशन कराये । लगभग एक हजार के करीब पेपर्स होते हैं, कोई एक दो, या पांच दस पन्द्रह बीस पर्चे नहीं हैं । लगभग एक हजार के करीब पर्चे होते हैं । इन एक हजार पर्चों में इम्तिहान ठीक प्रकार से चलते रहें । एक फिर इस प्रकार की स्थिति आयी कि पर्चे आउट होने लगे । मैं समझता हूं कि यह सीरियस मसला है । इस मसले के कई दुष्परिणाम भी निकलने वाले हैं । थोड़ी बहुत जानकारी यह भी मिल गई कि यह पर्चा आउट कराने में किन-किन लोगों का हाथ किस-किस प्रकार से रहा है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार की दुरूह स्थितियों में हमने यह एक्जामिनेशन कराये हैं उसमें इस प्रकार की गलती हो सकती है, गलती हुई है जिसके परिणाम-स्वरूप पर्चे आउट हुए । मैं इतना ही कह सकता हूं कि पर्चे आउट करने में जो लोग भागीदार हैं वह नहीं छूटेंगे और भविष्य में पर्चे आउट नहीं हों इस सम्बन्ध की पूरी व्यवस्था की जाय । श्री कल्ला साहब ने कहा वाइस चांसलर के लिए कि उनका सलेक्शन इस प्रकार से होता है सब जानते हैं । सब कोई भी ऐसा नहीं जानते । आज यदि वही वाइस चान्सलर हमने नियुक्त कर दिया होता या हमारे काल में नियुक्त होता तो आप बहुत जोर से बोलते ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुख्य मन्त्री जी, आप तो हमेशा कल की बात करते हो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काल ही प्रबल है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह वाइस चान्सलर मेरे वक्त में भी थे उस वक्त तो पर्चे आउट नहीं हुए। अभी क्यों हुए।

(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर वाइस चान्सलर इनके काल में नियुक्त हुआ है तो आपने सजा देने में क्या तकलीफ है। उस वाइस चान्सलर को इस बात का दोषी बनाया जाय कि उसकी व्यवस्था के अन्दर यह पर्चे आउट हुए हैं। इससे दो काम हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात बता दूं, बेनीवाल साहब, इनके समय में नियुक्त हुआ हो चाहे हमारे समय में, यदि वाइस चान्सलर का इसमें हाथ है तो वाइस चान्सलर बच नहीं सकता। किसी भी प्रकार की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। इस कारण से कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में वाइस चान्सलर नियुक्त हुआ उसमें तो दोष नहीं निकालेंगे। केवल इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में वाइस चान्सलर नियुक्त हुआ था यह कोई दोष का कारण नहीं है। नियुक्तियां होती रहती हैं। (व्यवधान) कल्ला साहब भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि आर. एस.एस. के लोगों ने पर्चे आउट कराये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह हकीकत है। विश्वविद्यालय में आर.एस.एस. के लोगों का हस्तक्षेप है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हस्तक्षेप है। चुनाव होते हैं और चुनावों में आप लोग हार जाते हो और हारने के बाद में यदि दूसरे लोगों के हाथ में यूनियन चली जाय तो आप यह समझते हो कि यूनियन का काम पर्चे आउट कराना है ? और यदि इस प्रकार का इल्जाम आप लगाते हैं तो विद्यार्थी जगत पर आपका इल्जाम है। विद्यार्थियों के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम लगाना....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी को....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आर.एस.एस. के लोगों ने खुलकर....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम उस बात को फिर लायेंगे बाद में। इस बात को भी साबित करेंगे मुख्य मन्त्री जी कि आपके यूनियन के द्वारा हास्पिटल में आकर, वहां पर एक्जामिनेशन लिया गया, यह मामला भी लायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विद्यार्थियों पर आरोप लगाया गया है, आप थे नहीं। (व्यवधान)

आप विद्यार्थियों पर आरोप लगा रहे हो..

श्री अध्यक्ष : आप जो भी बोलते हैं वह रिकार्ड हो रहा है। इसलिए रिकार्ड से मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

अभी कुछ नहीं कह सकता। (व्यवधान)

आप बैठिये, प्लीज। माननीय सदस्य, आप बोलने दीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हास्पिटल में उस लड़के का तीन दिन मुंह बन्द कर छात्र

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

परिषद का बाकायदा बयान लिया वह पूरी डिटेल आपके सामने लायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूँ कि माननीय जनार्दनसिंह जी ने जो जानकारी दी है मैं उस इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी को कह दूंगा कि वह आपसे सम्पर्क कर लें और जो भी आप जानकारी देना चाहें वह जानकारी दे दें लेकिन मेरा यह विश्वास है कि आप जानकारी निश्चित रूप से देंगे...
(व्यवधान)

मैं तो कल्लाजी को भी कहता हूँ कि कल्लाजी यह भी उस इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी को जानकारी दें कि पर्चे आउट कैसे होते हैं ताकि उन बिन्दुओं पर वह इन्वेस्टीगेशन कर सकें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी को सुझाव देता हूँ वह राजेन्द्रसिंह जी से राय ले लें कि पर्चे कैसे आउट होते हैं। राजेन्द्रसिंह जी राठौड़ आपको सही राय देने की स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इस सम्बन्ध में डिबेट क्लोज। जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आप लोगों का आह्वान किया हैं कि आप अपने सुझाव उनको दें तो.. (व्यवधान)

इस बात को आप गम्भीरता से लें..,.
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, बिराजिये, आसन पैरों पर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मन्त्री जी का स्टीरियो टाईप जवाब है कि दोषी बचेगा नहीं, मुख्य मन्त्रीजी यह बतायें कि यह जांच का स्कोप है क्या ? वहां पर उन्होंने डीवार्ड आदमी को काम दे दिया। पेपर सैट 31 जनवरी तक होना चाहिए। नहीं हुआ, यह सी.आई.डी. का काम है। सी. आई. डी. तो क्रिमिनल लाईब्लिटी फिक्स करेगी। सीधी-सी बात है, लगातार आप डिबेट को पोलीटिकली डाईवर्ट कर देते है। यह बड़ा गम्भीर मसला है। मुख्यमंत्रीजी जब कांग्रेस का अपाईन्ट किया हुआ वाईस चान्सलर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो बिन्दु बनाकर देंगे, उन सब की जांच करवा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कौन-सा बिन्दु बनाकर दूंगा। मेरा यह कोई काम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स आये है वह आपके सामने रखे है। आप यह बताइये कि मोरल रैस्पान्सिब्लिटी नहीं है क्या ? वाईस चान्सलर के नीचे अगर यह हुआ है तो मोरल रैस्पान्सिब्लिटी उसकी है। मोरल रैस्पान्सिब्लिटी के दो आस्पेक्ट है एक तो वाईस चान्सलर की मोरल रेस्पोन्सिब्लिटी जब यह घटना घटी तब भी थी उसके बाद लगातार 12 पर्चे तो खुद ने एक्नालेज किये है कि केन्सिल हुए है। कुल 54 पर्चे आउट हुए है। मैं पूछता हूँ कि उसके बाद भी वाईस चान्सलर ने आज तक क्या किया। ये जो कान्ता आहूजा की कमेटी है, आप जरा यूनिवर्सिटी का रिकार्ड देखे, शिक्षा मन्त्री जी देखे आपको तो इतना समय कहां मिलेगा। ये घूमाफिरा कर जितनी भी कमेटी बनाता है यह कान्ता आहूजा और खण्डेलवाल की कमेटी बनाता है, वाईस चान्सलर कांग्रेस का अपाईन्ट किया हुआ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है। मुख्य मन्त्री जी आपको तकलीफ क्या है? इसको रवाना करो ना, आपकी भी नेक नामी होगी। क्योंकि हमने अपाईण्ट किया है और हम ही मांग कर रहे है कि इसको रवाना करदो। यह बहुत अच्छा हुआ अखबार में आपकी पब्लिसिटी हो जायेगी कि आपका पूरा वर्किंग हैं। आप अखबार में यह और कहना कि कांग्रेसी वाईस चान्सलर था उसको रवाना कर दिया।

आय-व्ययक 1990–91 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अच्छा, व्यास जी आप शुरू करिये डिबेट पर। श्री सुरेन्द्र व्यास, बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय,,,.

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज सिट-डाउन। आप उनको बोलने दीजिये। आपका नाम आ गया था आप थे नहीं, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा यहां पर चल रही थी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो मुख्यमन्त्रीजी के दिमाग में है और व्यवहार में है वह सामने आता है इसलिए मैं सबसे पहले मुख्यमन्त्रीजी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि सत्ता संभालने के बाद चार महीने में इन्होंने पहली दफा बजट में थोड़ा सा सच मानने का साहसिक प्रयास किया है। पैरा 86 में 1988-89 के अन्त में 70 75 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया था। करों की बेहतर वसूली व खर्चे पर अंकुश लगाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार यह घाटा केवल 42.14 करोड़ रुपये का रहा। इस प्रकार 31 मार्च, 1990 को पूर्व अनुमानित घाटे में 28.61 करोड़ रुपये की कमी हुई है। यह कांग्रेस सरकार ने किया, आपने इसे माना। यह सबसे खुशी की बात है वर्ना आपने लगातार इसके अलावा कुछ नहीं किया, कांग्रेस से खाली खजाना हमको विरासत में मिला। अपने सब मेम्बर्स को आपने यह सिखाया कांग्रेस का कचरा साफ कर रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं। जो बात आप कांग्रेस के खिलाफ कह सकते हैं पालिटिकल। अब आप पैरा 26 में आइये। मैं आपके साहस के लिए आपको बधाई देता हूं। "पिछले कुछ वर्षों में जलाशयों में आम तौर पर पानी की कमी रहने के कारण वर्ष 1988-89 में प्रयोग के रूप में बांधो पर गेहूं के बजाय कम पानी से तैयार होने वाली फसलों, जैसे सरसों व चना को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अच्छे परिणाम मिलने पर वर्ष 1989-90 में सिंचाई एवं कृषि विभागों ने संयुक्त रूप से माही के अलावा सभी सिंचित क्षेत्रों में सरसों चना लगाने का अभियान चलाया गया था। इसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं।

यही मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पॉलिटिकल स्वीच और पॉलिटिकल वर्किंग आपका हो गया। आपको राजस्थान में शासन करना है पांच साल चलाना है। कांग्रेस ने इस देश के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर चालीस वर्ष शासन किया। जिसे आप खुद कहते हैं तीन साल का अन्तराल का पीरियड आपका छोड़कर तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने तैयार किया है। और जितना मूलभूत, आधारभूत उसका ढांचा है, कांग्रेस का तैयार किया

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हुआ है, उसको आप आगे बढायेंगे तो ही आप चल सकेंगे। कांग्रेस को आप सिर्फ पोस्टर से इस देश को और प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते।

अब अध्यक्ष महोदय, मेरा 46,48 और 50 शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विस्तार का आप मानते हैं। शिक्षा शिक्षा के लिए और चिकित्सा सुविधा के लिए लगातार गत सत्र में भी बात आई थी कि साहब बहुत स्कूल खोल दिये, बहुत अस्पताल खोल दिये। मैं इस बजट के अन्दर इस बात से मौलिक रूप से सहमत हूं। इस बजट भाषण में जिनकी बात कही गई है कि आज जितने स्कूल खोले हैं वे वेलिड नहीं है अध्यापकों की कमी है, ब्लेक बोर्ड नहीं हैं, डस्टर नहीं है डिस्पेच रजिस्टर के अन्दर दवाई नहीं है और ए. एन, एम. नहीं है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आपने इस साल कोई स्कूल नहीं खोले और डिस्पेंशरी नहीं खोली तो आप इसका सुदृढ़ीकरण करें। लेकिन सुदृढीकरण का आपने कोई उसके अन्दर मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। आपने यह इंगित नहीं किया है कि आप नये पद सृजित कर रहे हैं आज में समझता हूं राजस्थान के अन्दर लगभग 25 हजार अध्यापकों की कमी है और वह ठोस बात सामने नहीं आई है गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया का जो पैसा आयेगा उसे डिसवर्स करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो है सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेसी का अहम सुझाव देना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार, इस चीज को मुख्यमन्त्री जी पूरी तरह पकड़ रखा है अब बी. के. मीणा के मामले में इसकी पब्लिसीटी हुई। मैं बी.के. मीणा के मामले में अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अच्छा कदम उठाया आपने। कल कौरानी के खिलाफ भी अखबार में छपा है। मैं कौरानी के लिए ब्रीफहोल्ड नहीं रखता हूं, अध्यक्ष महोदय, कौरानी के खिलाफ एलिगेशन लगा, कार्य-होनी चाहिए। रोहिताश कुमार चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध एफ. आई. आर, दर्ज कराता है।

I hold no brief either for the Chief Secretary or for Rohitash Kumer.

लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज एक्सपीडीसियसली उसका करें, अगर उस एफ आई. आर. के कन्टेंट्स सही हैं तो फिर चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कार्यवाही करें। अगर वो एफ. आई. आर. झूठी है तो उसका इनवेस्टीगेशन करके उसको खत्म करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें। राजस्थान में प्रशासनिक स्थिति क्या होगी और आज रोजाना अखबार के अन्दर छपता है यह सूची बन रही है इतने आई. ए. एस. हैं जिनसे आपको काम लेना है और अखबार के अन्दर पब्लिसिटी ओरिअंटेड वर्क है आपका। अखबार के अन्दर तो सब बात मानते है सब उनके खिलाफ कहते हो कि आई. ए. एस. अफसर ये करता है वो करता है और दरहकीकत यह बात है अध्यक्ष महोदय, कि ब्यूरोक्रेसी की कितनी वो मुख्यमन्त्री जी करते हैं। मण्डावरी कांड के ऊपर यहां पूरी चर्चा को इन्होंने बहुत सुन्दरतापूर्वक तरकीब से डाईवर्ट करके और पॉलिटिकल डिबेट करके मुद्दे का जवाब नहीं दिया और थानेदार के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

खिलाफ प्रोसीड नहीं करने दी तो कोई बात नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय, कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं कोई बिना कारण आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं मूलतः मुख्यमन्त्री जी की यह कमजोरी मानता हूं कि इनको पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि पुलिस का मनोबल गिर जायेगा। आपने को यह कार्यवाही नहीं करनी, है। सतबाडी के अन्दर भी यही हुआ आपने स्टेटमेन्ट में यह मान लिया कि रात को बारह बजे उसका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिए इस देश का कोई विकास नहीं होने वाला है और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी परिपाटी चालू की थी एक टेक्नोक्रेट को उन्होंने चेयरमैन बनाया।

एक माननीय सदस्य : कुछ मुद्दे की बात कहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुद्दों की बात तो ले लेंगे। मुद्दे की बात आप क्या कहना चाहते हो कि आपकी लड़ाई के अन्दर हम भागीदार नहीं बनना चाहते।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक आदमी की क्या बात करते हैं, आप लाखों लोगों की बात कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लाखों लोगों की बात करें। कर्ज की बात तो आप सबने कह दी। उसको बार-बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। 30 करोड़ का कर्जा। सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, कि 170 करोड़ का प्रावधान है ही नहीं इसमें। प्लेन एण्ड सिम्पल यूनियन गवर्नमेण्ट के बजट में यह इण्डिकेट किया गया है कि जितना पैसा स्टेट गवर्नमेण्ट देगी उतना ही पैसा गवर्नमेण्ट ग्राफ इण्डिया से डिसबर्स हो जायेगा। तो 30 करोड़ का रखा प्रावधान आपने। 30 करोड़ वहां से आ जायेगा। 60 करोड़ का मतलब कितना हुआ, 60 हजार आदमी। नहीं आपने 110 करोड़ का कहा है और उम्मीद करते हैं कि आ जायेगा, आ कहां से जायेगा। जब आपने 30 करोड़ का प्रावधान किया है उससे ज्यादा आने वाला ही नहीं है ये मुद्रांक शुल्क एक ये सबसे बड़ा शुल्क का रेशनलाईजेशन किया है अध्यक्ष महोदय, ।

(2.55 म.प.)

(श्री रामनारायण विश्नोई सभापति, पदासीन)

'यह आप सबसे बड़ा देख लें, सर। आज तक मैंने न तो ऐसा कभी बजट सुना न इस बजट की कोई कल्पना कर सकता है हाईयेस्ट रेट के अन्दर टैक्स की रेट कम हो। इतना टैक्सेशन की पॉलिसी है और स्कीम है इसमें हाईयेस्ट रेट के अन्दर टैक्स ज्यादा होता है यहां पर 50 हजार के बाद में टैक्स की रेट उल्टे कम की है पचास हजार रुपये से तो 540 रुपये के 5405 रह गये हैं और पचास हजार के ऊपर, तीन लाख के ऊपर और बढ़ा दिया है। (व्यवधान)

नहीं आप पढ़ के नहीं आये है फीगर्स। लेकिन हाईयेस्ट स्लेब पर बढाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गोयल साहब कह रहे हैं कि मुकदमे में भी ऐसा ही करते थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं सही है आप कह रहे हैं जो लेकिन यह सही है कि यह हायर स्लेब के अन्दर इन्होंने बढाया है और इन्होंने सोचा मैं होशियार हूं। यों ही बोल लूंगा। देखो जी आप जो बात कह रहे हैं नहीं वास्तविक बात है लेकिन हायर स्लेब में बढाया है इसलिये आप इन्कार नहीं कर सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गोयल साहब कह रहे हैं कि मुकदमे भी ऐसा ही करते है ये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गोयल साहब का मुकदमा आया ही नहीं है कभी। आपका मुकदमा जरूर देखा है मैने। (व्यवधान)

तो अध्यक्ष महोदय, विलास कर की बात है अब यह सब रीपिटेशन की बात है लेकिन यह विलास कर मुख्यमन्त्री जी तो हमेशा सरकारी आवास में ठहरते हैं क्योंकि पहले भी प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। इन्होने बजट तैयार किया है। वो भी इसी में ठहरते हैं सरकारी आवास में। पांच रुपये में बढ़िया मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बडी बात यह समझनी चाहिए कि एक सौ रुपये तो मामूली टेक्स केश लगते है आजकल सौ रुपये तो मामूली कमरा जो शेखावाटी और बीकानेर होटल के अन्दर सौ डेड सौ से कम तो कोई कमरा मिलता ही नहीं। लेकिन आपने बजट में कहा जरूर है कि अभिजात्य वर्ग के ऊपर आम आदमी के ढाई सौ रुपये ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आम आदमी की बात कह रहे है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आम आदमी को मिलता है सौ रुपये और क्या।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इतना तो मामूली बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल कुल मामूली बात है

श्री महावीर प्रसाद जैन : आम आदमी के लिए सौ रुपये मामूली बात है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल मामूली बात है

श्री महावीर प्रसाद जैन : सौ रुपये रोज का कमरा, मामुली बात है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब की बात नहीं कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आम आदमी के लिए सौ रुपये मामूली बात है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल मामूली बात हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सौ रुपये रोज का कमरा मामूली बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिडिल क्लास आदमी को सौ रुपये के बिना कमरा नहीं मिलता आजकल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो आप मिडिल क्लास में नहीं हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अजी मैं किस क्लास में हूं छोड़ो, आप कौन-सी क्लास में हैं छोड़ो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपने अनुसार मत कहो, आम आदमी की बात कहो। मिडिल क्लास........

एक माननीय सदस्य : राजहंस में 20 रुपये में मिलता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजहंस में 20 रुपये में मिल जायें वहां तो डोरमेंटरी में पांच रुपये में मिलता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय कुल मिला करके आज ये एक कन्फ्यूज्ड बजट है, दिशाहीन बजट है। मुख्यमन्त्री जी का जो तरीका है वह है कि कभी तो समझते हैं वो कि गरीब आदमी को मदद दें और फिर वापस कदम रुक जाता है उसका। क्योंकि उनका कमीटनेण्ट पार्टी के अन्दर प्रेशर है और वो ये प्रेशर है तमाम जो महावीर जी माननीय सदस्य टोंक से आने वाले जो हैं आर. एस. एस. के लोगों का। अब ये रत्न के ऊपर इन्होंने कर के ऊपर छूट दी है। 20 रुपये के ऊपर इन्होने कर दिया। तो ये इट लॉबी से दबते हैं इधर से ये दूसरी लॉबी बनती है जनता दल के किसान वर्ग की। अभी मुझे बताया ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जौहरी बाजार में कभी आप गये। वहां पर बेचते हुए, पुड़िया लेते हुए देखा आपने ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो जौहरी बाजार में छोटे से बड़ा हो गया। आप तो श्रीमान जी अब आये हो, यह बात छोड़ो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको यही पता नहीं है कि हजारों लोग जौहरी बाजार में सड़क पर खड़े होकर मजदूरी करके जवाहरात के तराश करके और वह हीरा और वह जो है सड़क पर लाकर बेचते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं मजदूर पर कर थोड़े ही लगता है कर तो उसके मालिक पर ही लगेगा न। तो ये जो कन्फ्यूजन है। यह कन्फ्यूजन है कि जनता दल खिचाई करता है, उधर आप कांग्रेस को बुरा कहना चाहते हैं, कांग्रेस से की आपरेशन नहीं लेना चाहते। आज यह ट्रांसफर्स वाला मसला आया, इस लिये नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं अपने बजट भाषण में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं मुख्यमन्त्री जी आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है यहां पर किसी भी स्टेटमेंट के विषय में आप इस प्रकार की बात आप कहते हैं कि व्यक्तिगत आपसे मिलो उससे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छा प्रशासन राजस्थान को प्रदान करोगे। लेकिन या तो आप सिर्फ कहते-कहते हैं और आपकी मन्शा ठीक नहीं है, आपका अपने मंत्रिगणों पर नियंत्रण नहीं है या अपका प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। यह मैं नहीं समझ सकता कि असली बात क्या है ? लेकिन यह बात बिल्कुल निश्चित रूप से है कि या तो आप खुद बहुत कन्फ्यूज्ड हैं या पूरे राजस्थान के अन्दर कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते है। अगर आप इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक प्रशासन यहां पर प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक तो आपको ब्यूरोक्रेसी के सहारे नहीं चलना पड़ेगा, दूसरा आपको बदला लेने की भावना से नहीं चलना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं अपने भाषण में एक सुझाव और देना चाहता हूं कि एक प्रावधान किया होता पार्लियामेंट्री इन्स्टीट्यूशन्स के लिये, हैदराबाद में एक इन्स्टीट्यूट है, उस तरह का बजट में एलोकेशन कर देते। उस इन्स्टीट्यूट का फायदा हम भी उठायेंगे, मैं यह नहीं कहता हूं लेकिन रूव की-बार देवी की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कृपा से आप के बहुत से मेम्बर जीत कर आ गये हैं पहली दफा आये है....

एक माननीय सदस्य : वास्तविक बात है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाऊस की डिबेट का स्टैन्डर्ड बढ़ेगा कन्स्ट्रक्टिव डिसकशन हालत में होगा और उसके अन्दर कांग्रेस के मेम्बर भी जायेंगे। सभापति महोदय, प्रधान, प्रमुख, सरपंच व विभिन्न जनतांत्रिक प्रतिनिधि वहां पर आ सकते हैं महीने दो महीने के कोर्सेस होंगे और निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम सामने आयेगा।

सभापति महोदय, एक जो आपने चिकित्सालय के लिये मुख्य मन्त्री कोष बनाया है यह बड़ी अव्यवहारिक चीज है। सभापति महोदय, कोई भी चिकित्सालय भवन के लिये कोई राशि देना चाहेगा तो पहले उसके ऊपर अपना शिलालेख लि वाता है। आपको क्या देगा। मद्रास में जाकर कमायेगा, आसाम में कमायेगा, वापिस आकर चिकित्सालय भवन बनवायेगा या चिकित्सालय भवन में दो कमरे बनवायेगा तो अपनी माता जी का, अपने पिता जी का किसी का नाम लिखवायेगा और अपने गांव में बनवायेगा। मैं समझता हूं आपका यह कोष कामयाब होने वाला नहीं है। कामयाब नहीं होने वाला है तो आप ललित किशोर जी के पास ही रहने देते। चिकित्सा मन्त्री जी का ही कोष बनवा देते। आपने एनाऊंस करके मुख्यमन्त्री कोष बनवाया। चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर तो निश्चित रूप से तो बहुत साहस की जरूरत है। सभापति महोदय, सीधी-सपाट बात यह है यह सब तंत्र बिल्कुल यथा विद्यमान हैं। केवल ऊपर-ऊपर से राज बदल जाते हैं। चाहे अस्पताल का लो, चाहे डाक्टर्स का लो, पी. डब्लू. डी. का लो चाहे इन्जीनियर्स का लो, इस सब व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये आपको साहस की आवश्यकता है और आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अमुक अफसर कांग्रेस का है और अमुक अफसर जनता दल या भारतीय जनता पार्टी का है, आफिसर का कमिटमेन्ट चेयर के साथ है, आदमी के साथ नहीं है। उस व्यवस्था के अन्दर परिवर्तन लाना पड़ेगा और उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आपका कोई इरादा दिखता नही है। महज भ्रष्टाचार की बात करने से बात बनने वाली नहीं है। आपने को-आपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर शिविर लगाये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब यहां पर कह रहे थे उनसे पूछा एक भी एफ. आई. आर. दर्ज कराई क्या ? सबस्टांशियल बात आपने की है यह बताया है आपने।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय।

सिनेमा मालिकों को आपने कह दिया रेट बढ़ा लो आप....

एक माननीय सदस्य : चन्दा दिया होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रहने दीजिये, मैं इस प्रकार की बात नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं....

Page No. 109

109

श्री महावीर प्रसाद जैन : एफ. आई. आर. दर्ज करायेंगे कईयों के मामले सामने आ जायेंगे। सुरेन्द्र जी तो बदला लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं किन-किन से इनकी दुश्मनी है और सोसाइटी में कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनकी एफ. आई. आर. क्यों नहीं लॉज हुई यह है इनका दर्द। और आप यह निश्चित रूप से मानिये वह चाहे कोई भी हो, एफ.आई.आर. लाज होने वाली है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बोल लो।

एक माननीय सदस्य : आप मन्त्री बनें तब बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को टोंक और निवाई के बाहर कुछ नजर ही नहीं आता। यहां बैठ कर वही बातें करते हैं। हम एक जिले से आते हैं, हमारे मन्त्री महोदय भी बैठे बैठे मुस्करा रहे हैं यह भी जानते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो आपकी बात सुनकर मुस्करा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यहां पर तो व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं सारे राजस्थान की बात करते हैं। महावीरजी का दृष्टिकोण इतना संकुचित है कि टोंक और निवाई के बाहर और कुछ नजर नहीं आता उनको तो यही नजर आता है सुरेन्द्र जी कह रहे हैं टोंक वाली बात कह रहे होंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक की बात जयपुर से लिंक्ड है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं कहता हूं आपको मौलिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। आज पी.डब्लू.डी. के अन्दर हैड बहुत हैवी है कितने चीफ इन्जीनियर हो गये? मैं उस में नहीं जाना चाहता कहीं विवाद होगा तो अमुक व्यक्ति को चीफ इन्जीनियर बनाने के लिये ज्यादा चीफ इन्जीनियर बना दिये, होंगे आज तो आवश्यकता नहीं है आप को आज उसको घटाना चाहिये। पुलिस के अन्दर कितने आई जी हैं? नीचे के लेवल के एक ए.ई.एन. के बार चीफ इन्जीनियर हैं आप एक्नामीक्ट करने की बात करते हैं। मुख्य मन्त्री जी ने यह बात यहां पर कमिट की थी कि जब अगला बजट पेश करूंगा उसके पहले कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश कर दूंगा। कौन सी रिपोर्ट पेश कर दी आपने? और आपने कह दिया 30 करोड़ रुपये का खर्चा बचा दूंगा। किस आधार पर कह दूंगा 30 करोड़ रुपये का खर्चा बचा दूंगा। सभापति महोदय, यह बहुत दुःख का विषय है मुख्य मंत्री जी के पास, राज्य सरकार के पास कोई जादू है? समिति की रिपोर्ट आपने सदन में पेश नहीं की, समिति की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई और आपने किस आधार पर कैलकुलेट कर लिया कि 30 करोड़ रुपया बचा लेंगे....

श्री सभापति : आपने अभी तक अपने सुझाव भेजे नहीं है मुख्य मंत्री के पास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे सुझाव का प्रश्न नहीं है सभापति महोदय। मैं इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं। मैं जानता हूं यह कोई एकनामी करने वाले नहीं है। एकनामी मुख्य मंत्री के लेवल पर नहीं हो सकती, एकनामी हो सकती है अफसरों के लेवल पर। मंत्री हैं कितने से सभापति महोदय, क्या फर्क पड़ता है कितना सा खर्च होता है। बात यह है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कि विरोध इनका और हमारा आमने सामने दिखता है यह हम को कहते हैं और हम इनको कहते हैं। यह भूल जाते है जो असल तीसरी क्लास बैठी हुई है वह न इनको घास डालती है न हमको घास डालती है वह यथावत बैठी रहती है। आप बताईये आज कितने कार्पोरेशन्स है उन कार्पोरेशन्स के अन्दर आई.ए.एस. चैयरमैन लगे हुए हैं हर आई.ए.एस. आफिसर के पास दो तीन गाड़ियां हैं आराम से चलती हैं मैं सभापति महोदय, यहां, पर इस बात की मांग करता हूं आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताइये जनता दल के लोगों को बताइये, चैयरमैन बनाइये, मुझे आपत्ति नहीं है। यह जरूर अनुरोध करूगा कि जिनका रिजल्ट खराब है उनको मत बनाओ। यह मैं नहीं मानता हूं अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगें। यह भी आपका कहना सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है आप बिल्कुल यह कह देते है, कांग्रेस के अन्दर बहुत अच्छे लोग है, कांग्रेस ने बहुत काम किये हैं। कल जब आप चुनाव हार जाओगे तो फिर यही कहा जायेगा। यह बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। इसका मतलब आपने 1977 में बिल्कुल काम नहीं किया। मैं तो मानता हूं यही होगा चुनाव के वक्त कई फैक्टर्स काम करते हैं लेकिन मैं यह मानता हूं यह जो प्रशासनिक अधिकारी आपने बैठा रखे है चैयरमैन उनको आप हटा दीजिये और पोलिटिक्ल आधार पर भी आप अपांइट कीजिये तो उसमें मैरिट देखिये उसमें गलत तत्वों को प्रोत्साहन न दें।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई मन्शा राज्य सरकार की है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहे तब तो इस प्रदेश के अन्दर उसका परिणाम सामने आयेगा अन्यथा एक पब्लिसिटी ओरेन्टेड वर्किंग जो इस राज्य सरकार का है उससे न तो कोई लाभ मिलने वाला है और न उससे विकास होने वाला है। कतई आप यह मान कर चलिये अगर आप ज्यादा ब्योरोक्रेसी के साथ लगे रहे, ब्योरोक्रेसी जिस तरह से आज हावी है आप यह समझ लीजिये आपकी परिणति क्या होगी? ब्यूरोक्रेसी आपका बंटाधार करेगी। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं दुनिया में बेईमानी भी होती है तो बुद्धिमानी से होती है पक्षपात भी होता है तो बुद्धिमानी से होता है....

मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता कि बैंकों के अन्दर स्टेटमैन्ट आयेगा कि आपने अपनी समझ से समझ लिया कि अब मियाद खत्म हो गई। अब आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया। हाई कोर्ट से सर्टिफाई भी हो गया। नगरपालिका के अन्दर क्या किया आपने नगरपालिका के चुनाव नहीं कराना चाहते। कोई न कोई बहाना लगाकर टालेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या है? सभापति महोदय, आप स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उच्च न्यायालय के अन्दर आप समझेंगे कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन पर आब्जेक्शन्स इन्वाइट किये और आब्जेक्शन्स इन्वाइट करने में इनके कार्यकर्ताओं ने मान लीजिये वार्ड के आब्जेक्शन्स लिये। मालपुरा में 106 वार्ड है। एक से सोलह तक नया प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। उसमें लफ्ज जो है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एक्चुअल में कि आब्जेक्शन्स कन्सीडर करने के बाद, म्युनिसिपल बोर्ड की रिपोर्ट को कन्सीडर करने के बाद, 'may amend, alternate or modify' सभापति महोदय, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि उस ड्राफ्ट पब्लिकेशन्स को अलग हटा करके सब्सीटीट्यूट कर दिया उस आब्जेक्शन्स को। तो वह आब्जेक्शन्स की परिभाषा में नहीं आता मैं आब्जेक्शन्स तो होता है एक वार्ड में हो, दो वार्ड में हो, तीन वार्ड का हो, चार वार्ड का हो। पूरा का पूरा नया प्रारूप ही प्रस्तुत कर दिया और उस प्रारूप को सब्सटीट्यूट कर दिया उससे। न तो अल्ट्रेशन में न मोडीफिकेशन में और न अमेन्डमेन्ट में आता है। सब्स्टीट्यूशन है और इसका विकल्प क्या है। अब मतलब हाई कोर्ट जावो, रिट करो, election delay करो, मैं सिर्फ निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस आधार पर कोई आप अपनी राजनैतिक शक्ति नहीं कायम कर सकते हैं। अगर आपको राजनैतिक शक्ति कायम करनी है तो अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना पड़ेगा यह संकुचित parochial जो आपका, बिल्कुल आर. एस. एस. का चश्मा पहन करके आपने बना रखा है, उससे कहीं आप नहीं जाने वाले। आपका broad base नहीं बनेगा। अभी तो स्वायत शासनमंत्री महोदय यहां बैठे है सभापति महोदय, यह तमाम, उसमें क्रिमिनल डिवाइड के अन्दर हिन्दू वोटों से जीत-जात कर आ गये। अगर इस संस्था को आदमी बनाये रखना चाहते हो आप अपने एटीट्यूट को ब्रोड करो। दूसरे लोगों को साथ लो और पोलिटिकल चैलेंज को पोलिटिकल लेवेल पर निपटो। तब आपके अन्दर होगा। सहृदयता रखो। इतने संकुचित विचार से मत चलो देश प्रदेश के हित में काम करो और रचनात्मक सहयोग हमारी पार्टी हमेशा आपको देगी, यह बात मानकर चलिये। जो आप जिस तरह का कार्य करेंगे उसका हम पुरजोर शब्दों.... यह कह रहे हैं साहब यह कह रहे हैं सहयोग दीजिये हमको।

एक माननीय सदस्य : आप आमंत्रित....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं आप नहीं यह आपके दृष्टिकोण का परिचायक है। आप सहयोग दीजिये न। नहीं नहीं आपको सहयोग नहीं चाहिये ....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : आप अगर रचनात्मक सहयोग देंगे तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मुझे कुछ भी नहीं कहना राजस्थान की जनता इस बात को जान जायेगी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को कहता हूं कि हम आपको रचनात्मक सहयोग देंगे और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें आपका सहयोग नहीं चाहिये....

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : आप देंगे रचनात्मक सहयोग।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर ये हमारे सहयोग के बिना राजस्थान चलायेंगे, यहीं नहीं, आप देखें, आप तो बीच में फसे हैं। ऐसा भी तो आपकी तरफ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक विचारधारा थी कि समानता आपकी तरफ बैठती है और सत्ता की तरफ उधर खिचते हैं आप। इसलिए आप तो बीच में फंसे हैं...

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय व्यासजी, आपका सक्रिय सहयोग लेने के लिए हमारे द्वारा इश्तिहार में निकलवा दिया है। अब तो सहयोग देने का सवाल ही कहां है आप द्वारा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सहयोग नहीं लेना है आपको।

एक माननीय सदस्य : आप दे ही नहीं सकते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : हम तो तैयार खड़े हैं। आप देने वाले ही नहीं है। आपके स्वभाव में ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, यह कहा गया है कि इनको सहयोग देना ही नहीं है। हमको सहयोग लेना ही नहीं। बात एक ही हो गई। तो सभापति महोदय, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और यह बात बहुत विनम्र शब्दों में है। मैं निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार का दृष्टिकोण आप रखते हैं, उस दृष्टिकोण पर आप मत चलिये। यह तो सब आने जाने वाली चीजें हैं। कांग्रेस का धरातल और जनाधार बहुत मजबूत है। अगर आप हमारा सहयोग लेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा और दो पैसे आपको भी फायदा होगा, आपकी भी अच्छी इमेज कायम होगी। हमारा सहयोग नहीं लेंगे आप और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस प्रकार से काम करेंगे आप तो शायद बहुत कम टाइम लगेगा कि वापस आप अपनी वह "पुनः मूषको भवः" वाली बात आपको याद होगी सभापति महोदय, तो वापस पुन "मूषको भवः" से जनता आपको "पुनः मूषको भवः" कर देगी और आप वापस जो है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : (व्यवधान) आप एनलाइटन होना चाहते थे कि आप बहुत अच्छा भाषण बजट पर देंगे और सारे सदन का एनलाइटन करेंगे। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपसे अपेक्षा थी कि आज आप एक बहुत अच्छा एक उत्तम किस्म का बजट पर भाषण देंगे, वह आज सम्भव नहीं हो पाया, इसके लिए हमें बहुत खेद है।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पतसिंह (अनुपस्थित)

माननीय श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय सभापति महोदय, 27 जून, 1990 को राजस्थान के मुख्यमन्त्री और वित्त मंत्री के रूप में सदन में जो 1990-91 का संशोधित बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं उस बजट का स्वागत और समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। उक्त बजट में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने 30 करोड़ रुपये की बचत का जो प्रावधान रखा है, हमारी पिछली सरकार चुनावों से कुछ समय पूर्व यह आभास हो जाने के कारण कि अब यह सत्ता हमारे पास रहने वाली

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं हैं, उसने सरकारी खजाने को बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी से खाली करने के लिए खैरात बांटने का काम किया और हमको विरासत में खाली खजाना मिला। आज जो भी आर्थिक स्त्रोत और संसाधन राज्य सरकार के पास है, उनका पूरा उपयोग लेते हुए ही इस प्रदेश की विकास की गति के चक्र को आगे बढ़ाया है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उक्त बजट में जो तीस करोड़ रुपये की बचत का प्रावधान किया है, वह स्वागत योग्य हैं। दूसरा पिछले वर्षों की अपेक्षा उक्त बजट में 161 करोड़ रुपये योजना मद में अधिक प्रावधान रखकर जो राज्य सरकार ने 956 करोड़ रुपये का योजना मद प्रस्तुत किया है इससे राजस्थान का चहुंमुखी विकास होगा। राजस्थान प्रदेश में विकास की गति अधिक तीव्र और तेज होगी। विद्युत के मामले में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान राजस्थान में लगने वाले 3 ताप विद्युत गृहों को केन्द्रीय सरकार ने धनाभाव के कारण बन्द करने का काम किया था आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री और केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री माननीय आरिफ मोहम्मद खां की सहानुभूति से ऐसा लगने लगा है कि धौलपुर, सूरतगढ़ आदि के जो तीन ताप विद्युत गृह पिछली सरकार ने बन्द कर दिये थे, यह पुनः चालू हो सकेंगे।

(3.17 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति पदासीन)

और इनके चालू होने से राजस्थान के किसानों और लघु उद्यमियों को और अधिक विद्युत उपलब्ध करा पायेंगे जिससे औद्योगिक विकास और काश्तकारों की एक हद तक समस्या का समाधान होगा।

नम्बर चार कुआं खोदने के लिए बीमा योजना। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है। यहां के लोगों को पीने के पानी और सिंचाई के पानी का बड़ा अभाव है। यहां की भौगोलिक परिस्थियां भी अन्य प्रान्तों की बनिस्पत बिल्कुल भिन्न है। कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता कि किस स्थान से कुआ खोदने पर पानी उपलब्ध हो सकेगा और किस स्थान पर काफी पैसा बरबाद करने पर भी काफी मेहनत और मशक्कत करने पर भी कुआ खोदने के पश्चात् उसमें पानी नहीं मिलेगा, इस भय और डर से राजस्थान का काश्तकार कुआ खुदवाने से डरते थे। उक्त बजट में कुआ खुदवाने के लिए बीमा योजना लागू करने और किसानों को और आम लोगों राहत पहुंचाने का काम किया है। उक्त बीमा योजना में प्रीमियम की आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी, आधी राशि कुआ खुदवाने वाले व्यक्ति को वहन करनी होगी। परन्तु अपनी निश्चित सीमा पार करने के बाद भी पानी नहीं मिलता तो किसानों को निराश करने की बजाय उक्त बीमा की धनराशि वापस मिलने से उसको सन्तुष्टि हो जायेगी। इसका भी मैं स्वागत करता हूं। सामुदायिक ट्यूबवैल की योजना—इस बजट में सामुदायिकता को बढ़ावा देने के लिए जो ट्यूबवैल की योजना लागू की है कि किसान अगर सामुदायिक कुए खुदवायेंगे तो उनको राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जायगा। माननीय सभापति महोदय, इससे राजस्थान के काश्तकारों को, राजस्थान के उन लोगों

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को काफी राहत महसूस हुई है जो सामुदायिक रूप से अनुदान प्राप्त करके कुएं खुदवायेंगे, उनको इससे बढ़ावा मिलेगा।

जहां तक जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र और हमारे चुनावी वायदे का सवाल है, यह सही है कि हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अभी हमको सत्ता संभाले हुये तीन महीने हुए हैं लेकिन हम जनता से वचनबद्ध थे, हमने जनता की अदालत में यह वायदा किया था अगर आप हमको वोट देने का काम करेंगे तो हम आपके दस हजार तक के कर्जों को माफ करेंगे। उक्त बजट में किसानों के दस हजार तक के सहकारी ऋण माफ करने की घोषणा करके राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने किसानों के लिये राहत देने का काम किया है परन्तु इसमें जो बुनकर और दस्तकार हैं, जिनके 1.4.86 तक के ऋण माफ करने का प्रावधान रखा है मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निहायत संजीदगी के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी भी 1.10.89 तक की घोषणा कर दी जाय तो राजस्थान के बुनकर और दस्तकारों को पर्याप्त मात्रा में इसका लाभ मिल पायेगा।

भूमि रूपान्तरण—भूमि रूपान्तरण का जो सरलीकरण करने की घोषणा की गई है मैं इसका भी स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, कांग्रेस के इतने लम्बे शासनकाल के बाद आज भी राजस्थान की निरक्षरता उतनी की उतनी बनी हुई है। हम इसके साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ा नहीं पाये हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले विधान सभा के अंतिम सत्र में चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जो थोथी घोषणाएं की थीं और बड़ी संख्या में स्कूल खोलने का काम किया था, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चाहे मेरा निर्वाचन क्षेत्र झूंझुनूं हो, चाहे राजस्थान के दूसरे हिस्से हों, आप राजस्थान के स्कूलों की हालत यह बनी हुई है अगर बच्चे पेड़ की छांव के नीचे बैठ कर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर गांव के लोगों ने चन्दा चिट्ठा इकट्ठा करके दीवार बनाने का काम किया तो ऊपर छत नहीं, जैसे तैसे करके छत डाली तो नीचे बैठने के लिए दरी पट्टी नहीं। बच्चे भी पढ़ना चाहते थे, नीचे बैठ कर शिक्षा अर्जित करें तो प्रशासन का आलम यह था कि गांव का सरपंच दरख्वास्त भिजवाये, हमारे गांव में अंग्रेजी के अध्यापक की आवश्यकता है तो दूसरे दिन धोती पकड़ कर संस्कृत के पण्डित जी चले जाते हैं कि संस्कृत का अध्यापक लगा दें इसलिये खाली स्कूल खोल देने से, खाली स्कूल भवन देने से या खाली घोषणाएं कर देने से हम शिक्षा के जगत में कोई ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं। एक शायर ने सही कहा है कि :—

"मस्जिद तो बना दी पल भर में,
ईमा की हरारत वालों ने।
पर मन जो पुराना पापी था,
बरसों में नमाजी न हो सका।।"

माननीय सभापति महोदय, अगर आप यह मानते हो या हमारे विपक्षी साथी यह समझते हो कि केवल मात्र इस बजट में सैंकड़ों स्कूल खोल देने या कालेज खोल देने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

से हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का काम कर रहे हैं तो यह बात ठीक नहीं है। जो पहले से स्कूल खुले हुए हैं उनमें अध्यापक लगाये जाने चाहिए, और शैक्षणिक वातावरण सुधारा जाना चाहिये, वहां की शिक्षा की और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री का पूरा प्रबन्ध किया जाना चाहिये। उक्त बजट में 7500 ऐसे प्राइमरी स्कूलों की जहां अभी एक अध्यापक कार्यरत है उसको एकल अध्यापकीय द्वि अध्यापकीय बनाने की घोषणा की है यह स्वागत योग्य है, इससे 7500 अध्यापक और लग कर उन विद्यालयों में सही रूप से शिक्षा का काम कर सकेंगे। 10+2 की शिक्षा की योजना में 150 नए सैक्शन खोलने से जो सैकण्डरी एजुकेशन में विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या है, बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकता को देखते हुए जो 150 नये सैक्शन खोलने की घोषणा की, मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे आधा घन्टे का समय दिया गया है, कांग्रेस के सदस्यों को पांच पांच मिनट का समय था। हमारा तो एक घंटा 32 मिनट का समय बाकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो व्यवस्था आज है उसके अनुसार काफी बोलने वाले हैं और दस मिनट से अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। आठ मिनट पर पहली घन्टी बजा कर उसके बाद आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, जहां तक तकनीक शिक्षा का सवाल है, विश्व बैंक की 45 करोड़ रुपये की सहायता से जो मोटर चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की गई है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। आज काफी नौजवान बेरोजगार हैं, वह कोई न कोई काम सीखना चाहते हैं। जयपुर में कई प्राइवेट लोगों ने ड्राइविंग प्रशिक्षण के केन्द्र खोले हुए हैं जो हजार हजार रुपये तक की फीस वसूल करते हैं और सरकार के यातायात और लाईसेंस नियमों में मोटरिंग स्कूल का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है इसलिए तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत जो ड्राइविंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है मैं इसका भी स्वागत करता हूं।

अन्त्योदय योजना पुनः चालू करने की घोषणा इस बजट में जो की गई है, विगत 77 से 80 के जनता शासनकाल में अन्त्योदय योजना से हजारों लोगों को लाभान्वित किया गया था। उक्त योजना गरीबों और पिछड़े तबके के लोगों के लिये वरदान साबित होगा, मैं इस अन्त्योदय योजना का भी स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक जवाहरात और रत्नों के कर में छूट देने का सवाल है, जयपुर राजस्थान और हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के उन कुछ केन्द्रों में से एक है जहां जवाहरात का काम बहुतायत और बड़ी संख्या में किया जाता है। आज विपक्ष ने माननीय सदस्यों ने इस जवाहरात, रत्न चाहे सेमी प्रेशियस हो या प्रेशियस हो चाहे रफ, खरड़ हो उसमें जो कर में छूट देने की घोषणा को पूंजीपतियों और अमीर

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

लोगों को छूट देने की बात कही है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपके पिछले शासनकाल में जवाहरात उद्योग के अन्दर संलग्न शिल्पी जो नगीने बनाने का और इसके निर्माण का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन भर में नगीने की घिसाई चाहे वह चिन्दरे पर की जाय, चाहे वह पटसान पर की जाय उसमें दाढ़ी बनाने में जितना पानी खर्च होता है उतना पानी इस जवाहरात उद्योग में लगने वाले श्रमिक द्वारा खर्च किया जाता है. उक्त सरकार ने अपने शासनकाल में उस पानी को कमर्शियल करके क्या उन श्रमिकों के साथ न्याय किया था ? मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जो कामर्शियल बिल उसका किया है उसको वापस डोमेस्टिक किया जाना चाहिये क्योंकि वह बहुत कम पानी यूज किया जाता है। उसके बावजूद भी उनके बिल इतनी बड़ी तादाद में बढ़ा कर दिये जा रहे हैं। उक्त जवाहरात उद्योग में छूट देने से जयपुर का पारम्परिक और ऐतिहासिक उद्योग है इसको निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारा पर्यटन भी जुड़ा हुआ है। ब्राजील से रफ आती है. रसिया से रफ आती है और दूसरे देशों से इसका रा मैटेरियल आता है, वह लोग इस धंधे के संबंध में यहां आयेंगे तो इससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जहां तक पेय-जल का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी और यह घोषणा करने के बाद भी कि राजस्थान के 34 हजार गांवों से हमने 32 हजार गांवों में पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुलभ कराने का काम किया है, आज भी राजस्थान में पेयजल का संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता। इसलिये मैं यह चाहता हूं, कम से कम हम और कुछ दे नहीं पाये, नये विद्यालय नहीं दे पायें, नये चिकित्सालय नहीं दे पायें, नई सड़कों का निर्माण नहीं कर पायें लेकिन कम से कम आदमी को पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी सुलभ करा पायें तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जहां तक वन का सवाल है हमें 228 लाख पौधे कृषि वानिकी के तहत वितरण करेंगे। सभापति महोदय, कागजों में पेड़ लगाये जाते हैं, लेकिन पेड़ सड़कों और जंगलों में कहीं दिखाई नहीं देते। हलत यह है कि कोई जायजा नहीं लेता इस बात का कि उनमें से कितने पेड़ लगाये गये, कितने जीवित रहे और कितने नष्ट हो गये। नतीजा यह निकलता है कि कागजों में संख्या ज्यादा रहती है और वास्तविक रूप में पौधे कम लगते हैं और इसका पर्यावरण और हमारे वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात राज्य सरकार को और कहना चाहूंगा कि खास करके 4 समुदाय और ग्रुप मिल करके हमारे समाज को और हमारी नीतियों को चलाते हैं। इस बजट में उन चारों में एक किसान वर्ग, एक मजदूर वर्ग, एक व्यापारी वर्ग और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके माननीय मुख्य सचेतक जी ने जितना समय दिया है उससे 5 मिनट आप ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और एक विद्यार्थी, छात्र वर्ग है। इस बजट में जहां एक तरफ व्यापारी वर्ग को पूरी राहत देने का काम किया है, किसानों को भी कुछ हद तक सुविधाएं प्रदान की है। मजदूरों को भी रंगाई, छपाई, जूट, मूंज, बांस, सोने-चांदी के वर्क, ज्योमेट्री बाक्स, पेंसिल, तेल रहित खल और मछली पर छूट देने का काम किया है परन्तु विद्यार्थियों और छात्रों को इस बजट में कोई नई राहत फराहम नहीं कराई गई। मैं आपके माध्यम से मुख्य-मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ सवाल हैं, जो पशुओं पर रवन्ना शुल्क और पशु मेलों पर जो टेक्स बढ़ाया है उसको वापिस लिया जाना चाहिए ताकि हम जो बड़ी संख्या में पश्चिमी राजस्थान में हमारे पशु पालक और किसान जिनके जीवन यापन के लिए यही साधन है, हम उनके साथ अन्याय नहीं कर पायें।

जहां तक युवकों को छोड़ दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में नौजवानों और छात्रों को भी चाहे रोजगार सुलभ कराने के माध्यम से चाहे नई उद्योग नीति से, औद्योगिकरण के माध्यम से हम उनको कुछ हद तक सुविधा प्रदान करें।

सभापति महोदय, आदमी के विचार बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। एक शायर ने सही कहा है—

"वह जो बस्ती के मकानात बदल सकते हैं
देखते-देखते हालात बदल सकते हैं
अरे, लोग तो वही रहते हैं लेकिन
खयालात बदल सकते हैं।"

आज हमने जनता के खयालात बदल कर यह जो सत्ता परिवर्तन किया है। उनकी आशा और अपेक्षा हम से है। जो चुनावी वायदे हमने खुली अदालत में जनता से किये थे। हमें उन्हें पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और मैं कुल मिला कर अपनी बात यही समाप्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री शिव किशोर जी सनाढ्य।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बजट के माध्यम से जो बातें कही गई हैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता लेकिन जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनमें से राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसियेट प्रोफेसर श्री एम. एल. छीपा की टिप्पणी इस सदन में दोहराना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामोन्मुखी है, रोजगारोन्मुखी है और गरीबों को राहत देने वाला बजट है। यह बजट अपने आप में एक ऐसा बजट है जो आज तक की परम्पराओं से हट कर प्रस्तुत किया गया है। आज तक के सम्पूर्ण बजटों में कर की राशि कम नहीं की गई बल्कि बढ़ाई गई लेकिन इस बजट में वित्त मन्त्री के रूप में माननीय भैरोंसिंह जी ने जिस तरह का बजट पेश किया उसमें करों की राशि को हटाया गया है, करों को हटाया गया है। इस तरह से उन्होंने जो कर वंचना अब तक राजस्थान में होती रही है, करों की चोरी होती रही है उसको रोका जायेगा और उसके कारण से जो अन्य राज्यों में हमारा व्यापार जाता रहा वह शायद रोक सकेंगे। इस तरह के बजट की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आलोचना करने वालों ने यह नहीं सोचा कि कॉमर्स और इन्डस्ट्री के जो महामन्त्री हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जिस तरीके से 'कर' की कमी की गई है उससे राजस्थान के उद्योग धन्धे पनपेंगे। इससे जो गृह उद्योग हैं उनमें जवाहारात भी आता है लेकिन जवाहारात शायद पूंजीपतियों के काम आते हैं इसलिए यह लगता है कि पूंजीपतियों को राहत देने के लिए यह जवाहारात का कर माफ किया गया है लेकिन इसमें लगे हुए जो नीचे के तबके के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको जिस तरह से राहत दी गई है अतः यह बजट किसी भी कीमत पर, किसी भी आधार पर यह नहीं कह सकते कि यह पूंजीपतियों का बजट है।

मान्यवर, जिस समय सदन में बजट पेश किया जा रहा था तब राजस्थान के वित्त मन्त्री के रूप में मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान इतने नम्बर पर है। ऐसी कौन-सी बात है, इन 40 सालों में हमारा कौन-सा प्लानिंग रहा क्या हमने कभी चर्चा की, कभी इस पर सोचा कि इन कारणों से आज जो मूलभूत आधार हम लोगों को, राजस्थान को प्राप्त होना चाहिए था उसमें भी हम 13वें नम्बर पर हैं। जो लोग आलोचना कर रहे हैं बजट की उन्होंने कभी उस प्लानिंग को देखा होता कि राजस्थान किस तरह से रेगिस्तान के, पहाड़ों के क्षेत्र में बसा हुआ है। किस तरह से इसकी वन सम्पदा का ह्रास हुआ है। आज वन सम्पदा में 3 से डेढ़ प्रतिशत कम करके आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को राहत पहुंचाई है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने इस बजट की आलोचना की यदि केन्द्रीय बजट को देखा होता। वादे तो सब लोगों ने किये हैं और सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में वादे किये गये हैं लेकिन आज उन वादों को पूरा करने की दृष्टि से यह पहला बजट है और इसमें जो राहत दी गई है कर्जा माफ करने की, किसानों की बात कही गई है तो शनैः शनैः ही तो वह सारा काम हो सकेगा। लेकिन बजट की दृष्टि से राजस्थान में जितना बजट आज रखा गया है उसके हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शनैः शनैः हमने जनता को जो वायदे किये हैं उनको पूरा कर सकेंगे लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और केबीनेट का इस मामले में भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के सन्दर्भ में आज उन्होंने कहा कि हम उनका पुर्नरीक्षण करेंगे। एक महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से पिछले 5–6 सालों से जो सर्विसेज से लोग रिटायर हो जाते हैं जिनके पद रिक्त रह जाते हैं उनको रोजगार नहीं दिया गया और पिछले सालों में कानून के जरिये यदि कोई चपरासी है या एल डी.सी. या यू. डी. सी. रिटायर हो जाय तो नीचे के काम करने वाले लोग है उनके पद रिक्त मान लिये जाते हैं। या तो मृत्यु या रिटायर हो जाय उसके बाद उसे भरा नहीं जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से सिविल सर्विसेज के अन्दर पद भरते हैं आज 1977 में जब आपकी सरकार थी तब से लेकर देखलें कि कितने नये पदों का सृजन हुआ है कितनी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नई योजनाओं के अन्दर कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस. लगे हैं। तो ऊपर तो सृजन होता चला गया उनका खर्चा बढ़ता चला गया और आज आप खर्चा घटाना चाहते हैं उस गरीब आदमी, लो एम्पलाई के द्वारा जिसको बहुत कम वेतन प्राप्त होता है। जो अपने पेट का गुजारा कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके जिन लोगों के माध्यम से यह समीक्षा होनी है वह लोग ऊपर के पद काटने के लिए तैयार नहीं होंगे। वह सारे के सारे लोग नीचे के पद काट करके आप लोगों को प्रसन्न करना चाहेंगे।

तीस करोड़ रुपये की जो बचत बतायी गई है वह कहां से किन मदों से निकालकर लायी गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4881 करोड़ का जो बजट दिया। आप प्रत्येक विभाग को यह निर्देश दें कि वह एक परसेन्ट की बचत करें। विभागों में जो फिजूलखर्ची होती है। जिस तरीके से धन का दुरुपयोग होता है। जिस तरीके से मंत्रियों के आगमन पर, जिस तरीके से बाहर से आने वाले वी आई पीज. के आगमन पर जो खर्चा किया जाता है। जिस तरीके की ऑफिसेज की व्यवस्था हैं। जिस तरीके से अफसरों के रहने का जो तरीका है। जिस तरीके से यह सारी की सारी जो चलने वाली आपकी एम्बेसेडर कार है। राजस्थान में एक परसेन्ट की भी मितव्ययिता करने का यदि राजस्थान की सरकार को निर्देश देंगे तो 48 करोड़ रुपये की बचत होगी और उस अड़तालीस करोड़ रुपये की बचत को विकास में लगा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान सरकार का बिना मंत्री जितने हैं उन सबको मेरा यह अनुरोध हैं, मैं यह भी अनुरोध कर रहा हूं आप लोगों से कि....

श्री रमाकान्त शर्मा : मितव्ययता समिति के भी अध्यक्ष हैं ये....।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन यह केवल नीचे के लोगों को, जिस तरीके से लोग समीक्षा कर रहे हैं, आपकी सीविल सर्विसेज की समीक्षा कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन हैं कि आज किसने पद सृजित किये गये हैं राजस्थान में ? 1977 में जब आपकी सरकार थी और आज वह आप मेहरबानी करके देखें। गरीब का पेट काटा जा सकता है लेकिन जो लोग आज सत्ता में सचमुच में राज कर रहे हैं। कहावत है भारतवर्ष में 'इन्द्र तो बदलते हैं, इन्द्राणियां नहीं बदलती।" आज इन्द्र तो बदलते हैं। आप बदले हैं मन्त्री के रूप में। लेकिन वहीं सीविल सर्विसेज के लोग हैं और उन लोगों का जिस तरीके का रवैया है, उस रवैये को देखियेगा। मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि अनुदानित संस्थाओं में, जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में, एडेड इन्स्टीट्यूशन में हैं उनके लिए हाईकोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन, उन लोगों को वही अधिकार प्राप्त है जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स को प्राप्त है लेकिन वह सरकार उन लोगों के कहने से सुप्रीम कोर्ट में चली गई। लेकिन उन लोगों का जो कोन्स्टीट्यूशनल राईटस है जो भारतवर्ष के संविधान में हमने स्वीकार किया है। जिसमें समानता का अधिकार है।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

समान काम करने के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है, उसके लिए राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गयी। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एटीट्यूट है, यह जो रवैया है। आपने कहा कि इरिगेशन के अन्दर इतने मजदूर सरप्लस हैं, पी डब्लू.डी. में वर्कचार्ज के इतने लोग, वन विभाग में इतने लोग सरप्लस हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन उन लोगों को नौकरियां दी गई थी, उस दिन काम था। यदि आपके पास काम नहीं हैं तो आप लोगों ने यह वायदा भी किया था कि हम हर हाथ को काम देंगे। जब हर हाथ को काम देने की बात हैं तो हम लोगों का यह दायित्व है कि हम लोगों की जरूरतों को, लोगों को रोटी मिले इसलिए उन लोगों को काम तो हम दें ही। हम नये काम खोजेंगे, जिनकी वजह से काम मिल सकेगा। आज नौजवान चाहते क्या हैं, आपसे ? आज यह फ्रस्ट्रेशन क्यों हैं ? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन महीने के शासनकाल में जो शासन आया है आप लोगों का जनता के अन्दर विश्वास पैदा हुआ है। जनता का काम होने लगा है। आज लोग यह कहने लगे हैं कि हम लोगों को वे तकलीफें नहीं हो रही हैं, जो तकलीफें पहले होती थीं क्यों नहीं हो रही ? इसलिए आज भ्रष्टाचार की गंगा जो इतने वर्षों तक बहती रही है, वह अचानक सूख नहीं जायेगी। वह भ्रष्टाचार राजस्थान में पनपता रहा। इस देश में पनपता रहा और उस भ्रष्टाचार के अन्दर उस सरकारी आदमी को भी उस काम करने वाले आदमी को भी लिप्त होना पड़ा। इस तरीके से प्रशासन की दुर्दशा सब लोगों के रहते हुए भी हो गयी। आज कोई भी काम लिये-दिये बगैर नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज लोगों के अन्दर यह विश्वास पुनः जागृत हुआ कि हम लोगो का काम बिना रिश्वत के भी हो सकता है और हम लोगों का काम होगा यह विश्वास पनपा है। लेकिन इस विश्वास को पनपाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत, और जिस तरीके से इस सदन के अन्दर श्री रामकिशन जी ने कहा था कि माननीय श्री भैरोंसिह जी जिन-जिन लोगों के खिलाफ आप बोलते रहे हैं। क्या उन सभी लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम इसी तरीके से बिना किसी लाग-लपेट के बिना चेहरों को देखे, जिन लोगों के भ्रष्टाचार के कारनामें आये हैं। मै शिक्षा विभाग की बात करता हूं। ब्लेक बोर्ड स्कीम की बात तो कुछ भ्रष्टाचार में आ गई है। जो संस्थाएं राजस्थान में खोली हैं, जिनके लिए सामान खरीदा गया। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि जिन नियमों के अन्तर्गत इस सामान को खरीदा गया था, उस सामान की जांच की जावे। देखा जावे कि जो नमूने आये थे, उन नमूनें के अनुसार है कि नहीं। गद्दे जो सप्लाई किये गये, उनमें रूई की जगह जूट भर दी गई है। जो सामान परचेज किया गया है। जो सैन्ट्रल परचेज हुआ है, करोड़ों रुपयों का परचेज हुआ है और आज उन्हें आप जहां-जहां जिस-जिस डिस्ट्रिक्ट में डाईट खोलने वाले हैं। आप पुनः उसकी परचेज करने वाले हैं। मेहरबानी करके उन नमूनों के अनुसार देख लीजियेगा। बाकी यह भ्रष्टाचार कभी रुक नहीं सकेगा। केवल

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अफसरों के सहारे से रह गया, केवल उन लोगों के भरोसे रहा गया। जिन लोगों के मुंह में खून लग चुका है। चाहे वह किन्हीं सर्विसेज का आदमी हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इन सर्विसेज पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन खोजना होगा। उन ईमानदार अफसरों को, खोजना होगा उन लोगों को जो राजस्थान के विकास में सहयोग तो दे सकते है लेकिन जिन लोगों के मन में राजस्थान के डवलपमेंट की बात है। जिनके मुंह में खून नहीं लगा है जिन्हें रिश्वत खाने का उन लोगो को तरीका नहीं रहा। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में जिस तरह से जनता में विश्वास आपके प्रति बढ़ रहा है आज आप लोगों ने जिस तरीके से योजनायें बननी चाहिए मेरे सामने आज जब समुद्र की योजना है। जिसके लिए 16·16 करोड़ रुपया सेक्शनड कर दिया गया, पिछली बार। उदयपुर में जो भयंकर जलाभाव रहा है, उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसे पूरा नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना की तकनीकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 88–89 में दे दी गई है लेकिन आज तक उसके ऊपर केवल चार करोड़ रुपया खर्च होना और उसकी वजह से उदयपुर के अन्दर जिस तरीके से पिछले तीन साल से लोग प्यासे मरते रहे। इस बार तो इन्द्र की कृपा हुई हैं और इसलिए लोग प्यासे नहीं मर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो पाईप लाइने है वहां पर जो फिल्टर प्लान्ट लगने वाले हैं वह जो समुद्र से पानी आने वाला है यह जो इण्डस्ट्रीज का डवलपमेंट हो रहा है वह नहीं हो सकेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस अवसर पर इरिगेशन मिनिस्टर साहब और पी.एच.डी. के मिनिस्टर साहब से कि वह वहां पर जो जलाशय हैं फतह सागर, पिछौला उनके अन्दर शहर का गंदा पानी आकर गिरता है। वहां पर जिस तरीके से लेक पैलेस होटल बना हुआ है महाराणा साहब का उस लेक पैलेस के अन्दर जो गन्दगी है वह भी उस तालाब में जाती है और वहां एक होटल और खोला गया है। लेकिन उसके अन्दर की गंदगी भी उसी के अन्दर जाती हैं। यह गंदगियां जो होटल के नाम पर जा रही हैं आज आप पर्यटन के नाम पर यह जो विकास कर रहे हैं होटलों का अगर उन्हीं क्षेत्रों में यह विकास होता रहा तो उदयपुर के लोग बिमारियों से पीड़ित हो जायेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पंच सितारा होटल की जो संस्कृति है। यह होटल जो घर-घर में बनते चले जा रहे हैं। पिछली सरकार ने होटल को उद्योग मानकर के पर्यटन के नाम पर जिस तरीके से घर-घर होटल खोल दिये हैं। उन होटलों की संस्कृतियों से इन देश की संस्कृति विनाश के नतीजे पर पहुंच जायेगी। जो कई काम उन होटलों के कारण से हो रहे हैं जिस तरीके से आज इसके माध्यम से यह मिडवे है यह होटल्स है। यह जो पर्यटन विभाग के होटल हैं इनमें जिस तरीके से मदीरालय खोल दिये गये हैं। जिस तरीके से शराब की खपत हो रही हैं। शराब से रेवेन्यू तो मिल सकती है। मान्यवर, राजस्थान का विकास यदि इसी शराब की रेवेन्यू से होना है तो देश का विकास नहीं हो सकेगा। यह जो देश की आने वाली पीढ़ी है। यह इस दश की पीढ़ी मिट जायेंगी। अगर इसी तरीके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से शराब की खपत इस देश में चलती रही। महात्मा गांधी और स्वरूपराणी नेहरू इन सब लोगों ने उस शराब के लिए जिस तरीके से डण्डे खाये हैं। जिस तरीके से उन लोगों को ब्रिटिश हकूमत के समय में अपमानित होना पड़ा था। मान्यवर, मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रवृति को रोकियेगा। वरना इस देश की जो सस्कृति हैं वह समाप्त हो जायेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर सभापति महोदय, मैं इस बात को समाप्त कर रहा हूं। केवल एक बात आप लोगों से और निवेदन करना चाहता हूं। हम आलोचना तो कर सकते है.... (व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था, मैं दारू की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात और भी कह कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, इस बजट के माध्यम से हम किसान की बात करें, हम कृषि की बात करें, हम सिंचाई की बात करें, परन्तु यदि हमने शिक्षा की बात नहीं की, यह शिक्षा जो मूल में है इस शिक्षा के माध्यम से इस देश का विकास हो सकता है, वह पीढी तैयार हो सकती है जिसे इस देश से लगाव होगा, इस धरती से लगाव होगा। जो विद्यालय जहां एक शिक्षक रहता था, मैं मुख्यमंत्रीजी की सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने दो अध्यापकों की व्यवस्था की है। यदि दो अध्यापक रहेंगे तो वह प्राईमरी स्कूल बंद नहीं होगा लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पंचायत राज में शिक्षा रही तो दो अध्यापक लगा दें या कितने भी अध्यापक लगा दें, इससे शिक्षा का सुधार नहीं होगा। क्योंकि हममें एक मानस हो चुका है केवल हुकूमत करने का और यह जो हुकूमत करने का मानस है वह सरपंच से लेकर मंत्री तक एक सा ही मानस है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमने इस देश में जनतंत्र स्वीकार किया है, मैं इसके पक्ष में हूं कि हमारी जो भी व्यवस्थायें हैं उनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए लेकिन विकेन्द्रीकरण के नाम पर केवल शिक्षा का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। और उन शिक्षकों पर हुकूमत होनी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि इससे शिक्षा का कभी विकास नहीं हो सकेगा। आज प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल जो पंचायतों को दिये हुए हैं वह शिक्षा विभाग में आने चाहिए। प्राइमरी की व्यवस्था अलहदा होनी चाहिए, यदि बड़ा विभाग हो गया है, इतने विश्व विद्यालयों का खर्चा हो रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी का एक अलग निदेशालय बना कर प्राइमरी शिक्षा की तरफ आप ध्यान दीजिए। आज हमें विदेश से भी पैसा मिल रहा है, केन्द्र से भी पैसा मिल रहा है और यदि शिक्षा की यही दुर्दशा रही तो शायद हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, चिकित्सा की तरफ ध्यान दीजिए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अपनी पार्टी को दिये हुए समय से सात मिनट ज्यादा ले लिया, अब समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बस अब समाप्त कर रहा हूं। मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा और चिकित्सा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दो महत्वपूर्ण पहलू है यह सोसियल सर्विसेज के अन्तर्गत आते हैं। हम जिन लोगों के क्षेत्र से चुन कर आये हैं, हमारा दायित्व है कि हम लोगों को सही शिक्षा दे सकें। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति नहीं हुई, राजस्थान में आज भी हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं, यह कलंक हम पर है लड़कियों के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, वनवासियों के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, मेहरबानी करके शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। चिकित्सा की जो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, आज डिसपेन्सरी तो आपने खोल दी लेकिन आपने कभी सोचा कि वहां पर यदि डॉक्टर ने कोई दवा लिख दी तो यह दवा कहां से आयेगी? क्या वहां पर केमिस्ट की दुकान है? केमिस्ट की दुकान नहीं खोली। पशु चिकित्सालय तो खोल दिये, डॉक्टर रख दिये, कम्पाउण्डर रख दिये लेकिन उस पशु के लिए दवा कहां से आयेगी? वह तो उसे दूर से लानी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के सदस्यों से और सरकार से कि वह औषधालय खोले, चिकित्सालय खोले, विद्यालय खोले लेकिन उसके पहले वहां जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। यही निवेदन करते हुए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (ओसियां) : माननीय सभापतिजी, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को वित्त मंत्री के रूप में 1990-91 के लिए परिवर्तित बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप बैठ कर बोलें, माईक बंद हो रहा है यह।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : सभापति जी, जो माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका कद बहुत ऊंचा है उनके लिए एक्स्ट्रा माइक की, ऊंचे माइक की व्यवस्था करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : मैं विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में ध्यान दें।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सभापतिजी, हिन्दुस्तान के अन्दर यह बहुत समय से महसूस किया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार के अन्दर स्थापित की गई नीतियों से हिन्दुस्तान का ग्रामीण विकास बराबर नहीं हो रहा है और यही नारा हिन्दुस्तान के अन्दर विरोधी पक्ष की पार्टियों ने लगाया कि हिन्दुस्तान में आज तक जो नीति कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई थी उस नीति का नतीजा यह निकला कि हिन्दुस्तान में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश होने के नाते जिस प्रकार की योजनाएं इस देश में लागू की गई उनका असर यह हुआ कि गरीब, गरीब होता गया और धनवान ज्यादा धनवान होता गया। देश में सबसे पहले एक नारा लगा कि ग्रामीण विकास के आधार पर देश की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और इसी नारे को समझ कर यह सौभाग्य की बात है कि नवम्बर, 1989 के अन्दर देश में एक बार फिर विरोधी पक्ष का शासन स्थापित हुआ। मैं इस बात के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री

Page No. 124

(24)

(श्री रामनारायण विश्नोई)

को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करने के बाद वित्तीय संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी होने के बावजूद भी इस बात की व्यवस्था की है, इस बात की कोशिश की है कि हम ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर हो सकें। हमने जो वायदे जनता से किये हैं उन वायदों के मुताबिक हम लोगों को कुछ दे सकें।

मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि ग्रामीण विकास की जो घोषणा की गई थी उसमें साठ प्रतिशत योजना राशि लगा कर इस बात को दर्शाया है कि वित्त मंत्री दिल से यह चाहते हैं कि ग्रामीण योजना का आधार हो ग्रामीण विकास के लिए बजट का साठ प्रतिशत पैसा लगाया जाकर हमने जो यह घोषणा की थी, आइन्दा आने वाले बजट के अन्दर, आज चाहे कम पैसा दिया जा रहा हो, उससे ज्यादा पैसा देकर हम ग्रामीण जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे कि राज्य की सरकार भी ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर है।

वित्त मंत्री महोदय की तरफ से दूसरे लोगों की जिन दिक्कतों की ओर ध्यान दिया गया है, जो छोटे व्यापारी थे उन व्यापारियों की दुविधा की तरफ भी ध्यान देकर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम का जो सरलीकरण किया गया है, यह भी सराहनीय कदम है। इसके अलावा जिस प्रकार की ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, ग्रामीण निशुल्क आवासीय योजनाएं हैं, कृषि से सम्बन्धित दूसरी योजनाएं हैं उन योजनाओं से यह बिल्कुल स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि वित्त मंत्री ने बराबर इस बात की कोशिश की है कि ग्रामीण विकास की तरफ बढ़ा जाये।

दो-तीन दिन से बहस हो रही है उसमें विशेष मुद्दे की बात यह है कि यह नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था वित्त मन्त्री के हाथ में आई उन परिस्थितियों के अन्दर किस प्रकार से क्या कदम उठाये जा सकते थे, इस बात के लिए वित्त मंत्री ने बहुत ध्यान रखने की कोशिश की है। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि वास्तव में सन् 1971 के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर जब पार्लियामेंट और विधान सभाओं के चुनाव अलग-अलग समय के अन्दर शुरू हुए उसके बाद से हमारी वित्तीय व्यवस्था के अन्दर काफी गड़बड़ी हुई है। हमने बराबर लगातार चार और पांच चुनावों के अन्दर यह देखा है कि पार्लियामेंट के चुनाव पहले होते हैं, विधान सभा के चुनाव बाद में होते हैं। नवम्बर, 1989 के अन्दर जब हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो उस वक्त भी जो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने घोषणाएं करके अनाप-शनाप पैसा अंट-शंट जगहों पर लगा कर खजाने के अन्दर काफी कमी करने की कोशिश की है और उसके फौरन तीन महीने बाद इस प्रकार की घोषणाएं की गई-जगह-जगह स्कूल खोलने की घोषणा, जगह-जगह चिकित्सालय खोलने की घोषणा, जगह-जगह पानी की व्यवस्था करने की घोषणाएं की गई। थोथी घोषणाएं थी पर आज मौजूदा सरकार उन घोषणाओं से बाध्य होकर उनको पूरा करने की ओर अग्रसर हो रही है। इसी का यह कारण है कि आज हम गांवों के अन्दर नये स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, इसी का कारण है कि आज हम नई बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहे है इसी का कारण है कि हम नये चिकित्सालय नहीं खोल पा

(श्री रामनारायण विश्नोई)

रहे हैं। क्योंकि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि जो स्कूल जिस जगह खोले गये, जो अस्पताल जिस जगह स्थापित किये हैं उनके अन्दर व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो वह किसी काम के नहीं रहेंगे। आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार के सामान की कमी हम महसूस कर रहे थे इसलिए इस बात के अन्दर लोगों को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी कि इस दफा नये स्कूल नहीं खोले हैं, इस दफा नये अस्पताल नहीं खोले हैं, पर हम यही चाहेंगे वित्त मंत्री से, जैसी कि उन्होंने यह घोषणा की है कि जो स्कूल और अस्पताल और जो विकास की योजनाएं अधूरी पड़ी है जिनके अन्दर सामान की कमी है और कामकाज ठीक नहीं हो रहा है, उनको किसी तरह से अच्छे प्रभावशाली ढंग से चालू करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के अन्दर, प्रजातंत्र में जनकल्याणकारी गवर्नमेंट बनने के बाद लोगों की बहुत सी आकांक्षायें होती हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो घोषणा–पत्र हैं, लोग उनको सोच–समझ कर अपने मन का प्रयोग करते हैं ....

गवर्नमेण्ट हमेशा जन कल्याणकारी होती है और जन कल्याणकारी कदम उठाना चाहिए। मैं वित्त मंत्रीजी को एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब राजस्थान विधान-सभा के चुनाव हो रहे थे उन चुनावों के समय आपके मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने यह घोषणा की थी हम 15 हजार के कर्ज राजस्थान के अन्दर माफ कर देंगे। उस वक्त भैरोंसिहजी ने इस बात की मजाक उड़ाई और कहा यह तो थोथी घोषणा है। हम 10 हजार की घोषणा कर रहे हैं। मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरिदेव जोशी की 15 हजार की ऋण माफी की योजना पर विश्वास न करके और भैरोंसिहजी की घोषणा पर विश्वास किया। उनको विश्वास था कि भैरोंसिहजी जिस बात को कहेंगे उसको निभायेंगे तो मैं एक निवेदन करूंगा इस प्रकार की जो घोषणा की थी जो साहसिक कदम उठाकर लोगों को वायदा किया था उसको किसी भी प्रकार से करने की कोशिश करें। हम चाहेंगे कि इस दफा जैसा कि सदस्यों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि चाहे आप इस दफा विकास के कुछ काम कम कर देते, इस दफा आप पी. डब्ल्यू डी, की सड़कें कम बनाते, इस दफा कृषि विभाग की सड़कें कम बनाते और हम पांच दस किलोमीटर/और पानी लाकर पी सकते थे, पेयजल की समस्या के लिए हम और इन्तजार कर सकते थे परन्तु आज गरीब किसान और मजदूर गांव के अन्दर यह आशा लगाये बैठे थे कि हमारी ऋण माफी होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कौन लोग हिन्दुस्तान के अन्दर हैं जो कर्ज लेते हैं, कौन अपने हाथ फैलाता है, कौन किसी से धन मांगता है ? अगर किसी आदमी की हालत कमजोर नहीं होती। आज सदियों से बैठे हुए किसान काश्तकार, बुनकर गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उस कर्ज की हालत के अन्दर, कर्ज लेकर अपना समय बिता रहा है और इस कारण प्रजातंत्र के कायम होने के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर, लोकतांत्रिक सरकार ने, क्योंकि डेमोक्रेटिक कण्ट्री के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

अन्दर सरकार जनता के लिए, जनता की, जनता द्वारा गवर्नमेंट मानी जाती है। इस प्रकार से यदि जनता की भलाई के लिए सरकार काम नहीं करेगी तो लोगों का विश्वास उस पर से उठ जायेगा। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि गुलामो की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में इस प्रकार के कानून समय समय पर पेश किये जाते रहे हैं जिससे साहूकार जो अपने कर्जदार को बुरी तरह से लटकाकर पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके कर्ज नहीं मिट रहे थे, उस दुख का निवारण करने के लिए राजस्थान के अन्दर बराबर कदम उठाये जाते रहे। सबसे पहले राजस्थान रिलीफ और एग्रीकल्चर इनडेटेनेस एक्ट 1967 आया और इस इनडेटेडनेस एक्ट के आने के बाद यह प्रावधान किया गया कि जो साहूकार लोग ज्यादा ब्याज लगा रहे थे जो साहूकार कुड़कियां निकालकर काश्तकारों की जमीन नीलाम कर रहे थे, उससे बचाव किया गया, राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्दर भी यह प्रावधान किया गया कि एग्जीक्यूशन आफ डिक्री के अन्दर लोगों की काश्त की जमीन नीलाम नहीं की जा सकेगी उसके बावजूद राजस्थान मनी लैण्डर एक्ट, 1963 लगाया गया, जिसमें मनी लैण्डर्स को काफी जकड़ा गया जिससे कि वह किसी प्रकार से ऋणी को ज्यादा तंग नहीं करे और उसको किश्तों के अन्दर रुपया देने का प्रावधान किया गया और बराबर हिसाब रखेगा, कितना पैसा कब दिया गया है कितना ब्याज जोड़ा गया। किस प्रकार से उसका लेन देन कर रहा है, तो यह सारा प्रयास होता रहा। हमेशा गरीब, काश्तकार और बुनकर को जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे जिनसे कर्ज लेकर फंसता जा रहा था उनसे उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद एक और बड़ा प्रयास किया गया राजस्थान शिड्यूल लिविवेशन इनडेटेडनेस एक्ट, 1976। यह एक पैसा प्रभावशाली प्रावधान था जिसके तहत अगर किसी भी बोहरा का एक लाख रुपया भी किसी मार्जिनल फार्मर और आर्टिजन के विरूद्ध गांव के गरीब किसान के विरूद्ध बकाया है तो वह इस एक्ट के अन्दर डिस्चार्ज किया हुआ मान लिया था। एक तरफ राजस्थान के अन्दर जन कल्याणकारी सरकारें प्रजातांत्रिक सरकारें, जनादेश के आधार पर आयी हुई सरकारें बराबर यह कोशिश करती आ रही हैं कि प्राइवेट साहूकारों से गरीब काश्तकारों को बचाने की हमेशा कोशिश की गई है तो इस दफा हम ने जो आधार दिये हैं, हम ने जो लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम भी यह जो दो-तीन कानून मैंने बताये उन कानूनों के अन्दर जो प्रावधान किया गया है कि सहकारी समितियों से जो ऋण लिया गया है उन ऋणों के अन्दर यह लागू नहीं होगा, बैंक द्वारा ऋण लिया गया है उन पर लागू नहीं होगा। इस वजह से ऋणी आदमी, जो गरीब है उनको फायदा नहीं मिला। इस बात को दूर करने के लिये केन्द्रीय नेताओं ने और राजस्थान के अन्दर भी बराबर यह घोषणा की जाती रही है कि हम बैंकों के लोन है या दूसरे लोन है उनको माफ करेंगे और लोगों को राहत दिलायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि मन्त्रिमण्डल के विस्तार के बाद हम ने अखबारों में देखा मन्त्री लोग स्वागत सत्कार के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचे। विद्या पाठक का भी स्वागत

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सत्कार हुआ अखबारों के अन्दर आया कि उन्होंने भी यह घोषणा की कि बिना किसी भी किन्तु-परन्तु के आपके लोन माफ किये जायेंगे। चारों तरफ मन्त्री लोग गये हैं और यह विश्वास देकर आये कि लोन का जो वायदा किया है उसको पूरा किया जायेगा। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम ने जो पोलिटिकल कमिटमेण्ट किया है उसको हम मिलजुलकर किस प्रकार पूरा करें। इस हाउस के अन्दर 200 सदस्यों के अन्दर 95 प्रतिशत सदस्यों की राय है कि कर्ज माफी के अन्दर किन्तु-परन्तु नहीं होना चाहिए। कुछ सदस्यों कहा कर्ज माफ ने नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं हैं हमारा आधार विकास का रुक जायेगा। विकास हम करते हैं गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, बुनकर के लिए, जो किसान है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 85 प्रतिशत लोग कृषक हैं, उनके लिए हमने वायदा किया है वह कर्ज लेकर मर जायेगा और जनता के पास पैसा नहीं होगा तो हम विकास नहीं कर पायेंगे। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार से किन्तु-परन्तु करके 1.4.88 से 2.10.89 के बीच में जो 10 हजार की अधिकतम सीमा माफी की घोषणा की गई है उसको बहुत से सदस्यों ने बताने की कोशिश की है कि उसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जहां पर या तो ग्रामीण सहकारी समितियों के जो पदाधिकारी थे, कुछ लोग वहां के सदस्य थे उन लोगों ने मिलकर फर्जी कर्जा ले लिया और वापस पेमेण्ट नहीं कर सके, ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलजुलकर बैंक से पैसा लिया और अपने ही लोगों के अन्दर यह कर्ज बांट दिये और जानबूझकर कर्ज नहीं दिये उन लोगों को तो उस कर्ज की माफी मिलेगी। वास्तव में जो लोग बड़ी मुश्किल से पैसा जमा कराके खेती के लिए पैसा लेना चाहते हैं, वह लोग उससे वंचित रहेंगे। इस प्रकार से लोगों के दिलों के अन्दर काश्तकारों और गरीब बुनकरों में जलन पैदा हो जायेगी कि जो लोग हेराफेरी और बेईमानी से पैसा बचाना चाहते थे उन को तो राहत मिली है, और शरीफ और ईमानदार आदमियों को इससे वंचित किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा वित्त मन्त्रीजी से आप अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके किसी निर्णय पर पहुंचे। वर्ना जो 170 करोड़ रुपये आपने इसके अन्दर रखे हैं लोगों को देने के लिए, जैसा साथियों ने बताया कि कर्ज का 12 सो-सवा 12 सौ रुपया एक आदमी के हिस्से में आयेगा, इसमें आधा हिस्सा केन्द्र सरकार देगी फिर भी उनको 170 करोड़ का फायदा मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा होता कि इस साल कर्ज माफी की बात को भुलाकर वह 170 करोड़ आया पेयजल की समस्या के लिए देते तो 10–5 किलोमीटर से पानी लाते हैं और दिन भर पानी की मजदूरी पानी लाकर पी रहे हैं उनको ज्यादा राहत मिल सकती थी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जिसके लिये बार-बार चर्चा की जा रही है वृद्धावस्था पेंशन। मैं मानता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन एक तौर से 60 से 65 साल की उम्र के लिए जनरल घोषणा है वह वास्तव में थोड़ी व्यवहारिक नहीं होगी। अगर इस प्रकार की जनरल घोषणा की गई कि हर आदमी राजस्थान के अन्दर जो 60

Page No. 128

(128)

(श्री रामनारायण विश्नोई)

साल या इससे ज्यादा उम्र साबित कर दे तो हर उस आदमी को पेंशन मिलेगी यह बात थोड़ी सी वास्तविक कम हो जायेगी। इसके अन्दर जो जनता दल का घोषणा पत्र था उसमें यही था कि मोहताज आदमियों को पेंशन दी जायेगी तो मोहताज आदमियों के हिसाब से जांच पड़ताल की जाकर के वास्तव में गांवों में हैं उनको जैसा हमारे कई सदस्यों ने और तारा भण्डारी ने भी कहा ऋण माफी की तो कोई बात नहीं। पर हमारे बूढ़े मां-बापों को पेंशन आप जरूर दीजिये, जो मोहताज हैं, जिनके बच्चे एक तरह से उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, जिनके पास खाने-कमाने का कोई जरिया नहीं है। उनकी उम्र 65 से 70 कर देते तो भी कोई बात नहीं थी, पर एक बात जरूर है कि उन लोगों को थोड़ी राहत मिलती। उनको अपने रिश्तेदार से भी मिलने के लिए अगर जाना पड़ता है तो 5–10–50 रुपये के लिये अपने बच्चों की तरफ हाथ नहीं उठाना पड़े। आज हरियाणा के अन्दर वास्तव में इस बात की लोगों को सुविधा मिली है कि 65 साल के जो बूढ़े हैं उनको और उनकी पत्नी को हर महीने 200 रुपये महीने का मनीआर्डर घर पर आ जाता है। उनके बच्चे भी अब उनकी सेवा करते हैं। रिश्तेदारों के अगर कहीं उनको जाना पड़ता है तो आराम से जा रहे हैं, किसी की कोई गुलामी नहीं। आज वह छाती ठोककर कह रहे हैं कि हमने सारी जिन्दगी कांग्रेस को वोट दिये, पर आज तक हमें इस प्रकार की कोई सहूलियत नहीं मिली। हम तो इस सरकार के बड़े आभारी हैं कि जिसने हमें बैठे हुए गुजारे लायक पैसे दिये हैं।

मैं, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से एक बार फिर इस बात का निवेदन करूंगा कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर जनता दल के आदमी कोई सरकार का विरोध करते हों। जनता दल के घोषणा पत्र के अन्दर यह बात थी और यही बात भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी थी। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने, तमाम मन्त्रियों ने और हम विधायकों ने बराबर यह कहा था, जाकर लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि हम घोषणा पत्र के ऋण माफी के और वृद्धावस्था पेंशन के वायदों को पूरा करेंगे। इसलिये हमारी आपस में मिल बैठकर यह कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से इस वायदे को पूरा करें ताकि लोगों के अन्दर हमारा विश्वास जम सके। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार लोगों ने हम में विश्वास करके हमें जनादेश दिया है उस जनादेश को हम मिल बैठकर पांच साल तक बराबर निभायें। ग्रामीण विकासोन्मुखी जो बजट हिन्दुस्तान में पहली बार वित्त मन्त्रीजी ने पेश किया है, उसके अनुसार आगे अग्रसर होते रहें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : माननीय सभापति जी, 1990 का बजट विधान सभा में मुख्य मन्त्री जी ने रखा। उस पर मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने, जो सभी पार्टियों के हैं, अपने

(श्रीमती रमा पायलट)

अपने विचार रखे। सभी माननीय सदस्यों ने, जो बातें कहीं उनको अपनी पार्टी के हिसाब से रखा। उसकी आलोचना को भी अपनी पार्टी के हिसाब से आलोचनात्मक ढंग से हाउस में रखा। मैं भारतीय नागरिक होने एवं हाउस की सदस्य होने के नाते निष्पक्ष रूप से बजट पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। सबसे पहले मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस राज्य की जनता को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही मेहनत करके इस तरह से एक तरफ रख दिया जिस तरह से दूध में से मक्खी निकालकर एक तरफ रख दी जाती है। इसमें माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने वाकई बहुत मेहनत की है। बड़ा कड़ा संघर्ष उन नियमों के साथ, उन योजनाओं के साथ, जो पहले थी, किया बड़ी लगन से मेहनत की उन्होंने। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज को उन्होंने देखा और पाया कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को क्या मिला और हम इस राज्य की जनता को क्या दे रहे हैं? उन्होंने जो भी नीति स्पष्ट रूप से रखी है उससे अभी तक माननीय सदस्यों ने हाउस को आलोचनात्मक ढंग से अवगत कराया है, उन सदस्यों ने भी जिन सदस्यों की भागीदारी आज सरकार के अन्दर है। उन तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने भी उस बात को आलोचना के ढंग से रखा है। जो बहुत दिन से गरीबों के नाम से राजनीति करते हैं, किसानों के नाम से राजनीति करते हैं, ग्रामीणों से वोट लेते हैं, उनको यहं दिखाते, दर्शाते और बताते हैं कि ये गांव वालों! ऐ मेरी गरीब जनताओं! हम आपके लिए लड़ रहे हैं, 30 साल से, 35 साल से, 25 साल से, 20 साल से लड़ रहे हैं हम आपके लिये। इसलिये लड़ रहे हैं कि आपको आज तक मिला ही क्या है। मैं उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं जिन्होंने यह कहा कि 40 साल से, 35 साल से, जब कांग्रेस का शासन था, उन्होंने किया ही क्या है? आज यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ इस कारण नहीं दे पाये कि हमको यह सारी कमियां विरासत में मिली हैं। विरासत में आपको यह चीजें मिली हैं, उनके होते हुए इतना आप दे पाये हैं। यदि उसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता तो क्या आप जनता को यह कह देते कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इसलिये हम कोई योजना नहीं देंगे आपको, या हम आपके लिये कोई विकास की बात ही नहीं करेंगे, या आपके विकास के लिये कोई पैसा ही नहीं रखेंगे? जहां तक विकास की बात है, कई माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि 40 साल, 35 साल के अन्दर कांग्रेस जब सत्ता में थी, जनता के लिए उसने कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि चालीस साल पहले क्या इस देश के अन्दर एक सुई भी बनती थी? क्या छोटी-सी साइकल भी इस देश के अन्दर बनती थी? आज इस देश के अन्दर क्या नहीं बनता है— जहाज, हवाई जहाज बनते हैं, कल कारखाने हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं इस देश के अन्दर, जो पढ़-लिखकर बैठे हुए हैं और इस देश को तरक्की की ओर बढ़ाने में हमारे सहायक हैं।

श्री सभापति: मेडन स्पीच में इस सदन में कोई व्यवधान नहीं करता है, ऐसी परम्परा रही है।

श्रीमती रमा पायलट : जब चालीस साल पहले की बात यह लोग कर रहे हैं, उस वक्त यह भी देखें कि किस गांव में कितनी सड़कें थी, किस गांव में कितनी बिजली थी। हमारा किसान यह भी जानता था कि कभी बिजली से भी हम खेती करेंगे ? या हमारा किसान यह भी जानता था कि कभी बटन दबाने भर से हमारे खेतों को पानी मिलेगा। यह सारी बातें की गयीं तब आज हमारा किसान सड़क की मांग करता है। 40 साल पहले उसने ऊंट के अलावा किसी पर कभी सवारी की थी ? यदि उसने ऊंट के अलावा सवारी नहीं की थी और आज वह मोटर गाड़ी में सवारी करता है तो यह कोई बरसात में भगवान ने नहीं दे दिया। बरसात में सिर्फ पानी दिया है, न मोटर दी है, न कल दिये हैं और न कारखाने दिये हैं। तब आप यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ? सब आज आपके सामने है। जो भी माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस जब सत्ता में थी उसने कुछ नहीं किया, तो जो कुछ भी उन्नत साधन आज आप महसूस कर रहे हैं, जो सुविधायें आप ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं वह किसने दीं ? माफ करना, आप लोगों की जब सरकार आयी थी तो वह ढाई साल ही चली थी। मैं नहीं समझती है कि ढाई साल में देश इतना आगे बढ़ा कि हम इतनी उन्नति कर गये। जो सुविधायें आप देख रहे हैं, क्या हमें ढाई साल में ही उस सरकार ने दे दी थीं ? यह सब गलत बात है। जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, मैं तो यह कहूंगी कि हमारे माननीय सदस्यों को भी, जिनमें बहुत ग्राम से आते हैं, ग्रामीण किसान कहलाते हैं, लाते हैं, वह यदि आज किसी चीज की मांग करते हैं, विकास की मांग करते हैं तो विकास के लिए वह बुद्धि भी कांग्रेस सरकार में थी तब मिली है। आपको पता ही नहीं था कि किस चीज की आप मांग करोगे। आप मांग कर रहे हैं आज सड़क की, आप मांग कर रहे हैं आज ट्रैक्टर की। क्या पहले कभी आपने ट्रैक्टर सुना था। यह सारा विकास किसने किया, मैं आप से पूछती हूं ? यह सारा विकास उस हालत में किया है जब कि देश ने लड़ाई का मुंह भी देखा, उसका मुकाबला किया। उसके अलावा भी इन चीजों की मांग की है। देश के आजाद होने से पहले क्या सुविधायें थीं ?

श्री मदनलाल सैनी : देश के आजाद होने से पहले भी ये सुविधायें थीं।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, विद्वतापूर्ण भाषण में एक कमी है। वह यह कि जमाने की रफ्तार के साथ हिन्दुस्तान आगे प्रगति नहीं कर सकता, जमाने की रफ्तार के साथ। यह कांग्रेस की कमी है। अगर कांग्रेस के नाम पर यह बताने चले जाओ आप कि सुई नहीं बनती थी, तो आज रूस इतना आगे बढ़ गया, वहां कांग्रेस थी क्या ? अमरीका इतना आगे बढ़ गया, वह. कांग्रेस थी क्या ?
(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : जर्मनी और जापान के ऊपर बम गिर गया था, उन्होंने भी तरक्की कर ली।

श्री टीकमचन्द कान्त : जर्मनी में कांग्रेस थी क्या ? जापान में कांग्रेस थी क्या ? यह जमाने की रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ हिन्दुस्तान रफ्तार नहीं मिला सका ।

श्रीमती रमा पायलट : माननीय सदस्य, मैं कहूंगी, मेरा टाइम न खराब करें आपका फर्ज है मेरी बात सुनने का और मेरे को हक है मेरी बात कहने का ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें ।

श्रीमती रमा पायलट : आप चुप करके बैठिये और मेरी बात सुनिये ।

माननीय सदस्य, मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरा टाइम खराब नहीं करें । आप चुप रहकर बैठिये और मेरी बात सुनिये । इसका क्या मतलब है कि मेरा टाइम आप खराब करें .....

श्री डूंगरराम पंवार : सही उचारण कीजिये इसका नाम है+++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्रीमती रमा पायलट : आप मेरा समय खराब नहीं करें ।

सभापतिजी, शिक्षा के लिये जो बजट में प्रावधान रखा है कि हम शिक्षा के लिये कोई कॉलेज नहीं खोल रहे है और कोई बढ़ोतरी नहीं की है इसलिये कि वहां कुछ अव्यवस्थित मामला था, सारी बात गड़बड़ हो रही थी, कुछ ठीक व्यवस्था नहीं हो रही थी । केवल उस बात के लिये उन्होंने पैसा और प्रावधान रखा है और इस बात के लिये मुख्यमंत्रीजी मैं बधाई देना चाहती हूं कि बहुत अच्छी बात है, बडी सूझ-बूझ की बात कि जो अव्यवस्थित शिक्षण संस्थाये हो रही थीं उनको व्यवस्थित करें, उनको सुचारू रूप से चलायें लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जितना हमारे पास है उसी में गुजरा करते चले जायं । क्योंकि हर मनुष्य की आकांक्षा होती है कि वह अपनी बढ़ोतरी करे । आज आपको पता है कि जन्म का जो रेट है, कितने बच्चे हमारे यहां एक दिन में पैदा होते हैं उसके हिसाब से जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या उन सब के लिये स्कूल और कॉलेज पूरे है, उतने स्कूल और कॉलेज हमारे पास में जिनमें हर बच्चे को दाखिला मिल जाता है ? दाखिले के लिये बच्चे और जो कॉलेज में पढने वाले स्टूडेण्ट्स हैं वह इधर-उधर दर-बदर भटक रहे हैं लेकिन कॉलेजों की कमी होने के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है । तो मैं यहां उनकी आलोचना करती हूं कि उनको बजट में और भी कालेज और स्कूल खोलने का प्रावधान करना चाहिये या यह मेरा सुझाव है ।

टैक्स के मामले में, जो टैक्स बढ़ाया गया है वह गरीबों पर और टैक्स घटाया गया है वह अमीरों पर, इस बात की मैं आलोचना करती हूं और मैं यह चाहूंगी कि यदि पूरे बजट के उपर नजर डाली जाय तो किसी तरह से गरीब व्यक्ति को दबाने वाला और अमीर को बढ़ाने वाला बजट है । हर जगह जहां भी कहीं बजट के प्रतिशत में बढ़ोतरी की गयी है चाहे वह कान उधर से नहीं पकड़ कर इधर से कान पकड़ लिया,

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती रमा पायलट)

गरीब के ऊपर टैक्स लगाया गया है और अगर टैक्स कहीं घटाया गया है तो उद्योग-पतियों पर घटाया गया है, चाहे वह उधर से पकड़ो चाहे वह इधर से पकड़ो, यह अवश्य है कि अक्षरों का थोड़ा सा टैक्निकल वे और अपने विवेक और होशियारी से उसको इधर-उधर रख दिया गया है लेकिन हर हालत में यदि आप फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं तो टैक्स गरीबों पर लगाया है। रत्न, खरड़ मोती इस काम को क्या आप बतायेंगे कि गरीब व्यक्ति करते हैं, इन उद्योगों में क्या गरीब रहते है और यदि श्रमिकों को टैक्स से बचाने के लिये इन चीजों पर टैक्स नहीं लगाया है तो क्या वह मजदूर जो दिहाड़ी पर वहां पर नौकरी करते हैं उन दिहाड़ी मजदूरों को क्या टैक्स देना पड़ता है? वह तो दिहाड़ी लेते हैं 25 रुपये 20 रुपये रोज जो भी उन्होंने फिक्स की हुयी है जो टैक्स देना पड़ता है और अगर टैक्स का भार पड़ता है तो उन उद्योगपतियों पर पड़ता है और उन व्यापारी वर्ग पर पड़ता है जो उनका व्यापार करते हैं तो यह टैक्स भी गरीबों पर नहीं लगना चाहिये था लेकिन हर तरह से उन पर लगाया गया है। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कर वंचना के लिये 20 रुपये तक की जो वस्तुयें है उन पर कर लगाया है और जब नहीं था तो दुकानदार डेढ़ सौ रुपये की चीज 20 रुपये की बताकर उसका टैक्स बचा लिया करते थे। क्या वह सारे इतने ईमानदार हो गये सारे व्यापारीगण इतनी नैतिकता से चलने वाले हो गये है कि वह अब चोरी करेंगे ही नहीं, अब वह कर वंचना करेंगे ही नही यह आपके पास क्या गारन्टी है? अगर उस वक्त छिपाते थे तो अभी भी कोई न कोई तरीका वह निकाल ही लेंगे और जिसका जो काम करना होता है वह उस काम को करके रहता है। मुझे एक कहावत याद आती है अकबर के जमाने की।

अकबर ने बीरबल से कहा कि एक व्यक्ति बहुत भ्रष्ट है और उससे मैं बहुत परेशान हूं, रोज रोज उसकि शिकायतें आती हैं उसके लिये कुछ करो। बीरबल ने अकबर से कहा, साहब मुझे एक बात सूझी हैं वह मैं आपको बता देता हूं। इसका तबादला आप ऐसी जगह कर दे जहां कोई मनुष्य नहीं जाय, जहां यह भ्रष्टाचार कर ही नहीं सके, इसको समुद्र पर भेजे दो और इसकी ड्यूटी लगा दो कि लहरे गिने और 200 रुपये महीने के ले ले। अकबर ने उसको कहा कि समुद्र के किनारे चले जायं और चुप-चाप लहरें गिनें। लहरें गिनी या नहीं गिनी भगवान जाने लेकिन कोई नाव वहां से आये या जहाज आये तो उसको हाथ से इशारा कर लाइट दिखाता कि रूक जायं। वह रूक जाते और पूछते की क्या बात है? तो वह बोलता देख मेरी ड्यूटी लगायी है अकबर साहब ने कि यहां पर सारी लहरे गिने और महीने के 2 सौ रुपये तनख्वाह है मेरी इस बात की। लेकिन तुम्हारा जहाज आया और सारी लहरें इधर-उधर हो गयीं, लहरें तुमने खराब कर दीं इसलिये पेनल्टी दे। तो भ्रष्टाचार जहां जिस वर्ग में होता है आप उन पर अंकुश लगाकर, जबर्दस्ती कोई भी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचार से रोक नहीं सकते हैं। इसलिये 20 रुपये की वस्तुओं पर जहां तक आपने कर लगाया है इससे कर वंचन में कोई इजाफा हुआ है और कोई आपको फायदा हो सकेगा, मैं नहीं समझती

(श्रीमती रमा पायलट)

हूं कि ऐसा हुआ है इसलिये मेरे हिसाब से यह गलत है और गरीबों का एक तरह से खून चूसने वाली बात है। मुख्य मंत्रीजी इस बात का ध्यान रखते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी खुद गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं और जो गांव से जुड़े हुये हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं उनके नेता हैं इसलिए मैं उनसे ऐसी आशा नहीं करती थी कि जो उनसे जुड़े हुए हैं और जहां लोग उनको चाहते हैं जो उन्हें चाहते हैं उन्हीं को वह दबाते हैं मैं समझती हूं कि यह किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठाया गया है और उद्योगपतियों को किस वजह से छोड़ा गया है मैं इसकी आलोचना करती हूं।

अध्यापकों के मामले में, जो एकल अध्यापक प्रणाली थी उसमें उन्होंने अब बढ़ाकर दो कर दिये हैं उसकी मैं प्रशंसा करती हूं, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति बीमार हो जाय या छुट्टी पर चला जाय तो कम से कम दूसरा व्यक्ति आये और आकर पढ़ाये लेकिन इसका कोई यह मतलब नहीं है कि एक अध्यापक की जगह दो अध्यापक कर दिये वहां पर अब किसी तरह की अव्यवस्था थी वह व्यवस्थित हो जायेगी इसके लिये तो कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, काई नयी शिक्षा नीति लानी पड़ेगी।

चिकित्सा की बात के लिये, चिकित्सालय न खोलने का भी प्रावधान बजट में किया गया है और वह इसलिये किया गया है कि जो चिकित्सा के अन्दर जो अव्यवस्थित अवस्था है उसको रोकने के लिये, उसको व्यवस्थित करने के लिये और जो वहां पर भ्रष्टाचार या और कोई गलत बात है चाहे डाक्टर नहीं आते हैं या डाक्टर मरीज को नहीं देखते हैं इन बातों के सुधार के लिये प्रावधान रखा गया है और इसी कारण से नये अस्पताल नहीं खोले गये हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने व्यवस्था के लिये प्रावधान रखा है उसके लिये तो मैं उसकी प्रशंसा करती हूं और बधाई भी देती हूं लेकिन जहां तक चिकित्सा की बात है क्या आप मानकर चलते हैं कि हमारे राज्य में इतनी चिकित्सा है जितनी हम लोगों की जनसंख्या के हिसाब से चाहिये? यदि नहीं है तो मैं नहीं समझती हूं कि आप लोगों को; सरकार की ओर मुख्य मंत्री साहब को इस तरह से चिकित्सा में, किसी केटेगरी की चिकित्सा के अन्दर वह रखते, उसमें इस तरह की बातों को क्यों रखा गया है न रेफरल हॉस्पिटल रखा न प्राइमरी को रखा और न बड़े अस्पताल हैं उनके लिये भी कोई प्रावधान उन्होंने इसमें नहीं रखा है जबकि इनका भी प्रावधान इसके साथ-साथ होना चाहिये था। जहां तक व्यवस्था की बात है मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी, कहना चाहूंगी वह है खास तौर से अस्पतालों में सफाई के प्रति विशेष ध्यान दें चाहे उसमें प्रशासन के जरिये सख्ती करवायें या कोई सख्त नीति बनायें और और किसी तरह से वहां पर पैसा लगायें। इस बात से मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। हमारे स्वास्थय मंत्री जी कोटा से सम्बन्ध रखते हैं। एक दिन मैं कोटा में थी। वहां पर दो महिलायें जलकर अस्पताल में भरती हुयी थीं। जितने में मैं देखने गयी एक महिला बिलकुल खतम हो चुकी थी और दूसरी महिला को जब मैंने देखा; अपनी आंखों से देखा, सदन को कह देना चाहती हूं कि उस जगह जहां पर उन जली हुई बीमार मरीजों को रखा गया था वहां पर 5 मिनट

(श्रीमती रेखा पायलट)

खड़े होकर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति साँस नहीं ले सकता है।

मैंने सुना था कि 5 दिन पहले ही वहां पर स्वास्थ्य मंत्रीजी गये थे, उसका दौरा किया था और उन्होंने कुछ बातें भी की थीं अधीक्षक से लेकिन इतनी बुरी, घिनौनी हालत, वह औरत चिल्ला रही थी, अपने घर का छोटा पंखा लगा हुआ था, सीवर लाइन इतनी खराब थी कि बाथ रूम में पानी भरा हुआ था। मैंने डाक्टर से पूछा कि डाक्टर साहब यह क्या हालत है ? क्या कमरा नहीं, क्या वार्ड नहीं है ? डाक्टर साहब ने कहा कि मैं तो अभी आया हूं ड्यूटी पर दूसरे डाक्टर थे। इसलिये मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा बात नहीं पूछ सकी। फिर मैंने सुपरिन्टेण्डेण्ट साहब से बात की कि ऐसा कोई वार्ड या कमरा नहीं है जहां पर इन मरीजों को रखा जाय ? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जले हुये मरीजों को एक तरफ ही रखा जाता है तो मैंने कहा कि एक तरफ तो ठीक है लेकिन उसके लिये कोई प्रावधान ? तो बोले, साहब हमारे पास पैसा ही नहीं है, कई बार हमने लिख दिया, कई बार हमने बता दिया अगर हमको पैसा देवें तो हम आगे और चीजें बनायें और इन मरीजों को वहां पर रखें। तो मैं यह अपना सुझाव देना चाहती हूं कि इस प्रावधान के लिये बजट में जो बात रखी गयी है उसे अतिशीघ्र, सुचारू रूप से और सजग होकर, ध्यान देकर और हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी भी उस प ध्यान दें और जल्दी से जल्दी उन सुविधाओं को वहां पर पहुंचायें जिनकी कि बहुत ही ज्यादा कमी है लेकिन चिकित्सालयों का न खोलना आलोचना का विषय है क्योंकि पहले ही ऐसे मरीज हैं, जहां कमरे होने चाहिये और आवश्यक प्राथमिकता होनी चाहिये, मरीज बरामदों में पड़े हुये हैं और बरामदों में भी गन्दगी भरी पड़ी है तो आप यह कैसे कह सकते है कि हम चिकित्सालय और नहीं खोलेंगे और इन्हीं को सही करेंगे।

जहां तक बजट के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि वृद्ध व्यक्ति को पेन्शन दी जायेगी। इसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी की प्रशंसक हूं। उन्होंने वृद्धाओं के लिए पेंशन रखी। लेकिन मेरा एक सुझाव है यहां ऐसे वृद्ध चाहे वह महिलाएं हों चाहे वह व्यक्ति हों, जो 60 साल या 65 साल से ऊपर है कृपया उन्हीं वृद्ध महिलाओं और व्यक्तियों को लिया जाये। जो असहाय हैं वह वृद्ध महिला और व्यक्ति जो बड़े-बड़े करोड़पतियों के घरों से हैं ऐसी पेन्शन कृपया उनको न दी जाये। ऐसे असहाय व्यक्ति, जिनको वाकई उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते या उनके कोई औलाद नहीं है, देख-भाल नहीं करते उन्हें पेंशन दी जाय यह मेरा सुझाव है।

एक और बात की मैं बहुत सख्ती से आलोचना करना चाहती हूं। युवाओं के लिये और बेरोजगारों के लिये जो पेंशन का प्रावधान या बेरोजगारी भत्ता जिसने भी इस बात की इन्वेन्शन की है, जिसने इस बात को खोजा है और जिस मीटिंग में भी यह बात हुई है कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाये या उनको पेन्शन दी जाये। यह आपने एक अच्छे भले लड़के को हैण्डी-केप्ट बनाकर घर में रखने वाली बात है। मैं इसका सख्त विरोध करती हूं। मैं यह चाहती हूं सरकार से, मैं यह प्रार्थना करती

(श्रीमती रमा पायलट)

हूं कि ऐसे नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देकर उनको नाकामयाब और नाकामों और एक तरह से काम चोर बनाकर के घर में न बिठाये बल्कि उनके लिये कोई ऐसी नीति और ऐसी योजना रखें ताकि उनको रोजगार मिले। इसमें वह उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं अपने जिले की बात कह सकती हूं। बूंदी जिले में आज जितना पिछड़ापन है उस जिले के अन्दर कि वहां यदि आपमें से सरकार के मन्त्री चले जायें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खास कर तो वहां पर आपको कोई रेस्ट हाउस, कोई गेस्ट हाऊस, कोई सर्किट हाऊस नहीं मिलेगा जहां पर दो घंटे बैठकर हाथ मुंह धोकर चाय पी सकते हैं। ऐसे-ऐसे पिछड़े जिले भी हैं। मैं उन जिलों के लिये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन जिलों के लिये भी कुछ न कुछ प्रावधान हों ताकि हम अगर वहां पर आराम नहीं कर सकते, विधायक वहां पर पानी नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं लेकिन हमको शर्म है आप लोगों की ओर हम आपकी इज्जत करते हैं। यदि आप हमारे जैसे विधान सभा क्षेत्र में जायेंगे तो हमारे पास कोई जगह नहीं होगी जहां पर हम बिठाकर आपका स्वागत कर सकेंगे। इसलिए यह मेरा आपसे सुझाव है और मैं चाहूंगी कि इस पर आप गौर करें। पेयजल व्यवस्था की जहां तक बात है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं बनाया।

श्रीमती रमा पायलट : माननीय सदस्या वह मैंने पहले बता दिया था कि कांग्रेस ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। आप बहुत देर से आयी हैं। यह मेरी गलती नहीं है। मैं पेयजल के ऊपर यह कहना चाहती हूं कि पेयजल व्यवस्था के लिए जो प्रावधान रखा गया है वह जीरो के बराबर है और कुछ नहीं है। जहां तक पेयजल की बात है मैं यह नहीं कहती कि यह प्राकृतिक साधन है। अगर पानी नहीं है तो हम सबको कमी में रहना पड़ेगा लेकिन इसका यह मायने नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें। मुख्य मन्त्री जी अभी पहले जवाब दे रहे थे कि पेयजल पर तो आप कल्ला जी पढ़े ही नहीं इस बात को, चूंकि अब तो इतनी ज्यादा बरसात हो गयी है। लेकिन इतनी ज्यादा बरसात का परिणाम आपने देख लिया होगा कोटा के अन्दर बाढ़ आ गई है। वहां की कालोनियों के लोगों को, खास कर मुख्य-मन्त्री जी जिस विधान सभा को छोड़कर आये हैं, छबड़ा के अन्दर वहां आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि उन लोगों को उठा कर एक जगह अलग सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाये। तो ऐसे पानी को, जो बरबाद जा रहा है जो बेकार जा रहा है, कम से कम पेयजल अगर इस तरह से बेकार पानी को हम सुरक्षित रखें और ढंग से हम उसको सुचारू रूप से हम उसमें कोई ऐसा प्रावधान रखें कि हम उसको पीने के काम में ले सकें। यह मैं सरकार से चाहती हूं कि वह इस पर ध्यान दें और गौर फरमाये।

श्री सभापति : माननीय श्री बंशीलाल जी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, मेरे पूर्व रमा जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उन पर मैं कोई कमेण्ट्स तो अधिक नहीं करना चाहता हूं

(श्री बंशीलाल पटवा)

लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लोकतन्त्र में सरकारें बदलती हैं और बनती हैं। लेकिन इस बार पहली बार राजस्थान का जो बजट माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने वित्त मन्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है वह बजट राजस्थान की धरती से जुड़ा हुआ बजट है। उन्होंने गरीब की पीड़ा को समझा है और गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी पीड़ा को भी समझा। इसके अतिरिक्त किस तरह की जो जर्जर हालत राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से भैरोंसिंह जी को सौंपी गयी और आज की ताजा स्थितियों में मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा और कोई अच्छा बजट नहीं हो सकता जिसमें श्रमिक की चिन्ता की गयी, किसान की चिन्ता की गयी। गरीब किस तरह से ऊपर उठ सकता है उसका इस बजट में समावेश किया गया है। मेरे पूर्व माननीय सदस्या ने, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे लिए आदरणीय हैं लेकिन कहा कि आज के 40 वर्ष पहले सुई बनती थी कि नहीं. लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह वही हिन्दुस्तान है जहां पर ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी और एक अंगूठी में ढाके की मलमल निकल जाती थी। उस समय क्या कांग्रेस थी। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। को-एलीशन गवर्नमेंट के समय, राष्ट्रीय सरकार के समय जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में वह उद्योग मन्त्री थे। उन्होंने चितरंजन नाम का कारखाना खोला और यह सारे रेल के डिब्बे रेल की पटरियों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं यह उसी की देन है। तो इसलिए ठेका तो न हमने ले रखा है, न किसी और ने ले रखा है। भैरोंसिंह जी शेखावत मेरे ख्याल से जो उनका विश्वास है, अनुमान है, बजट में जिस तरह से उन्होंने हर सैक्टर में किस तरह से उन्नति हो सकती है, किसान किस तरह से ऊंचा उठ सकता है, उसका इस बजट में उन्होंने प्रयास किया है। खर्चों में कटौती किस तरह से हो सकती है और इसके अतिरिक्त जितने भी टैक्सेज लगे हुए हैं उनमें जो चोरियां होती हैं उनके छिद्र किस तरह से बन्द किये जाते हैं वह प्रयास करने की दृष्टि से इस बजट में सोचा गया है। सरकारें बदलती हैं, बनती हैं लेकिन भैरोंसिंह जी शेखावत एक ऐसे मुख्य मन्त्री, काम्पीटेन्ट मुख्य मन्त्री हैं मैं सोचता हूं कि उनकी पकड़ इतनी अच्छी, मजबूत है। जिस तरह के हालात हैं उन हालातों में जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं सोचता हूं राजस्थान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दृष्टि से आज हमको गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हम कल मोचो की बात लेकर आलोचना करें. हम कल खच्चर को लेकर आलोचना करें, गधे पर टैक्स बढ़ा दिया उसकी आलोचना करें, यह अंकों की हेरा-फेरी वाली बात जो अभी कही गई है, मैं सोचता हूं पिछले 1980 में मैं इस हाउस में चुनकर आया था। इसी हाउस में पहाड़िया जी ने बजट पेश किया था। राजस्थान की महिलाओं को भ्रमित किया उन्होंने मेंहदी, कुमकुम और सिन्दूर पर टैक्स एग्जम्पट करके। इस तरह का एक नारा दिया। यह मेरे ख्याल से भैरोंसिंह जी शेखावत ने तो ऐसा इस बजट में नहीं किया। उन्होंने किसान की चिन्ता की है....

(व्यवधान)

सुनिये मेहरबानी करके आप। आपको

(श्री बंशीलाल पटवा)

बोलना है तो बोलिये मैं बैठ जाता हूं। ऐसा काम तो मत करो "खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे" मैं बोल रहा हूं। मेरे विचार सुनिये। कमेण्ट्स करना है कर लीजिए मैं उसका जवाब दे दूंगा।

मेरा यह निवेदन है कि भैरोंसिंह जी शेखावत ने पिछले 42 वर्षों में ढ़ाई साल को छोड़कर....

सूचना

श्री सभापति : माननीय सदस्य एक मिनिट बिराजें। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी आज उत्तर नहीं देंगे। मुख्यमन्त्री जी की रिप्लाई दिनांक 5-7-90 को प्रश्नकाल के तुरन्त बाद होगी। मुख्य मन्त्री जी के उत्तर के पश्चात् शून्यकाल प्रारम्भ होगा। आज बजट पर बहस जारी रहेगी।

अब माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रखें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन की सहमति हो तो सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा जाये। (स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक 1990-91 पर वाद विवाद

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय मैं अर्ज कर रहा था कि ढ़ाई साल को छोड़कर कांग्रेस ने चालीस साल राज किया। मैं आलोचना नहीं कर रहा लेकिन इन चालीस सालों में मैं यह नहीं कहता हूं कि कांग्रेस राज में प्रोजेक्ट नहीं बने होंगे। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस राज में सड़कें नहीं बनी होंगी, मैं यह नहीं कहता हूं कि और काम नहीं हुए होंगे लेकिन उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाये आज वे प्रोजेक्ट बेकार नजर आ रहे हैं। आज आप भीलवाड़ा जिले में चले जाओ, मेजा प्रोजेक्ट है इसको बेकार ही कांग्रेस वालों ने बनाया। केचमेंट एरिया में जगह-जगह बंधे लगा दिये। आज मेजा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं रह कर एक तालाब रह गया। मेरे जिले में कोठारी प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के पैसे से बना लेकिन जगह-जगह बंधे लगा कर कैचमेण्ट एरिया को इस तरह से खराब किया गया आज वह कोठारी प्रोजेक्ट बेकार है। बीसलपुर योजना, यह जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसके लिए कहा जा रहा है बड़े-बड़े शहरों को पानी दिया जायेगा लेकिन उस एरिया के कैचमेंट एरिया की स्थिति देखो तो मैं सोचता हूं कि यह जो बीसलपुर योजना बनी हुई है इससे पानी कितना हम सप्लाई कर सकेंगे जो लक्ष्य रखे हैं वह पूरे नहीं होंगे क्योंकि उस कैचमेण्ट एरिया को प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे टेक्निशियन्स पैदा किये हैं और बड़े-बड़े अफसर तो पैदा कर दिये लेकिन नीचे के फोर्थ क्लास सरवेन्ट पैदा नहीं किये।

(श्री बंशीलाल पटवा)

नीचे के दूसरे स्टाफ के आदमियों को पैदा नहीं किया जिसके कारण सारी स्थितियां खराब हो गयी। आज बिजली विभाग में चले जाओ स्थिति बड़ी दयनीय है बिजली विभाग के बिल समय पर नहीं बंटते, वहां पर फोर्थ क्लास है नहीं ए.ई.एन., एक्स.ई.एन. बढ़ा दिये, डिवीजन अधिक खोल दिये यह सारे सेक्टर में इस तरह का काम कांग्रेस ने किया। मैं भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पताल नहीं खोलने का इसमें नहीं है, इसके साथ-साथ स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है, साढ़े सात सौ स्कूल खोली थी लेकिन उन स्कूलों में अध्यापक नहीं और हालत इस तरह की खराब है कि सैकण्डरी स्कूलें ऐसी जगह खोल दी जहां आज सारी समीक्षा की जाये वहां पर पांच विद्यार्थी पढ़ते हैं। आमली गांव मेरी कान्सीट्यूएन्सी में आ जाइये जहां पर सैकण्डरी स्कूल खोला गया। सैकण्डरी स्कूल तो खोल दिया गया लेकिन पांच विद्यार्थी हैं यह सारी समीक्षा की जाये। इस बजट में नई दिशा है और यह पहला बजट है। हम कर माफ नहीं कर रहे हैं, लोगों के कर्ज माफ नही कर रहे हैं कर्ज माफी का संकेत है। इफ और बट भी है तो वह भी दूर हो जायेगा लेकिन हमारी नीयत साफ है इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊं यह जनता दल और बी. जे पी. की मिली-जुली सरकार है। फीस को निकालना है तो बैठ कर निकाले। भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उनकी जो जानकारी है राज्यपाल महोदय ने पिछली बार भाषण दिया उसमें जो दिशा निर्देश दिये गये उन दिशा निर्देशों के आधार पर यह बजट तैयार किया गया। मैं सोचता हूं कि माली हालत राजस्थान की खराब है और जिस दुर्दशा में हमको सौंपा गया और सरकार सौंपी गयी इस दुर्दशा को देखते हुए इससे ज्यादा सही और अच्छा बजट नहीं हो सकता। सिंचित के एक भी हम नहीं बढ़ा पाये और इसके साथ-साथ जिस सैक्टर में जिस गांव में स्कूल खोलनी चाहिए यहां नहीं खुली और जिस गांव में सड़क बननी चाहिए वहां हम नहीं बना पाये यहां तक कि हालत यह है कि हम चाटते गये और जो विकास का पैसा जिस तरह से लगना चाहिए वह नहीं लग पाया और जिस तरह विकास होना चाहिए वह हो नहीं पाया और इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार इस तरह का पनपा है मैं सोचता हूं कि हालत बड़ी खराब है। आज काम्पीटेन्ट व्यवस्थायें नहीं है। हमने थानेदार पैदा कर दिये, एस. पी. पैदा कर दिये, डिप्टी पैदा कर दिये लेकिन सिपाही पैदा नहीं किया इस तरह की 42 साल में नीतियां बनायी गयी जिसके कारण आज डकैतियां पड़ती हैं, सुरक्षा पूरी नहीं होती है यदि मैं यह कहूं कि इन सारी अव्यवस्थाओं का जिम्मा पिछली सरकार पर है तो मैं सोचता हूं कि कोई अतिशियोक्ति नहीं है। केवल सुखाड़िया जी तक कुछ-कुछ व्यवस्थायें अधिक काम्पीटेन्ट थी लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके मैं समझता हूं जिस तरह से व्यवस्थाओं को तोड़ा गया नोचा गया मैं सोचता हूं साढ़े सात सौ वर्षों में गुलामी में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इस तरह की स्थिति नहीं मिलेगी और फिर कहता हूं कि यह मोची पर टैक्स माफ कर दिया, गधे पर माफ कर दिया क्या तकलीफ हो रही है। गधे पर माफ कर दिया बड़ी सुरीली आवाज

(श्री बंशीलाल पटवा)

निकालता है जब बोलता है। जब लात मारता है तो ऐसी मारता है कि बेइमानों को भी ठीक कर देता है उस पर टैक्स हटा दिया तो क्या तकलीफ हो रही है ? कुछ बड़े लोगों पर टैक्स लगा दिया तो क्या तकलीफ हो गयी ? रंगाई और छपाई पर टैक्स माफ कर दिया तो क्या तकलीफ ले गयी ? 20 रुपये की चप्पल पर, जूते के नाम पर सारे के सारे टैक्स हजम किये जाते थे। फर्जी बिल लाये जाते थे। आप सोचते है कि भैरोसिंह जी ने पहले तो बन्द नहीं किये। व्यक्ति के बदलने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। व्यक्ति के प्रभाव से फर्क पड़ता है उसके चरित्र से फर्क पड़ता है। व्यक्ति के बदलने से काम्पीटेन्ट व्यवस्थायें बनती है और बिगड़ती है। एक भी आदमी काम्पीटेन्ट नहीं हो कानून की किताब अच्छी कितनी हो उसका स्वरूप खराब कर देगा और एक आदमी यदि काम्पीटेन्ट है और कानून की किताब खराब है तो भी उसका स्वरूप निखार देगा। आज भैरोसिंह जी शेखावत की सरकार बनी है और राजस्थान के मुख्य मन्त्री भैरोसिंह शेखावत है। उनके हाथों में राजस्थान का भविष्य उज्जवल है और सुरक्षित है। आज यह बजट आया अगली बार आप देखना किस तरह का अच्छा बजट आता है। टैक्सेज की कमी की, लोगों को राहत दी कुछ टैक्स लगाये हैं बड़ी होटलों में गरीब। राजस्थान प्रदेश किसानों का प्रदेश है इसमें गरीब ज्यादा रहते हैं 100 रुपये से ऊपर के कमरे की होटल पर टैक्स लगा दिया। गरीब होटल में नहीं ठहरता, गरीब धर्मशाला में ठहरता है, फुटपाथ पर सोता है और मेरा एक निवेदन है कि इस तरह से रंगाई, छपाई, चांदी के वर्क का कार्य यह गरीब मजदूर करते हैं तो उसको अधिक मजदूरी मिलेगी। यह सारी व्यवस्थायें हैं यह सोच समझ कर किया है। सेवैयों पर टैक्स माफ किया मजाक उड़ाई जा रही है राखी, ईद पर सेवैयां बनती है इससे भाई-चारा बढ़ेगा नहीं। बढ़ना चाहिए क्योंकि माइन्योरिटी वोट चले जायेंगे इसलिए यह सारी व्यवस्थायें है। इसकी आलोचना करने से काम नहीं चलता राजस्थान वह प्रदेश है आप इसमें बिजली जनरेटर नहीं दे सके और कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी है। इस बार इस बजट में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो प्लान्ट लगेंगे सरकारी और गैर सरकारी तौर पर बिजली पैदा की जायेगी। राजस्थान में किसान रहता है, किसान को बिजली चाहिए, पानी और बिजली का मेल है। यह दोनों चीजें किसानों को नहीं मिलती है तो उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं होता है आज दिन तक एक हैण्ड पम्प के खूंटे पर वोट लेते रहे। बिजली का खंभा किसी गली में खड़ा कर दिया और वोट लेते रहे लेकिन किसान के घर पर किसान के खेत के पास, कुएं की मेड़ पर जब तक पोल खड़ा नहीं हो बिजली नहीं मिले तब तक किसान उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता और मेरा तो यहां तक व्यक्तिगत विचार है कि किसान को पहले बिजली देने में प्राथमिकता दी जाये और यदि बचती है तो बाद में दूसरों को दी जाये और उद्योग लगाने हैं तो प्राइवेट सेक्टर में वहां जनरेटर लगाये और आधी सब्सिडी दी जाये। मैं तो भैरोसिंह जी से निवेदन करता हूं प्राइवेट सेक्टर में कोई उद्योग लगाये तो किसान को प्राथमिकता दे। किसान खरा कमाता है और खरा खाता है। आज दिन तक किसान की हालत ऊंची नहीं

(श्री बंशीलाल पटवा)

उठी। किसान घूम फिर के उसी तकलीफ में घिरे हुये हैं। किसान की चिन्ता नहीं है आज हम कहते हैं 25 हजार कनेक्शन है। 23 हजार पहले के डिमाण्ड नोट जमा है फिर आपने कनेक्शन क्यों नहीं दिये ? भैरोंसिह जी का राज तो तीन महीने से आया है। उससे पहले:

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

डिमाण्ड नोट जमा था। माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं बहुत यदा-कदा बोलता हूं और आपके मन की बात कह रहा हूं। मेरा यह निवेदन है, कि आप क्यों नहीं दे पाये। आप नहीं दे पाये 23 वह 22 हजार वह और तीन हजार यह पच्चीस हजार हुये कि नहीं। सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर में बिजली का इस्तेमाल होगा कम दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर में बिजली नहीं होगी फिर देंगे और किसानों के हक के लिए लड़ेंगे और आज कुछ मान्यवर मेरे भाई लोग, जनता दल बी. जे. पी. की मिली-जुली सरकार है और उसके मुख्य मंत्री भैरोंसिह जी शेखावत है। आलोचना के लिए आलोचना करें लेकिन गम्भीरता से सोचों, अपनी तस्वीर देखो केन्द्रीय सरकार दिल्ली की पार्लियामेण्ट में चुनी हुये थे उस समय यह हुआ था कि 10 हजार के कर्ज माफ कर देंगे तो क्या केन्द्रीय सरकार को हम गाली देंगे, नहीं देंगे। उस सरकार को नहीं टूटने देंगे, यह सरकार नहीं टूटने देगी। पूरे पांच वर्ष चलेगे लेकिन जो कुछ हुआ हम ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी से काम करेंगे। एक व्यक्ति प्रयत्न करता है उसके नतीजे अच्छे निकलते है लेकिन सब मिल कर प्रयत्न करते हैं तो नतीजे भी अच्छे आते हैं और बड़े पैमाने पर आते हैं। राजस्थान की नब्ज पहचानने वाले मुख्य मंत्री भैरोंसिह जी शेखावत है जो किसान का बेटा है, गांव का रहने वाला है और वह जानता है कि कांग्रेस सरकार के राज में गांव उजड़े और शहर बिगड़े, फिर से किसतरह से समन्वय की स्थिति आ सकती है और गांवों का किस तरह से उत्थान हो सकता है और अन्त्योदय योजना पर उन्होंने जोर दिया है, गरीबी की रेखा से नीचे बैठा हुआ आदमी है उसकी चिन्ता इस बजट में की गई है। तो मेरा यह निवेदन है कि कुछ सोचिये, भाइयों, विचारिये, आलोचना की दृष्टि से आलोचना मत करिये। यथार्थता पर आधारित यह बजट बना है, यथास्थिति वाला नहीं है, यथास्थिति तो कांग्रेस की थी पिछले सारे बजट उठाकर देखो तो मिसकाल करते रहे, घुमा फिरा कर ढाई सौ करोड़ का घाटा तो पचास करोड़ और अड़सठ करोड़ का बताते रहे पिछला घाटा 42 करोड़ का है और उस घाटे में से कम करते हुए 6? प्वाइन्ट कुछ घाटा बताया गया। उसके बाद इस बजट में घाटा 28 करोड़ है। इसलिए यथार्थ को पहचानो। आलोचना के लिए तो मैं भी आलोचना कर सकता हूं लेकिन सच्चाई और अच्छाई क्या है और सच्चाई और अच्छाई को नजर अन्दाज किया तो शायद अच्छाई की पैदाइश बन्द हो जाय। यह अभावों से गुजरने वाला देश है और उसी देश का एक प्रदेश, और प्रदेश में राजस्थान की अपनी ख्याति है। हिन्दुस्तान के इतिहास से आप राजस्थान को निकाल दो तो मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान का इतिहास कुछ नहीं बचे। इसको स्मरण करो,

(श्री बंशीलाल पटवा)

गांव में पानी देने की बात अपने की, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किया। आपने सारे काम पॉलिटिकल लेवल पर किये। जहां आठ घर हैं वहां पर आपने चार हैण्डपम्प लगाये, जहां सौ घर हैं, पचास घर हैं, आज वहां पर एक हैण्डपम्प नहीं है। हैण्डपम्प मेरे ख्याल से इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में यदि पानी की सही व्यवस्था करना चाहते हैं और स्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमारे जो बाप-दादा बता गये, पुरखे बता गये, हमको इस तरह की व्यवस्था पर आना पड़ेगा। केवल यह कहकर हम नहीं टाल सकते कि सुई बनती थी या नहीं बनती थी। इसका अर्थ है कि हमारे पुरखे तो यहीं यों ही जिन्दा रहते थे, उनमें अक्ल ही नहीं थी, अक्ल के ठेकेदार तो हम कांग्रेस के आने के बाद बने हैं। पिछला इतिहास उठाकर देख लो। हमारा कितना उज्जवल इतिहास था जिसको आपने विकृत कर दिया। जंगल के अन्दर एक सुन्दर बगीचा नजर आता था जिसको आपने राजस्थान में कंटीले जंगल में बदल दिया। हमने नहीं बिखेरा, हम उसे उभारना चाहते हैं। भैरोंसिंहजी ने अभी पिछले दिनों कहा है कि कूड़ा-कचरा आपने कितना छोड़ा उसको साफ करने में इतना ही समय लगेगा। समय लग सकता है लेकिन जो हमने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने घोषणा पत्र में जो हमने वायदे किये हैं उन वायदों को नहीं भूलेंगे। हम अपने मेनिफेस्टो को याद रखते हैं उसको पूरा करेंगे लेकिन यह वायदे पांच वर्ष के लिये हैं। सिंचाई के क्षेत्र में अंक बढ़ायेंगे, और बिजली उत्पादित करेंगे और किसान को हम किस तरह से राहत दे सकते हैं, उसको किस तरह से ऊंचा उठा सकते हैं, पूरे प्रयत्न करेंगे। मैं आपको निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि इन हालातों में इससे अच्छा कोई और बजट नहीं आ सकता। राजस्थान को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है इस बजट ने और मैं भैरोंसिंहजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का अच्छा बजट बनाया। मेरा आपसे यही निवेदन है कि....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : इतना ही कहकर मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जो बजट श्रीफ किया भैरोंसिंहजी ने, जो उन्होंने भाषण दिया, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और मैं सोचता हूं कि यह राजस्थान को पीछे धकेलने वाला नहीं हो करके आगे बढ़ाने वाला बजट है और 42 वर्षों में जो कांग्रेसी बजट पेश किया है उससे ज्यादा मेरे खयाल से कई गुना ज्यादा अच्छा बजट है और मैं सोचता हूं कि....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं सोचता हूं, गुण-दोष के आधार पर मैं इसका समर्थन करता हूं, तहे दिल से समर्थन करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर प्रयास करें कि राजस्थान को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, यदि जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी से काम किया, कौन क्या बनता है क्या नहीं बनता यह सब छोड़कर, पीढ़ियां तप गई, उस तरह से हम भी अपने आपको तपायें और सही दिशा देकर किस तरह से इस बजट को क्रियान्वित कर सकते

(श्री बंशीलाल पटवा)

हैं, आम आदमी को राहत दे सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापतिजी, नई सरकार ने 1990-91 का जो बजट रखा है वह जन आकांक्षा का प्रतीक है। लम्बे समय से पिछली कांग्रेस सरकार के कारण भ्रष्टाचार और समय पर विकास की योजनायें पूरी नहीं होने के कारण राजस्थान का विकास रूका हुआ रहा। माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने पश्चिमी राजस्थान के उद्योगों को, कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो टैक्स से मुक्त किया है जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में उद्योग का वातावरण बनेगा व्यापारियों को लाभ होने वाला नहीं है। जो परम्परागत कार्य कर रहे हैं उन लोगों द्वारा प्रोसेस करवाया जाता है उस पर जो टैक्स लगा रहा था उसको माफ किया गया है जिससे छोटे वर्ग के लोगों को इसका लाभ होगा। माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा जो वायदे किये गये हैं और उन वायदों को पूरा करने के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने पूरा प्रयास किया है। बेरोजगारी समाप्त करने के लिए चुनाव के समय वायदा किया गया था। मैं मुख्यमन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी के विषय में नौजवान साथियों को जिस प्रकार का आश्वासन चुनाव के समय दिया गया है उस आश्वासन पर पुनर्विचार करें और आने वाले बजट में, जो बजट आयेगा उसमें इस तरह की योजना बनाकर बेरोजगारी समाप्त करने के लिए आगे विचार किया जाय। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि दूसरे जो करों में मुक्ति दी गई है उसी आधार पर कृषि में काम आने वाले कीटनाशक दवायें व रसायनिक खाद पर भी छूट दी जाय। इसके साथ-साथ राजस्थान में ट्रेक्टर पर जो टैक्स है वह अन्य प्रदेशों से ज्यादा है उस ट्रेक्टर टैक्स पर भी छूट दी जाय। इससे क्या होगा कि किसान जो बाहर से ट्रेक्टर लेकर आते हैं और बाहर ही रजिस्ट्रेशन कराकर आते हैं जिसके बारे में राजस्थान की राजस्व की हानि होती है, इसलिए ट्रेक्टर टैक्स पर भी पुनर्विचार किया जाय और उसको माफ कराया जाय। इसके साथ-साथ ट्रेक्टर टायर पर जो राजस्थान में 12 परसेन्ट टैक्स है जबकि अन्य राज्यों में 4 परसेन्ट टैक्स है जिसके कारण किसानों को बाहर से ट्रेक्टर लाना पड़ता है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस पर भी विचार करके इसकी ओर ध्यान दिया जाय। इसके साथ-साथ पीने के पानी की समस्या प्रदेश में गम्भीर रूप से है। हमारे मुख्यमन्त्रीजी और जलदाय मन्त्रीजी के प्रयासों के कारण गम्भीर समस्या होते हुए भी राजस्थान में हाहाकार नहीं होने दिया और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त रूप से पानी वितरण करने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। पिछली सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये इस पेयजल समस्या के समाधान के लिये खर्च किये। इसके बाद भी राजस्थान प्यासा रह गया। परन्तु पिछले तीन महीने में इस नई सरकार के सामने जो चुनौती थी उस

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

चुनौती का उन्होंने सामना किया और सबको बराबर समान रूप से पानी वितरण करने का प्रयास किया यह जो राजनैतिक दृष्टि से लम्बे समय से तैयार नहीं हो रही है। यह सरकार आने के बाद जोधपुर लिफ्ट केनाल जो आज 39 किलोमीटर तैयार हो चुकी है और आगे भी तैयार करने के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर लिफ्ट केनाल जिस पर 103 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, 21 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अब बजट में 12.8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, इस प्रावधान को बढ़ाया जाये क्योंकि हमारे समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लिफ्ट केनाल का कार्य जल्दी पूरा होना चाहिये। उसके आधार पर आगे लिफ्ट केनाल के लिए बजट में प्रावधान रखा जाये जिससे समय पर लिफ्ट केनाल पूरी हो सके और जोधपुर की जल की समस्या का स्थायी हल निकल सके। साथ ही साथ मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जोब वर्क पर जिस प्रकार से आपने टैक्स माफ किया है। मेरे पश्चिमी राजस्थान के गांवों में और ढाणियों के अन्दर कशीदे का कार्य किया जाता है। इस कशीदे के कार्य के कारण वहां से यह सारा कार्य एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट के कारण ढाणी-ढाणी में गृह उद्योग के रूप में काम में लिया जा रहा है। इसके लिए मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस पर भी टैक्स माफ करें, जिससे गांव-गांव में रोजगार मिल सके। जो महिलाएं और भी लोग जो गांवों में काम करते हैं, इस कार्य को प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही साथ इस प्रकार के जो कार्य हैं जिसके कारण रोजगार बढ़ा है, उद्योग का जो वातावरण बना है उसके लिये मुख्य मन्त्री जी ने यह जो बजट रखा है, जो राजस्थान की जनता के लिए नयी आशा का प्रतीक है आशा यह करते हैं कि मुख्य मन्त्री जी ने जो विपक्ष के नेता के रूप में राजस्थान में 40 वर्षों तक सेवा की है, उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से इस प्रकार का बजट तैयार किया है। चाहे वह कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वह सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में हो, प्रत्येक वर्ग ने इस बजट को सराहा है। जिसके कारण यह आज जन-जन की आशा का प्रतीक बन गया है। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जब आप मुख्य मन्त्री थे तब भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपने बेरी आयोग बैठाया था। भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो आपने बेड़ा उठाया है वह भी सराहनीय है। आज जब भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के विरोध में जो बेरी आयोग बैठाया गया था उसकी रिपोर्ट भी लागू कीजिये, जिससे पता लग सके। जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके भूमि हड़पो काण्ड किये हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके। आज इस बजट से और मुख्य मन्त्रीजी की घोषणा से राजस्थान को एक नयी दिशा मिलेगी। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति जी, आज इस बजट पर चर्चा होने

(श्री रतनाराम)

जा रही है, उस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करूंगा। यह जो बजट है, जो लोगों को आशा थी कि यह कोई काश्तकारों को लाभ देने वाला, काश्तकारों के हितों की सुरक्षा करने वाला कोई बजट होगा परन्तु इस बजट को देखते हुए मैं इसे काश्तकार विरोधी बजट कहता हूं। उसमें जो छूट दी गयी है, वह सिर्फ रेशमी साड़ी वगैरह की दी गई है। जब काश्तकारों, मध्यम वर्ग के लोगों और गरीब लोगों ने कभी कोई रेशमी साड़ी देखी भी नहीं होगी। रेशमी साड़ी तो वह आदमी पहनता है, वह औरतें पहनती हैं, जो करोड़पति हैं, घर में जो पार्टी हो, उनकी औरत रेशमी साड़ी ओढ़ती है। हमारे गांव की औरतों ने कभी रेशमी साड़ी देखी भी नहीं। सूत की जो अच्छी साड़ी होती है, वह भी उनके नसीब में नहीं है। इसलिए यह जो रेशमी साड़ी के ऊपर छूट देकर के गांवों के लोगों के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है उनकी मैं भर्त्सना करता हूं। दूसरे, अब गांवों में गरीब से गरीब आदमी के पास पशुधन होता है। वह अपना पशुधन लेकर के कहीं कोई मेला लगता है, उस मेले को देखने के लिए किसान, पशुपालक पहुंचता है, उस मेले में प्रवेश के लिए दो रुपये फीस और देखने पर जो पांच रुपये की फीस थी, उनकी जगह पर 20 रुपये बैल के, घोड़े के 25 रुपये, ऊंट के 30 रुपये और गधे पर 10 रुपये।

माननीय सभापति महोदय, और तो सही परन्तु गधे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। एक गरीब आदमी उस पर मिट्टी लादने का काम करता है और अपनी जीविका पालता है, उनको भी टैक्स से मुक्त नहीं किया और उनके ऊपर भी यह टैक्स का बोझ बढ़ा दिया और दूसरी बात, जो गांवों में आजकल बस्ती सब ढाणियों में रहती है, प्रत्येक गांव में आप जाइये। हमारे पश्चिमी राजस्थान में कोई भी घर में एक भी व्यक्ति गांव में नहीं मिलेगा, प्रत्येक अपने खातेदारी के खेत में बसे हुए हैं। इसलिए पानी की व्यवस्था, जो आपने गांव में एक नल लगाकर के या टंकी बनाकर के छोटी-सी जो व्यवस्था कर दी और गांवों को लाभान्वित कर दिया, यह बात उन लोगो को फायदा देने वाली नहीं है। जब तक आप ढाणी-ढाणी में जाकर के कोई छोटी पाइप लाइन बिछाकर के पानी नहीं पहुंचायेंगे, तब तक गांवों में पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। दूसरे हमारी तहसील भीनमाल में जो कृषि मण्डी है, उसको अन्तर्राज्यीय दर्जा दिया हुआ है। उस कृषि मण्डी में करोड़ों रुपयों का बजट खर्च हुआ, स्टाफ अनाप-शनाप काम कर रहा है। परन्तु उस मण्डी में किसान का बेटा एक बोरी लेकर के जाने के लिए बेचने के लिए तैयार नहीं है। तमाम हमारे बाड़मेर, जालौर, तमाम पश्चिमी राजस्थान के जो किसान हैं, जीरा, ईसबगोल, रायड़ा गुजरात ले जाना स्वीकार करते हैं परन्तु भीनमाल मण्डी में बेचना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि वहां न तो किसानों को ही इतना लाभ है और न उचित मूल्य मिलता है और न समय पर उनका पेमेण्ट होता है। इसलिए अन्तर्राज्यीय दर्जा कागजों में दिया और काम उनका एक है। धानेरा में जो छोटी-सी मण्डी का क्या स्वरूप है और माल रखने के लिए व्यापारी के पास मण्डी में जगह नहीं है। परन्तु भीनमाल की मण्डी ज्यों की त्यों खाली पड़ी है। इसलिए मैं कृषि मन्त्री जी

(श्री रतनाराम)

यहां विराजमान हैं, आपने उन कृषि मण्डियों के लिए बजट में कुछ रखा नहीं है। उन सुझावों के बारे में आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बजट में एक भी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। न ही औषधालय खोलने के बारे में कोई प्रावधान रखा है। इसलिए यह भी गांव की जनता के साथ में बड़ा भारी खिलवाड़ किया गया है और जालौर जिले में करीब हमारी सरकार ने रेवदर, रानीवाड़ा और सायला और 132 के. वी. लाइन जो हैं। 132 के वी. के. ग्रिड स्टेशन बनाने का कोई बजट नहीं रखा है। इसलिए मैं जनता की ओर से और मेरी ओर से माननीय विद्युत मन्त्री सुमित्रा जी से यही अनुरोध करता हूं कि आप उसमें व्यवस्था करें और यही नहीं इस वर्ष राजस्थान से ले जाने वाले काश्तकार जो अपनी उपज का रायड़ा, ईसबगोल ले जा रहे थे, गुजरात में और सैल्स टैक्स वालों ने काश्तकारों पर असत्य मुकदमा बना दिया और असत्य मुकदमा बनाकर के उनको परेशान किया गया है। इसलिए असत्य मुकदमे बनाने वाले अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाये और असत्य मुकदमे जो बनाये गये हैं, उनको वापस लिया जाये क्योंकि काश्तकारों को पूरा अधिकार है कि अपनी उपज, अपनी फसल कहीं भी ले जाकर के बेचना अपना एक अधिकार समझता है। जहां उनको अच्छे दाम मिलते हैं, वहीं काश्तकार अपनी पैदावार को बेचना उचित समझता है। दूसरी बात एक हमारे करड़ा में गवर्नमेण्ट की ओर से माईन्स है उसमें बहुत बढ़िया धातु निकलती है। माइन्स और जालोरा खुड़द में एक प्राइवेट ठेकेदार ने अपनी माइन्स ले रखी है और ठेकेदार उस गवर्नमेन्ट की माईन्स से गलत लाभ उठा रहा हैं। वहां गवर्नमेन्ट की खानों से चोरी छिपे माल प्राइवेट माइन्स वाले को बेचा जाता है और नाजायज लाभ एक व्यक्ति को मिल रहा है और इसमें गवर्नमेन्ट को लाखों रुपये का रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। कृपा करके उनकी जांच कराई जाय और जो प्राइवेट माईन्स ले ले रखी है उनको अतिशीघ्र गवर्नमेन्ट के अन्डर गवर्नमेन्ट के हित में ले ली जाये ताकि गवर्नमेन्ट को हर साल करोड़ों रुपये की इनकम का स्त्रोत मिल जायेगा।

शिक्षा के बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है मैं भी उस बात से सहमत हूं कि शिक्षा जिला परिषदों को देकर के शिक्षा का एक तरह से भट्टा ही बैठ गया है।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में मैं मांग करता हूं कि जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल को जिला परिषदों से मुक्ति दिला दे और शिक्षा विभाग को सुपर्द कर दें। यही कहता हुआ मैं इस बजट को किसान विरोधी और पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कहता हुआ विरोध करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री जगतसिंह दायमा : सभापति महोदय, तीन बुलवा लिये हमारा नाम नहीं आया।

श्री सभापति : अभी आपका नाम आया ही है, सूची में सम्मिलित कर दिया है इनके बाद आपको बुलवा लूंगा। आपके सदस्य महिपाल यादव नहीं हैं। अब इनको पुकार लिया है इनके बाद आपको बुलवायेंगें।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, यह पहली बार योजना का आकार 20 प्रतिशत बढ़ाकर जो बजट प्रस्तुत किया है मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। यही नहीं जिन कारणों से प्रदेश में विकास हो सकता है विद्युत की विशेष व्यवस्था जलउत्थान की व्यवस्था इसमें सम्मिलित की गई है वह न केवल घोषणाएं मात्र है बल्कि अपने सपनों का राजस्थान बनाने के लिये प्रयत्न करने की ओर प्रयास है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की व वित्त-मंत्रीजी की प्रशंसा करती हूं जिन्होंने ग्रामोन्मुखी बजट यहां पर प्रस्तुत किया है। आने वाला समय यह बतायेगा कि यह बजट हमारे प्रदेश के लिये कितना विकासशील हो सकता है यहां पर कुछ लोगों ने जवाहरात उद्योग के संबंध में दी गई छूट के बारे में उपाहासत्मक बातचीत की है। मैं निवेदन करना चाहूंगी जवाहरात उद्योग में कितने हजार श्रमिक लगे हुए हैं यह इनको अन्दाज नहीं है। घर घर में कुटीर उद्योग की तरह जवाहरात उद्योग से मजदूर काम करके कमाता है और यह जवाहरात जो हमारे यहां से निर्यात होता है उसमे प्रदेश की बेहबूदी और देश में आर्थिक आमदनी होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह पहली बार ऐसा प्रयत्न किया गया है जिससे कुटीर उद्योग को बढावा मिलेगा। विविध अन्य चीजों पर यहां पर बिक्री कर से छूट दी गई है और करों में छूट दी गई है, मैं प्रशंसा करना चाहूंगी....

(5.15 सायं)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा सौभाग्य है कि अध्यक्ष महोदय, यहां पर आ गये है। मैं बहुत कम में बोलूंगी और मुझे आशा है बीच में घंटी नहीं बजेगी।

श्री अध्यक्ष : यदि आप कम बोलेगी तो नहीं बजेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ज्यादा बोलती ही नहीं, आप जानते है मैं बहुत कम बोलती हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो सामने आ जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, पिछले दिनों गत वर्ष में कांग्रेस सरकार ने वन पोल की स्कीम दी थी लेकिन आप देख रहे है कि वन पोल स्कीम में वन पोल कहीं लगे ही नहीं। जितने स्कूल और अस्पताल खोलने की बात की गई थी, बजट में तो प्रावधान दे दिया गया लेकिन खुले नहीं, टीचर्स वहां पहुचे नहीं। इस तरह से यह स्थिति कांग्रेस सरकार की राज्य में रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इस वर्ष में जो गांवों में काम करने जा रही है उसमें बन्धों का निर्माण कराये तो यह आने वाली बरसात का पानी रुक सकेगा और गांवों में न केवल पेयजल की व्यवस्था और सीम से घास उत्पन्न होने की बात और पशुओं के लिये पेयजल उपलब्ध होगा बल्कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो पूर्व में नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

थी जब राजाओं के राज्य थे तो राजा तीन काम करते थे। अकाल के दिनो में धर्मशाला बनाना, कूए बंधे बनाना इस तरह से काम देकर के वह रोजगार भी देते थे और स्थाई नेचर के काम भी करते थे। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगी और सुझाव देना चाहूंगी यह जो गांवों में काम करने के लिये पैसा दिया जाये, जो हमारे बांध और तलाई फूटे हुए है यदि उनको बनवा दिया गया तो एक बहुत बड़ा काम हमारे यहां होगा। जो कूआ बनाने के बारे में ऋण देने की योजना बनाई है मैं उसकी प्रशंसा करती हूं। मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि 1982 में जयपुर नगर में और राज्य में कृषि भूमि के ऊपर जो नियमन की दर लागू करके यहां कहा गया था कि हम पांच महीने के अन्दर. अन्दर नियमन कर देगें और बजट में उस साल उस पैसे से काम चलाने के लिये विकास में लगाने की बात कही गई थी। वह पैसा अभी तक भी नियमन के काम में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में यहां कैम्प लगाकर बहुत सी जालसाजियां पकडी हैं उसके लिये तो मैं धन्यवाद देती हूं लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो उपभोक्ता हैं उनको जब तक आवास का नियमन नहीं कर दिया जायेगा। उन क्षेत्रों में विकास नहीं किया जायेगा तब तक कोई शांति होने वाली नहीं है! किसी ने अपने घर के बर्तन बेच कर जमीन ली है किसी ने अन्य कारणों से जमीन ली है, रिटायरमैंट के बाद पूरा पैसा लगाकर जमीन ली है उनको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि विकास शुल्क की दर 25 रुपये करके उनका विकास किया जये और साथ में यह पैसा जो करोड़ों रुपया जमा है उसके ब्याज में से 25 रुपया काट करके कृषि भूमि की कालोनियों में विकास किया जाये, यह मेरा सुझाव है। जिससे कि एक बहुत बड़ा काम निपटेगा जो कांग्रेस सरकार अधूरा छोड़ गई है। कच्ची बस्तियों में भी कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया है जो तीन रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीन का था उसको बढ़ाकर पांच रुपये ही नहीं किये बल्कि आय के आधार पर किया। इन कच्ची बस्तियों में वह गरीब लोग रहते है जो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते है। मैं निवेदन करना चाहूंगी और राज्य सरकार को सलाह देना चाहूंगी वह फिर से कच्ची बस्तियों में जमीन की दर तीन रुपये करें और वहीं पर शिविर लगाकर के उनके आवासों का आवंटन करे। मुझे एक प्रश्न का उत्तर मिला है कि हमने 3400 मामले गत वर्ष में निपटाये हैं। यह बहुत कम मामले हैं और यह सन् 1971 के मामले चले आ रहे है उनके सिरों पर तलवार लटकी हुई है। आजकल तो एक और नया वर्ग पैदा हो गया है जो पैसा लेकर मकान खाली करवाता है। वह इस शहर में भी पनप रहा है और कच्ची बस्तियों के लोगों को भी परेशान कह रहा है। इस लिये जरूरी हो गया है कि अब तात्कालिक तौर पर निश्चय करके वहां शिविर लगाकर उन्हें मकान दिये जाये और जमीन की दर कम की जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि स्थायी पेयजल की समस्या के समाधान के लिये जयपुर जिले में बनास योजना, बीसलपुर योजना, लाने की बात बहुत दिनों से कहीं जा रही है। मैंने पिछला रिकार्ड देखा है जो हमारे मुख्य मंत्री जी आज है उन्होंने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहा है कि यह योजना यहां आनी चाहिये। रामगढ़ बंधा कम पड़ता है, अमानी शाह से पानी कम आता है अन्य भी कोई स्त्रोत ऐसे नहीं हैं जहां से पानी की व्यवस्था हो सके

(5.21 सायं)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

जब आज के दिन आज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है यदि स्थाई योजना के समाधान के लिए हमने नहीं सोचा तो ऐसा न हो कि एक दिन इस राजधानी को खाली करने की नोबत के लिए कोई एकदम से कह दे। इन अधिकारियों का कुछ बिगड़ता नहीं ये चाहे जो कह दें। जहां रहेंगे इनको तनख्वाह मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी विकास की ओर ध्यान देते हुए जयपुर के पेयजल की स्थायी समस्या के समाधान के लिए यह योजना हाथ में ली जानी चाहिए और जहां तक रामगढ़ बंधे का कार्य है जो पीछे 40 एनीकट श्री भैंरूलाल भारद्वाज जो इस समय सदन में नहीं है। श्रीमती कमला बेनीवाल जो अपने प्रभाव से दोनों मंत्री आए उन्होंने इसके केचमेंट एरिया में जो 40 एनीकट स्वीकृत कराए हैं उनमें से 23 बन चुके हैं, मेरा निवेदन है कि बाकी 17 नहीं बनने पाए। क्योंकि जब वो बांध भरेंगे उसके बाद बाणगंगा का पानी रामगढ़ के बन्धे में भरेगा तब तक पानी भरने का कोई सवाल नहीं इसलिए अभी हम लोग जो पानी उपलब्ध करा रहे हैं इस समय जो एक समय में भी पूरे दबाव के बगैर इतना कम पानी है कि यहां के लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पानी उपलब्ध कराया जाय और तात्कालिक व्यवस्था के लिए अन्यान्य कालोनीज और गांवों में हैण्ड-पम्प तात्कालिक रूप से लगाये जाएं। गांवों में मेरे इलाके में पूरी पंचायत समिति में केवल 30 हैण्ड पम्प्स् स्वीकृत किये गये हैं जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लोग बहुत परेशान हैं और दूसरी ओर पानी देंगे नहीं और दूसरी ओर व्यावसायिक दर उसमें और लागू हैं। अगर मिनिमम रेट होती, व्यावसायिक दर होती लोग डेढ़ा दे देते। लेकिन एक ओर तो फ्लैट रेट है और दूसरी ओर व्यावसायिक दर डेढ़ा, तिगुना। इस तरह से पानी का पैसा ले करके मैं समझती हूं वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस ओर ध्यान दे करके तात्कालिक रूप से समाधानात्मक कदम उठाने चाहिए और व्यावसायिक दर तात्कालिक रूप से समाप्त करनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा एक सपना था कि भारत में हमारा राज होगा। हम अपने देश, वेष और भाषा इन तीनों से स्वाभिमान महसूस कर सकें। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिन्दी हमारी प्रान्तीय भाषा है इसको यह सम्मान मिलना चाहिए अभी भी कुछ लोग जो दिमाग से गुलाम हैं और हिन्दी का प्रयोग करने में अपमान समझते हैं ऐसे लोगों ने हमारे देश को बहुत पिछड़ा रखा है। एक सेफ डिस्टेंस की भाषा प्रदेश में नही रहनी चाहिए और हिन्दी लागू होनी चाहिए और मैं समझती हूं कि मध्यप्रदेश का अनुसरण, हालांकि पहल हमको करनी चाहिये थी लेकिन मध्यप्रदेश के अनुसरण में भी अगर हम आगे आ जाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। मैं

Page No. 149

(149)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निवेदन करना चाहूंगी कि 1980 से कांग्रेस गवर्नमेंट ने नई नियुक्ति बन्द की हुई हैं उन नियुक्तियों को खोलने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

मैं बेरोजगारी भत्ते की बात तो नहीं करती लेकिन जो ओवरएज होने जा रहे हैं उनको तो सर्विस मिलनी चाहिए। लोगों ने बी. ए. किया है, एम. ए. किया है, टेक्नीकल एज्यूकेशन ली है, डॉक्टर हैं, वकील हैं। वकील को तो छोड़ दीजिए बाकी अन्य विभिन्न सेवाओं में जो लोग जाने की क्षमता रखते हैं, जिन्होंने इसलिए पढ़ा है उनको अवसर नहीं दिए जाने से मैं समझती हूं यह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सेवाओं में नियुक्तियां तात्कालिक रूप से खोली जाए और बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, मैं कहना चाहूंगी अगर जरूरत हो तो 58 से 55 साल एज पर भी लाये जो नये लोगों को सेवा का अवसर मिले, यह मेरा अपना एक सुझाव है राज्य-सरकार को।

मैं निवेदन करना चाहूंगी समापति महोदय कि पर्यावरण और वन के बारे में, वर्षा के बारे में हम चिन्तित हैं। तीनों ही बात एक दूसरे से लगी हुई हैं। हमारे वनों की जो कटाई अन्धाधुन्ध हो रही है उसको रोके जाने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए। पर्यावरण भी तभी रह पायेगा, वर्षा भी तभी हो पायेगी अभी 33 पर्सेन्ट कम से कम वन होना चाहिए था। हमारे यहां 3 पर्सेन्टे भी नहीं रहा और जब से टीपी बन्द की है पारपत्र तब से तो और ही गजब हो गया। जितने भी राजधानी की ओर से आने वाले रास्ते जयपुर नगर में आप किसी रास्ते से चले जाए तो रात से सुबह तक आप कभी भी गाड़ियां गिन लीजिये। एक क्षेत्र से आने वाली गाड़ियां कम से कम 500–600 होंगी जिन पर कोई योरेप की लकड़ी नहीं आती जिन पर बड़े-बड़े पेड़ों के खांचे काट-काट कर लगाए जाते हैं जब ही इस तरह लोगों ने अगर मशीन लगा ली। पेड़ लाए और कटाया और जयपुर में लाए और बेच दिया। वो केवल खाना बनाने के काम नही आता। वो काम आता है लक्जरी आइटम में, घरों में फर्नीचर के काम में, घरों में दीवाल में लगाने के काम में, छतों में लगाने के काम में। इन पर बन्दिश होनी चाहिए कि इस काम पर लकड़ी काम में न ली जाय।

एक ओर मैं सुझाव देना चाहूंगी, हालांकि आर्थिक नुकसान होगा लेकिन जो शहर में अव्यवस्था फैली है उसकी ओर ध्यान दिलाना मेरा कर्त्तव्य है। लॉटरी कभी एक खुलती थी महिने में, दो महिने में कभी तीन महिने में और आज प्रतिदिन लॉटरी खोली जाती है सुबह स्कूल जाने वाला बच्चा लाटरी का टिकट लेता है। शाम को आकर अपना नम्बर देखता है। जुआ नहीं तो क्या है? इस तरह का जुआ अगर सरकार करायेगी तो मैं समझती हूं हमारी छवि गलत होगी यह दैनिक रूप से जो लॉटरी खोली जाती है इसको तात्कालिक रूप से बन्द किया जाना चाहिए। यह हम एक सामाजिक अपराध कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने चाहा है कि वो राजकीय व्यय में मितव्ययता बरते। मेरा सुझाव है मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर मैं बहुत दुःखित होकर कहना चाहती हूं कि जो हमारे यहां

Page No. 150

(150)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जे.डी.ए. बैठा है उसका कोई उपयोग नहीं है। कोई काम तो करते नहीं और जो काम करते हैं और जो हमारे विद्याधर के समय का बना हुआ यह जयपुर नगर है उसकी सेप बिगाड़ने के लिए अवैध निर्माणों की स्वीकृतियां, उनमें अनदेखी करना, 5-5 हजार रुपये रिश्वत लेकर मकान बनवाना, मकान तुड़वाना, मकान छुड़वाना यह उनका केवल कर्त्तव्य रहा है। न ही इस योजना की तरफ उनका ध्यान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर जे. डी. ए. भंग हो जाता है तो हमारी बहुत बड़ी इनकम हो जायेगी और वो इनकम जो हमारा सारा खर्च निकालकर भी नगर निगम का हम बचत कर सकते हैं जयपुर नगर में नगर परिषद् के नहीं नगर निगम के चुनाव करा-कर नगर की व्यवस्था सुधार की जाये। यह मेरा निवेदन है। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारी नगरीय बस सेवा है वो उसके माध्यम से होगी, जल प्रदाय योजना उसके माध्यम से होगी, अन्य योजनायें नगर निगम के माध्यम से होगी। मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि जे.डी.ए. को भंग करने की योजना, आपको अंदाज होगा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, कुछ मेम्बर थे जो चुने हुए जयपुर जिले के थे वो उसके सदस्य थे क्योंकि वो सही बात कहते थे इसलिए यह कहा गया कि इन मेम्बर्स की वजह से हमको परेशानी होती है। उन मेम्बर्स को निकालकर मेम्बर वो थे जो चुने हुए जन प्रतिनिधि थे, विधायक, संसद सदस्य और प्रधान लोग उसके सदस्य थे। उन सबको निकलवाकर आज जे.डी.ए. मनमानी जयपुर में कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, सम्बन्धित मंत्री कहीं हों तो वो भी इस पर ध्यान दें जिससे कि सारा कार्य शीघ्र हो सकेगा।

3 बातें हमारे सामने हैं। एक तो वित्तीय स्थिति और एक बजट और चुनावी घोषणा। इन तीनों में सामंजस्य बिठाकर यदि हम कार्य कर पायेंगे तभी कुछ उपलब्धि होगी और कुछ पहल तो निश्चित रूप से शीघ्र करनी चाहिए जिससे लोगों को यह वातावरण न मिले कि कार्य नहीं हो रहा है। जो हमने घोषणाएं की हैं जिस प्रकार 10,000/– के कर्जे को माफ करने की बात कही। इसी तरह रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहूंगी और 60 पर्सेन्ट बजट का जो गांवों में खर्च होना चाहिए। शहर में डामर पर डामर चढ़ती है। गांवों में एक–किलोमीटर के लिए 3–3 साल भटकना पड़ता है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस के कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया। जो मैंने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या किया है यह में बताना चाहूंगी जो मैंने 78 में अपने इलाके में एक सड़क मंजूर कराई जो आज तक पूरी नही हो पाई और मुझको बराबर प्रयत्न करना पड़ा तो कम से कम आप सब जो कार्य हाथ में लें उसको तात्-कालिक रूप से कार्य पूरा सम्पूर्ण करते हुए उसको अंजाम देते हुए कार्य करें मैं इस शुभ-कामना के साथ बजट का समर्थन करती हूं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्या....

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं घंटी बजाना बर्दाश्त नहीं कर सकती इस तरह से, पहले बजाने के लिये हाथ उठाते तो मैं पहले बंद कर देती। मैने पहले ही कहा था आपसे।

एक माननीय सदस्य : महिला हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिला के लिये मैं कोई दया के लिये नहीं हूं यहां पर। मैं मेरा हक लेकर आई हूं। चुन कर आई हूं। आपने मेरे पर जो उदारता दिखाई मैं धन्यवाद देती हूं लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगी मैं बजट का समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जगतसिंह दायमा।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अभी हिण्डोली से आने वाली माननीय सदस्या ने विधान सभा में कांग्रेस के लिये इस तरह की बातें रखीं कि चालीस साल से पहले इस भारतवर्ष में जैसे कुछ था ही नहीं। शायद हो सकता है उन्होंने कभी भारत का इतिहास नहीं पढ़ा हो परन्तु अगर भारत के इतिहास को वह पढ़तीं तो शायद यह बात नहीं कहतीं। मुझे याद है वह समय भी जब इस देश में न्याय होता था, वह हर्षवर्धन का समय था जब कभी चोरी नहीं हुआ करती थी। कभी स्वर्ण काल कहलाया करता था। इस देश में वह कार्य हुए जिसको कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था। परन्तु इनको कुछ याद नहीं। चालीस साल के समय में मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस के राज में कोई भारत का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस एक बहुत अच्छी संस्था थी, देश को आजादी दिलाई परन्तु उस संस्था में सारा देश शामिल था न कि कुछ लोग ही शामिल थे। परन्तु उसके बाद चालीस साल के अर्से में जब कांग्रेस ने राज अपने कब्जे में किया और जो तरक्की इस देश की चालीस साल में होनी चाहिए थी, सभापति महोदय, वह नहीं हो पाई। जिस गति से देश का विकास होना चाहिये था वह नहीं हो पाया। सभापति महोदय, हमें याद है, वह समय भी जब द्वितीय महायुद्ध हुआ और जापान और जर्मनी बिल्कुल तहस नहस हो गये, वहां पर न कोई बिल्डिंग बची, ना कोई कारखाना बचा, ना कोई सड़क बची, ना कोई पुलिया बची, कुछ भी वहां नहीं बचा और जर्मनी और जापान ने दस साल के अन्दर-अन्दर ही ऐसी तरक्की की, उससे भी ज्यादा तरक्की की जिस समय वह तहस-नहस के पहले थे। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा, जैसा कि उदाहरण दिया यहां जो व्यक्ति जो चाहता है वह तो कर ही लेता है, एक उदाहरण दिया कि समुद्र के पास अकबर महान ने एक व्यक्ति को भेज दिया, वहां पर भी उसने भ्रष्टाचार की बात की। मैं यह जरूर कहता हूं, जो कुछ हुआ उसको स्वीकार भी करना चाहिये परन्तु भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पौधा को जन्म देने वाली भी यह कांग्रेस की सरकार है। भ्रष्टाचार यहां पर जितना पनपा, जितने अत्याचार उस समय गरीबों पर हुए कांग्रेस के राज में, जितना मोरल डाउन हुआ,

(श्री जगतसिंह दायमा)

जितना किसानों का शोषण हुआ, जितनी मजदूरों या गरीबो को रोटी नहीं मिली वह काम भी कांग्रेस के समय में ही हुए ! भ्रष्टाचार की सीमा, उसकी तो कोई बात ही नहीं रही। यह हाल हो गया आदमी को अपना तन बेच कर खाने के लाले पड़ गये। यह काम भी कांग्रेस के राज में हुआ।

मुझे एक उदाहरण याद आता है ऐसा ही, एक महिला, बहुत अच्छी महिला समाज में देखी जाती थी क्योंकि वह रोज शिव की पूजा करने जाया करती थी। शिव की पूजा करते-करते एक दिन शिवजी प्रगट हो गये। उन्होंने कहा, इतने दिन से आप मेरी पूजा कर रही हो, बताइये आपको क्या चाहिये? उस महिला ने कहा, मैं क्या मांगू। उन्होंने कहा, नहीं, मांगिये। उसने कहा, हे महाराज, मैं तो एक ही चीज मांगती हूं, मैं कितना ही बुरे से बुरा काम करूं या भ्रष्टाचार फैलाऊं, या अत्याचार करूं परन्तु मैं बदनाम नहीं होऊं। तो उन्होंने कहा, इतने दिन तुमने पूजा की है, इतने दिन मेरी उपासना की है उसके बाद कुछ धन मांग, दौलत मांग, वैभव मांग, राज मांग, आपने यह क्या मांगा. उसने कहा, महाराज, मुझे तो यही चाहिये। कि फिर सोच ले। तो कि नहीं मैने सोच लिया। तो फिर तुम जाओ, कांग्रेस आई में भर्ती हो जाओ, इस तरह की कोई बात नहीं मिले गी, कितना कुछ भी कर लो, वहां पर किसी तरह की आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वह समय भी इस कांग्रेस के राज में ही हुआ। मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं आज तक के बजट जिसने भी पेश किया. माननीय वित्त मंत्री ने या माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जिन्होंने पेश किया, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज तक के बजट में माननीय भैरोंसिहजी का बजट सबसे श्रेष्ठ बजट है। इसमें न सिर्फ किसानों के लिये ही बल्कि मजदूरों के लिये उन्होंने एक कदम नहीं दस कदम आगे बढ़ा कर जो मजदूरी एक साल पहले 12 रुपये थी उसको बढ़ा कर साढ़े बाईस, तेईस रुपये की, मैं माननीय भैरोंसिहजी के इस कदम की सराहना करता हूं, कम से कम एक मजदूर का घर एक दिन कमा कर खायेगा तो उसका पेट तो भर जायगा। दूसरा, मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने खेती में काम आने वाले, जैसे कुआं है उसको खोदने के लिये जो अनुदान राशि 25 हजार दी, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। दूसरा जो ट्यूब वैल गहरे कराने के लिये उन्होंने घोषणा की, इन सभी कार्यों से मैं कहता हूं कि कृषि पर जो आधारित लोग हैं और जो कृषि करते हैं उन लोगों को सबको बहुत फायदा होगा।

दूसरा जो सबसे ज्यादा इन्होंने बात कही शिक्षा के लिये, शिक्षा में इन्होंने कई जगह तकनीकी शिक्षा खोलने के लिये सुझाव दिया है मैं एक सुझाव देना चाहता हू, ऐसी शिक्षा का केन्द्र अलवर में भी स्थापित किया जाय। दूसरा, दो कालेज बनाने की इन्होंने घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि एक एग्रीकल्चर कालेज हमारे अलवर में भी किया जाय क्योंकि सबसे ज्यादा जो कृषि का केन्द्र है वह भरतपुर अलवर और गंगानगर है परन्तु अलवर भी किसी मामले में उनसे किसी तरह से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं माननीय भैरोंसिहजी शेखावत को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो

(श्री जगतसिंह दायमा)

चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये एक तौर से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। भागती हुई कांग्रेस ने घोषणा तो कर डाली मनचाहे जितनी परन्तु एक भी कार्य वह अपना पूरा नहीं कर पाई। मेरे यहां भी पांच साल से उन्होंने औषधालय खोले या स्वास्थ्य सब-सेन्टर खोले परन्तु एक पर भी आज तक न तो कोई कम्पाउण्डर पहुंचा है, न कोई नर्स पहुंची है। इन्होंने तो उस तरह का काम कर दिया.....

समापति महोदय, मैं उनके काम को यह नहीं कहता कि उन्होने क्यों खोले। मैं उनकी सराहना करता हूं परन्तु जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चे को पैदा करती है और पैदा करके या तो वह मर जाती है या कुछ और बात हो जाती है तो उस बच्चे को अगर दूसरी मां उसका पालन पोषण करती है उसको आगे पढ़ाती-लिखाती है, रोजगार दिलाती है तो मैं उस मां को ज्यादा मान्यता दूंगा जिसने दूसरी मां होते हुए भी उसका पालन पोषण किया। इसलिए मैं इस भैरोंसिंह सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चिकित्सा के पालन पोषण करने का काम किया।

समापति महोदय, मैं कुछ बातो पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह जो 10 हजार रुपये तक कर्जा माफ करने की बात आज तक कभी भी कांग्रेस के राज में 40 साल में कभी इस तरफ सोचा भी नहीं गया। कम से कम इस सरकार ने, दिल्ली और राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले यह कदम उठाया तो सही। उन्होने 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की बात तो की और इसमें "इफ या बट" हैं उसके लिए मैं सरकार से और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि "इफ और बट" को हटाने की कोशिश करें। इस बार नहीं हटे तो अगली बार हटायें। यह नहीं कि अबकी बार ही हटाया जाय।

समापति महोदय, मैं एक सुझाव और बिजली के कनेक्शन के लिए देना चाहता हूं। इसके लिए सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए। मैंने जो जिक्र किया भ्रष्टाचार का कांग्रेस के राज में जिस व्यक्ति ने भी बिजली का कनेक्शन लिया 3, 4, 10, 15, हजार रुपये तक में कनेक्शन देने की परिपाटी बन गई थी कांग्रेस के राज में उसके लिए मैं चाहूंगा ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिस दिन किसान अपनी फाईल जमा कराने जाए उसी दिन उसको मालूम पड़ जाय कि आपका एग्रीकल्चर का कनेक्शन फलाने दिन हो जाएगा इस तरह की नीति इस बिजली की बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन मुहैया कराने चाहिए हमारे किसानों को।

दूसरा पानी के बारे में भी कहना चाहूंगा समापति महोदय, यह समस्या सारे राजस्थान में है। मेरे क्षेत्र में भी खराब है। माननीय भैरोंसिंह जी ने पिछले सत्र में कहा था कि 15 दिन के अंदर-अंदर जो बिगड़े हुए सारे हैण्ड पम्प हैं उनको सुधार दिया जायेगा परन्तु समापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक चौथाई तो उन्होंने सुधरवा दिये बाकी सारे के सारे खराब पड़े हैं और पानी की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है कृपा करके इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(श्री जगतसिंह दायमा)

दूसरे, ध्यान दिलाना चाहूंगा फसल बीमा लागू कर देनी चाहिए। इसके लिए आम और सब पालिसीज जब दूसरे व्यक्तियों के लिए हैं तो किसान के लिए भी लागू होनी चाहिए।

बूढ़ों को पेंशन की बात है वहां हमने गांव गांव में जाकर इलेक्शन के समय कहा था कि हे बूढ़ी माता, हे बूढ़े बाबा, आप बैठे रहना आपकी चौपाल पर पटवारी या अधिकारी आकर के पेंशन बान्धेगा। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्रीजी को और नई सरकार को कि इस तरफ विशेष ध्यान दें और हमारा जो वायदा जनता दल का था उसे पूरा किया जाय।

दूसरा, बेरोजगारों के लिए जो बात कही है माननीय उजला जी ने, उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि जो ओवर एज होने जा रहे हैं कम से कम उनको तो प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की उसका लाभ नहीं मिलेगा तो उसका घर अन्धकार में रह जाएगा। एक किसान बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर तैयार करता है। वह जब नौकरी के लिए भटकता है तो घर की हालत क्या हो जाती है यह आप अनुमान लगा सकते हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि विभागों में नौकरी पर जो बैन है वह खोला जाय और बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए और रोजगार नहीं दे पायें तो कुछ न कुछ उनको भत्ता दिया जाना चाहिए जैसा कि हरियाणा सरकार ने, माननीय चौधरी देवीलाल ने किया हुआ है कि जो भी नौजवान अगर कोई बेरोजगार है तो उसको फ्री पास की व्यवस्था उन्होंने की। ऐसी फ्री पास की व्यवस्था राजस्थान में भी करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम मानते हैं कि 80% या 85% इस देश की जनता गांवों में रहती है और अगर इस देश का कल्याण होगा किसी तरह से तो वह तभी हो सकता है जब एक गांव का विद्यार्थी या गाव का व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति कम से कम अच्छी शिक्षा पा सके। उसका दिमाग किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से वह दूसरी बात सोचेगा। वह तभी सोच सकता है जब उसको शिक्षा कम से कम अच्छी मिले। पेट भर खाना मिले जिसके लिए तो मैंने बता दिया परन्तु शिक्षा के बारे में जो हमारे गांव का स्तर है वह बहुत ही दयनीय है। उसके बारे में विचार किया जाए। सभापति महोदय, मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि यह देश आजाद हुआ था तो सबके लिए हुआ था परन्तु आज जब बड़ी-बड़ी जगह जहां आई.ए.एस.आफिसर या कोई मैनेजर या कोई तकनीशियन या इंजीनियर बनने की बात आती है, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही पूंजीपति वर्ग, वही उद्योगपति वर्ग, वही जो जागीरदार या मिनिस्टर हैं उनके लड़के जाकर अच्छी-अच्छी पोस्टों पर लग जाते हैं परन्तु इस शिक्षा के स्तर के कारण गांव के लड़के अच्छी पोस्टों पर नहीं लग सकते। सभापति महोदय, जब गोली खाने का नम्बर आता है, हिमालय पर्वत पर इस देश की रक्षा करने का नम्बर आता है या छम्ब एरिया में लड़ाई होती है पाकिस्तान

(श्री जगतसिंह दायमा)

के खिलाफ या दूसरे किसी देश के खिलाफ, लंका में काम आते हैं तो हमारे गांवों के किसानों के बच्चे काम में आते हैं। उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता और शहरों में बढ़िया-बढ़िया स्कूल खोले जा रहे हैं। तो बड़ी-बड़ी नौकरियां उनको मिलती है। मेरा सुझाव है कि गांवों के स्कूलों की पढ़ाई का स्तर सुधारा जाए और 40 छात्रों पर कम से कम एक अध्यापक लगाया जाए जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो उनका दिमाग चलेगा और दिमाग चलेगा तभी इस देश की तरक्की की कोई आदमी बात सोचेगा। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ग्रामीणों की शिक्षा का स्तर सुधारा जाय।

समापति महोदय, पर्यटन के बारे में यहां पर वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपने सुझाव रखे हैं, परन्तु मैं उनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह अलवर को शायद भूल गये। मैं बताना चाहता हूं कि अलवर एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है, ऐसा जिला है जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा आ सकते हैं अगर सुधार किया जाय तो 23 ऐसे स्थान हैं जहां थोड़ा बहुत पैसा लगाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा पर्यटक अलवर में आयेंगे अलवर में आयेंगे तो राजस्थान में भी। क्योंकि अलवर दिल्ली से सबसे नजदीक पड़ता है। सबसे पहले बाहर का व्यक्ति इस देश को देखने आएगा तो दिल्ली के बाद सबसे पहला नम्बर होगा कि मैं वृक्षताल पर जाकर गर्म-गर्म पानी में स्नान करूं और सुन्दर-सुन्दर सीनियरीज को देखूं और सरिस्का में जाकर के जंगली जानवर, शेर, चीता देख करके अपना मन बहलाऊं। तो मैं आग्रह करता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि अलवर के लिए पर्यटन विभाग को लिखा जाय और उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाय ताकि अलवर को भी इसमें कुछ लाभ मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो-तीन साल से कृषि उपज मण्डी यार्ड का जो प्रस्ताव है जो मैने दिया है उसके लिए जमीन एक्वायर के लिए भी लिखा हुआ है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खुशी की बात है कि मैं इस टोपिक पर बोल रहा हूं तो आप यहां बैठे हैं।

समापति महोदय, हमारी कृषि उपज मंण्डी खैरथल लगती है और मेरे इलाके का लास्ट गांव है उससे खैरथल कम से कम 80-85 कि. मी. लगता है। इतनी दूर से किसान वहां जाता है अपनी गाड़ियों में लाद करके तो काफी पैसा खर्च हो जाता है और जाकर वह सारी चुंगी, सारा पैसा वहां लगाता है।

अब तक की यह प्रथा रही मेरे इस बानसूर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और अब पिछली बार जो थोड़ा-बहुत सड़कों का निर्माण हुआ, समापति महोदय, मुझे क्षमा करना, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि तीन-चार रोड़ मेरे यहां मंजूर हुई परन्तु वह सारी की सारी बंद हैं। आप पूछेंगे कि क्यों बंद है वह सिर्फ इसलिए बंद हैं, कि आपका जो एक्स. ई. एन. भरतपुर में बैठा है वह कुछ ज्यादा मांगने वाला है। वह ठेकेदारों से ज्यादा मांग कर रहा है। ऐसे अधिकारी को वहां से हटा कर कोई ऐसी जगह लगा दें या तो, ताकि सड़कों का जो

(श्री जगतसिंह दायमा)

निर्माण रुका है वह तो नहीं हो कम से कम....

श्री दिग्विजय सिंह : उसको भरतपुर से हटा दिया, अलवर आ गया वह ।

श्री जगतसिंह दायमा : अलवर में हमको नहीं चाहिए वह और चाहिए तो फिर आप उनकी शिकायत मत सुनना, हम ठीक भी कर लेंगे । ऐसी कोई बात नहीं है । दूसरी मेरी सबसे बड़ी माग यह है कि 132 के. वी. टी. एस. एस. का सब स्टेशन वहां पर बनाया जाय । वहां पर लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं केवल सेंक्शन होना बाकी है । मेरे क्षेत्र की इन दो-तीन मांगों को पूरा करवाया जाये । एक मांग भिवाड़ी क्षेत्र की मैं अंत में और रखना चाहता हूं । भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी । पहले तो रीको ने उसका मुआवजा देने की बात की, उसके बाद रीको से यू. आई. टी. ने खरीद ली परन्तु अभी तक बहुत से किसानों के कुओं और जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया है, कृपया इस तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

आखिर में, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह जो बजट बनाया गया, यहां पर प्रस्तुत किया गया-यह गरीबों और किसानों के लिए बहुत बढ़िया बजट है, मैं इसकी सराहना करता हूं । जो कुछ छोटी-मोटी बातें रह गई हैं जैसे खाद बीज की या कृषि में काम आने वाले उपकरणों की, यदि उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया तो किसान और भी राजी हो जायेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लालजी मीणा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, अभी-अभी जगत सिंहजी दायमा और मैं, दोनो बैठ कर विचार कर रहे थे कि एक बात जरूर कहेंगे हम दोनों । आपकी घंटी ने और इनकी जल्दी ने मेरी बात भी रख दी, खुद भी नहीं बोले । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो रबड़ की चप्पलें आदि बीस रुपये की आती हैं यह गरीब लोग पहनते हैं, अमीर लोग तो तीन तीन सौ चार सौ रुपये की पहनते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो पहले प्रावधान था उसी के अनुसार ही रेडीमेड कपड़े और चप्पलों पर जो कर प्रावधान है, यह हटाओ । क्योंकि यह तो बिल्कुल अनुचित हो जायेगा । बीस रुपये की फ्रॉक कोई अमीर का बच्चा नहीं पहनेगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुकी हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लूगड़ी की सिलाई कोई अमीर नहीं करेगा, वह तो बीस-बीस हजार के होते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप विराजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य का कहना है कि जूते महंगे नहीं होने चाहिए, जूते सस्ते होने चाहिए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो आप मेरी ओर से इन सारे सुझावों को शामिल करें..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। दूसरों को बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जगमालसिंह और रुमित्रा जी, आप दोनों ने जूतों के नाम पर मजाक सी की है यह बहुत गलत बात है। गरीब आदमी के पहनने की चीजों पर अगर हम लोग इस तरह की बात करेंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और उनके लिए सुझाव हम नहीं देंगे तो कौन देगा? आपको बीच में बैठ कर यह बात करनी चाहिए कि उनके लिए ऐसा क्यों किया?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बोल चुकी हैं। श्री कन्हैया लाल जी मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से एक घंटे और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है? (स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाता है।

आय-व्यय (बजट), 1990-91 पर वाद विवाद

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 27 जून, 1990 को जो संशोधित बजट पेश किया उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं एक सूचना आपकी इजाजत से और देना चाहता हूं कि बाहर बहुत भारी बरसात हो रही है। माननीय सदस्य आराम से बैठें, वाद-विवाद में भाग लें।

श्री मदन लाल सैनी : बरसात स्वागत कर रही है बजट का।

एक माननीय सदस्य : इस बरसात का स्वागत करने बाहर जाता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : यहीं बैठो, बाहर कहां जाओगे बारिश में।

श्री कन्हैया लाल मीणा : इस बजट के स्वागत के साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि ज्योंहि बजट पेश किया त्यों ही प्रदेश के अन्दर जगह-जगह बारिश भी खूब आ रही है। इसके कारण पेयजल समस्या आदि से ज्यादा हल हो गई। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट पर काफी कुछ बोला जा चुका है। जो कुछ भी सुझाव मैं मेरी ओर से रखने जा रहा हूं उसमें कर्ज माफी में जो दस हजार तक की छूट दी गई है वह छूट गरीबों को न होकर इसमें ज्यादातर जो बड़े पूंजीपति व्यक्ति हैं उन्हीं को लोन मिला हुआ है और उनको इसमें पचास प्रतिशत से ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी ऋण माफ किया जाय पहले उसकी जांच की जाय। इसमें जिस व्यक्ति के नाम ऋण है, ऋण लेने

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

वाला कौन है, जिस व्यक्ति के नाम से ऋण है उस व्यक्ति को नहीं दिया गया है। सहकारी समितियां जितनी भी हैं, अगर सही तरीके से जांच कराई जाय तो सहकारी समितियों में पचास प्रतिशत लोन चेयरमेन अपने रिश्तेदारों के नाम से या दूसरे किसी के नाम अपने पास रखे हुए हैं। जिस गरीब व्यक्ति के नाम पर अंगूठा लगवा कर लोन उठाया वह अपने पास रखे हुए हैं। अगर ग्राम सभा में जाकर लिस्ट लेकर पूछा जाये कि क्या इन व्यक्तियों को लोन मिला है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पचास प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको आज तक लोन नहीं मिला है। उनको पता भी नहीं है। वह लोग इस इन्तजार में बैठे हैं कि दस हजार रुपये तक के कर्ज माफी तो हो ही जायेगी और अब इसमें कई लोगों को तो नोटिस भी मिल गये। वह लोग कहने लगे कि हमने तो कभी लोन ही नहीं लिया था और वह नोटिस वापिस ले लेकर उनको चुप किया जा रहा है। इसलिए कर्ज माफी की जो भी बात है इसकी जांच की जाकर उसके बाद में माफ करें। यह मेरा सुझाव है।

पेंशन के मामले में जो अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा के अन्तर्गत जो चयनित किया जाता है, 77 में जनता सरकार के समय में अन्त्योदय योजना में पांच व्यक्तियों को प्रति गांव में, जो ज्यादा गरीब होते थे, जिनका उदय करना होता है उसको चयनित किया जाता है। इसी प्रकार से साठ साल के सभी व्यक्तियों को न दी जाकर मेरा सुझाव है कि जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो ग्राम सभा में चयनित होते हैं, उसमें 99 प्रतिशत कभी भी गलती होने के चांसेज नहीं होते हैं। गांव के बीच में कोई भी खाने-पीने वाला आदमी अपने आप को गरीबी की रेखा में न तो चयनित करवाता है, न वह पेंशन के अन्दर अपने आप को चुनाता है। इसलिए जो वास्तव में वाजिब हैं और जिनको पेंशन दी जानी चाहिए, उनको ही वह पेंशन दी जानी चाहिए।

गलत भू आवंटन : मैं आपको अवगत कराऊं कि 87-88 के अन्दर सरकार के द्वारा भूमि का आवंटन गलत आदमियों को किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अकेले में 1214 आदमियों को, जिनमें पचास प्रतिशत से ज्यादा आई. ए. एस. या आर. ए. एस., उनके बच्चों या औरतों के नाम से या एक ही व्यक्ति के चार नाम होकर वह भूमि अलॉटमेंट हैं, उनकी जांच की जाए। जयपुर के नजदीक होते हुए यहां पर करोड़ों रुपयों का घोटाला, जिसमें पांच हजार बीघा जमीन अलॉट हुई है, इसकी जांच करवाई जाय और जितने भी गलत भू-आवंटन हुए हैं, गरीबों को, जिन्होंने आवेदन किये हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो भूमिहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने कि आवेदन किया था उनको एक को आवंटन नहीं हुआ है। उनमें से पच्चीस प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आवंटन हुआ है, जिनके सारे आवेदनपत्र खारिज कर दिये गये है और वह पड़े हुए हैं। जिन गलत आदमियों को भू-आवंटन हुआ है उनकी जांच कराई जाय और उनको खारिज किया जाय।

पशुओं के ऊपर जो कर लगाया गया है उसके बारे में, मैं सरकार से कहना चाहूंगा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कि बीस रुपये जो लगाया है, क्योंकि आज भी जो दो रुपये और चार रुपये लगाये जाते थे, लेकिन आज की तारीख में, चाहे आप जांच करवा लें कैसे भी करके, हर पशु से हटवाड़ों में और मेलों के अन्दर बीस रुपये, पच्चीस रुपये वसूल किये जा रहे हैं। यह बीस रुपये, दस रुपये जो लगाये गये हैं यह सही है लेकिन अगर सही तरीके से इसकी जांच करके नहीं लगाये गये तो यही बीस-चालीस रुपये प्रति व्यक्ति से वसूल किये जायेंगे।

गधों पर जो टैक्स लगाया गया है, उसके लिए तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि पूर्व में भी, क्योंकि मैं इस पशु मेले को बड़ी मुश्किल से खुद भरवाता था, इस मेले में जितने गधे आते थे उससे आधे भी गधे आना बंद हो गये हैं क्योंकि सेल्स टैक्स वालों ने जो बाहर से गधे आते थे, जैसे- कश्मीर से गधे, लद्दाख से गधे, एम.पी., यू.पी. से गधे उन सब गधों पर सैल्स टैक्स वालों ने इतना टैक्स लगा दिया कि वहां बीस-बीस हजार की जगह छह हजार गधे ही एक जगह इकट्ठे होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा प्रसिद्ध गधों का मेला भी राजस्थान में लगता है और यह प्रथम मेला है अपनी किस्म का, इन गधों पर तो आप थोड़ी मेहरवानी करके इस मेले पर से यह शुल्क कम करवायें....

नहीं तो गधों की ख्याति है वह बंद हो सकती है, कम हो सकती है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब की बारमेले का उद्घाटन किस के द्वारा करवाओगे ?

श्री कन्हैयालाल मीणा : वैसे विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यगण भी इसीलिए नाराज हो रहे थे क्योंकि वह देख रहे थे कि गधों के मेले का जब भी कोई उद्घाटन करता है तो उसका प्रमोशन होता है। पूर्व में माधों-सिंह दीवान जब एम.एल.ए. थे तो उन्होंने उद्घाटन किया। जिन-जिन कांग्रेसी एम. एल.एज. ने उद्घाटन किया, वे 15–20 दिन में मंत्री बन गये....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य, अब के मेरे से करवाना उद्घाटन।

श्री राजेन्द्र राठौड : अकेले आजाद साहब ही उम्मीदवार नहीं हैं, हम भी है।

श्री कन्हैया लाल मीणा : उद्घाटन के लिए तो पहले ही शेखावत साहब ने स्वीकृति दे दी है कि अब की बार इस मेले का उद्घाटन मैं ही करूंगा। अरब सरकार ने 1987–88 में भारत सरकार को लिखा था कि हमें 20 हजार गधे चाहिये। उन्होंने यह प्रस्ताव भेजा था। मेरे पास यहां के तत्कालीन पशुपालन मंत्री श्रीराम गोटेवाला आये और कहा कि 20 हजार गधे चाहिए पर उस साल सेल्स टैक्स वालों की वजह से दूसरे ही साल से गधे आना कम हो गये थे इसलिए उस साल करीब 8 हजार के करीब ही गधे मेले में पहुंच सके इसलिये उनकी भी पूर्ति होना मुश्किल हो गया था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गधों पर टैक्स कम करें।

खानों और ईंट के भट्टों को दी जाने वाली लीज है वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही अलाट होती है। ईंटों के भट्टे उनके लिखे

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

जाते हैं लेकिन जो अधिकारी है चाहे जिलाधीश हों या तहसीलदार हों या खनिज विभाग के अधिकारी हों वह जितना आवंटन करते हैं उससे कई गुना ज्यादा जमीन पर ईंटें निकालते हैं या खान खोदते हैं। मेरा सुझाव है कि खानों में काम करने वाले 40 वर्ष या 30 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में उन गरीबों को खानों का आवंटन करना चाहिए।

ईंट भट्टों में कार्यरत कर्मचारी हैं आज तक उनको न तो चिकित्सा सुविधा है न ही शाला की सुविधा है। कई लोग बीमार हो जाते हैं और यहां तक कि उनमें से कई की मृत्यु भी हो जाती है। तो उनके मालिकों को हिदायत देनी चाहिए कि कम से कम शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करें।

पेयजल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सैंकड़ों टंकियां ऐसी बनी हैं जो 1977 से लेकर अब तक टी. एस. एस. माध्यम से और पी. एच. ई. डी. के माध्यम से बनायी गयी थीं, वह टंकियां मात्र या तो विद्युत कनेक्शन नहीं होने या कुओं में बोरिंग नहीं होने की वजह से टंकियों बनकर पड़ी हुई हैं जिसमें 10-20 हजार का ज्यादा से ज्यादा खर्चा है और वह पूरी पंचायत को, 6–6 गांवों को एक-एक टंकी पानी सप्लाई कर सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाकर टी.एस.एस. के माध्यम से और पी.एच.ई.डी. के माध्यम से जो यह टंकियां बनायी गयी हैं उनको चालू किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ग्राम सेवक और ग्रुप सचिव के पद हैं पंचायतों में उनमें से ग्राम सेवक के पद को खत्म किया जाकर एक ग्रुप सचिव हो जो पंचायत का किसानों को कृषि का काम देखे। एक पंचायत में एक सेक्रेटरी होगा तो ठीक है। आज हालत यह है कि तीन-तीन पंचायत में एक-एक ग्रुप सचिव है जो किसी भी पंचायत में कार्य नहीं करता है। एक सरपंच को बोलता है कि उसमें हूं, उसको बोलता है कि मैं उसमें हूं। इस प्रकार किसी भी पंचायत में कार्य सुचारू रूप से नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्रामसेवक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद को खत्म करके एक सेक्रेटरी एक पंचायत में लगा दिया जाय।

सिचाई विभाग द्वारा छोटे-छोटे एनीकट बनाये जाने चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्दर कानोता बांध जो 1977 के अन्दर 3 करोड़ की योजना का था। अब तक 70 लाख रुपया उस पर खर्च हो चुका है और उस पर कार्य धीमी गति से चल रहा है। अब यदि बारिश आ गई, ज्यादा बारिश आयी तो वह टुटकर साफ हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है, सिचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें ध्यान देकर इस कार्य को आरम्भ करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, जो अपूर्ण कृषि उपज मंडियां हैं, बस्सी के अन्दर एक करोड़ का खर्चा हो चुका है लेकिन पांच छः साल से बंद पड़ी है, उसको चालू करवाया जाय।

कुओं की बीमा योजना लागू की गयी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री का स्वागत करता हूं।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

साथ ही में एक बात जाति प्रमाण-पत्र जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियो को मिलता है, उसके लिए आज एक तहसील के अन्दर हजारों विद्यार्थी चक्कर काटते हैं। पहली कक्षा से लेकर जब वह आठवीं कक्षा तक वहां पढ़ता है तो वहां का प्रधानाध्यापक, स्थानीय प्रमाण-पत्र देता है, सरपंच जिसमें उसकी जाति लिखी होती है। इसके बावजूद उसको तहसील के एस. डी. ओ. और पटवारी और गिरदावर के चक्कर काटने होते हैं। 10-10 दिन खराब हो जाते हैं और 100-100 रुपये एक बच्चे के खर्च होते हैं। तो यह परम्परा जो हैं, वह या तो प्रधानाध्यापक को गलत मान लिया जाय कि जो जाति वह लिखता है, वह गलत है। जबकि मेरी मान्यता है कि प्रधानाध्यापक जो जाति लिखता है स्कूल के अन्दर वह सही होती है। गलत नहीं होती है। क्योंकि शुरू से प्रथम कक्षा से आठवीं तक एक जाति लिखता है तो जाति प्रमाण-पत्र के लिए बच्चों को तहसीलदार या पटवारी या गिरदावर के चक्कर नहीं काटने पड़े, ऐसी व्यवस्था हो।

अन्त्योदय योजना और कुटीर उद्योगों के लिए जो छूट दी है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रकाश बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : आदरणीय सभापतिजी, जनता दल और भाजपा की सरकार जब राजस्थान में बनी, उससे पहले लोगों को बहुत बड़ा अंदेशा था कि कोई धमाका करेगी लेकिन 27 जून को मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उससे सारी पोल सामने आ गयी। मुझे इस पर राजस्थान की एक कहावत याद आ गयी कि "सारी रात रोये और एक भी नहीं मरा और जो मरा वह भी सुबह उठकर भाग गया" याने इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बजट में कोई प्रावधान रखा ही नहीं।

श्री मदनलाल सैनी : वह नहीं भागता तो 302 का मुकदमा चल जाता, अच्छा हुआ जो भाग गया।

श्री डूंगरराम पंवार : धमाका किस चीज से करोगे ? विस्फोट मत कर देना।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : यह बजट किसान विरोधी श्रमिक विरोधी, अनुसूचित जाति-जनजाति विरोधी है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्रीमान्‌जी सर्वप्रथम किसानों की बात करने वाले मुख्य मंत्रीजी, बरसात का मौसम आ गया, बरसात हो रही है। काश्तकारों के खेत में बिजाई और जुताई का काम चल रहा है और राजस्थान के अन्दर नेशनल सीड कार्पोरेशन और राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन के पास एक भी बीज, कोई बीज उपलब्ध नहीं है जबकि किसान की बात करते हैं किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी रहूंगा, अगर बीज के बारे में स्पेसिफिक बता दें कि कहां उपलब्ध नहीं है, कौन-सा बीज उपलब्ध नहीं है ? हमारे लिए अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय की बात सुन लें।

श्री दिग्विजय सिंह : आप भावुक न हों, हमारे लिए भी यह ठीक होगा, आपके लिए भी ठीक होगा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मैं बता रहा हूं। मैं कल चौमूं हाउस के अन्दर नेशनल सीड कार्पोरेशन की दुकान पर गया। वहां मैंने मूंग और चवले का बीज मांगा और बाजरे की बात कही और कहा मुझे बीज चाहिए।

श्री मदनलाल सैनी : चौले का बीज 20 दिन बाद डाला जायेगा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : वहां पर मुझे मिला कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन और स्टेट सीड्स कार्पोरेशन के पास में इस साल कोई बीज नहीं आया। केवल बाजरे का बीज उनके पास है जो कि 12 महीने पहले का उनके पास पड़ा है। 12 महीने पहले का पड़ा है उसको टैस्ट करवा रहे हैं, वितरित करवा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, काश्तकारों की बात करने वाले मुख्य-मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आप काश्तकारों को बरसात के मौसम में कम से कम बीज तो उपलब्ध करवा देते। चौमूं हाउस के बाहर एक डागा सीड्स कार्पोरेशन की दुकान लगी हुई है, जहां आप चाहो जो बीज मिल सकता है। लेकिन नेशनल सीड्स कार्पोरेशन और स्टेट सीड्स कार्पोरेशन के पास कोई बीज नहीं है। बड़े अफसोस की बात है किसानों की बात करने वालों के लिए।

दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कह रहा था।

श्री मदनलाल सैनी : बस किसान की बात खत्म ?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अभी बता रहा हूं सारी बात किसानों की। अभी तो आज की और कल की बात बता रहा हूं मैं।

दो तारीख से राजस्थान में सारे स्कूल चालू हो गये। गत वर्ष कांग्रेस गवर्नमेण्ट ने पंचायत शिक्षा केन्द्र और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले थे। सब चालू थे, चाहे वह उन्होंने किसी भी तरीके से, पंचायत शिक्षा सहयोगियों के सहयोग से या प्राथमिक स्कूलों के लिए जो प्रधानाध्यापक चयन किये थे उनके सहयोग से इन सब स्कूलों को चालू करवाया। शेखावत साहब की सरकार ने आते ही पहले उन शिक्षा सहयोगियों और उसके बाद जो शिक्षा कर्मी चयन किये थे, उन सब को हटा दिया। जिला परिषदों पर जो टीचर चयन किये गये थे उन सब पर इन्होंने रोक लगा दी। एक तरफ कहते हैं कि स्कूल बन्द पड़े हैं और दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य करने का सरकार ने जो प्रयास किया, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। फिर कहते हैं कि स्कूलों में कोई टीचर नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ठीक है, आपने स्कूल तो नहीं खोले। आपने ग्रामीण भाइयों का जो भला किया है, उसकी बात बता रहा हूं मैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ था।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : उनको सस्पैंड कीजिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइये। उन्होंने जो गबन-घोटाले किये हैं, भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्यवाही

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

कीजिए । लेकिन राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ, जो गरीब लोग रहते हैं गांवों के अन्दर, उनके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं आप । आपके बच्चे तो यहां प्राइवेट स्कूलों के अन्दर पैसे दे-दे कर भर्ती हो गये और एक महीने से स्कूल चल रहे हैं, लेकिन गावों के अन्दर दो तारीख से स्कूल चलाने की आपके पास कोई योजना नहीं है, आपकी दिशा नहीं है आप दिशाविहीन हो रहे हैं सारे के सारे । एक भी स्कूल खोलने के लिए आपके पास कोई सिद्धान्त नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई निर्देश नहीं है । मैंने कल पंचायत मंत्री जो से बात की थी कि आप इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं । पंचायत मंत्रीजी ने मुझे कहा कि जो कर्मचारी सरप्लस हो गये थे उनको हम स्कूलों में लगा रहे हैं । बड़े अफसोस की बात है कि पंचायती राज जैसा जिम्मेदार मंत्री यह कहे कि हम सरप्लस कर्मचारियों को लगा रहे हैं । तो फिर क्यों बी.एड. और एस.टी.सी. केन्द्र खोल रखे हैं, चला रखे हैं ? क्यों नहीं बन्द कर देते ? जो ट्रेण्ड लोग बैठे हैं उनको आप लीजिए, उनको लगाइये । जिला परिषदों ने जो चयन किये हैं, जो एस.टी.सी. ट्रेण्ड हैं, जो बी.एड. पास होकर आये हैं, उन्होंने सारी योग्यता हासिल की है उनको आप लगाइये । अगर गड़बड़-घोटाला है उसमें, उसको हम नहीं कहते कि बख्शो । आप कुछ भी कार्यवाही करें उनके खिलाफ लेकिन स्कूलें तो कम से कम चालू कर दीजिए ।

एक माननीय सदस्य : पांचवीं तक तो परीक्षा हट गयी, वह बी.एड., बी.एड. क्या चाटेंगे वहां पर ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : तीन साल तक क्या करते रहे ? क्यों नहीं लगाया उनको ? (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : जितने स्कूल खोले थे वह सारे स्कूल चल रहे थे । कोई स्कूल बन्द नहीं पड़ा था । आप केवल कपोल-कल्पित बातें करते हैं ।

श्री हेमराज : 40 पर्सेण्ट स्कूल बन्द पड़े हैं मेरी कांस्टीट्युएंसी में ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आपके शेखावत साहब ने रोक लगा दी इसलिए बन्द पड़े हैं वहां । आप किसी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण मत कीजिए, आप आगे की बात कहिये । ठीक है, स्कूल आपने नहीं खोले....

श्री हेमराज : बच्चे छप्परों में बैठ रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं । उन बच्चों को तो पढ़ाओ, उनका क्या करेंगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब देख लेंगे आप स्कूल बनवा लेंगे तो । अब देखेंगे हम आपको कि कितनी स्कूल बनवाते हो । आप तो पोस्टिंग करवा दो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मेरा एक सुझाव है कि जो स्कूल गांवों में खुले हैं उनमें भवन निर्माण की व्यवस्था करायें और जिन अध्यापकों पर रोक लगायी गयी है उसको तुरन्त हटाकर स्कूल चालू कराये जायं ।

श्री हेमराज : जिला परिषदों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार के कारण नियुक्तियों पर रोक लगायी गयी है उस भ्रष्टाचार की जांच हो जायेगी। तब नियुक्तियों पर से रोक हटेगी और उसके बाद पोस्टिंग होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें। व्यवधान नहीं डालें। उनको बोलने दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य सचेतक महोदय ही स्वयं इण्टरप्ट कर रहे हैं, जिनके जिम्मे यह काम है कि सदन ठीक तरह से चले। नये सदस्य हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनको सुनिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : सदन में कहा गया कि हमने बिजली के बारे में काश्तकारों के लिए बहुत काम किया है, 1100 गांवों को विद्युतीकृत किया है। किसान की बात करने वालों ने मात्र 1100 गांवों को 1989–90 के अन्दर दो हजार गांवों को विद्युतीकृत करने की बात कही थी, दो हजार गांवों को विद्युतीकृत करवाया था। मन्त्री जी बता दें कि हमने किया कि नहीं किया। अगर कोई गांव पेण्डिंग पड़ा है तो मंत्री जी जवाब दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो हजार का टार्गेट रखा था ....

श्री सभापति : मंत्री महोदय कुछ कह रही हैं।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : 20 हजार नये कनेक्शन देने की बात कांग्रेस सरकार ने कही थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आपने दो हजार की घोषणा की थी और हुए 1100, वह तो चुनाव में वोट लेने थे इसलिए आप बढ़ाये चले गये गांव।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : बजट में लिखा है दो हजार गांवों का। आप यह गलत कह रहे हैं, आपका उत्तर गलत है। यह माथुर साहब का बजट है, दो हजार गांवों को विद्युतीकृत करने की बात कही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माथुर साहब ने दो हजार का कहा था लेकिन हुए केवल 1100, यह निवेदन कर रही हूं आप से।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आप सदन में तो कहते हैं कि 25 हजार कनेक्शन हम करेंगे, लेकिन 31 मार्च के पहले के 21500 कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं और 850 कनेक्शन 31 मार्च के बाद के हैं। 22500 तो पुराने हैं और आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया। मैं कहता हूं कि आपकी सरकार ने आते ही इन पर रोक लगा दी। वह तो हमारी सरकार ने उनको विद्युतीकृत घोषित कर डिमाण्ड नोटिस जमा कर दिये थे....

श्री मदनलाल सैनी : 31 मार्च की तारीख आपके खाते में नहीं आती है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : लेकिन आप मात्र ढाई हजार कनेक्शन करके काश्तकारों को 25 हजार का असत्य झांसा दे रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : बाइस हजार के पैसे खा गये और कनेक्शन भी नहीं दिये, कमाल की बात है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अकाल राहत के नाम पर आपने एक नया पैसा खर्च नहीं किया। मेरी कहूं, जयपुर जिले में 5 जून को अकाल राहत की मीटिंग की गयी। उजला जी होंगी। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक अप्रैल से चालू कर देंगे अकाल राहत के काम 15 जून को मीटिंग हुई उसमें सारे जन प्रतिनिधियों को बुलाया गया। एक तारीख को कलक्टर, जयपुर ने अपने मन की मर्जी से चाहे जिस काम को स्वीकृति दे दी। पांच को मीटिंग बुलाई, 10 जून को मस्टर रोल जारी किये और 30 जून को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं काम। पक्के कामों के लिए कलेक्टर साहब कहते हैं कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए पक्के काम बिल्कुल सैंक्शन नहीं किये। जयपुर जिले में पक्के काम पर एक नये पैसे का काम स्वीकृत नहीं हुआ। जब 23 तारीख को सैक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई तब पुष्पाजी ने यह कहा कि हमने पक्के और कच्चे, दोनों कामों के लिए पैसा स्वीकृत किया है। तब हमें मालूम पड़ा कि हमें हमारे जिलाधीश महोदय भी सही बात नहीं बता रहे हैं। हो सकता है कि शेखावत साहब का निर्देश हो कि पैसा बचाना है। कितने श्रमिकों को इन्होंने रोजगार दिया? 10 हजार की बजाय इन्होंने सिर्फ दो हजार श्रमिकों को जयपुर जिले में रोजगार दिया। काम ही स्वीकृत नहीं किये इन्होंने।

श्री मदन लाल सैनी : माननीय सदस्य, 30 जून को बरसात हो गयी उससे पहले ही, इसलिए अकाल राहत कार्यों की जरूरत नहीं थी।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मेरी अकेली कांस्टीट्युएंसी फागी में 170 गांव और चाकसू में 238 गांव, सारे के सारे 418 गांव अकालग्रस्त हैं, माननीय मंत्रीजी, जिसमें से केवल 9 गांव स्वीकृत किये थे, वह भी 5 जून को। सीकर के अन्दर 449 गांव अकालग्रस्त थे, जहां सिर्फ 85 गांव स्वीकृत हुए और 15 हजार की लेबर स्ट्रैंथ वहां रखी। कितना बड़ा भेदभाव हमारे साथ किया गया, जबकि सीकर जिले के अकाल के बराबर अकेली फागी तहसील में अकाल है। दोनों के बराबर गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे 9 गांव सैंक्शन किये और वहां 85 गांव सैंक्शन करके हमारे साथ कितना बड़ा भेदभाव किया है इन्होंने। (व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी, मेरा अब सुझाव है कि गत वर्ष अकाल के अन्दर हमारी तहसील फागी में 6 एनीकटों का निर्माण मांसी और बांडी नदी पर करवाया था हमने। 6 गांवों के ऊपर सारे ऐनिकट्स अधूरे रह गये। हमने सरकार से भी प्रश्न किया था। प्रश्न का उत्तर भी आया है कि हम जल्दी ही पूरे करवायेंगे लेकिन अब बरसात शुरु हो गई है, इसलिए कब शुरु करवायेंगे? इसलिए मेरी मांग है सदन से कि जो एनिकट्स अधूरे हैं जो बांध अधूरे हैं, उनको पूरा करवाया जावे। इन सारे कामों को योजना के अन्दर पैसा स्वीकृत करके इन सारे कामों को पूरा करवाया जावे। दूसरी बात सड़कों की कह रहा था। जयपुर से फागी केवल 40-45 किलोमीटर दूर है। पूरे राजस्थान में सबसे कम सड़कें हैं तो फागी में ही हैं। मैंने अभी प्रश्न किया था, उसका उत्तर आया है आपके मंत्रीजी का, केवल मात्र तीन किलोमीटर रोड़ स्वीकृत की थी

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

गई साल, जहां काम चल रहा है। लेकिन काम नहीं चल रहा, काम बन्द पड़ा है।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : वो हम चालू करवायेंगे।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : लेकिन मैंने 19 रोडस के प्रपोजल्स दिये हैं, उन 19 रोड्स पर 1981 से लेकर 1990 तक अकाल के तहत काम हुये हैं। गवर्नमेन्ट का लाखों रुपया उस पर लगा है। उनमें सारी जगह कहीं रोड़ियां पड़ी हैं कहीं मिट्टी पड़ी है। इस प्रकार से रोड़ इन्कम्प्लीट हैं लेकिन थोड़ा-सा पैसा और उपलब्ध करवा दिया जावें तो सारी रोड्स पूर्ण हो सकती हैं और सारी पंचायतें, जो आज तक रोड से नहीं जुड़ी हैं, सारी की सारी रोड्स से जुड़ सकती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो अकालग्रस्त में जो अधूरी रोड्स पड़ी हैं जैसे माधवराजपुरा से चालना, फागी से प्रवण, माधवराजपुरा से बींची, रेनवाल से हीरापुरा जहाज, पीपला से टूटोली, थली से चाकसू रोड़, चाकसू से सकरखावदा, वे जो अधूरी रोड्स पड़ी हैं, इन रोड्स पर आधा काम हो चुका है, थोड़ा-सा पैसा और स्वीकृत हो जावें तो योजना में लेकर के इन्हें पूरी करवाने की व्यवस्था करवायें। पिछली सरकार ने राजस्थान में आवागमन के साधनों को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए पुलिया का निर्माण खूब किया था लेकिन आपने इस बजट में एक भी पुलिया के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में होकर के स्टेट हाइवे नम्बर टू सरमथुरा से होकर के फलोदी मे निकलता है। अगर बांडी नदी और लूणी नदी के ऊपर पुलिया बन जावे तो जयपुर में होकर जाने वाला जो ट्रैफिक है वह आधा ट्रैफिक आपका समाप्त हो सकता है। केवल दो पुलियाओं की आवश्यकता है। रोड़ बनी हुई है। इसलिए मेरा संवेदनशील सरकार से निवेदन है कि कम से कम इन दोनों पुलियाओं की अगर व्यवस्था करवा दी जावे, इस बजट में प्रावधान रख दिया जावे तो जयपुर में होकर के जो यह भारी ट्रैफिक जाता है वह सीधा बाईपास से होकर निकल जायेगा। इसलिए इन दोनों पुलियाओं का निर्माण करवाया जावें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिपला बांध पर लघु सिंचाई योजना का दो करोड़ रुपये का का काम चल रहा है वह कार्य नौ महीने से बन्द पड़ा है। साथ ही उसमें काफी घपला हुआ है, काफी अनियमिततायें हुई हैं। इस वजह से हमने शिकायत करके इस काम के लिए कहा था कि इसकी जांच करवायी जावें। वहां जो लगे हुये कर्मचारी हैं जो जे. ई. एन., ए. ई. एन. वगैराह को हटाकर आप इसकी जांच करवाकर इस काम को चालू करवायें क्योंकि लाखों रुपये डकार गये। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस काम को भी चालू करवाया जावें।

मेरा विद्युत मंत्रीजी से निवेदन है कि फागी चाकसू दोनों जयपुर जिले से जुड़े हुये हैं। चालीस-चालीस किलोमीटर की दूरी पर हैं। फागी और चाकसू दोनों के बीच में होकर के सारी लाइने सिंगरोली की लाइन, कोटा वाली बिजली की लाईन, सारी लाईनें वहां होकर के आ रही हैं। माधवराजपुरा में अगर 132 के. बी. का सब ग्रेड पावर स्टेशन बना दिया जावें तो काफी उद्योगों को भी वहां लगाने की भी

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

जगह है। नदियों के किनारे आप कहीं भी जहां पानी की व्यवस्था है, आवागमन के साधनों की व्यवस्था है, अगर वहां ग्रिड बना दिया जाता है तो फागी और चाकसू इन सब की भी समस्या हल हो सकती है। मेरा एक निवेदन है कि फागी में माधवराजपुरा के पास 132 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन बनाया जावे।

एक बात और कह रहा हूं आपको ......।

श्री मदनलाल सैनी : थोड़ी देर बाद बोल लेना।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपने बीस रुपये तक के रेडीमेड कपड़े और जूतों पर जो टैक्स लगाया है, इससे आम आदमी गरीब आदमी पर मार पड़ा है। ज्योंही टैक्स चढ़ाया, उस दिन से बीस रुपये, पन्द्रह रुपये, दस रुपये की चीज मिलने वाली मार्केट में सब जगह सबने टैक्स बढ़ाकर बेचना शुरू कर दिया। मैंने चप्पल ली थी। हवाई चप्पल 'बिक्री' की। कम की होती हैं लेकिन टैक्स लेना तो चालू कर दिया कि भाई हम क्या करें सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। इसलिए सोलह रुपये की चप्पल में 1.60 रुपये का टैक्स जोड़ कर के 17.60 रुपये में दे रहे हैं। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, 1.60 रुपये और देकर के ले लिया लेकिन गरीब आदमी पर अगर दो रुपया बढ़ता है तो यह ......।

आपने किसानों के जो पशु मेले हैं, उन पर भी जो टैक्स लगाया है वह वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी गधा, बैल, गाय, भैंस, ऊंट जो भी कुछ लेता है हजार, पन्द्रह सौ रुपये का, दो हजार रुपये का, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो कम से कम इस टैक्स को भी वापिस लिया जावे।

मैं एक बात कहना भूल गया। माननीय माइनिंग मंत्रीजी, अगर यहां हो तो मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से 25 लाख रुपये की वार्षिक आय माइनिंग डिपार्टमेंट को होती है। लेकिन चालीस साल में चालीस मीटर भी रोड नहीं बनाई जबकि पच्चीस–तीस लाख रुपये सालाना वहां से आय होती है। इसलिए जहां से होकर के बजरी के ट्रक निकलते हैं, उस क्षेत्र में माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से रोड्स बननी चाहिए।

माननीय श्री शेखावत साहिब ने जो बजट पेश किया, उसके लिए धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह किसान विरोधी है गरीबों का विरोधी है, श्रमिकों का विरोधी है। केवल व्यापारियों के पक्ष ही पक्ष में सारी बातें कही गई हैं। इसलिए मैं अपना विरोध प्रकट करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनदास जी मदान।

श्री अर्जुन दास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बजट के प्रारूप को प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने नौ सौ छप्पन करोड़ रुपये की जो योजना हमारे सामने रखी है और इस सदन में जब-जब भी बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया और उस प्रस्तुतिकरण के इतिहास में यह जो नया परिच्छेद माननीय मुख्य मंत्री जी ने

Page No. 168

(168)

(श्री अर्जुन दास मदान)

जोड़ा है, विशेष कर एक सौ इक्सठ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके, इसके लिए वे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूं आज तक जितने भी बजट इस सदन में रखे गये हमने समय-समय पर, स्थान-स्थान पर उनसे पूंजीवाद को प्रश्रय मिला। गांव के आदमी पर किसी प्रकार से सोचा नहीं गया और ध्यान नहीं दिया गया। किन्तु यह पहला अवसर है इस सम्बन्ध में मैं यह मानता हूं, जब कि सम्पूर्ण बजट का साठ प्रतिशत केवल मात्र दूर-सुदूर में गांवों में रहने वाले किसान की ओर देखने का प्रारूप संजोया गया है, जबकि आज तक किसी ने उसकी ओर देखने का प्रयास नहीं किया है। इस बजट के अनुसार साठ प्रतिशत गांवों के ऊपर खर्च किया जायेगा। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

तीसरा धन्यवाद इस बात के लिए भी देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आज तक के बजट में कभी भी किसी प्रकार की मितव्ययता बरतने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया। बजट के बाद में हो सकता है कि कमेटियां बनाई गई हो। जो आज श्रीमान् ललित किशोरजी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में भी शीर्षक कमेटी का निर्माण हुआ है और उसमें जिस अपव्यय को रोकने का जो प्रारूप तैयार किया गया है। वास्तव में जो मितव्ययता बरतने की जो बात कही गई है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं।

मेरे विरोधी सदस्यों ने इस बात को एक बार नहीं, कई बार अनेक रूप से रखा कि साहब यह जो बजट रखा गया है, वह गरीबों के विरुद्ध है, इससे महंगाई बढ़ी हैं और दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जायेगी। विरोध के माननीय सदस्य बिराजे हुये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जून से लेकर दिसम्बर तक 14 सौ करोड़ रुपये का डेफिसिट बजट उस सरकार ने छोड़ा और उसके ऊपर केवल मात्र नोट ही नोट छापे गये। माननीय सभापतिजी, जो यहां पर अर्थशास्त्र के ज्ञाता बिराजमान होंगे, उन्हें यह बात मालूम होगी कि जब-जब भी अधिक मात्रा में नोटों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, छापा जाता है तब-तब मुद्रास्फीति बढ़ती है और जब-जब भी रोका जाता है तो उसका संकुचन होता है। मुद्रास्फीति का यह एक प्रारूप है, एक निश्चित मान्यता है कि जब-जब नोटों का प्रचलन बाजार में ज्यादा होता चला जायेगा, त्यों-त्यों महंगाई बढ़ती चली जायेगी। तो क्या मैं पूछ सकता हूं मेरे विरोध पक्ष के साथियों से कि जून और दिसम्बर, 1989 में डेफिसिट फाइनेन्स के अगेन्स्ट में उन्होंने नोट तो छापे और यदि छापे भी तो उसके रूप में सैक्युरिटी क्यों नहीं रखी गई रिजर्व बैंक के पास? इस प्रकार से महंगाई की बढ़ोतरी का उत्तरदायित्व जो विरोध के कांग्रेसी सदस्य महानुभाव हमारे ऊपर लगाना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि उसका उत्तरदायित्व यदि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जाता है तो माननीय कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर जाता है।

इसके अतिरिक्त मैं एक छोटा-सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितना भी

(श्री अर्जुन दास मदान)

बजट का प्रारूप आपने हमारे सामने रखा, उसमें कई चीजें ऐसी रखी गई है जिसमें हमें अपना सुझाव देना अपना कर्तव्य समझते हैं। सबसे पहले मैं सुझाव देना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ऊर्जा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आज बजट का पूरे का पूरा हमने 24.09 का प्रूफ जिसे कि हम 383 करोड़ रुपये मान सकते हैं वह केवल मात्र आज हमने बिजली के ऊपर खर्च किया है। जब बिजली के ऊपर खर्च बढ़ेगा तो यह बिलकुल निश्चित बात है कि उसके साथ-साथ औद्योगीकरण भी बढ़ेगा, खेत भी लहलहायेंगे और उसके ऊपर जीवनयापन अधिक सुचारू रूप से चल पायेगा।

माननीय, आज यह 383 करोड़ रुपया हम बिजली पर खर्च करना चाहते हैं। उसके लिये मेरा केवल मात्र यह निवेदन है कि कास्ट आफ जनेरेशन या जो बिजली पैदा होती है, हम केवल मात्र 54 पैसे के ऊपर हम इसको जनेरेट करते हैं लेकिन उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 58 पैसा खर्च होता है। इस प्रकार से 1 रुपया 12 पैसा बनकर के यहां बाजार में आता है। जब बिजली की सप्लाई यूनिट के रूप में किसी भी गरीब और मजदूर या आप और हमारे मकान पर आभासित और प्रकाशित करती है तो 1 रुपया 12 पैसे जो बोर्ड खर्च करता है उसके अगेन्स्ट आज हमको वह 87 पैसे में प्राप्त होती है। 25 पैसे प्रति यूनिट आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खर्चा वहन कर रहा है। इसके लिये मैं निवेदन कर सकता हूं कि आज जितना भी उत्पादन खर्च होता है, उसमें भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस डेफिसिट को रोकने के लिये जो हमारा कोई उस तरफ एक निश्चित रूप से कदम होना चाहिए था, जो सही दिशा में कदम बढ़ना चाहिये था, वह नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि आज जो लाइन लीकेज है, पूरे का पूरा आज वह 21 प्रतिशत है। 21 प्रतिशत लाइन केवल मात्र मोटर बन्द करके समाप्त कर दी जाती है या लाइन पर सीधे वायर डालकर किसान बिजली की सप्लाई ले लेता है। किसान से तो आज हम 30 पैसे वसूल करते हैं, बहुत अच्छी बात है और बड़े-बड़े उद्योगों से 1 रुपया 40 पैसे प्रति यूनिट चार्ज करते हैं। मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि आज 30 पैसे देने के उपरान्त भी आज सवाई माधोपुर जिला सबसे पहले नम्बर पर आता है, दूसरे नम्बर पर ऊर्जा मंत्रीजी का जिला आता है। झुंझुनू और तीसरे नम्बर पर सीकर जिला आता है जिनमें आज बिजली की लाइन लीकेज 40 प्रतिशत है और 45 प्रतिशत के बराबर जा रही है। एक किसान को 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली हम देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी 40 प्रतिशत की चोरी होती चली जाय तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं सदन के महानुभावों से कि इसकी पूर्ति कौन करेगा? यह डेफिसिट बजट दिन प्रति-दिन कहां चलते चले जायेंगे? जो 220 करोड़ रुपये का घाटा है वह और आगे बढ़ेगा और उसकी पूर्ति किसी न किसी रूप में हमको करनी पड़ेगी।

इस दिशा में मैं केवल अन्त में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि 21 प्रतिशत का जो लाइन लीकेज है अगर उसमें

(श्री अर्जुनदास मदान)

एक प्रतिशत की भी कमी कर दें तो हमको साढ़े सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होती है जितना प्रतिशत हम लाइन लीकेज में घटाते चले जायं तो हमारे घाटे की मात्रा या मुनाफे की मात्रा उतने ही बढ़ती चली जायेगी।

इसके लिये मेरा एक सुझाव और है माननीय, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मितव्ययता के संबंध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सुझाव मांगे थे मैं उचित समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय या शीर्षस्थ कमेटी के प्रधान सचिव श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी यहां पर विराजमान होते, क्योंकि जिस कान्स्टीट्यूएंसी से मैं यहां आया हूं, जब मैं उनकी चीज निवेदन कर रहा हूं, जिस कान्स्टीट्यूएंसी से मैं आया हूं लाड़पुरा से वहां पर थर्मल पावर स्टेशन है, मान्यवर, जो 190 करोड़ रुपये का कोयला खा चुका है। 55-56 लाख रुपये प्रतिदिन कोयले पर खर्च होता है और यह कोयला हम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड से मगा रहे हैं। यदि हम इसको सिगरोली से मंगाना प्रारम्भ कर दें, जो कि मध्य-प्रदेश का एक भाग है, तो 190 के स्थान पर 170 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसकी पावर क्षमता भी ज्यादा है अपर तापीय शक्ति भी ज्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से जो दरिया से कोयला आता है यदि उसके स्थान पर हम सिगरोली से मंगाना प्रारम्भ कर दें तो 190 के स्थान पर 170 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे और तापीय शक्ति भी हमको अधिक प्राप्त हो सकेगी। यह मेरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में निवेदन है।

अब मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं एग्रीकल्चर के बारे में। सिंचित क्षेत्र की हम बात करते हैं 15 से 20 प्रतिशत पानी आज सीपेज में जाता है। माननीय जहां पानी लीकेज और ब्लाकेज होकर आता है तो उसके पास वाले खेत और उपजाऊ भूमि सफेद पड़ जाते हैं और वह किसी प्रकार से उपजाऊ भी नहीं होते है। इसके लिये अपनी सरकार से मेरा एक सुझाव है कि जहां तक भी सम्भव हो हम इस 15-20 पर्सेन्ट पानी के सीपेज के लीकेज को हम रोकें ताकि समस्त पानी खेतों के लहलाने के काम में आवे। उसके बाद में कम्परेटिवली यह देखने में आया हैं कि मार्च के महीने में जब बजट समाप्त होने पर आता है लोग आगे चालू कर देते है कि जल्दी से समाप्त करो तो बहुत ही उपयुक्त होगा कि मार्च के महीने में खर्च किये जाने वाले बजट को, यदि कुछ बचता भी है तो हम उसको अगले बजट में समायोजित करने की बात करें ताकि जल्दबाजी में जो काम होते हैं, सप्लाई के लिये कोटेशन्स बराबर नहीं मांगे जाते और उसके बीच में 20 और 30 प्रतिशत के लोगों के बीच में, अधिकारियों की जेबों में चला जाता है उसके ऊपर भी यदि अंकुश लगाया जाय तो निश्चित रूप से हम इरिगेशन के क्षेत्र में भी हम बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते है।

तीसरा, मेरा निवेदन है जिस पर राज्य सरकार ने निश्चित रूप से ध्यान नहीं दिया। मैं इस बजट भाषण के पेज नम्बर 2 और तीन की ओर सभी सदस्य महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनमें आप देखेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं है उनमें हमारे देश के 14 राज्यों में हमारा

(श्री अर्जुनदास मदान)

राज्य 13 वें नम्बर पर आता है। मान्यवर, उसका कारण बताता हूं, केवल मात्र इसका कारण यह है कि पेज नम्बर 2 और 3 पर एक बार पुनः अपना ध्यान अवलोकन कीजिये, निवेदन करूंगा कि आप पायेंगे कि राजस्थान कहीं 13 वें नम्बर पर है, कहीं 12 वें नम्बर है और कहीं 8 वें नम्बर पर है। किन्तु एक क्षेत्र ऐसा भी है, मान्यवर, जिसमें हम पहले नम्बर पर हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसमें है, सारे संसार में मात्र एक बंगला देश ऐसा है जो प्रथम है जन संख्या वृद्धि करने में, या बर्थ ग्रोथ में या पापुलेशन की बढ़ोतरी में। दूसरे नम्बर पर, संसार में यदि किसी का नम्बर आता है तो हिन्दुस्तान का और हिन्दुस्तान में यदि किसी का प्रथम स्थान आता है तो राजस्थान का ! कल्पना कीजिये, मान्यवर, प्रति 1½ सैकण्ड में देश में एक बच्चा जन्म ले लेता है। यदि मैं 10 मिनट भी बोल लूं तो समझ लेना कि 400 बच्चों ने मां की कोख से जन्म ले लिया। जब इतनी उत्पत्ति बढ़ती चली जा रही है और देश के साधनों में न्यूनता चलती चली आ रही है तो वाकई में यह गरीबी फैलेगी कहां ? गरीबी छटेगी कहां ? गरीबी के प्रारूप में मेरा केवल मात्र इतना ही निवेदन है कि परिवार नियोजन पर सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है, यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बजट का प्रारूप दिन-प्रतिदिन आप चाहे जो भी बनाते चले जायं चाहे कैसी भी व्यवस्था आप क्यों न कर लें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस आर्थिक तंत्र के सुर्य की किरणें हम पहुंचाना चाहते हैं धरती के आखिरी कोख में रहने वाले आदमी के मकान के ऊपर यह बढ़ती हुई आबादी की धुन्ध उस सुर्य को हमेशा आवरण बनकर के ढक लेगी और यह किरण कभी भी, अर्थ तंत्र की किरण का धरती पर आना सम्भव नहीं हो पायेगा। इसीलिये मेरा निवेदन है हैं कि जहां तक भी सम्भव हो, इस ग्रोथ रेट पर हमको नियंत्रण रखना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : परिवार नियोजन के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिये कहें।

श्री अर्जुनदास मदान : जो आपने बनाये हैं ना, मान्यवर, अभी तक आपने क-कबूतर वाला पढ़ा है, क-कोटा वाला बाद में पढ़ना। वह मैं निवेदन कर रहा हूं, उसका हमें ध्यान है निश्चित रूप से हम उसके ऊपर चिन्तित हैं।

परिवार नियोजन के अतिरिक्त, मान्यवर, मेरा सुझाव यह भी है, को-आपरेटिव मंत्री महोदय बिराजे हुये हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे भी मैं याचना और प्रार्थना करूंगा कि अपने क्षेत्र में सोचें, थोड़ा विचार करें कि केवल मात्र 1965 में हमने को-आपरेटिव एक्ट बनाया था। आज कितनी प्रकार की अनियमिततायें इस क्षेत्र में होती है। कोई विचारने वाला ? कितने गबन, कितने घोटाले होते हैं, उनके ऊपर नियन्त्रण करने का माननीय मंत्री महोदय कर रहे होंगे, किन्तु क्या मैं आज पूछ सकता हूं कि 1965 से लेकर 1990 तक इस अन्तराज में, को-आपरेटिव एक्ट में सुधार करने के बारे में हमने सोचा कि इसमें कोई

(श्री अर्जुन दास मदान)

सुझाव हो सकता है ? आज भी धारा 32 के अन्तर्गत किसी भी प्रस्ताव को रजिस्ट्रार खण्डित कर सकता है । चाहे धारा 32 के अन्तर्गत बोर्ड को भंग कर सकता है, धारा 75 के अन्तर्गत चाहे किसी को भी नोटिस दे सकता है । यह को-आपरेटिव एक्ट के अन्दर है जो 1965 में बना और आज 1990 तक भी सुधार में नहीं आया । चाहे कोई भी स्थिति में, जब 25 साल में सारी स्थितियां बदल गयीं, कई परिवर्तन हुये, कई परिवर्द्धन हुये । मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर निश्चित रूप से वह विवेचन करें, मन्थन करें, चिन्तन करें और उसके बाद में ऐसा कोई प्रारूप को-आपरेटिव एक्ट में लायें ताकि यह अनियमिततायें समाज में होने वाली छट सकें । यह मेरी याचना और प्रार्थना है ।

मैं केवलमात्र एक निवेदन और करूंगा । तीनों मंत्री महोदय, जो यहां विराजमान हैं, इस समय अपना फर्ज समझता हूं, ऊर्जा मंत्रीजी से थोड़ी-सी भेंट मैंने दे दी, को-आपरेटिव मत्री से निवेदन कर दिया, अब उद्योग मंत्री से भी निवेदन कर रहा हूं, जिनका प्रसंग कोटा से है । आज कोई भी, आप ब्यावर ले लीजिये, किशनगढ़ ले लीजिये, कोटा ले लीजिये, जयपुर ले लीजिये । हम औद्योगीकरण के विकास की बात तो करते हैं पर क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या ब्यावर में फैक्ट्रियां बन्द नहीं हुई ? क्या कोटा में फैक्ट्रियां बन्द नहीं हुई ? हम रोजगार तो दे नहीं रहे बल्कि जो रोजगार में लगा हुआ आदमी है, वह भी आप चौराहे पर खड़ा हुआ है अपने पांच बच्चों का बोझा पीठ पर लेकर, वह दिशा भ्रमित है, बेचारा तय नहीं कर पा रहा कि उसे दायीं तरफ जाना है या बायीं तरफ, उसके रोजगार के साधन तो हमने छीन लिये । आज उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी उदरपूर्ति के साधन हम कहां से जुटा पायेंगे । उसकी व्यवस्था कौन संजोयेगा ? उसका चिन्तन और मंथन क्या हमें नहीं करना चाहिये ? अगर दिन-प्रतिदिन फैक्ट्रियां बन्द होती चली गई, रोजगार के साधन और उपलब्ध न हो सके, परिवार नियोजन के अभाव के बिना परिवार दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती चली गई तो देश व प्रदेश का क्या होगा ? इसकी केवल मात्र परिकल्पना क्या आप समस्त महानुभाव, जो यहां पर बिराजमान हैं, वो भली प्रकार से कर सकते हैं ?

मान्यवर सभापतिजी, मैं केवल मात्र एक और निवेदन कर देना चाहता हूं, माननीय बी. डी. कल्ला साहब ने, जो यहां पर बिराजमान अभी तो नहीं है, यह कहा था । माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । अर्थशास्त्र के केवल मात्र तीन साधन होते हैं । तीन साधन होते हैं, जहां तक मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानता हूं या तो केवल हम नोट छापलें जो कि सरकार का काम नहीं, इस भारत सरकार का वह केन्द्र सरकार का विषय है । या दूसरा साधन है, पैसे लेने का । उसके ऊपर किसी प्रकार का उधार ले ले हम । तीसरा साधन है, कर लगाना । मैं केवल मात्र इतना निवेदन कर देता हूं कि आज हम नोट छाप नहीं सकते, वह केन्द्र सरकार का विषय है । उधार हम लेते हैं तो इसके ऊपर रिजर्व बैंक भी राजस्थान

(श्री अर्जुन दास मदान)

सरकार को कई बार चेतावनी दे सकती है। मैं यह कह सकता हूं कि इतने विराजमान हैं मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आप सहित यदि मुख्य मंत्री मेरी बात को सुने तो उन तक आपकी बात पहुंचाना चाहूंगा, उन सहित कोई भी आदमी जो यहां पर विराजमान है, आज सारे देश में सबसे ज्यादा कर्जदार है तो वह राजस्थान का नागरिक। मैं इसके लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह सम्भव है कि बिहार का कर्जा हमसे ज्यादा है, यह सम्भव है कि बंगाल का कर्जा हमसे ज्यादा हो किन्तु यदि समूचे कर्जे को किसी प्रान्त की आबादी से विभाजित किया जाय तो प्रति व्यक्ति जो इन्डेटेडनेस आयेगी वह आज हमारी सबसे अधिक है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में हम गुजर रहे हैं इसके बाद एक तीसरा स्थान बचता है कर को बढ़ाने का। इसके लिए भी लोग कहते हैं कि क्यों बढ़ाया। तो क्या हम भीख मांगना चाहते हैं? क्या साधन होगा आखिर? अगर आय नहीं होगी तो व्यय कहां से करेंगे? यदि हम कमायेंगे नहीं तो खायेंगे कहां से? केवल मात्र छोटे-छोटे साधनों को क्या केवल एक बात कही कि सौ रुपया में रहने वाले आदमी के ऊपर विलासिता का जीवन का उपभोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर कर लगाने की बात हमने कही। वीडियो को, वीडियो की फिल्म देखने वाले व्यक्ति के ऊपर हमने बात की। और सारे विलासिता के साधनों के ऊपर हमने कर बढ़ाने की बात की। जहां तक दूसरे साधनों का सवाल है क्रय विक्रय के ऊपर कितनी सुविधाएं आज सरकार ने दी हैं, यह आपके सामने हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय सभापति एवं सदन के सदस्यों से कि आज जितने भी अर्थ तंत्र के साधन हो सकते हैं, उसमें केवल मात्र हमारे पास साधन यही है कि हम कर बढ़ायें और वो भी ऐसी जगह पर बढ़ायें ताकि अमीर और गरीब की दूरी कम हो। आज अगर हमने कर बढ़ाये तो अमीर के ऊपर बढ़ाये हैं। माननीय जी, जब तक टीले की मिट्टी गिरेगी नहीं, अर्थ तंत्र गरीबी में रहने वाले गड्ढों में भरेगी नहीं, तब तक अर्थ तंत्र की यह समतल भूमि होगी कैसे? इसके लिए बहुत उपयुक्त है कि हम ऊंचे-ऊंचे टीलों की मिट्टी को हटाकर के खड्डे में भरा जाय ताकि अर्थ तंत्र का ध्येय यह स्थिति समान रूप से समतल स्थिति के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं अन्त में केवल मात्र आपसे इतना निवेदन कर देना चाहता हूं, कि माननीय, यह जो कुछ भी अभी आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा, उसके लिए मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। समय का अभाव है। बोलने के लिए तो न जाने कितना बोला जा सकता है। इससे ऊपर एक नहीं, जितने भी क्षेत्र हैं उस पर अपने सुझाव दिये जा सकते हैं। मैं सुझाव देने का प्रयास भी करूंगा। अन्ततोगत्वा मैं सभी माननीय महानुभावों से निवेदन करता हूं कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है, उस पर चिन्तन करें उसे मन्थन करें, पर आप विचारें और जब तक आप और हम, इस समय विषय कांग्रेस का नहीं है, यह जनता दल का नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। बन्धुओं, माननीय सभापति जी यदि मकसद एक हो, उद्देश्य एक हो या अगर मैं यह कह दूं आज हम यह निमंत्रण दे दें सदन के सदस्यों को कि आप सारे लोगों को सांगानेरी

(श्री अर्जुन दास मदान)

गेट पर मिलना है तो चाहे यह मैं जौहरी बाजार से जाऊं चाहे मैं आदर्शनगर से जाऊं, चाहे मैं अजमेरी गेट से जाऊं, किसी भी रास्ते से क्यों न आऊं। यदि मंजिल हमारी एक है तो हम निश्चित रूप से मिल करके काम करेंगे। कोई कारण नहीं जब मंजिल एक होती है तो राहगीर चाहे किसी भी रास्ते से आवें वो निश्चित रूप से शाम के टाइम उस स्थान पर मिल भी सकते हैं। आप और हमारा उद्देश्य केवल मात्र राजस्थान के नागरिक का कल्याण करना है और कल्याण के बीच में आप जितना भी कर सकते हैं वो करें। मेरा निवेदन है ताकि देश का और प्रान्त का यह नागरिक एक अधिक कुछ हो सके। जन साधारण एक ऐसी सांस ले, जिन्दगी ऐसे वातावरण में जिए ताकि उसका प्रत्येक दिन दशहरा और दीवाली बने, खेत लहलहाएं ताकि उसके भीतर की किसान की किशोर बालिका अपनी घुंघाली चुनरिया उड़ाकर अपने लोकगीतों में मद-मस्त कर दे यही मेरा आपसे निवेदन है, वही मेरी प्रार्थना है।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की आज्ञा है, समय बढ़ाने के लिए? क्या सदन की सहमति है, समय बढ़ाने के लिए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक पर वाद-विवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय राज्य के वर्ष 1990-91 के लिए पेश किया गया ऐतिहासिक सन्तुलित बजट राजस्थान के विकास को नया अंजाम देगा। यह बजट हमें न केवल कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाने वाला है बल्कि इसका लाभ गांव से लेकर शहर के मध्यमवर्गीय लोगों और आम आदमी को मिलेगा। यह बजट जनता से किये गये चुनावी वायदों को पूरा करने के साथ ही विशेषकर ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला है। इसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार मिटाने की जो मुहिम छेड़ी है, उसका भी असर हर क्षेत्र में होगा जिससे विकास के लिए दिये जाने वाला धन सही कार्यों में लगेगा। इसके अलावा योजनागत विनियोग बढ़ाकर तथा प्रशासनिक खर्चों में मितव्ययता लाने की दिशा में कार्य करने से विकास को गति दी जा सकेगी। राज्य की इस वर्ष की वार्षिक योजना 956 करोड़ रुपये रखी गई है, यह पिछले वर्ष की योजना से 161 करोड़ अधिक है जो राज्य की वार्षिक योजनाओं के इतिहास में किसी भी वर्ष में

175

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

20 प्रतिशत की यह वृद्धि सर्वाधिक है। यह अपने आप में ही दर्शाती है कि मुख्य मन्त्री जी ने राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए गम्भीरता से योजनाबद्ध प्रयास किये हैं। राज्य में अकाल विपदा, जल स्रोतों का सीमित होना, रेगिस्तान के प्रसार और इन सबसे जूझते हुए कृषि, पशुपालन एवं ग्रामोद्योग के माध्यम, आर्थिक विकास को अधिकाधिक गति देने के लिए योजना के स्वरूप निर्धारण में विशेष महत्व दिया गया है।

राज्य के इस बजट में आर्थिक विकास के विद्युत जैसे मूलभूत आधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी के इस प्रयास से जहां हम अभी तक दूसरे राज्यों से बिजली प्राप्त करते थे। वहीं अब योजनाबद्ध ढंग से बिजली उत्पादन बढ़ाने की शुरुआत हुई है। इसके अलावा सरकार ने बजट में पहली बार इतनी रियायतें देकर छोटी-छोटी समस्याओं को हल किया है। इन रियायतों से लोगों को रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी भी हुई है। बजट में पेयजल और सिंचाई कार्यों को भी प्राथमिकता देकर कम पानी से सिंचाई करने को प्रोत्साहन दिया है। इसके साथ ही किसानों के दस हजार रुपये बकाया ऋण की सीमा तक राहत प्रदान करने, शिक्षा संस्थाओं एवं सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कर शिक्षा के गुणात्मक पहलू पर बल देने, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए उपकरण देने, परिवार कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के मरूस्थलीय त्रिकोण के पर्यटन विकास की समग्र योजना बनाने तथा गरीबी उन्मूलन की अन्त्योदय योजना को पुनः लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इसके साथ ही इस बजट में नए उद्योगों को लगाये जाने, वर्तमान उद्योगों को प्रोत्साहित करने, तथा कामगार एवं दस्तकारों को राहत देने के अनेक उपाय किये गये हैं। कर प्रस्तावों में मुख्य मंत्री जी ने जहां एक ओर विलासिता की वस्तुओं पर तथा विशेष पथ कर लगाया गया है वहीं आम लोगों के काम आने वाली वस्तुओं पर कर समाप्त कर राहत दी गई है। इसके साथ ही करापवंचन रोकने तथा राज्य की आय बढ़ाने की कार्यवाही की है।

इस सम्बन्ध में, मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी:

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने, विधवा, परित्यक्तता और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जायें जिससे वे आत्म-निर्भर बन सके और अपना गुजर बसर कर सकें। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन एवं बेरोजगारी भत्ते पर भी बजट में विचार किया जाना चाहिये।

विद्युत विकास के तहत उप परीक्षण एवं वितरण कार्यक्रम में जोधपुर शहर पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि जोधपुर में प्रायः बिजली बन्द होते रहने की शिकायत को दूर किया जा सके। इसके लिए वितरण तन्त्र में सुधार करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर में पोलोटेक्निक महाविद्यालय खोलने की योजना पर विचार किया जाना चाहिए।

राजस्थान में जोधपुर सबसे बड़ा शहर है। निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं से जोधपुर शहर की पेयजल समस्या गम्भीर स्थिति से गुजर रही है। दो दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है। इसके स्थाई समाधान के लिये हालांकि फलौदी, जोधपुर लिफ्ट कैनाल का निर्माण चल रहा है लेकिन नहर आने तक शहर के पेयजल समस्या का हल करने के लिये यहां लगी पुरानी पाइप लाइनों को बदलने तथा उच्च जलाशय बनाने की योजना पर विचार करके इस वास्ते बजट आंवटित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा लिफ्ट नहर निर्माण का कार्य तेज गति से कराने के लिये और अधिक बजट आंवटित करने की जरूरत है। लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशनों को बनवाने का कार्य कई अर्से से रूका पड़ा है। इसके लिये अलग से ही बजट आंवटित कर इसका निर्माण प्राथमिकता से करवाया जाना चाहिए। यह नहर निर्माण का प्रमुख कार्य है इसलिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था जवाई बांध और पुराने पेयजल स्रोतों पर ही निर्भर रही है। जवाई बांध का तो रख-रखाव जलदाय एवम् सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन जोधपुर शहर के पुराने परम्परागत पेयजल स्रोतों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए अलग से योजना बनाकर विशिष्ट योजनाओं में शामिल करके बजट आंवटित किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्राचीन परम्परागत पेयजल स्रोतों कुएं, बावड़ियों, झालरों एवम् तालाबों आदि के रख-रखाव एवम् मरम्मत के कार्यक्रमों को मरू विकास कार्यक्रम के जल ग्रहण विकास योजना में शामिल करना चाहिए। इससे भूमिगत जल का स्तर नहीं गिरेगा और पेयजल समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इनके रख-रखाव को, मरम्मत आदि के लिए भी किसी विभाग की पूर्ण जिम्मेदारी हो जायेगी जिससे ये प्राचीन सम्पदाएं सुरक्षित भी रहेगी।

जोधपुर शहर की सड़कों की दुर्दशा गम्भीर है। शहर के भीतरी भाग में तो आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इन सड़कों की मरम्मत करवाने और डामर (पेवर) से बनवाने के लिए जोधपुर शहर को अलग से बजट आंवटित किया जाये ताकि जोधपुर शहर की सड़कों को सुधारा जा सके।

विश्व मानचित्र पर पर्यटन के रूप में उभरे जोधपुर में पर्यटन विकास की महती योजनाएं बनाई जाये और मसूरिया पहाड़ी पर पर्यटन काम्पलेक्स बनाने की योजना पर विचार करके आवश्यक बजट आवंटित किया जाये। इस पहाड़ी पर कई वर्षों से पर्यटन सम्बन्धी योजनाएं बनाई जाती रही हैं लेकिन एक भी क्रियान्वित नहीं हो पाई है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थल का सही उपयोग

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करके पर्यटन के साथ-साथ जोधपुर के चहुमुखी विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, लिखा हुआ भाषण पढ़ने की परम्परा नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : अब तो समाप्त ही हो रहा है।

श्री सूर्यकान्ता व्यास : मैं जोधपुर क्षेत्र के बारे में, मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं। जोधपुर शहर के अन्दर नगर परिषद् के अलावा कोई भी कार्य नहीं होता है और जोधपुर नगर परिषद की स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके ऊपर कई लाखों रुपये का दिवाला हुआ है और वह काम करने के अन्दर सक्षम नहीं है। जोधपुर शहर के साथ पूर्व सरकार ने हर समय सौतेला व्यवहार रखा। उसके साथ ही जोधपुर शहर के अन्दर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि कह सकें कि कोई काम हुआ है। 1977 के अन्दर जोधपुर शहर की सड़कें बनी थी, उसके बाद आज की तारीख तक कोई और सड़कें नहीं बनी हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

जोधपुर शहर के अन्दर पानी की समस्या, सड़कों की समस्या ही समस्या है। मैं माननीय सभापति जी के मार्फत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दरूनी भाग के अन्दर विशेष ध्यान दिया जाये। पूर्व सरकार ने जोधपुर शहर के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसको रोका जाये। मैं विश्वास करती हूं कि भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार इस बजट में जोधपुर शहर के लिये विशेष ध्यान देगी। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करती हूं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। गरीब लोगों के लिये वह बजट बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं आपको एक बात और इस माध्यम से कहना चाहती हूं कि आपके सामने जो अपोजीशन वाले माननीय सदस्य बैठे हैं वह कह रहे थे कि गरीबों की सरकार नहीं है। मगर मैं आपको यह कह रही हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर हताइयों पर जो बातें हुई हैं उसके अन्दर भैरोंसिंह जी को दुआओं पर दुआएं दी हैं। कल रात को तो अपने राजघराने के राजतिलक करने वाले जो व्यास जी हैं, 90 साल के हैं, उन्होंने टेलिफोन पर गूंजती हुई आवाज के अन्दर कहा है कि मैंने भैरोंसिंह जी को टेलिग्राम भी भेजा है और मैं तेरे को यह कहता हूं कि तू उनको धन्यवाद देना कि बजट कैसा अच्छा रखा है और गरीबों का बजट रखा है, शहर के विकास का भी बजट रखा है और ग्रामीण क्षेत्र के विकास का भी बजट रखा है। इसलिए मैं भैरोंसिंह जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति : माननीय बिरदाराम जी चौधरी।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, मैं 27 जून को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, जो

(श्री बिरदाराम चौधरी

वित्त मन्त्री भी हैं, ने जो बजट पेश किया हैं वह बजट पहला ऐसा बजट है जो बिल्कुल बोगस और नीरस है। यह किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और गरीबों का विरोधी बजट है। इस बजट को देखने से, पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगपतियों का हामी है। अभी जो आम चुनाव हुये थे, उस समय जो गावों के अन्दर भाषण दिए थे, जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, चाहे वह बी. जे. पी. के हों, चाहे वह जनता दल के हों, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम किसानों के हिमावयी रहेंगे, मजदूरों के हिमावयी रहेंगे गरीबों के हिमावयी रहेंगे और इनका विकास करेंगे। हमने उस समय कहा था कि आपने भैरोंसिंह जी की सरकार को पहले देखा है, यह कभी भी किसानों की हिमावयी नहीं हो सकती, किसानों की पक्षधर नहीं हो सकती। फिर भी लोगों ने यह कहा कि नहीं, नही, अब की बार तो ऐसा नहीं है। हमारे जो जनता दल के वरिष्ठ सदस्य, जो दिल्ली सरकार में बैठे हैं, वह भी यह कह रहे हैं कि हम एक साझा सरकार बनायेंगे और हमने एक नाता जोड़ा है....

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदय, हाउस में मैं समझता हूं कि कोरम पूरा नहीं है इसलिए बैठक स्थगित कर दी जाये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टोटल बीस होने चाहिए।

श्री बिरदाराम चौधरी : तो उस समय भी हमने यह कहा कि यह नाता जोड़ने वाली सरकार है और यह सरकार किसानों की हिमायती नहीं होगी। उसके बाद में जो पहला राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसमें यह शंका जाहिर हो गयी थी कि यह सरकार किसानों की हिमावयी नहीं हो सकती और जो उन्होंने लेखानुदान पेश किया था, उससे भी यह प्रकट था कि यह किसान विरोधी सरकार है। लेकिन, सभापति महोदय, अभी 27 तारीख को जो बजट पेश किया गया है, उससे स्पष्ट जाहिर हो गया हैं कि यह कतई किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की सरकार नहीं है। आप देखिये, जो भी टैक्स लगाये हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से जाकर गरीबों पर, किसानों पर ही पड़ते हैं और जो घटाये हैं, जो कम किये हैं उनका सीधा फायदा पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि गांवों में जो इस सरकार ने वायदे किये थे, उस समय गांवों में जाते टाइम एक ही बात कहते थे कि कोई बुड्ढा मिलता था तो बाबा सोच मत कर म्हे थांकी पेन्शन कर देंवा। उसके बाद में दूसरा कोई मिलता, कोई बेरोजगार मिलता तो उसको वह कहते कि फिक्र मत करो, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो दूसरा कोई लोन लिया हुआ मिलता तो उसको कहते, आप फिक्र मत करो, हम बिना किसी किन्तु–परन्तु के इस कर्जे को माफ कर देंगे। लेकिन आप देखिये जो यह कज

(श्री बिरदाराम चौधरी)

माफ करने वाली बात है यह बिल्कुल एक भुलावा देने वाली बात है। पहली बात तो जो कर्जा किसानों पर है, गरीबों पर है, वह करीब 700 और 800 करोड़ के बीच में है। इन्होंने जो प्रावधान रखा है वह सिर्फ 170 करोड़ के आस पास का रखा है। इसके हिसाब से कर्जे माफ किये जा रहे हैं। उनको पता था कि यह कर्जा हमको माफ नहीं करना है, फिर किन्तु-परन्तु लगा दिया। अब आप देखिये, एक तरफ तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटायेंगे। भ्रष्टाचार का सबसे पहला अड्डा यह कर्जा माफी की जो योजना बनाई है, वह है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। पहले जो भ्रष्टाचारी होगा और भ्रष्टाचार के हिसाब से जो कर्जा लिया है वही पैसा देगा और वही इसको माफ करा सकेगा।

दूसरी बात जो गिरदावरी की है, मैं आपके जरिये बता देना चाहता हूं कि जो गिरदावरी इसमें होती है, कोई भी पटवारी मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं करता है क्योंकि पहले जो गिरदावरियों का महत्व था और काश्तकार के लिए भी कि इसने काश्त की है तब तो गिरदावरी काश्तकार जाकर करवाता था कि यह मेरी गिरदावरी है करो। लेकिन आजकल गिरदावरी का कोई महत्व नहीं है फिर भी ये जीन्स लिखी जाती है कि इस खेत के अन्दर यह बाजरी बोई गयी है या फलां हुआ है। इसलिए मैं यह बताऊं आपको कि इस गिरदावरी के हिसाब से जो गिरदावरियां हुई हैं, कहीं पर भी मौके पर जाकर पटवारी ने गिरदावरी नहीं की है क्योंकि गिरदावरी का कोई महत्व नहीं था। इसलिए इस गिरदावरी को बीच में डालना यह कर्जा माफ करने वाली बात नहीं है।

दूसरी बात वृद्धावस्था पेन्शन की बात है। यह जो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे पहली घोषणा थी कि हम वृद्धों को पेन्शन देंगे, यह भी बहुत जरूरी है। मेरा यह सुझाव है कि कम से कम बुढ़ापे में तो पेन्शन हो जाये मैं कोई यह नहीं कह रहा कि सबकी पेन्शन हो जाये लेकिन जिनको जरूरत हो उनकी पेंशन करायी जाये। इसका भी फायदा होगा। इस वृद्धावस्था पेन्शन का इस बजट में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। इसका भी जिक्र होना चाहिए।

दूसरी बात जो चुनाव के मौके पर कही गयी थी और उसके बाद में अभी मैंने पढ़ा है। जब दो-तीन मंत्रीगण बाहर दौरे पर गये थे, उस समय सरकार बनने के बाद भी यह वायदे किये थे कि हम लगान को माफ करेंगे। मैं विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लगान माफी का इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थान है, नागौर जिला है, मैं नागौर जिले से आया हूं उसके बाद जो पश्चिमी राजस्थान पूरा है, वहां पर डबल क्रोप एरिया नहीं है। सिंगल क्रोप एरिया है। वहां पर लगातार अकाल पड़ने की वजह से काश्तकारों की बड़ी मालीय हालत है। इसलिए विशेष तौर से जो एरिया असिंचित है, सिंचित नहीं है, वहां पर यह लगान माफी की बात भी होनी चाहिए।

उसके बाद में मैं एक विशेष बात यह बताना चाहता हूं कि हमारा नागौर जिला पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण जिला है

(श्री बिरदाराम चौधरी)

और नागौर जिले के जो सांड है, जो पशु हैं, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे अच्छे पशु हैं और अच्छी नस्ल के पशु होते हैं। नागौर में विशेषकर परबतसर है, डीडवाना है, मेड़ता है, यहां पर बड़े-बड़े पशु मेले भरते हैं और उन पशु मेलों से राज्य सरकार को काफी आमदनी होती है और पशुपालकों के लिए सबसे उत्तम धन है। आज तक पशु मेलों में जाने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था लेकिन यह जो काश्तकारों की, पशुपालकों की हिमायती सरकार बनती है, उसने मेले में घुसते ही दो रुपये टैक्स वसूल करने की बात कही है। यह किसानों और पशुपालकों के साथ में बड़ा घोर अन्याय किया गया है। इसके बारे में उन्होंने यह तर्क दिया है कि गाय हैं, बैल हैं, पाड़े हैं, इन पर कई साल से टैक्स बढ़ा नहीं है। कम से कम इनको यह तो रहम आती कि पांच रुपये से लेकर बीस रुपये करने की इन्होंने योजना की है, तो क्या यह काश्तकारों की हिमायती सरकार है? क्या यह पशुपालकों की हिमायती सरकार है? मैं यह देखता हूं कि यह कहीं पर भी काश्तकारों और पशुपालकों की हमदर्द नहीं है। सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी माननीय ऊर्जा मंत्री महोदया, जो यहां बिराजी है, कई बार मैंने आपके भाषण परबतसर के मेले में और मेड़ता पशु मेलों में सुने हैं, उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि हम पशु पालकों को रियायत देंगे। हमारी सरकार आयेगी तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आप मंत्रिमण्डल में बैठी हैं, आपको विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि यह जो मेलों पर टैक्स लगाया है पशुओं पर जो पांच रुपये से बढ़ा कर बीस रुपये कर दिये गये हैं, ढाई रुपये से बढ़ाकर दस रुपये कर दिये गये हैं, माफ कराने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात मैं विशेष तौर पर मकराना विधान सभा क्षेत्र के लिए आपके मार्फत याद दिला देना चाहता हूं कि मकराना एक ऐतिहासिक नगर है और वहां मारबल का काफी भण्डार है। मैं यह समझता हूं कि इस मारबल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां पर लीजिंग ज्यादा होती और जो लोन दिया जाता है, इससे ज्यादा दिया जाता। मजदूर को भी उससे राहत मिलती और गरीबों को काम भी मिलता और टैक्स भी आपको ज्यादा मिलता। लेकिन इस पर कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मारबल उद्योग के विकास के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाये।

दूसरी बात यह है कि मकराना क्षेत्र से लगता हुआ ही परबतसर क्षेत्र है उसमें एक 25–30 साल पुरानी बांका स्कीम बनी हुई है। बांका स्कीम यह है कि वहां पर पानी बहुत खारा है और उस स्कीम से वहां के करीब 25 गांवों को पानी दिया जाता था। लेकिन वह 25 साल पुरानी स्कीम होने की वजह से वह स्कीम बेकार हो गयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मकराना क्षेत्र है, उसकी जल सप्लाई के लिए उस स्कीम का पुनः विकास किया जाये, उस स्कीम को पुनः लागू करने के लिए व्यवस्था की जाये और दूसरे नये पानी के स्रोत भी उसमें लगाये जाये।

(श्री बिरदाराम चौधरी)

तीसरी मैं एक मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि मुद्रांक में हमने काफी फायदा किया है आपने मुद्रांक शुल्क बढ़ाई। आप देखिये, मेरे परबतसर के अन्दर एक सब-रजिस्ट्रार है और एक मकराना में है लेकिन जो भी रजिस्ट्रीयां आज तक हुई हैं, जो बेचान हुआ है, गांवों के अन्दर जो गरीबों ने जमीन बेची है, या मकान बेचे हैं, वह सभापति महोदय, आज रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, पचास हजार से कोई भी ऊपर नहीं है। जिसमें मुख्य मंत्री महोदय ने वह की वह स्थिति रखी है। जबकि पचास हजार से ऊपर जो सम्पत्ति जा रही है, उसमें मुद्रांक शुल्क घटाया है। यह किसका बजट है? मेरा यह कहना है कि जो मुद्रांक शुल्क में पचास हजार से नीचे का घटाया नहीं है, उसको भी उसी रेशो से, जो पचास हजार से ऊपर के रेशो में घटाया है, उसी हिसाब से मुद्रांक शुल्क कम किया जाना चाहिए। जो भी टैक्स लगता है नीचे से लेकर ऊपर ज्यादा बढ़ता है लेकिन यह टैक्स कम किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री बिरदाराम चौधरी : सभापति महोदय, जो यह बजट पेश किया गया है, वह किसान विरोधी हैं और पूंजीपतियों का पक्षपाती है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री बृजराज मीणा।

श्री बृजराज मीणा (दौगोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से 27-3-1990 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया था उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के द्वारा पहली बार राजस्थान के बजट का साठ प्रतिशत हिस्सा गांवों के विकास में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान प्रदेश में, पहली बार गांवों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है तथा काश्तकारों पर कोई भी नया कर पहली बार नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। (व्यवधान) आप आगे तो सुनिये। माननीय सदस्य, पशुओं के लिए भी कहूंगा, कृषि के लिए भी कहूंगा। कृषि के लिए भी कहूंगा। मैं खुद काश्तकार हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में राज्य की योजना के आकार को 956 करोड़ किया गया है जो गत वर्ष से 20 परसेन्ट अधिक है। इस बजट में 25 हजार कृषि के कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। यहां पर ऊर्जा मंत्री महोदया बैठी हुई हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सरफेस ट्यूबवैल और डग ट्यूबवैल को जो कनेक्शन देने का प्रावधान है और जो प्रायोरिटी निश्चित की गई है, उन दोनों को एक समान समझा जाय। सरफेस ट्यूबवैल जो होते हैं उनको तो प्रायोरिटी के हिसाब से कनेक्शन दे दिया जाता है

(182)

(श्री बृजराज मीणा)

परन्तु डग ट्यूबवैल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाय। डग ट्यूबवैल, जो कुआ खुदा हुआ है, जिस काश्तकार ने कुआ खुदा लिया, उसे चार साल हो गये कुआ खुदाये हुए, उसका प्रायोरिटी में नम्बर नहीं आता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं इस पर विचार करें और इसको प्रायोरिटी में रखने के लिए विचार किया जाय। दूसरा, 1000 गांवों को विद्युतिकृत करने का जो प्रावधान किया गया है, पहली बार या तो 1977–78 में यह प्रावधान किया गया था या पहली बार इस बजट में किया जा रहा है, इसके लिए मुख्य मन्त्री महोदय को बार-बार धन्यवाद देता हूं।

सिंचाई के सम्बन्ध में.... (व्यवधान)

मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा। इन्होंने जो किया है वह भी कह रहा हूं। सिंचाई पर इस वर्ष में 182·7 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के शासन में, मुझे विशेष रूप से हाड़ौती की अच्छी जानकारी है कि दस-दस साल नहरों को खुदे हो गये, दस-दस वर्ष हो गये, डेम्स को बने हुए, आज तक भी उनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। वह काश्तकार, जिनकी जमीनें चली गई, आज भी कांग्रेस के शासन को कोस रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, सिंचाई मन्त्री महोदय तो नहीं हैं लेकिन कमाण्ड एरिया के सिंचाई मन्त्री महोदय हैं, जितना कम्पन्सेशन बकाया रह रहा है, उसका भुगतान करने का प्रावधान इस बजट में करवायें।

माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष चम्बल कमाण्ड एरिया में नहरों के रखरखाव के लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने चालीस लाख रुपया अतिरिक्त देने का प्रावधान किया है। हमारी नहरों की दशा यह है कि आज से तीस वर्ष पूर्व नहरें बनाई गई थीं, उनकी हालत इतनी खराब है कि टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता, नहरों का पानी रास्ते में ही रह जाता है, डेन्स में चला जाता है। चम्बल नहरों के लिए पहली बार चालीस लाख रुपया अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिन जमीनों का कमाण्ड एरिया में 15 वर्षों से केचमेन्ट हो रहा है, कांग्रेस सरकार ने जो जमीनें डेम्स में अवाप्त करली थी, उनका आज दिन तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। मुख्य मन्त्री महोदय ने इस बजट में 37 लाख रुपयों का प्रावधान किया है। इसके अलावा डेम्स की सफाई करने के लिए 15 लाख रुपये का इसमें प्रावधान किया गया है। हमारे माननीय विपक्षी सदस्यों ने बार-बार यह कहा कि यह किसान विरोधी है। क्या डेम्स जो साफ होंगी, उनका फायदा क्या किसान को नहीं होगा ? क्या शहर के लोगों को होगा ? (व्यवधान) हमारी नहरों को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है पर आपको नुकसान हो रहा है। आपने कितना चालीस साल में नुकसान किया, हम उसका पूरा फायदा लेना चाहते

माननीय सभापति महोदय, इस समय राजस्व मन्त्री महोदय यहां विराजमान नहीं हैं। पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू

(श्री बृजराज मीणा)

एक्ट में जो हमारा लगान लगता है उसका 75 रुपये तक सरचार्ज नहीं लगाया जाता है, छूट सीमा होती है क्योंकि यह सन् 1960 में ऐसी व्यवस्था की गई थी जब हमारा लगान चार आने, आठ आने, और बारह आने लगता था। आज के समय में हमारा लगान 6 रुपये, आठ रुपये और दस रुपये लगता है। आज की तारीख में जिस काश्तकार के पास दस बीघा जमीन है उसे सरचार्ज देना पड़ता है। इतना लगान बढ़ गया है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सरचार्ज की छूट सीमा जो 75 रुपया है सरचार्ज रूल्स के अन्तर्गत, उसको 200 रुपये किया जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, जहां तक हमारी कर्जा माफी का सवाल है, निवेदन करना चाहता हूं कि दस-दस-हजार रुपये के किसानों के, बुनकरों के कर्ज माफ हो गये। अभी मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने यह बताया था, इससे तो कर्जा माफी नहीं हुई, विशेष लाभ नहीं हुआ मैं सोचता हूं जो लोग नहीं दे सकते थे, जो जान बूझकर डिफाल्टर नहीं रहे हैं, उन लोगों को विशेष रूप से इसमें छूट दी गई है, जिनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी या अकाल पड़ गया था या कोई और बात हो गई थी। जिन्होंने जानबूझ कर नहीं चुकाया है, उनको कोई छूट नहीं दी गई, उनको देना भी नहीं चाहिए। (व्यवधान)

मेरे कहने से आपने तो बहुत दिया और बहुत लिया पर हम जिसको देना चाहते हैं जिसको वास्तविक जरूरत है विकास की, जिसको वास्तविक छूट दी जानी चाहिए उसको ही दी जायेगी। आपके कहने से हर किसी को नहीं दी जायगी।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने पहली बार इस बजट में गांवों के कुओं के सम्बन्ध में बीमा करने का प्रावधान किया है जिससे काश्तकारों को स्योरिटी होगी कि यदि मेरा कुआ नहीं खुदेगा तो मुझे इसका पैसा वापस मिलेगा। हर्ष है इस बात का कि पहली बार किसान के कुए का बीमा किया गया इसमें पचास साठ हजार रुपये खर्च होते हैं उसके लिए उसको विश्वास तो हुआ कि वह पैसा वापस मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, मुझे तो टाइम दिया जाये एक्सप्लेन करने का मौका दें। समाज कल्याण विभाग के 27 छात्रावास खोलने के लिए मेरे साथियों ने यह कहा था कि समाज कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 27 छात्रावास खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जो रवन्ना फीस बढ़ाई गई है उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से मैं इसको कम करने के लिए अनुरोध करता हूं। इसको कुछ कम किया जाय। क्योंकि आम काश्तकार का पशुधन मेले में जाता है और काश्तकार ही इससे प्रभावित होता है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, यह विशेषकर बैलों पर, गायों पर है। गधे तो

(श्री बृजराज मीणा)

व्यापार में आ जाते है, बैल तो जोतने के काम आता है दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाड़ौती की सड़कों की हालत बड़ी खराब हो रही है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी हाड़ौती की सड़कों के लिए विशेष रूप से कुछ अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाय जिससे हमारी सड़कों की दशा सुधार सके। दो मिनट और।

राजस्थान में कपड़ों की रंगाई छपाई, बर्तनों पर, छातों पर और सोने चांदी के वर्क बनाने पर बिक्री कर में जो छूट दी गयी है और विशेष रूप से बुनकरों, दस्तकारों को जो छूट दी गयी है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं एक पाइंट और आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि राजस्व मन्त्री महोदय से संबंधित हैं। आपकी कृषि से संबंधित है, आपने कृषि की इतनी वकालत की है, कृषि के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना चाहता हूं। सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत, माननीय सभापति महोदय, सन् 1979 में एक साधारण कृषक की भूमि अधिग्रहित की गई और अधिग्रहित करके वह भूमि आवंटित कर दी गई परन्तु आज 14 साल तक भी मध्यम श्रेणी के काश्तकार को मुआवजा नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस मध्यम श्रेणी के काश्तकार को जिसकी भूमि 14 साल पहले ले ली गई थी, उसके भुगतान करने के लिये निवेदन करता हूं। इसी के साथ माननीय मुख्य मन्त्री को बार-बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसान के हित में बजट प्रस्तुत किया है और वह धन्यवाद के पात्र है। राजस्थान के उज्वल भविष्य की कल्पना करता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय, ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी सराहना करते हुए मैं अपने विचार बताना चाहता हूं कि यह बजट ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल दोनों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जिसको मैं दिशाहीन भी कह दूं उसकी नीतियों के कारण जो गांव पिछड़े हुए थे, यदि सरकार बनते ही, भारत आजाद होते ही जो हमारी असींचित पड़ी हुई है, उस ओर ध्यान दिया जाता होता तो आज हमारा काश्तकार मालामाल होता लेकिन अभी भी वह जमीन ऐसी पड़ी हुई है। इस बजट में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सिंचाई के ऊपर सबसे अधिक धन बढ़ा करके जो ध्यान दिया है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और मैं उमीद करता हूं कि छोटे छोटे बांध बंधवा करके उन खेतों की सिंचाई हो सकेगी। पिछली सरकार ने पक्षपात पूर्ण रवैये से क्षेत्र में काम किये। जहां उनका मत था वहां उन्होंने स्कूल भी खोले लेकिन जहां नहीं था उस तरफ झांके भी नहीं। ऐसी सरकार की नीति नहीं है और माननीय शेखावत जी काश्तकारों की पीड़ा को समझते हैं। किसान अगर ट्यूबवैल लगाता है और पानी नहीं आता तो अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख देता है, बेच देता है ऐसी हालत को समझते हुए उन्होंने बीमा

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

योजना लागू की है वह काश्तकार के लिये एक वरदान है।

विद्युत के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज विद्युत की कमी है, यह हम मानते हैं लेकिन विद्युत मंत्री महोदय अगर किसान को टैम्पोरेरी कनेक्शन की व्यवस्था कर दी जावे जैसा हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां का काश्तकार इससे बहुत खुश है, मैं चाहता हूं कि इस योजना को राजस्थान में भी लागू करें तो किसान का भला होगा और कनेक्शन मिलने में चार-चार पांच-पांच साल की देरी होते हुए भी यह हमारा किसान उससे लाभ उठा सकेगा।

पेयजल के संबंध में हमारा बेगूं क्षेत्र चितौड़गढ़ जिले में सबसे कम हैण्डपम्प वाला क्षेत्र है। आज भी वहां 80 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं है। मैं समझता हूं जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बेगूं विधान सभा क्षेत्र है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट के माध्यम से गांवों की पेयजल संबंधी समस्या हल हो करके विकास हो सकेगा। जो गत कांग्रेस सरकार ने गांव वालों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, मैं उस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांव में कोई छोटा मोटा स्कूल बना, पटवार घर बनाया और कोई भवन बना तो गांव के लिये तो यह शर्त थी कि वह श्रमदान से बनाये और बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज एक ही सेठ बना सकता है यहां कोई श्रमदान की शर्त नहीं थी। यह गांवों का पिछड़ापन और सौतेले व्यवहार का एक नमूना है। कांग्रेसी आज बढ़-चढ़ कर बोल रहे हैं कि यह बजट किसान विरोधी है। जरा आप अपने पेन्दे में जायें और असलियत का पता लगायें और फिर कहें कि बजट किसान विरोधी है या गावों का विकास करने वाला बजट है। इस तरह से यह बजट ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, जब तक श्री धाकड़ बोले, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमती है ?

(स्वीकृत)

श्री सभापति : माननीय सदस्य का भाषण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : आज गांवों की हालत यह है कि इतना पिछड़ा हुआ इलाका होते हुए भी वहां किसी और का ध्यान नहीं गया। हमारे पहले विधायक महोदय थे सबसे पहले वह यह पूछते थे कि आपके गांव के कितने वोट मिले हैं और इस तरह से वह उन गांवों को टाल देते थे जिन गावों में उनका बहुमत नहीं था। यह हमारी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

सरकार नहीं करेगी। हमारी सरकार सम दृष्टि से सबका विकास करना चाहती है और यही इस बजट में मुख्य रूप से दर्शाया गया है।

पेयजल की इस वर्ष जो समस्या थी, मैं मेरे बेगूं क्षेत्र की कहता हूं जिन गांवों में टैंकर्स की व्यवस्था नहीं थी, इस साल उन गांवों को टैंक्स से पानी सप्लाई करके उन गांव वालों को सन्तुष्ट किया गया है। यह सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है।

समय बहुत हो गया है, सभी घबरा रहे हैं फिर कभी मौका होगा तब बोलेंगे। मैं इतना ही कहकर के इस बजट के पक्ष में शेखावत साहब को बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 5 जुलाई, 1990 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही रात्रि 7.27 बजे गुरूवार दिनांक 5 जुलाई, 1990 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 130 की सुची

म.सं.	नाम राजस्व तहसील	कुल प्रार्थना–पत्र
1.	मांदरा	3600
2.	सादलशहर	9530
3.	सगरीया	6403
4.	पदमपुर	14109
5.	करणपुर	16393
6.	गंगानगर	26000
	कुल योग :—	76,035

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

डेयरी फैडरेशन में बाई-प्रोडक्ट्स की विपणन नीति

137. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधीन संचालित डेयरी योजनाओं में दूध से घी, पनीर, व पाउडर बनाने के क्या कोई लक्ष्य निर्धारित है या सुविधानुसार जितना चाहे तैयार किया जा सकता है ?

(2) इन बाई प्रोडक्ट्स के विपणन की क्या नीति है ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में घी एवं अन्य उत्पादन निर्धारित मूल्य को कम करके बेचे गए ? यदि हां, तो क्यों व कैसे और क्या इसके संदर्भ में किन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा संचालित डेयरी संयंत्रों के लिए प्रतिमाह दुग्ध उत्पाद घी, पनीर और पाउडर के निर्मित करने के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

(2) दुग्ध उत्पाद के विपणन की नीति इस प्रकार से है तरल दूध की बिक्री के उपरान्त बचे दूध से बने दुग्ध उत्पाद की खुदरा एवं थोक बिक्री में प्रदेश एवं बाहर के उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। जिसमें उपभोक्ता, संस्थाएं, रक्षा सेनाएं इत्यादि शामिल हैं।

(3) जी नहीं। डेयरी द्वारा घी, पाउडर इत्यादि के मूल्य विभिन्न तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं। दूध के मौसम के अनुसार दूध की आवक के हिसाब से उत्पादों के मूल्य कम या ज्यादा निर्धारित होते हैं। अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है।

पशु चिकित्सालय में रिक्त पद

138. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय पशुचिकित्सालय लालसोट में चिकित्सा प्रभारी का पद काफी समय से रिक्त है जिसके कारण पशुओं की बीमारी का उपचार तथा बीमारी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां तो चिकित्सा प्रभारी का पद कब से रिक्त है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नवीन क्रमोन्नत चिकित्सालय होदावली एवं राहूवास

(श्री परसादी लाल मीणा)

में भी पशु चिकित्सा अधिकारी अभी नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सभी रिक्त पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारी कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रभारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति की हुई है किन्तु प्रभारी अधिकारी की प्रशासनिक कारणों से उप निदेशक, ग्राम आधार योजना, जयपुर के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की हुई है। प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में रोगों के उपचार एवं बीमारी पर नियंत्रण पाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि यहां यह कार्य संस्था में उपलब्ध पशु धन सहायकों द्वारा संतोषजनक रूप से सम्पादित किया जा रहा है।

(2) नवीन क्रमोन्नत चिकित्सालय, राहुवास में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। पशु चिकित्सालय होदावली में अभी यह पद नहीं भरा जा सका है, क्योंकि नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारी की नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की उपलब्धि होने पर कर दी जावेगी।

सांचोर उपज कृषि मंडी समिति का सचिव

139. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जालोर जिले की सांचोर कृषि मंडी में सचिव का पद किन कारणों से व कब से रिक्त है ?

(2) इसे कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति सांचोर के सचिव पद पर दिनांक 22-1-90 से श्री सत्यनारायण शर्मा पद-स्थापित है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

टोंक जिला परिषद् में अध्यापकों के चयन में अनियमितताएं

140. **श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सचिव) जिला परिषद् टोंक के विरुद्ध तत्कालीन जिलाधीश श्री के. एम. सहाय को अध्यापकों के चयन के मामलों में अनियमितताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि जांच के पश्चात् जिलाधीश ने उक्त शिकायतों को सही पाया था व श्री विजयवर्गीय को रंगे हाथ रिकार्ड में हेरा फेरी करते पकड़ा था ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश कार्यालय द्वारा इन शिकायतों एवं जांच संबंधी विषय पर अपनी सिफारिश के साथ विभाग को रपट प्रस्तुत की गई थी ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा अब करने का विचार है ? यदि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अब तक कार्यवाही नहीं हुई तो विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि टौंक के तत्कालीन जिलाधीश श्री के. एम. सहाय ने अध्यापकों के चयन के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधीश से जांच करवाई थी ।

(2) जांच में कुछ अनियमिततायें होना पाया गया था । श्री विजयवर्गीय को रंगे हाथ रिकार्ड में हेरा-फेरी करते हुए पकड़ने का कोई उल्लेख जिलाधीश के पत्र में अथवा जांच प्रतिवेदन में नहीं हैं ।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विभागीय अधिकारियों से और जांच करवाई गई थी ।

(4) क्योंकि पूरे अभिलेख की जांच की गई थी अतः अधिकारियों को प्रतिवेदन देने में कुछ विलम्ब हुआ । प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यक निर्णय शीघ्र लिया जायेगा ।

बाड़मेर-जैसलमेर जिला मुख्यालयों पर जिला एवं सत्र न्यायालय

141. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर-जैसलमेर जिला मुख्यालयों पर जिला एवं सत्र न्यायालय नहीं हैं ?

(2) बाड़मेर जिले के सब-डिवीजन बाड़मेर और बालोतरा में कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(3) क्या सरकार मुकदमों की संख्या के आधार पर उक्त जिला मुख्यालयों पर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) बाड़मेर जिले के सब डिवीजन बालोतरा एवं बाड़मेर के विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 1-4-90 को कुल मुकदमों की संख्या क्रमश. 3416 एवं 5483 है । इनमें से बालोतरा एवं बाड़मेर में सेशन केसेज की संख्या क्रमशः 63 एवं 35 है ।

(3) जैसलमेर जिला मुख्यालय पर धनाभाव के कारण एवं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उसी जिले में बालोतरा में जिला एवं सेशन न्यायालय होने के कारण दोनों मुख्यालयों पर उक्त न्यायालय खोलना संभव व आवश्यक नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 142 (स्थगित)

बीकानेर बींछवाल औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में ऑयल रिफायनरी

143. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बीकानेर स्थित बींछवाल औद्योगिक क्षेत्र में एक ऑयल रिफायनरी सहकारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो तो उक्त संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी ? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा तथा उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर में सहकारी आधार पर औद्योगिकरण की विपुल संभावनायें हैं ? यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संयंत्र पर लगभग 16 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत आयेगी। इसमें लगभग 200 लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। इसमें उत्पादन कार्य लगभग एक वर्ष में प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

(2) बीकानेर में सहकारी आधार पर तिलहन क्षेत्र में औद्योगीकरण की सम्भावनाओं को देखते हुए ही ऑयल रिफाइनरी का उपरोक्त संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

इन्दिरा गांधी नहर से खारा सिस्टम को पानी

144. श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर. डी. नं. 559 पर खारा सिस्टम के लिए पानी देने हेतु हैड रेगुलेटर बना हुआ है ? यदि हां, तो इससे खारा सिस्टम भाखड़ा में कब से पानी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार स्थाई रूप से खारा का सिस्टम भाखड़ा में पानी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां, पानी की उपलब्धता के आधार पर व मांग के अनुसार खारा सिस्टम को पानी उपलब्ध कराया गया जिसकी सूचना संलग्न है ।

(2) इस रेगुलेटर से खारा सिस्टम को स्थाई रूप से पानी तभी दिया जाना संभव होगा जब सिद्धमुख नोहर सिंचाई योजना पूरी होगी ।

Page No. 192

(192)

खारा सिस्टम को इन्दिरा गांधी फीडर से 559 के रेगुलेटर से दिये गये पानी की सूचना

दिनांक	पानी मात्रा (क्यूसेक्स में)
4-9-89 से 7-9-89	30
9-9-89	35
23-9-89 से 4-10-87	35
3-2-90 से 14-2-90	20
14-5-90 से 15-5-90	50
24-5-90 से 30-5-90	30
31-5-90	50
1-6-90	25
2-6-90 से 3-6-90	30
4-6-90 से 5-6-90	45
6-6-90 से 7-6-90	40
8-6-90	50

बारां में रसोई गैस की बुकिंग

145. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवम्बर 1988 में बारां कस्बे में उप जिला कलेक्टर बारां द्वारा रसोई गैस हेतु की गई बुकिंग में कितने लोगों को पंजीकृत किया गया था ?

(2) इनमें से अब तक कितने उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं ?

(3) शेष उपभोक्ताओं को कब तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

(4) क्या भविष्य में बारां तहसील व किशनगंज क्षेत्र के गावों के लिये भी रसोई गैस उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई जायेगी ?

उत्तर

(1) नवम्बर, 1988 में बारां कस्बे में उप जिला कलेक्टर, बारां द्वारा रसोई गैस कनेक्शन हेतु 4420 लोगों को पंजीकृत किया गया था।

(2) इनमें से अब तक 150 उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं। एच.पी.सी. तेल कम्पनी की बारां गैस एजेन्सी द्वारा अब तक कुल 2876 गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

(3) शेष में से 50 उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन तुरन्त उपलब्ध करा दिये जावेंगे बाकी गैस कनेक्शन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. से आवंटन होने पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(4) जी नहीं।

बेरोजगार विकलांग

146. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी रिकार्ड के अनुसार राज्य में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार विकलांग कितने हैं ? इनके बारे में अंतिम सर्वे कब कराया गया था ? जिला अनुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने विकलांगों के जीवन यापन हेतु भविष्य के लिए कोई योजना तैयार की है ?

(3) क्या शिक्षित बेरोजगार विकलांगों को भत्ता देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब व कितना ?

उत्तर

(1) नियोजन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कुल पंजीकृत शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या 13359 है। नियोजन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इनके बारे में सर्वे नहीं करवाया गया है। नियोजन विभाग में पंजीकृत बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के जीवन यापन हेतु निम्न योजनायें संचालित की जा रही है :—

1. नियोजन : विकलांगों के नियोजन हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान एम्पलायमेंट

(समाज कल्याण मंत्री)

आफ दि फिजीकल हैण्डीकेप्ड रुल्स 1976 बनाये हुए हैं। जिनके द्वारा विकलांगों के नियोजन हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था तथा केन्द्रीय पंजीयन सेल की व्यवस्था नियोजन विभाग में की है।

2. प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार : ट्राईसम एवं स्काईट योजना के अनुरूप शहरी क्षेत्र के 750/– मासिक आय वर्ग के विकलांगों को प्रशिक्षण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में स्थानीय प्रशिक्षणार्थियों को 100/– रुपये प्रतिमाह तथा बाहर के प्रशिक्षणार्थियों को 125/– रुपये प्रति माह की दर से वृतिका उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त विकलांग व्यक्ति जो स्वयं का रोजगार आरम्भ करना चाहते हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से निर्धारित इकाई लागत तक 4 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है साथ ही परियोजना लागत का 33·33 प्रतिशत अधिकतम 3000/– रुपये तक का अनुदान भी दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार की सुविधा का लाभ एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी को रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांगों को मिलता है।

3. राजकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवासः— विकलांगो को 3 राजकीय तथा 14 स्वयंसवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार वृतिका दी जाती है। इन संस्थाओं के संचालन हेतु विभाग द्वारा प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है।

4. उपकरण एवं फुटकर धन्धों हेतु आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति जिसके माता पिता/संरक्षक या स्वयं की आय 1500 रुपये प्रतिमाह से कम है उनको कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों हेतु 1500 रुपये एवं फुटकर धन्धों हेतु 2000 रुपयो तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5. विकलांग पेन्शन :–8 साल या इससे अधिक आयु के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से शहरी क्षेत्र के विकलांगो को उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों को विकास अधिकारी के माध्यम से विकलांग पेन्शन उपलब्ध कराई जाती है।

(3) जी हां। प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार विकलांग को 150/– रुपये प्रति माह तथा स्नातकोतर बेरोजगार विकलांग को 250/– रुपये प्रतिमाह वृतिका अधिकतम दो वर्ष अथवा नियोजन मिलने तक जो भी पहिले हो, दिये जाने की योजना वर्ष 1987-88 से विभाग द्वारा संचालित की गई है।

195

परिशिष्ट "अ"

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31-3-90 को पंजीकृत विकलांगों की सूची।

क्र. सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	अन्धे	गूंगे-बहरे	अस्थीविकृत	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	46	20	575	641
2.	अलवर	63	24	1521	1608
3.	बांसवाड़ा	3	1	270	274
4.	बाड़मेर	1	2	237	240
5.	भरतपुर	2	3	365	370
6.	भीलवाड़ा	11	4	403	418
7.	बीकानेर	17	6	312	335
8.	बूंदी	2	—	162	164
9.	चित्तौड़गढ़	2	1	228	231
10.	चूरू	—	—	268	268
11.	धौलपुर	1	2	232	235
12.	डूंगरपुर	1	3	191	195
13.	जयपुर	—	—	—	—
14.	जैसलमेर	4	2	179	185
15.	जालोर	2	1	278	281
16.	झालावाड़	1	—	167	168
17.	झुन्झुनू	11	15	716	742
18.	जोधपुर	20	10	173	203
19.	कोटा	14	4	629	647
20.	नागौर	—	—	307	307
21.	पाली	13	1	302	316
22.	सवाईमाधोपुर	6	14	591	601
23.	सीकर	6	1	556	563

1	2	3	4	5	6
24.	सिरोही	8	1	208	217
25.	श्रीगंगानगर	7	16	554	577
26.	टौंक	10	4	210	224
27.	उदयपुर	5	11	314	330
28.	पी एण्ड ई	19	2	129	150
29.	वि.रो.का.वि.	115	106	2648	2869
	योग	390	244	12725	13359

लूनकरणसर मंडी क्षेत्र में सडक निर्माण

147. **श्री मनीराम** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त भी अभी तक लूनकरणसर मण्डी की सड़कों का कार्य शुरू नहीं किया गया है यदि हां, तो क्यो ?

उत्तर

(1) स्वीकृत कार्यों में से तीन सड़कों के कार्य शुरू कराये जा रहे हैं।

टौंक जिले के सूखा सम्भावित क्षेत्रीय विकास कार्य

148. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) :– क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में, सूखा सम्भावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 1985 से अब तक क्या-क्या योजनाएं तैयार की गई तथा किस-किस योजना में कितनी-कितनी धन राशि व्यय की गई ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वर्षों में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उपलब्धि क्या रही ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग की निष्क्रियता के कारण उपलब्धि नगण्य रही है ? यदि हां, तो क्यों

उत्तर

(1) टौंक जिलें में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 से 1989–90 तक कृषि (भू–संरक्षण), भूजल, सिंचाई, वन विकास, भेड़ विकास, पशु, स्वास्थय, मत्स्य पालन तथा विद्युत एवं पशु, पेयजल आदि से संबंधित योजनाऐं तैयार की गई। कार्यक्रम के प्रारम्भ से माह मार्च 1990 तक व्यय की गई धनराशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–1)

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उनमें हुई उपलब्धि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–2)

(3) जी नहीं। अधिकांश मदों में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यानुसार रही है।

परिशिष्ट – 1

जिला—टोंक

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ से माह मार्च, 1990 तक व्यय की गई धनराशि का मदवार (योजनावार) विवरण ।

(राशि लाखों में)

क्र.स.	मद (योजना)	1985–86 (फरवरी, 86)	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90	योग 85–86 से मार्च 90 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि	—	20·49	9·22	8·45	21·56	59·72
2.	भूजल	—	5·30	4·00	—	—	9·30
3.	सिंचाई	2·00	9·98	8·04	19·80	16·40	56·22
4.	वन	8·74	14·60	11·12	10·36	9·55	54·37
5.	भेड़ विकास	0·08	1·21	1·03	—	—	2·32
6.	पशु स्वास्थ्य	0·29	2·96	1·40	0·50	—	5·15
7.	मत्स्य	—	1·30	1·27	2·15	2·75	7·47
8.	विद्युतिकरण	—	3·30	4·33	—	—	7·63

1	3	3	4	5	6	7	8
9.	जलोत्थान	—	1·53	1·80	0·52	—	3·85
10.	पशुजल प्रदाय	—	—	—	0·18	0·71	0·89
11.	जिला ग्रामीण विकास अभि. संस्थापन	0·30	1·67	1·76	2·04	2·18	7·95
	योग	11·41	62·34	43·97	44·00	53·15	214·87

परिशिष्ट—2

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 85–86 से 89–90 तक के वर्षवार विभिन्न सैक्टरों में निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण।

क्र. सं.	सैक्टर का नाम	1985–86		1986–87		1987–88		1988–89		1989–90	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि (भू-संरक्षण)										
	(अ) एनिकट निर्माण (संख्या)	03	—	03	04	03	05	06	—	04	12
	(ब) जल ग्रहण क्षेत्र (संख्या)	06	—	—	04	—	02	03	—	03	04
2.	भू-जल विभाग										
	(अ) ट्यूब वेल निर्माण (संख्या)	03	—	05	08	05	12	—	—	—	—
	(ब) वेल इन्वेन्टरी (संख्या)	250	250	250	273	250	252	—	—	—	—
	(स) पानी के नमूनों का संग्रहण (संख्या)	250	250	250	273	250	252	—	—	—	—

199

Page No. 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. लघु सिंचाई											
(अ) आकोडिया योजना (लाभान्वित क्षेत्रफल)		147	—	—	—	—	—	—	147	—	—
(ब) रूपवास योजना		—	—	—	—	—	208	—	—	—	—
4. वन विकास											
(अ) वन भूमि पर वृक्षारोपण (हैक्टर)											
(क) अग्रिम मुद्रा कार्य		200	200	100	100	125	125	—	—	100	100
(ख) वृक्षारोपण		—	—	200	200	100	100	125	125	—	—
(ग) संधारण		—	—	—	—	200	200	300	300	425	425
(ब) पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण/मिक्स प्लान्टेशन (हैक्टयर)											
(क) अग्रिम मुद्रा कार्य		200	200	50	50	75	75	—	—	100	100
(ख) वृक्षारोपण		—	—	200	200	50	50	75	75	—	—
(ग) संधारण (क+ख+ग+)		—	—	—	—	200	200	250	250	325	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	भेड़ विकास										
	(अ) उन्नत नस्ल के भेड़े क्रय एवं संधारण (संख्या)	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(ब) भेड़ पालकों को प्रशिक्षण (संख्या)	20	20	140	109	210	202	—	—	—	—
	(स) भेड़ चिकित्सा (लाखों में)	0 40	—	0·50	0·91	0·65	1·29	—	—	—	—
	(द) भेड़ मेला आयोजना	—	—	—	—	03	03	—	—	—	—
6.	पशु स्वास्थ्य										
	(अ) फोज़न सीमन से कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	3000	—	1000	350	1500	878	—	—	—	—
	(ब) चारा विकास प्रदर्शन व क्षेत्रफल (संख्या है)	90/45	—	90/45	90/45	90/45	90/45	180/90	180/90	—	—
	(स) पशु चिकित्सा शिविर										
	(क) पशु शिविर	—	—	10	10	15	15	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ख) लाभान्वित पशु (संख्या)	5000	11847	9500	13500	15000	20068	—	—	—	—
7.	मत्स्य विकास										
	(अ) ब्रूडर्स टैंक का निर्माण (संख्या)	02	—	—	02	—	—	—	—	—	—
	(ब) कुओं का निर्माण (संख्या)	—	—	01	01	—	—	—	—	—	—
	(स) मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण (सं.)	30	30	20	20	20	15	—	—	—	—
	(द) शुष्क बंधों का सुधार (संख्या)	—	—	—	—	01	02	—	—	—	—
	(य) चाईनिग हेचरी का निर्माण मय ब्रूडर्स टैंक-04, नर्सरी–04 ओवर हैड टैंक-01, लेबोरेट्री–01 बीज संग्रहण कुण्ड–02 पम्प हाउस–01	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	विद्युत										
	(अ) ग्रामों का विद्युतीकरण (संख्या)	—	—	07	07	06	06	—	—	—	—
9.	जलोत्थान सिंचाई										
	(अ) जलोत्थान सिंचाई योजना (संख्या)	—	—	02	—	01	02	—	01	01	—
10.	पशु, पेयजल										
	(अ) खेली निर्माण	—	—	—	—	—	—	30	21	30	31

204

गुडालास ग्राम (बाली) के सरपंच व ओवरसियर द्वारा अनियमिततायें

149. **श्री अमृत लाल (बाली)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम गुडालास के सरपंच एवं ओवरसियर के विरुद्ध इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवासों में घटिया सामग्री के प्रयोग, कम मजदूरी का भुगतान, तथा गेहूं वितरण में हेराफेरी की शिकायतें जन प्रतिनिधि एवं जनता के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी ?

(2) यदि हां, तो तत्सन्दर्भ में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य हेतु मजदूरों को दिये जाने वाले गेहूं की बोरियों जनता द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली तहसीलदार, बाली, जिला परिषद, पाली एवं जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, पाली के रेकार्ड से प्राप्त सुचनाओं के अनुसार 2 वर्ष पूर्व विधानसभा क्षेत्र बाली के ग्राम गुडालास के सरपंच एवं ओवरसीयर के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवासों में घटीया सामग्री का प्रयोग कम मजदूरी का भुगतान, तथा गेहूं वितरण में हेराफेरी की शिकायत जन प्रतिनिधि एवं जनता के द्वारा प्रप्त होना नहीं पाया गया है ।

(2) उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) उक्त कार्य हेतु मजदूरों को दिये जाने वाले गेहूं की बोरियां जनता द्वारा रंगे हाथो पकड़ी गई अथवा नहीं की कोई शिकायत अथवा जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

समग्र विकास योजना

150. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या राज्य सरकार योजना आयोग से असम तथा बिहार राज्य की तरह राज्य के लिये समग्र विकास योजना बनाने हेतु अनुरोध करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई रूप रेखा तैयार की जाकर योजना आयोग को अनुरोध किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) असम एवं बिहार राज्यों के लिए योजना आयोग द्वारा समग्र विकास योजना बनाये जाने के विषय में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(आयोजना मन्त्री)

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कृषकों को ऋण

151. किशनाराम (डूंगरगढ़) :– क्या सहकारीता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि कृषि उत्पादन हेतु अल्प-कालीन व मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकारी बैंक अजमेर एवं इसके अधीनस्थ कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों का वार्षिक अंकेक्षण नियमानुसार समय पर नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

(2) सहकारिता वर्ष 1985-86 से 1989-90 के बाद सामान्यतः उक्त सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण कब-कब व किस-किस सहकारिता वर्ष तक का हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अजमेर एवं इसके अधिनस्थ सभी प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के वार्षिक अंकेक्षण समय पर नहीं किये जाते हैं। केकड़ी, चीताखेड़ा, कार्चरिया, अजगरा एवं गनाहेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के रिकार्ड समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण आडिट में विलम्ब हुआ है किन्तु अब इन सभी का वर्ष 87-89 तक का आडिट कराया जा चुका है।

(2) अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का सहकारी वर्ष 1988-89 तक का आडिट हो चुका है तथा प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का वर्ष 87-89 तक का आडिट हो चुका है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-एक)

परिशिष्ट – एक

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के वर्षवार आडिट होने संबंधी विवरण

आडिट वर्ष	आडिट पूरा कराने की समयावधि	ग्राम सेवा समितियों की कुल संख्या	निर्धारित समयावधि में आडिट पूरा किए जाने वाली समितियों की संख्या	निर्धारित समयावधि में आडिट नहीं होने वाली समितियों के बारे में विवरण		
				ग्राम समिति	बाद में पूरा होने का दि.	विलम्ब के कारण
1. 1985-86	30.6.87	159	158	अजगरा ग्राम सेवा सहकारी समिति	18.12.89	रिकार्ड अपूर्ण होने व समय पर नहीं होने के कारण बाद में पूरा किया गया।
1986-87	30.6.88	159	154	1. गनाहेडा ग्रा.स.स.	25.3.90	„ „
				2. अजगरा „	18.12.89	
				3. विजय केकडी „	12.12.89	
				4. कांचरिया „	29.3.90	
				5. चीताखेड़ा „	28.4.89	„ „
1987-89	31.3.90	159	159	निल	–	–
1989-90	31.3.91	159	16	इनका आडिट 31 मार्च 1991 तक पूरा करा लेने की समयावधि है।		

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण

152. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य में नहर के अन्तिम छोर से कौन-कौन सी तीन वितरिकायें निकली हैं तथा इन वितरिकाओं पर कितने आर. डी. तक निर्माण हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सागरमल गोपा वितरिका तथा शहीद बीरबल वितरिका का प्रस्तावित निर्माण कितने आर. डी. शेष है, और कब तक सरकार पूरा करने का विचार रखती है ?

(3) उक्त वितरिकाओं को पूर्ण करने हेतु सरकार को कितने करोड़ रुपयों की राशि की आवश्यकता होगी ? किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि खर्च होना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से सागरमल गोपा शाखा, शहीद बीरबल शाखा व मंडाऊ वितरिका निकलती है। इन पर निम्नलिखित आर.डी. तक कार्य पूरा हो चुका है :—

वितरिका	आर. डी. जहां तक कार्य पूरा हो चुका है
1. सागरमल गोपा शाखा	30
2. शहीद बीरबल शाखा	37.5
3. मंडाऊ वितरिका	47.2

विवरण तालिका "अ" में प्रस्तुत है।

उपरोक्त नहरों पर निम्न अनुसार कार्य शेष है :—

	शेष लम्बाई आर. डी. में
(2) 1. सागरमल गोपा शाखा	17.47
2. शहीद बीरबल शाखा	123.4
3. मंडाऊ वितरिका	शून्य

उपरोक्त शेष कार्य मार्च 1993 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(3) उक्त शेष कार्य को पूरा करने हेतु लगभग 36 करोड़ रुपये की आवश्यकता निम्न अनुसार होगी :—

	रुपये करोड़
90–91	15.00
91–92	14.00
92–93	7.00
योग :–	36.00

तालिका "ग्र"

मुख्य नहर के अन्तिम छोर से निकलने वाली शाखाओं का विवरण

वितरिका का नाम	कुल लंबाई आर डी.	किमी	आर. डी. जहां तक कार्य पूरा हो गया	आर. डी. जहां तक कार्य टूकड़ों में चल रहा है	टूकड़ों में पूरी की गई कुल लम्बाई आर. डी.	शेष लंबाई जिसमें कार्य चल रहा है।	शेष कार्य पूरा करने के लिये वर्षवार राशि की आवश्यकता करोड़ रु. में 90-91	91-92	92-93	कुल
1. सागरमल गोपा शाखा	314	95.71	30	190	109.3	174.70	11	10	4	25
2. शहीद बीरबल शाखा	194	59.13	37.50	113	23.1	133.40	3.8	4	3	10.8
3. मंडाऊ वितरिका	47.2	14.39	47.2	—	—	—	0.20	—	—	0.20
							15	14	7	36

दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

153. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1990 से अब तक राज्य में दैनिक उपयोग की वस्तु यथा दूध, घी (दोनों प्रकार के), चीनी, चावल, गेहूं, दालें, तेल, चाय आदि के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1900 से अब तक राज्य में दैनिक उपयोग की वस्तु दूध, घी (दोनों प्रकार के) चीनी, चावल, गेहूं, दालें, तेल एवं चाय के मूल्यों में हुई वृद्धि का प्रतिशत वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मूल्य वृद्धि का असर केवल राजस्थान प्रान्त में न होकर राष्ट्र व्यापी है। जिसका कारण गत वर्षों में अत्यधिक घाटे का बजट मुद्रास्फीति व मुद्रा के प्रसार के साथ-साथ कतिपय आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अन्तर होना रहा है। समय-समय पर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए जमाखोरी एवं काला-बाजारी के विरुद्ध कारगर कार्यवाही हेतु नियमित व्यापारियों के स्टॉक की जांच एवं आकस्मिक निरीक्षण करवाये गये तथा साथ ही आवश्यक वस्तुओं की अधिकाधिक उपलब्धि भी सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये हैं। व्यापारियों के यहां दाल, दलहन, तेल तिलहन एवं वनस्पति घी के स्टॉक को भी प्रयास कर कम कराया गया है। नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं का अधिक आवंटन राज्य सरकार को करने के लिए केन्द्र से प्रयास किये गये।

राज्य स्तर पर मूल्य वृद्धि की समीक्षा की गई और अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुएं प्रदेश में जाने के लिए राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ को धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में किसी सीमा तक स्थिर बनाये रखने में कामयाबी हॉसिल हुई है।

वस्तुवार विवरण

क्रमांक	नाम वस्तु	जनवरी,90	फरवरी, 90	मार्च, 90	अप्रैल, 90	मई, 90	जून, 90 (प्रथम सप्ताह)	प्रतिशत	(कमी / वृद्धि) (—)
1.	गेहूं	2.86	2.85	2.80	2.72	2.75	2.70	(—)	5.6
2.	चावल	5.55	5.56	5.54	5.56	5.64	5.60	(+)	0.9
3.	दालें								
	अ– अरहर	9.75	9.75	10.00	10 25	10.75	11.50	(+)	17.9
	ब– चना	8.40	7.90	8.00	8.90	9.10	9.00	(+)	7.1
4.	खाद्य तेल								
	अ– मूंगफली	25.34	26.72	27.78	30.90	30.83	33.00	(+)	30.2
	ब– सरसों	20.55	21.46	21.92	21.50	21.50	22.00	(+)	7.0
	स– वनस्पति घी	26.56	27.40	27.74	30.13	31.04	31.00	(+)	16.7
5.	चाय (ब्रुक ब्राण्ड)								
	50 ग्राम पैक में	3.13	3.15	3.24	3.35	3.39	3.37	(+)	7.7
6.	चीनी (फ्री सैल)	8.84	8.79	8.83	9.03	8.73	8.75	(—)	1.0
7.	दूध (भैंस का)	6.25	6.24	6.25	6.35	6.41	6.44	(+)	3.0
8.	घी (देशी)	60.67	60.00	59.70	61.33	61.56	62.00	(+)	2.2

मछलियों का ठेका

154. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में राज्य के किस-किस जिले में सरकारी व निजी तौर पर मत्स्य पालन किया जा रहा है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में प्रतिवर्ष सरकारी तौर पर मछलियों की नीलामी का ठेका दिया जाता है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1985 से अब तक दिये गये ठेकों के ठेकादारों के नाम सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन ठेकेदारों ने मछली की नीलामी का एक बार ठेका ले लिया उन्हीं के ठेके की अवधि बढ़ा दी जाती हैं ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में किन-किन ठेकेदारों के ठेकों की अवधि बढ़ाई गई है ? सूची मय ठेकेदारों के नामों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सरकारी तौर पर जिन जिलों में मत्स्स पालन किया जा रहा है उनकी सूची (परिशिष्ट "अ") संलग्न है राज्य में निजी तौर पर मत्स्य पालन नहीं किया जा रहा है।

(2) जी, हां, दिनांक 1 जनवरी 1985 से अब तक दिये गये मत्स्य ठेकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" (1 से 5) तक संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, "सी" श्रेणी के जलाशयों के ठेकेदारों की प्रार्थना पर ठेके की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ा दी जाती है। पिछले पांच वर्षों में जिन ठेकेदारों के ठेके की अवधि बढ़ाई गई है, उनकी सूची परिशिष्ट "स" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

खैरवाड़ा तहसील में अधूरे छात्रावास भवन

155. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में विभाग के कितने छात्रावास हैं ?

(2) कितने भवन सरकार द्वारा बनाये हुए हैं और कितने किराये पर लिए हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गत अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुछ छात्रावास भवन बनवाये गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ भवन तो अधूरे है और कुछ पूर्ण होने पर भी ठीक स्थिति में नहीं हैं ? यदि हां, तो अधूरे भवनों को पूर्ण कराने तथा पूर्ण भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में विभाग के द्वारा 8 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

(2) 4 छात्रावास सरकारी भवनों में एवं 3 किराये के भवनों में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक छात्रावास ग्राम पंचायत भवन में (निःशुल्क) चल रहा है।

(3) जी हां। वर्ष 1987-88 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत खैरवाड़ा तहसील में निम्न 5 छात्रावास भवनों का निर्माण कराया गया है :–

1. कल्याणपुरा
2. सरेरा
3. आडोवली
4. बारलवाड़ा एवं
5. पाटिया

(4) जी हां। निर्मित 5 छात्रावास भवनों में से 2 भवन सरेरा एवं बावलवाड़ा अपूर्ण हैं। आडोवली पाटिया एवं कल्याणपुरा के छात्रवास भवन पूर्ण होने पर भी ठीक स्थिति में नहीं हैं। अधूरे भवनों को पूर्ण कराने तथा पूर्ण भवनों की स्थिति सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची)

110 जा. फौ. के अन्तर्गत हुई कार्यवाही

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 1988	वर्ष 1989	वर्ष जनवरी, 1990
1.	अजमेर	199	209	17
2.	भीलवाड़ा	397	593	23
3.	नागौर	169	226	58
4.	जयपुर शहर	426	301	9
5.	जयपुर ग्रामीण	296	288	11
6.	झुंझुनू	190	152	6
7.	सीकर	195	289	14
8.	टोंक	317	343	8
9.	भरतपुर	174	156	5
10.	अलवर	323	347	17
11.	सवाई माधोपुर	706	353	4
12.	धौलपुर	75	64	3
13.	बीकानेर	191	137	3
14.	चूरू	249	389	33
15.	गंगानगर	571	477	54
16.	जोधपुर	454	328	16
17.	जालोर	201	208	8
18.	जैसलमेर	49	29	1
19.	बाड़मेर	159	135	8
20.	पाली	528	282	34
21.	सिरोही	197	193	15
22.	कोटा शहर	239	221	5
23.	कोटा ग्रामीण	185	319	13
24.	बून्दी	142	178	7
25.	झालावाड़	97	219	60
26.	उदयपुर	894	809	134
27.	बांसवाड़ा	209	214	118
28.	चित्तौड़गढ़	333	219	30
29.	डूंगरपुर	175	91	3
30.	जी. आर. पी.	167	75	0
	योग :–	8507	7944	717

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची

मुख्य आयोजना अधिकारी जिला योजना की जिलेवार एवं सेवावार सूची

क. सं	जिले का नाम	मुख्य आयोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी की सेवा का नाम
1.	अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, गंगानगर	(5) राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.	अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर	(7) राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा
3.	सीकर, भरतपुर	(2) राजस्थान मूल्यांकन सेवा
4.	बून्दी	(1) राजस्थान कृषि (सांख्यिकी) सेवा
5.	पाली	(1) राजस्थान भूमि विकास निगम सेवा
6.	डूंगरपुर, टोंक, नागौर	(3) राजस्थान कृषि सेवा
7.	सिरोही	(1) राजस्थान भू-जल सेवा
8.	धौलपुर	(1) राजस्थान भेड़ व ऊन सेवा
9.	जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, झुन्झूनूं, जालौर, चुरू	(6) रिक्त पद

जिला आयोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की जिलेवार एवं सेवावार सूची

क. सं.	जिले का नाम	जिला आयोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी की सेवा का नाम
1.	अजमेर, अलवर, बीकानेर, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, झुन्झुनूं, झालावाड़, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, पाली	(17) आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा
2.	भीलवाड़ा	(1) शिक्षा विभाग
3.	बूंदी	(1) भू-जल विभाग
4.	जोधपुर, चित्तौड़गढ़	(2) पशु पालन विभाग
5.	कोटा	(1) मूल्यांकन विभाग
6.	बांसवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर	(5) रिक्त

(215)

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची

क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या			अध्यापकों की स्वीकृति	जून, 89 में अध्यापकों की कमी	विद्यालय के अनु. अध्यापकों की कमी
		छात्र	छात्रा	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रा. वि. प्रतापपुरा	101	10	111	2	—	1
2.	पलादर	116	9	125	2	—	1
3.	छोटी पिपलेल	55	8	63	1	—	1
4.	बउसम	117	8	125	2	—	1
5.	गरदाली	40	4	44	1	—	—
6.	जांजुसर	109	15	124	2	—	1
7.	कामलपुरा	52	9	61	1	—	1
8.	लाछड़ी	69	15	84	2	—	—
9.	पालड़ी	135	18	153	2	—	2
10.	अगार	135	12	147	2	—	2
11.	पहाड़पुरा	98	4	102	2	—	1
12.	सिद्धेश्वर	85	15	100	2	—	1
13.	कीलवा	108	10	118	2	—	1
14.	फालना	52	7	59	1	—	1
15.	मडवल गो.	84	23	107	1	—	2
16.	गोघों का गोलिया	71	3	74	1	—	1
17.	सिलू	72	8	80	1	—	1
18.	कोउ.	126	14	140	1	—	3
19.	लालपुरा	76	6	82	1	—	1
20.	घुडवा	52	9	61	1	—	1
21.	छजपरा	92	5	97	1	—	2
22.	जैसला	41	18	59	1	—	1
23.	वाचन चौहान	47	4	51	1	—	1
24.	हाडेचा	229	—	229	5	—	—
25.	क. शाला हाडेचा	1	71	72	1	—	1
26.	कालबियों का मो. हाडेचा	44	8	52	1	—	1
27.	आमली	150	24	174	2	—	3
28.	आमली बस्ती	37	9	46	1	—	—

(216)

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	हिण्डवाडा	62	20	82	2	—	—
30.	ईशरोल.	59	13	72	1	—	1
31.	को. ढाणी काछेला	30	1	31	1	—	—
32.	काछेला	90	16	106	1	—	2
33.	बगसडी	65	25	90	1	—	2
34.	बावरला ढाणी	64	17	81	1	—	1
35.	बावरला गो.	34	8	40	1	—	—
36.	उडूसन गांव	115	6	121	1	—	2
37.	गालीफ	88	10	98	1	—	2
38.	उडूसन गोलिया	29	10	39	1	—	—
39.	जाखला 1	79	37	116	3	—	—
40.	जाखल 2	85	19	104	2	—	1
41.	घमाणा	100	22	122	1	—	1
42.	डागरा	95	9	104	2	—	1
43.	रूडा का गोलिया	120	10	130	2	—	2
44.	मा. ढाणी हरियाली	75	17	92	2	—	1
45.	पु. ढाणी डेडवा	56	20	76	2	—	—
46.	वेडिया मालवाडा	55	36	91	2	—	1
47.	सि. पालडी	41	15	56	1	—	1
48.	चितवाडा	364	87	451	8	—	3
49.	रतनपुरा 1	89	5	94	1	—	2
50.	रतनपुरा 2	44	9	53	1	—	1
51.	गोमी	57	17	74	1	—	1
52.	रतौडा	49	6	55	1	—	1
53.	होतीगांव	37	11	48	1	—	1
54.	सिलोसन	61	1	62	2	—	—
55.	रामपुरा	98	9	107	1	—	2
56.	सांगड़वा	79	15	94	1	—	2
57.	लाला की ढाणी डावल	27	16	41	1	—	—
58.	ढेम्बी	37	2	39	1	—	—
59.	आठ	232	—	232	5	—	1
60.	हसावास	62	11	73	1	—	1
61.	तालडा	63	11	74	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	वमल	63	9	72	1	—	1
63.	रामपुरा	62	11	73	1	—	1
64.	मनखोल	82	7	89	1	—	1
65.	जोधावास	136	21	157	2	—	2
66.	निम्बाई	106	5	111	1	—	2
67.	मूली	59	11	70	1	—	1
68.	बागली	58	5	63	1	—	1
69.	आम्बा का गोलिया	69	3	72	2	—	—
70.	जाटों का गोलिया	75	11	86	1	—	1
71.	सेवाडा	103	35	138	3	—	1
72.	परावा	154	15	169	4	—	—
73.	घनेरिया	106	35	141	3	—	1
74.	पापरडी	117	34	151	3	—	1
75.	रणोदर	77	20	97	2	—	1
76.	गिरधर धोरा	62	16	78	2	—	—
77.	नयावास रणोदर	61	23	84	2	—	—
78.	सा ढाणी डापल	85	10	95	1	—	2
79.	सा. ढाणी परावा	63	29	92	2	—	1
80.	जागो जोडा	37	10	47	1	—	—
81.	मा. ढाणी करावडी	120	26	146	3	—	1
82.	करावडी	89	11	100	2	—	1
83.	चौरा ढ़ाणी	114	51	165	3	—	1
84.	मादरूणा ढाणी	103	37	140	3	—	1
85.	भीलों की ढाणी	40	2	42	1	—	—
86.	सेसावा 2	111	30	141	2	—	2
87.	सेसावा 1	21	8	29	1	—	—
88.	अगडावा	56	9	65	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	जालबेरी	57	10	67	1	—	1
90.	मा. ढूठवा	56	5	61	1	—	1
91.	को. ढाणी हौती गांव	59	6	65	1	—	1
92.	नई बस्ती डुण्डवा	51	9	60	1	—	1
93.	सायर कोसिटा	14	4	18	1	—	–
94.	बरसल बेरी	39	3	42	1	—	–
95.	गुडा हेमा	139	33	172	4	—	1
96.	मेलावास	64	13	77	2	—	–
97.	तैतरोल	74	14	88	2	—	–
98.	अमरपुरा	77	23	100	2	—	1
99.	सैली	39	5	44	1	—	–
100.	बौरली	53	22	75	1	—	1
101.	कांटोल	110	12	122	3	—	–
102.	मा. ढाणी दांता	58	17	75	1	—	1
103.	पथमेडा	122	9	131	2	—	2
104.	मेडा जागीर	106	5	111	2	—	1
105.	कूडा	105	10	115	2	—	1
106.	किलूपिया	67	3	70	1	—	1
107.	खापरोल	58	7	65	1	—	1
108.	दुगांवा	128	8	136	1	—	3
109.	लूणियासर	105	3	108	2	—	1
110.	नगोलडी	37	6	43	1	—	–
111.	दु. की. ढा. सिसाउ	57	9	66	1	—	1
112.	डुगरी	123	23	146	3	—	1
113.	खामराई	68	17	85	1	—	1
114.	भीलों की ढाणी	60	18	78	1	—	1
115.	को. बेरी डूगरी	51	5	56	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
116.	बाघाकुआ	76	8	84	1	—	1
117.	टापी	86	7	93	1	—	2
118.	वेडिया	45	3	48	1	—	–
119.	सि. ढा. खेजडियाली	22	1	23	1	—	–
120.	साकड	216	60	276	4	—	2
121.	र. ढा. सांकड	77	21	98	2	—	1
122.	सेडिया	55	11	63	1	—	1
123.	नेलिया तालाब	86	31	117	1	—	2
124.	पालडी देवडान	67	6	73	1	—	1
125.	वाचन देवडान	61	7	68	1	—	1
126.	टीटोप	120	8	128	2	—	1
127.	लाछीवाड	62	4	66	1	—	1
128.	लाछीवाड गोलिया	35	8	43	1	—	–
129.	ना. ढा. लाछीवाड	29	5	34	1	—	–
130.	गु. ढा. सांकड	45	8	53	1	—	1
131.	चाडान राडी सांकड	53	15	68	1	—	1
132.	वोढा (केरवी)	76	21	97	2	—	1
133.	वोढा ग्राम	188	13	201	4	—	1
134.	मीरपुरा खेडा	58	22	80	2	—	1
135.	मीरपुरा ढाणी	55	20	75	1	—	1
136.	जैरोल	85	6	91	2	—	1
137.	अरणीया गोलिया	42	9	51	1	—	1
138.	चौरा ग्राम	177	15	192	3	—	2
139.	बालाणा हरियाली	65	36	101	2	—	1
140.	पुर ग्राम	165	16	181	4	—	1
141.	जे. ढा. पुर	121	16	137	2	—	2
142.	कालू की ढाणी पुर	40	13	53	1	—	1
143.	टी. ढा सरनाऊ	115	35	150	2	—	2

(२१०)

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	बलाना नाडी खारा	61	8	69	1	—	1
145.	बीजरोल	96	3	99	2	—	1
146.	जेलातरा	142	19	162	2	—	2
147.	भूतेल	105	14	119	1	—	2
148.	मारूखेडा	67	8	75	1	—	1
149.	बापो की ढाणी	62	10	72	1	—	1
150.	रे. गो. बीजरोल	99	15	114	1	—	2
151.	दातियां	92	10	102	1	—	2
152	वाक	57	10	67	1	—	1
153.	सुथाना	64	9	73	1	—	1
154.	भुवाना	42	1	43	1	—	–
155.	बन्ना की ढाणी	42	14	56	1	—	1
156.	कुम्हारों का गो.	55	1	56	1	—	1
157.	सुराचन्द	51	1	52	1	—	1
158.	रायपुरियां	21	2	23	1	—	–
159.	मलाइयों की ढाणी	14	2	16	1	—	--
160.	मीमगुडा	49	4	53	1	—	1
161.	निम्बज की ढाणी	57	2	59	1	—	1
162.	निम्बज गांव	35	6	41	1	—	–
163.	कलजी की बेरी	24	6	30	1	—	–
164.	सुजानपुरा	15	7	22	1	—	–
165.	केसूरी	81	—	81	2	—	–
166.	जानवी ग्राम	77	23	100	1	—	2
167.	लोटेश्वर	27	4	31	1	—	--
168.	नलधरा	49	3	52	1	—	1
169.	बालेरा	97	16	113	1	—	2
170.	खासरवी	55	—	55	1	—	1
171.	मेढा	23	9	32	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
172.	गलीफा	21	5	26	1	—	—
173.	भवातडा	27	10	37	1	—	—
174.	माटकी	48	14	62	1	—	1
175.	सुथडी	50	6	56	1	—	1
176.	धींगपुरा	30	4	34	1	—	1
177.	जोराढर	22	10	32	1	—	—
178.	रिड़का	15	6	21	1	—	—
179.	साकरियां	23	5	33	1	—	—
180.	खेजडियाली		6	50	1	—	—
181.	आकेडिया	15	—	15	1	—	—
182.	आकोडा	12	9	21	1	—	—
183.	हालीवाव	133	44	177	3	—	2
184.	मेघावा	85	15	100	2	—	1
185.	कुण्डकी	60	17	77	8	—	1
186.	वीरावा	91	26	227	2	—	1
187.	सुटाकुई	68	5	73	2	—	—
188.	लालपुरा	65	9	74	8	—	1
189.	चारणीय	70	30	100	2	—	1
190.	बाटो का गोलिया	37	17	54	1	—	1
191.	अंकोडिया (केरियां)	51	10	61	1	—	1
192.	मणोहर	29	11	40	1	—	1

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 198 की सूची :—

1982 में जारी परिपत्र के अन्तर्गत रेमीशन का अनुचित तरीके से लाभ लेने वाले छविगृहों से सम्बन्धित सूचना,

क. सं.	नाम छविगृह	रेमीशन का लाभ लेने की अवधि	पुराने छविगृह को नया बताकर रेमिशन का लाभ लेने पर की गई कार्यवाही	आरोपित की गई राशि: मनो. कर प्रदर्शन कर व विज्ञापन कर	आरोपित की गई राशि: शास्ति	आरोपित की गई राशि: ब्याज	आरोपित की गई राशि: योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै. विजय टाकिज, मालपुरा	जनवरी 85 से मार्च 87	उक्त अवधि के कर निर्धारण सम्पन्न करके नियमानुसार मनोरंजन कर, प्रदर्शन कर, विज्ञापन कर, ब्याज एवं शास्तियां आरोपित की गई है।	39,167/-	14,175/-	32,044/-	85,386/-	(1) व्यवसायी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स) अजमेर के यहां अपील पेश कर रखी है जिस पर उनके द्वारा 31-1-90 को स्थगन दिये जाने की वजह से मांग वसूल नहीं की जा सकी हैं, अभी निर्णय नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मै. विजय टाकिज मालपुरा	अप्रेल 87 से फरवरी 88 तक प्रशमन पर रहा है इसके पश्चात छविगृह बन्द कर दिया गया है जो अब तक बन्द है ।	उक्त अवधि में छविगृह को रेमिशन का हकदार नहीं मानते हुये नियमानुसार देय कर के आधार पर रू. 3,885.50 मासिक किश्त निर्धारित करते हुए प्रशमन किया गया था ।	42,740,50	—	—	42,740.50	उक्त राशि व्यवसायी द्वारा जमा करा दी है ।
6.	मै. कृष्णा टकिज मालपुरा	अगस्त 86 से जनवरी 87	रेमिशन का हकदार नहीं मानते हुए कर निर्धारण किये जाकर मांग कायम की गई जो व्यवसायी द्वारा जमा करा दी गई ।	10980/-	1750/-	423/-	13153/-	व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) कोटा के यहां अपील पेश करने पर उनके द्वारा, कायम की गई, मांग को सेट एसाइड कर दिया गया । इसके विरुद्ध आति. आयुक्त के यहां रिवीजन पेश की गई । उनके द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								किये गये हैं। अतः अति. आयुक्त द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार रिमाण्ड पर पुनः निर्णित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
		फरवरी 87 से जुलाई 89	रिमाण्ड प्रकरण निर्णित किये जाने के पश्चात् ही फरवरी, 87 से जुलाई 89 तक के कर निर्धारण किये जाने हैं जिसका संभावित कर रू. 18156/- बनता हैं।	18156/-	—	—	18156/-	कर निर्धारण करने हेतु व्यवसायी को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं जिसमें दि. 9-7-90 नियत है तथा उक्त अवधि में संभावित कर रू 18156/- बनता है जिस पर नियमानुसार ब्याज व शास्तियां अलग लगाई जावेगीं।
3.	मै. टेगौर टॉकीज, टोंक	अगस्त 84 से जुलाई, 85	ओपन ऐयर होने के कारण छविगृह को परिहार का हकदार नहीं मानते हुए मनो. कर, प्र. कर, बि. करआरोपित किया गया था।	141044.80	—	—	141044.80	व्यवसायी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स) कोटा के यहां अपील पेश करने पर उनके द्वारा कर निर्धारकों द्वारा कायम की गई मांग को सेट

Page No. 225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								एसाइड कर दिया गया है जिसके विरूद्ध अति. आयुक्त के यहां रिवीजन पेश की गई है वहां से निर्णय होना अभी लम्बित है
3.	मै. टैगोर टॉकीज टोंक	अगस्त 85 से जुलाई 87	उक्त अवधि में भी व्यवसायी ने रेमीशन का लाभ उठाया है। चूंकि अति. आयुक्त के यहां अगस्त 84 से जुलाई 85 तक के कर निर्धारणों में की रिवीजन का निर्णय होना लंबित है इसलिए उक्त अवधि के कर निर्धारण अभी लंबित हैं।	—	—	—	—	अति. आयुक्त के यहां से अगस्त, 84 से जुलाई 85 तक के कर निर्धारणों में की गई रिवीजन का निर्णय होने पर उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अगस्त 85 से जुलाई, 87 तक के कर निर्धारण किये जाने हैं जिनमें संभावित कर रू. 316700/- बनता है। इसमें से 185335/- व्यवसायी द्वारा जमा करा दिये गये हैं एवं रू. 131365/- कर निर्धारणों में कायम होने की संभावना है।

225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	मै. किरण टॉकीज टोंक	जुलाई 86 से नवंबर 86	छविगृह का अनुज्ञा-पत्र लोक छवि का होने के कारण छविगृह को रेमिशन का हकदार नहीं मानकर कर निर्धारण किये गये है ।	43342/-	3100/-	25660/-	72102/-	उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) अजमेर के यहां अपील पेश किये जाने पर उनके द्वारा दि. 26-3-90 को स्थगन दिया गया है अभी निर्णय होना लंबित हैं ।
4.	मै. किरण टॉकिज टोंक	दिसबंर 86 से जून 87	उक्त अवधि के कर निर्धारण लंबित है उपायुक्त (अपील्स) अजमेर के यहां से जुलाई 86 तक के कर निर्धारण में निर्णय दिये जाने पश्चात् उनके निर्देशानुसार कर निर्धारण किये जावेंगें ।	—	—	—	—	उपायुक्त (अपील्स) अजमेर द्वारा जुलाई 86 से नवंबर 86 तक के कर निर्धारणों में निर्णय दिये जाने के पश्चात कर निर्धारण किये जावेगें । रू. 50000/- कर बनवा की संभावना है व शास्ति ब्याज नियमानुसार अलग से लगाया जावेगा ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	मै. किरण टॉकिज टोंक	जुलाई 87 से जून 88	छविगृह को परिहार का हकदार नहीं मानते हुऐ नियमानुसार देय कर के आधार पर मासिक किश्त रू.14325/- निर्धारित करते हुए प्रशमन किया गया था ।	143250/-	—	—	143250/-	व्यवसायी में दो माह की किश्त रू. 28650/- प्रशमन करते समय टोटलिंग मिस्टेक होने की वजह से जमा नहीं कराये हैं जिसके लिए छविगृह के दो लेंस कुर्क कर रखे हैं ।
	—,,—	जुलाई 88 से फरवरी 89	उक्त अवधि के कर निर्धारण लंबित हैं।	—	—	—	—	उपायुक्त (अपील्स) अजमेर द्वारा जुलाई 86 से नवंबर 86 तक के कर निर्धारणों में की गई अपील का निर्णय दियें जाने के पश्चात् कर निर्धारण किये जाने हैं जिसमें रू.60950/- कर बनने की संभावना है इसमें से व्यवसायी ने रू.46683/- जमा करा दिये हैं ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	मै. किरण टॉकीज टोंक	मार्च 89 से जून 89	कर समय पर जमा नहीं कराने के कारण कर निर्धारण कर दिये गये हैं।	21656/-	7050/-	788/-	29494/-	उक्त कायम की गई मांग में से व्यवसायी ने रू. 14269/- जमा करा दिये हैं तथा शेष राशि के लिए उपायुक्त (अपील्स) अजमेर के यहां अपील पेश की थी जिस पर उनके द्वारा दिनांक 24-3-90 को स्थगन दिया है, निर्णय होना अभी लंबित है।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 199 की सूची:—

राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक 30-4-90 को विचाराधीन फौजदारी व दीवानी वादों तथा याचिकाओं की सूचना:—

फौजदारी वाद	11447
दीवानी वाद	12455
याचिकाएं	28415

उपरोक्त विचाराधीन वाद एवं याचिकाएं की वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है:—

वर्ष	दीवानी वाद	फौजदारी वाद	याचिकाएं
1971	01	—	—
1972	20	—	—
1973	05	—	—
1974	05	—	1
1975	20	—	2
1976	20	—	2
1977	48	80	4
1978	127	93	44
1979	184	188	300
1980	330	331	858
1981	563	622	1086
1982	649	734	1302
1983	704	938	1672
1984	971	1016	1544
1985	808	1011	1514
1986	1143	1092	2022
1987	1568	1155	3720
1988	1676	1372	3821
1989	2398	1697	6998
1990	1225	1118	3335
	12465	11447	28215

230

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूची —

भेड प्रजनन फार्म, फतेहपुर पर वर्ष वाइज व्यय का ब्यौरा

मद	73–74	74–75	75–76	76–77
1	2	3	4	5
1. वेतन	27833 44	128055.99	266976.54	284530.68
2. यात्रा व्यय	2925.11	16030.35	16717.13	20551.50
3. चिकित्सा	529.27	1649.86	5664.83	4490.76
4. मजदूरी	—	—	—	119391.30
5. वाहन संधारण	3870.95	34313.31	47292.21	48220.25
6. पाश्चर .	773232.49	56591.84	214495.08	493296.19
7. भेड संधारण	9414.60	108080.63	155780 27	189997.58
8. माईनर वर्क	61377.02	1441423.95	1160793.73	713598.45
9. भेड खरीद	59000.00	1234220.44	375238.00	—
10. टूल एण्ड प्लान्ट्स	—	—	—	—
11. कार्यालय व्यय	19681.44	22533.73	41718.17	58482.58
12. अनुरक्षण	—	—	—	—
3. वाहन दुर्घटना	—	—	—	—
योग	960957.52	304289810	2284676.96	1932559.27

77–78	78–79	79–80	80–81	81–82
6	7	8	9	10
330836.41	325400.80	351309.20	360052.33	388937.15
20569.51	19933.02	17485.09	32728.09	17063.60
4599.50	5000.49	8003.02	7996.14	7880.40
183837.50	199853.50	221746.50	237953.50	259705.60
41712.30	76646.08	40003.61	95939.06	59968.31
341520.54	198927.04	199909.40	105883.56	225000.22
304891.73	298878.68	450120.14	519748.92	575474.26
330171.19	728159.90	572257.88	70262.15	64627.22
2736011.83	3747665.36	1650000.00	—	37018.00
—	—	—	—	39,50.50
56167.79	59848.01	59521.80	59970.61	72991.39
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
4350316.30	5660312.87	3570356.64	1490534.36	1748616.65

मद	82–83	83–84	84–85	85–86
1. वेतन	471506.97	586063.00	697563.00	712289.00
2 यात्राव्यय	24904.45	26998.00	26963.00	24996 00
3. चिकित्सा	9922.08	10000.00	13000.00	14324.00
4. मजदूरी	304509.50	360338.00	370033.00	409986.00
5. वाहन संधारण	68520.21	89984.00	74178.00	69999.00
6. पाश्कर	219999.14	229623.00	224907.00	154997.00
7. भेड़ संधारण	559903.46	449212.00	564882.00	479003.00
8. माईनर वर्क	58471.95	24990.00	49870.00	25217.00
9. भेड़ खरीद	33590.00	76160.00	—	—
10. टूल एण्ड प्लाण्टस	50011.30	9461.00	968.00	—
11. कार्यालय व्यय	54000.75	69937.00	59991.00	59985.00
12. अनुरक्षण	—	39993.00	34777.00	49769.00
13. वाहन दुर्घटना	—	—	—	—
योग:—	1880435.74	1972749.00	2117152.00	2000565.00

86-87	87-88	88-89	89-90
874173.00	108248.00	1093997.00	1249767.00
28221.00	25331.00	19988.00	33560.00
12900.00	13392.00	14970.00	19063.00
[redacted]440072.00	1082733.00	1149971.00	1418890.00
74004.00	59508.00	55238.00	46987.00
[redacted]165889.00	139982.00	137259.00	148428.00
[redacted]587305.00	837967.00	1100008.00	1100081.00
40601.00	20000.00	19300.00	—
—	—	—	—
—	—	—	—
62967.00	60440.00	48559.00	44006.00
—	—	—	20223.00
—	—	—	8047.00
[redacted]86132.00	3247601.00	3530290.00	4079052.00

234

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	81	1	देवस्थान मन्त्री	खाद्य मन्त्री
2.	113	7	शेखावत	शेखावत
3.	181	4	शुरू	शुरू
4.	186	14	महोदमे	महोदय
5.	187	17	श्री अध्क्षस	श्री अध्यक्ष
6.	191	11	अवछी	अच्छी
7.	269	फोलियो	प ब-व्ययक	आय-व्ययक